लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(Seventh Lok Sabha)

(तेरहवां सत्र)

53 (12) L
22 6 84

(खंड 43 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 19, सोमवार, 19 दिसम्बर, 1983/28 अग्रहायण, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—17
* तारांकित प्रश्न संख्या : 366, से 369	2—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—232
तारांकित प्रश्न संख्या : 370, 371 और 373 से 386	17—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4174 से 4267, 4269 से	37—30
4404 और 4404—क	30—232
सभा पटल पर रखे गए पत्र*	35—239
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	
23 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	239—246
बैंकाक में जाली भारतीय करेंसी नोट छापने में लगे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगने के समाचार	
श्री मोहम्मद असरार अहमद	239
श्री जनार्दन पुजारी	240
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	244
जीवन बीमा निगम विधेयक	246—250
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	246
श्री सुनील मैत्रा	247
श्री रामावतार शास्त्री	250

* किसी नाम पर अँकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री दीनबन्धु वर्मा	307
श्री राजेश कुमार सिंह	309
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	310
श्री एम० अरुणाचलम	313
श्री जमीलुर्रहमान	315
आधे घंटे की चर्चा	319—326
विश्वविद्यालय के छात्रों में मादक औद्योधियों की लत	
श्री जयपाल सिंह कश्यप	319
श्रीमती शीला कौल	321
श्री राजेश कुमार सिंह	322
श्री रामावतार शास्त्री	323
श्री सुधीर गिरि	324
श्री मूलचन्द डागा	324—326

लोक सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 1983/28 अग्रहायण, 1905 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : बहुत देर से इन्तजार था ।

अध्यक्ष महोदय : सोहबत का असर तो होता ही है । आज क्या बात हुई ?

संसदीय कार्य; खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आज मुझे जबरदस्ती महिला सदस्यों के लौज में घुसना पड़ा ताकि वे सभा में उपस्थित हों और कोरम पूरा हो सके ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमें इस संबंध में और ब्यौरा चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : यह अनाधिकार प्रवेश का एक गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा में ऐसा कोई माननीय सदस्य है जो इस संबंध में विरोध प्रकट करे और मुझे विशेवाधिकार का प्रस्ताव दे सके ।

डा० सुब्रह्म मण्यम स्वामी : अगली बार उन्हें अन्य संसद सदस्यों को, विशेषरुप से विपक्षी सदस्यों को, भी साथ ले जाना चाहिए···

श्री बूटा सिंह: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे नियमित रुप से सभा में उपस्थित रहें । अन्यथा एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे महिला सदस्यों के लाज से उठाकर बाहर फैंक दिया जाएगा···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय पुरुष सदस्य ही कोरम तूर्ति के लिए काफी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां समान अधिकार हैं । कोई भेदभाव नहीं हैं । कम से कम मैं अनुमति नहीं दूंगा । यहां सब केवल सदस्य हैं महिला सदस्य या पुरुष सदस्य ऐसा कुछ नहीं है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पत्तनों में मत्स्य नौकाओं के लिए घाट शुल्क में कमी

*366. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न मत्स्य पत्तनों में मत्स्य नौकाओं के लिए घाट शुल्क को कम करने के बारे में विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन मिले हैं, और

(ख) यदि हां, तो मत्स्य नौकाओं के मालिकों की सामान्य कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए घाट शुल्क को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना): (क)सरकार को विशाखापतनम् मत्स्य पत्तन में लगाये गए घाट उपयोग शुल्क को कम करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस विषय का अध्ययन करने तथा अन्य बातों के साथ घाट उपयोग के उचित शुल्क के बारे में सुझाव देने के लिए अगस्त् 1983 में एक समिति गठित की गयी है ।

प्रो० पी0०जे० कुरियन : महोदय मत्स्य उद्योग द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनके बारे में उनके द्वारा विभिन्न अभ्यावेदन दिए गए हैं । मंत्री महोदय ने कहा है कि एक समिति गठित की गई है मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति के अन्य विचारार्थ विषय क्या हैं और क्या इस समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ।

मत्स्य उद्योग में अधिकंश छोटी नौकाओं के मालिक हैं । वे जब समुद्र यात्रा पर जाते हैं तो पूरा डीजल लेकर जाते हैं । परन्तु मछली पकड़ने की उनकी समुद्र यात्राकी सफलता मौसम, यांत्रिकी खराबी क्षमता अनुसार मछली पकड़ी जाती हैं या नहीं तथा अन्य ही ऐसी बातों पर निर्भर करती हैं उनमें से अधिकांश लोगों को पर्याप्त मात्रा में मछली पकड़े बिना ही वापस आना पड़ता है यदि मौसम खराब होता है यदि कोई यात्रिकी खरावी हो जाती है तो भी उन्हें वापस आना पड़ता है । यदि मत्स्य नौका में मरम्मत आदि की जरुरत हो जाती है तो भी उन्हें पत्तन वापस आना पड़ता है। परन्तु मौसम खराब होने पर यांत्रिकी खरावी उत्पन्न होने पर तथा कम मछली पकड़े जाने पर आप उनसे पूरा घाट शुल्क वसूल करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति के विचारार्थ विषयों में क्या यह पहलू भी सम्मिलित है, ताकि ऐसे अवसरों पर इन नौकाओं, जाल-पोतों को बिना घाट शुल्क दिए पत्तन पर आने की अनुमति दी जा सके ।

श्री योगेन्द्र मकवाना: समिति अगस्त, 1983 में गठित की गई थी और प्रति वेदन फरवरी, 1984 के लगभग प्राप्त होने की आशा है । जहां तक समिति के विचारार्थ विषयों का संबंध है, उनमें वह मुददा सम्मिलित है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है क्योंकि विचारार्थ विषयों में एक विषय यह भी है कि" परम्परागत मत्स्य नौकाओं और छोटी यांत्रिकीकृत नौकाओं और छोटे यात्रिकीकृत पोतों के मालिकों की समस्याओं का, यदि कोई हों तो, अध्ययन करना ।" विचारार्थ विषयों में एक यह भी है ।

अन्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं;

(एक) वर्तमान संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करना और उपयोग कर्त्ता शुल्क वसूली प्रणाली को कारगर बनाने के लिए उपाय सुझाना ;

(दो) वर्तमान उपयोगकर्ता शुल्क का पुनरीक्षण करना और मत्स्य पत्तन के आय और व्यय तथा उपयोगकर्ता की शुल्कदायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनों का, यदि कोई करने को हों सुझाव देना ;

(तीन) परम्परागत मत्स्य नौकाओं और यांत्रिकीकृत छोटे पोतों के स्वामियों की समस्याओं का, यदि कोई हों, अध्ययन करना;

(चार) प्रचालन हानि की, यदि कोई हो, पूर्ति हेतु सुझाव देना;

(पांच) उपर्युक्त पर विचार के साथ-साथ इस विषय पर समय-समय पर प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की जांच करना ।

छोटे पोतों द्वारा मछली पकड़ने के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह छोटी नौकाओं की समस्याओं के अन्तर्गत भी आता है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : भारत का तटवर्ती क्षेत्र लगभग 7500 किलोमीटर है और हमारा आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक फैला हुआ है । इतना विस्तृत या विशाल तटवर्ती क्षेत्र होने पर भी हमारा मत्स्य उद्योग उसके अनुरूप विकसित नहीं हो पाया है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली हमारी नौकाओं की संख्या लगभग 100 है और उनमें से केवल 50 निजि उद्यमियों के पास हैं ।

ताइवान जापान और यहां तक कि थाईलैण्ड जैसे देशों का क्षेत्र हमारे से कम है । ताइवान और थाइलैण्ड में लगभग 7000 मत्स्य नौकाएं है जब कि जापान में 14000 हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना विस्तृत मत्स्ययुक्त तटवर्ती क्षेत्र होने पर भी हम मछली कहां पकड़ पाते हैं । मछली हमारे देश में एक महत्पपूर्ण और मुख्य भोजन है फिर भी हम इअ संसाधनों का उपयोन नहीं कर पाते । मेरे विचार में इसकी कुछ बुनियादी समस्यांए हैं और बाधांए हैं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने हेतु तथा यह पता लगाने हेतु कि अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र होने पर भी हमारा मत्स्य उद्योग पनप क्यों नहीं रहा है एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है ।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । हमारा एक केन्द्रीय मत्यपालन बोर्ड भी है जिसमें ये सारे मामले उठाए जाते हैं । मछुओं के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड के सदस्य हैं तथा राज्यों के मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधि

भी इस बोर्ड में हैं।

यह सच है कि हमारे देश में मत्स्य पालन का विकास अपेक्षित सीमा तक नहीं हुआ है। इसमें अनेक बाधांए है ।

हाल ही में संसद द्वारा अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम' पारित किया गया है और उसके पश्चात हम देश में मत्स्य नौकाओं की संख्या बढ़ाने और समुद्री मत्स्य पालन का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि लोगों द्वारा मत्स्य नौकाए प्राप्त की जाएं और यह निजी उद्‌मियों की क्षमता तथा राज्यों के निगमों की मत्स्य नौका खरीदने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस समय लोग अन्य देशों से नौकाएं किराए पर लेना चाहते हैं परन्तु हम किराए पर नौकायें लेने की प्रथा को तेजी से विकास नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा अनुभव यह रहा है कि लोग सरकार से किराये पर प्राप्त करते हैं वे अन्य देशों से नौकायें प्राप्त करते हैं। और कुछ महीनों तक मछली पकड़ने के बाद वे चले जाते हैं ।पोत मालिक द्वारा पकड़ी गई मछली का 85 प्रतिशत भी लिया जाता है। भारतीय पार्टियों को केवल 15 प्रतिशत मिलता है। उससे देश को अधिक लाभ नहीं होता है।

परन्तु हम समय-समय पर नीति की पुनरीक्षा करते रहते हैं हमारी नीति उदार शर्तों पर ऋण देने की है मेरे विचार में इस छेत्र में ऋण उपलब्धता अन्य किसी ओद्यौगिक छेत्र की ऋण उपलब्धता से अधिक है पोतों की खरीद के लिए 90 से95 प्रतिशत ऋण लगभग 61/2 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध है इसके बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे हैं इसके कई कारण हो सकते हैं क्यों कि उद्यमी संभवत: यह सोचते हो कि मछली पकड़ने की अपेक्षा अन्य उद्योगों में अधिक लाभ है इसके अतिरिक्त राष्ट्र ने अभी तक विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में लोग अधिक नहीं जानते हमने अपने कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिक्षण सुविधाएँ भी जुटाई हैं माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सरकार की जानकारी में पहले से ही है। और सरकार इस पर गम्मीरता से विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री जदेजा जी। क्या आप भी मछली पकड़ने में रुचि रखते हैं।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : अत्यधिक।

यह बड़े दुख: की बात ज कि मंत्री महौदय ने सवीकार किया है कि हम समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ पूछ सकता हूं? मेरे विचार में किराए पर नौका लेना कोई गलत बात नहीं है। परन्तु इन पोतों को किराए पर लेने के पीछे हमारा उद्देश्य समुद्र के उस क्षेत्र में मछली पकड़ना या जिसमें हमारे भारतीय मछुये नहीं पकड़ रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि मछली पकड़ने के लिए किराए पर नौका देने वाली ये कम्पनियां उन भारतीय मछली पकड़ने वाली कम्पनियां से मुकाबला नहीं कर रही हैं जिसके पास मछली पकड़ने की अपनी नौकाए हैं जिन पर भारतीय पूंजी लगी है और जिनके वे शत-प्रतिशत मालिक हैं और ये कम्पनयां उन्ही

क्षेत्रों में मछली पकड़ रही हैं जहां हमारे मछुये पकड़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जहां विदेशी मत्स्य पोत और भारतीय मत्स्य पोत में घाट सुविधाओं संबंधी, डीजल संबंधी तथा अन्य सुविधाओं संबंधी अन्तर है कम से कम वहां भारतीय मत्स्य कम्पनियों और विदेशी मत्स्य कम्पनियों को एक समान समझेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डीजल की खरीद के लिए मत्स्य पोतों के लिए उत्पाद शुक्क राज सहायता संबंधी रियायतें प्राप्त हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि किराए के पोत तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य संसधनों का दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी नीति गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देने की है हम उन चार्टर कम्पनियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाना चाहती हैं विशेषरूप से ट्यूना मछली पकड़ने के लिए, ताकि स्थानीय मछुओं के हितों पर बुरा प्रभाव न पड़े हम राज्यों द्वारा कानून बनाए जाने के लिए पहले ही मानक कानून परिचालित कर चुके हैं।कुछ राज्य पहले ही कानून पारित कर चुके हैं, किराए के मत्स्य पोत अथवा बड़ी नौकायें केवल क्षेत्रीय जल से बाहर मछली पकड़ सकते हैं अर्थात तट से 23 किलो मीटर दूर उनसे इससे निकट मछली पकड़ने की अपेछा नहीं की जाती और यदि वे मछली पकड़ने आते हैं तो उन्हें पकड़ा जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इस संबन्ध में बड़ा कड़ा कानून है।

महानदी बेसिन में बाढ़

*367. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हीराकुण्ड बांध के बावजूद वर्ष 1982 मे महानदी में अभूतपूर्व विनाशकारी बाढ़ आई थी और उड़ीसा के पुरी और कटक जिलों को नुकसान पहुंचा था ;

(ख) क्या सरकार ने यह अध्ययन किया है कि हीराकुण्ड बांध महानदी बेसिन में बाढ़ को पूरी तरह रोकने में असमर्थ है ;

(ग) या सरकार ने महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का कोई वैकल्पिक उपाय करने पर विचार किया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस दिसा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1982 के मानसून में भारी वर्षा हुई थी, यह न केवल हीराकुण्ड के जल-ग्रहण क्षेत्र में बल्कि हीराकुण्ड के अनुप्रवाह में महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र में काफी बड़े क्षेत्र में भी हुई थी। उड़ीसा के पुरी और कटक जिलों में मुख्य रूप से महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र के हीराकुण्ड के अनुप्रवाह में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण बाढ़ें आई थीं।

(ग) और (घ) प्रभावकारी बाढ़-नियंत्रण तथा उपलब्ध अधिशेष जल का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से भी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को और अधिक प्रभावकारी तथा उपयोगी

जलाशय बनाने के लिए आवश्यक अन्वेषण करने की सलाह दी गई है। उड़ीसा सरकार से इस क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर विचार करने और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सहयोग देने के लिए भी अनुरोध किया गया है ताकि ये अन्वेषण शीघ्रता पूर्वक किए जा सकें।

श्री बृज मोहन महन्ती : यह राष्ट्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है। 1982 में ही नहीं, पहले के वर्षों में भी महानदी की बाढ़ से ऐसा विनाश होता रहा है। 1982 के वर्ष में, न केवल कटक और पुरी जिले के क्षेत्र ही प्रभावित हुए हैं, बल्कि सम्बलपुर क्षेत्र भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। इसलिए यह केवल विपत्ति की ही बात नहीं है, बल्कि इससे राज्य के वित्त, आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय वित्त पर भी बुरा असर पड़ा है। 1982 में, भारत सरकार ने राज्य सरकार को बाढ़ से निपटने के राहत कार्यों के लिए करोड़ों रुपये दिए।

मेरा सुझाव यह है कि मंत्रालय में इस प्रकार की योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि (ख) क्या सरकार ने यह अध्ययन किया है कि हीराकुड़ बांध महानदी बेसिन में बाढ़ को पूरी तरह रोकने में असमर्थ है ?

यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भाग (ख) के विषय में दिये गये उत्तर में, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो कुछ भी हो, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में न केवल अनुप्रवाह में वर्षा बल्कि ऊपरी हिस्से में हुई वर्षा के कारण भी विनाश हुआ है। हुआ यह था कि बिजली उत्पादन के उद्देश्य से, वे पानी को इकट्ठा करते हैं और जब वर्षा आती है वे पानी को छोड देते हैं, जिससे वर्तमान समस्या पैदा होती है। मेरा सुझाव यह है कि न केवल अनुप्रवाह में बल्कि ऊपरी हिस्से में भी वर्षा का यानि सारी बातों का समग्ररूप में अध्ययन किया जाए। मैं चाहूंगा कि सिंचाई मन्त्रालय को पुराने विचारों से ही मार्गदर्शित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इन्जीनियरों द्वारा सारे मामले की जांच करवानी चाहिए। उनको मौके पर जांच कर इस बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए और उसके आधार पर सरकार कार्यवाही कर सकती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि क्या 1984 में वरिष्ठ इन्जीनियरों का एक दल वहां जाकर जांच करेगा ? शायद मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, महानदी एक विशाल नदी है। जब कभी भारी वर्षा होती है, इसमें भारी बाढ़ आ जाती है। यह समस्या हमारे सामने काफी अर्से से है। 1945 में पहली दफा डा० ए० एन० खोसला ने महानदी के सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसमें हीराकुण्ड और टीकड़पारा में सिंचाई योजना और पानी जमा करने के जलाशय और नारज में एक बराज बनाने का प्रस्ताव था। हीराकुण्ड़ बांध पूरा हो चुका है। नारज बराज का निर्माण पूरा हो चुका है। लेकिन इस योजना का तीसरे चरण, यानि टीकड़पारा पर बांध का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। माननीय सदस्य द्वारा बाढ़ समस्या के अध्ययन के बारे में उठाए गए प्रश्न के प्रति हम भी काफी सचेत हैं। के० जल आयोग इस दौरान न केवल बाढ़ समस्या बल्कि महानदी के जल के अधिकतम उपयोग के बारे में भी समग्ररूप से अध्ययन करता रहा है। जो नवीनतम बात हम कर रहे हैं वह है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता

से शुरू किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत के० ज० आ० की एक यूनिट के जरिए इन्जीनियरी दृष्टि-कोण पद्धति अपनाना हमारे पास जो नवीनतम जानकारी उपलब्ध है, उसकी सहायता से हम सारी समस्या का समग्र अध्ययन करने जा रहे हैं। इन्जीनियरिंग सहायता के लिए हम विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने को भी तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्दासन दिलाना चाहता हूं कि हमें समस्या की गम्भीरता का पता है और हम विशेषज्ञों को अध्ययन के लिए भेजेंगे ताकि वे समस्या का समाधान निकाल सकें।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने बाढ़-नियन्त्रण उपायों, जैसे तटों को ऊंचा करना व अन्य उपायों के लिए वित्तीय सहायता के लिए किसी परियोजना रिपोर्ट को मन्जूरी दी है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं : क्या किसी अन्य बाढ़ नियन्त्रण उपाय के बारे में सुझाव की मन्जूरी सरकार के विचाराधीन है ? शायद अब मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने समझ लिया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण उपाय जैसे तटों को ऊंचा करना आदि के गारे मैं कोई अन्य वैकल्पिक परियोजना भारत सरकार द्वारा मन्जूर की गई है और उसके लिए वित्तीय सहायता की मन्जूरी विचाराधीन है ? एक प्रश्न तो यह है दूसरी बात यह है कि क्या उड़ीसा सरकार ने महानदी की बाढ़ नियन्त्रण के बारे में किसी बैकल्पिक उपाय को भारत सरकार के पास भेजा है जिसकी मन्जूरी अभी तक नहीं दी गई है।

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक महानदी की बाढ़ नियन्त्रण के उपायों का प्रश्न है, मैंने पहले ही कह दिया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में आधुनिकतम विकास कार्य इन्जीनियरिंग दृष्टिकोण पद्धति है जिसको कि के० ज० आ० अपनाना चाहता है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री बृज मोहन महन्ती : वे राज्य का दौरा कब करने जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसे ही सम्भव होगा, बहुत जल्द। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस समस्या के प्रति गम्भीर हैं।

1982 की बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि इससे तटबन्धों को काफी हद तक नुकसान पहुचा है। असल में तटबन्ध 9 लाख क्यूसेक वाढ़ स्तर तक पानी के लिए ही अभिकल्पिक और निर्माण किए गए थे। लेकिन 1982 में इन तटबन्धों से करीब 15 लाख क्यूसेक तक पानी बहा, जिससे निश्चित ही इनको नुकसान पहुंचा है। इन व अन्य तटबन्धों की मरम्मत। बाढ़ नियन्त्रण कार्य का ही एक अंग है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिस पर कार्य हो रहा है। हमें राज्य-सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। जहां तक विशेष राशि मुहैया कराने का संबंध है जैसा कि मैंने सभा में कई दफा कहा है कि बाढ़ और सिंचाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जहां तक हा सकता है हम उन्हे इन के सहायता देने की कोशिश करते हैं उड़ीसा सरकार के प्रस्तावो पर

सामान्य तौर पर विचार कर आवश्यक सहायता दी जायेगी।

श्री वृजमोहन महन्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हैं।

श्री जगन्नाथ राव : देश में दक्षिण-पश्चिम मानसूनों के कारण जून से सितम्बर तक वर्षा होती है और करीब 70 प्रतिशत पानी बेकार हो जाता है और समुद्र में चला जाता है। हम बाढ़ के पानी को सही रक्षण उपायों और बाढ़ नियन्त्रण उपायों द्वारा नहीं रोक पाए हैं। क्या भारत सरकार उड़ीसा सरकार को जोर देगी कि वह अनुप्रवाह पर एक और बांध बनाये या तो टीकड़-पारा में या किसी अन्य उचित स्थान पर—ताकि पानी इकट्ठा किया जा सके और फालतू पानी को साथ लगे, सूखाग्रस्त जिलों में भेजा जा सके और फिर जो फालतू पानी रह जाए उसे गोदावरी में डाल दिया जाए ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि हीराकुण्ड के अनुप्रवाह पर एक बांध निर्माण की आवश्यकता है, जिससे बाढ़ के पानी को भी रोका जा सके और अन्य स्थानों पर सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सके। दो स्थानों, टीकड़पारा और मनीबद्रा का सुझाव दिया गया है। जब मैं वहां गया था तो मैंने मुख्य मन्त्री, इन्जीनियरों और मन्त्री से इस मामले पर चर्चा की थी। जिन स्थानों का उन्होंने सुझाव दिया है, उनके बारे में जांच की जा रही है। वे इस बात से सहमत हैं कि हमारे इन्जीनियर वहां जाकर तकनीकी व्यौरे पर चर्चा करें ताकि किस स्थान पर बांध का निर्माण किया जाना है, उसके बारे में निर्णय लिया जा सके।

श्री चिन्ता मणि जैना : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि 1982 की भारी वर्षा के कारण और पहले के एर्षों में भी पानी के जमाव के कारण हीराकुण्ड के मुख्य बांध को खतरा हो गया था, और यह बांध बह भी सकता था, और इसके फलस्वरूप हीराकुण्ड बांध के दाहिने डाइक (नहर) में एक बड़ी दरार भी आ गई थी ? सरकार हीराकुण्ड बांध को और मजबूत बनाने हेतु क्या करने जा रही है, इसको और नुकसान न हो इस उद्देश्य से क्या उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित मनीबद्रा बांध का निर्माण 1985 से पहले पूरा हो जाएगा और क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए उड़ीसा सरकार को सभी सम्भव सहायता दी है ? उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मनीबद्रा बांध के निर्माण के लिए जल्द मंजूरी दें। इस सम्बंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 1982 की बाढ़ ज्यादा विनाशकारी थी। चूंकि बाढ़ हीराकुण्ड बांध के अनुप्रवाह में आयी थी, इस दृष्टि से हीराकुण्ड बांध को कोई खतरा नहीं था। जहां तक मनीबद्रा बांध का प्रश्न है, उड़ीसा सरकार इस बारे में अभी जांच कर रही है। वह इस बारे में सोच रही है कि इस बांध के निर्माण के लिए मनीबद्रा उपयुक्त स्थान होगा या टीकड़पारा। राज्य सरकार और हमारे इन्जीनियर मिलकर इस बात पर विचार करेंगे कि इस बांध के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान कौन-सा है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : उन्होंने हीराकुण्ड बांध के दाहिने डायक (नहर) में आई दरार के बारे में पूछा था, जिसका कि आपने कोई उत्तर नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

वन सम्पदा का सर्वेक्षण

* 368. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में देश की वन सम्पदा का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, और

(ग) देश की वन-सम्पदा के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) समूचे देश में वनों का विस्तृत सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। सरकार द्वारा 1 जून, 1981 से स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण ने यह काम शुरू किया है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. वनों के बचाव और सुरक्षा की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से कहा गया है । स्वयं प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं ।

2. वन क्षेत्रों के गैर वन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया ।

3. वन रोपण, सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी को नये 20-सूत्री कार्यक्रम में प्राथमिकता वाली मद के रूप में शामिल किया गया है ।

4. छठी पंचवर्षीय योजना (980-85) के दौरान वानिकी कार्यक्रमों सम्बन्धी परिव्यय में काफी वृद्धि करके इसे 692 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह धनराशि गत सभी योजनाओं के दौरान वानिकी कार्यक्रमों पर हुए कुल परिव्यय से अधिक है ।

5. राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे पहाड़ी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएं

6. राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे वृक्षों की स्पष्ट कटाई को हतोत्साहित करें

7. वनों की ठेका प्रणाली समाप्त की जा रही है ।

8. उन आदिवासी क्षेत्रों में , जहां झूम खेती प्रचलित है , वहां झूम खेती की मात्रा

को विनियमित और कम करने के लिए गहन उपाय किए जा रहे हैं , क्यों कि झूम खेती से वन सम्पदा को क्षति पहुंचती है ।

9. समूचे देश में राष्ट्रीय पार्कों और आश्रय स्थलों का एक तंत्र स्थापित किया गया है और जैव-मण्डल आश्रयस्थलों की भी स्थापना की जानी है । इन पार्कों , आश्रयस्थलों तथा आरक्षण स्थलों में वनों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

10. वानिकी विस्तार , सामाजिक वानिकी , प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़'' कार्यक्रम तथा अन्य शैक्षिक और प्रेरणादायी कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्रों की सुरक्षा और वृक्षारोपण द्वारा उसके विकास में लोगों का योगदान और सहयोग सुनिश्चित, किया जा रहा है ।

11. अधिकांश राज्यों ने भू-उपयोग बोर्ड गठित किए हैं । हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने "राष्ट्रीन भू-बोर्ड तथा राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण और विकास आयोग" गठित किया है । ये बोर्ड और आयोग अन्य बातों के साथ-साथ, वर्नमान वन सम्पदा की सुरक्षा भी करेंगे ।

12. वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्याओं का अध्ययन करने तथा एक राष्ट्रीय चराई नीति तैयार करने के लिए कृतक दल गठित किए गए हैं, क्योंकि अतिक्रमण और अधिक चराई वन क्षेत्रों की क्षति के प्रमुख कारण हैं ।

13. वन संरक्षण सहित पर्यावरण सम्बन्धी मामलों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए केन्द्र में अलग से एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की गयी है ।

श्री पी० के० कोडियन : सभापटल पर रखा गया वक्तव्य काफी लम्बा है । उसमें उन कतिपय उपायों का उल्लेख किया गया है जो देश की वन सम्पदा के संरक्षण हेतु अपनाए जा रहे हैं अधिकांश उपाय वही हैं जो पहले के प्रश्नों के उत्तर में बताए जा चुके हैं । केवल एक दो उपाय नए हैं, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम और एक पृथक पर्यावरण विभाग की स्थापना आदि । 1952 में भारत सरकार के वन सम्पदा संबंधी संकल्प में यह व्यवस्था की गई थी कि कम से कम एक तिहाई भू-क्षेत्र को वनों के अन्तर्गत रखा जाए । लेकिन प्रगामी योजनाओं के फलस्वरूप वन क्षेत्र में निरन्तर कमी होती जा रही है और आज मुश्किल से 20 प्रतिशत भू-भाग वनों के अन्तर्गत है । प्रत्येक सत्र में जब भी यह प्रश्न उठाया गया तो हमेशा लगभग इसी तरह के समान उत्तर दिए जाते रहे हैं । वन सम्पदा के क्षेत्र में हो रही निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुए इस बात की क्या गारंटी है कि वन सम्पदा की रक्षा हेतु ये उपाय अपनाए जायेंगे ताकि देश की वन सम्पदा का विनाश और क्षय हो । क्या सरकार का इस संबंध में कोई ऐसी निगरानी व्यवस्था अपनाने का विचार है जिससे कि इन उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार स्वयं भी इस विषय के संबंध में चिन्तित हैं । हमने यह 1980 में एक वन संरक्षण अधिनियम बनाया । इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को किसी भी वन क्षेत्र की कटाई के संबंध में प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की अनुमति लेना अर्थात् प्रस्ताव

को उनके अनुमोदनार्थ भेजना अनिवार्य है परिणामस्वरूप जहां पहले वन कटाई का दर 1,50,000 हैक्टेयर प्रतिवर्ष थी अब वह घटकर केवल 3700 हैक्टेयर प्रतिवर्ष रह गई है।

श्री पी० के० कोडियन : वन संपदा के संरक्षण हेतु यह निश्चय किया गया था कि छठी योजना के अन्त तक वनों की ठेका प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। वक्तव्य में कहा गया है कि ठेका प्रणाली समाप्त की जा रही है छठी योजना में आदिवासी जातियों की दशाओं में सुधार के संबंध में उल्लेख था और यह कहा गया था कि जब वन परियोजनायें क्रियान्वित की जाएंगी आदिवासियों की रहन-सहन की दशाओं में सुधार के लिए विशिष्ट उपाय किए जायेंगे। वक्तव्य में कहा गया है कि झूम खेती की मात्रा को कम और विनियमित करने के उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि झूम खेती से वनों की सम्पदा को क्षति पहुंचती है। झूम खेती को समाप्त करने के विचार को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों को मिला दिया है। पहले उन्होंने वनों की ठेका प्रणाली के संबंध में पूछा है। सरकार की नीति वनों की ठेका प्रणाली को समाप्त करने की है। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने 1980 में सिफारिश की थी कि ठेका प्रणाली 5 वर्ष की समयवद्ध अवधि के भीतर समाप्त कर दी जानी चाहिए। इन पांच वर्षों के भीतर यह प्रणाली बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी।

श्री पी० के० कोडियन : क्या छठी योजना के अन्त तक यह ठेका प्रणाली समाप्त हो जाएगी ?

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, ठेकेदारी प्रथा को बन्द नहीं कर पाए हैं और जो ट्राइबल्स हैं उनका जाना बन्द हो गया है।

श्री योगन्द्र मकवाना : मैं आदिवासियों के बारे में उठाए गए प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। पहले मैं माननीय सदस्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान, निकोबार, दादर और नागर हवेली गोआ, दमन दीप और अरणाचल प्रदेश जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में यह ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मिजोरम में यह प्रथा अभी आंशिक रूप में समाप्त हुई है। यह तो वनों की ठेका प्रणाली के संबंध में स्थिति है। जहां तक आदिवासियों का संबंध है नई वन नीति जो तैयार की जा रही है, में आदिवासियों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वनों की ठेका प्रणाली को समाप्त करके भी उनके हितों की रक्षा की गई है।

डा. वसंत कुमार पंडित : क्या मन्त्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वनों संबंधी योजना कब तैयार की गई और कितने वर्षों में इसकी पुनरीक्षा की गई। और प्रचुर वन सम्पदा वाले राज्यों तथा क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश, हिलाचल प्रदेश इत्यादि के संबंध में अब तक

स्थिति क्या है। वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के अतिरिक्त हमें अन्य वन सम्पदा जैसे वनस्पति और जीव जन्तु, सम्पदा, जड़ी बूटी सम्पदा तथा आयुर्वेदिक दवाइयों जैसी सम्पदा को बढ़ाना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वनों पर आधारित उद्योगों तथा विशेषकर वनस्पति और जीव जन्तु सम्पदा, जड़ी बूटी और पेड़ सम्पदा इत्यादि के सम्बन्ध में वनों के परिवेश को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में उन सब उपायों का उल्लेख किया गया है जो सरकार वन सम्पदा के संरक्षण हेतु अपना रही है। अब तक कुल 7 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर कुल वन क्षेत्र में से देश में 6 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर···

डा वसन्त कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय किस मूल वन मानचित्र का उल्लेख कर रहे हैं और वह किस अवधि से सम्बन्धित है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी अतः आप जून 1981 के बाद की अवधी को लें। इससे पूर्व यह कार्य एक अन्य संगठन द्वारा किया जाता था। मानचित्र अभी बनाए जा रहे हैं।

जैसा कि मैं माननीय सदस्य को बता रहा था कि कुल 7 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में से 6 करोड़ हैक्टेयर में अतिक्रमण है और हम 6 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 1 करोड़ 14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित वन क्षेत्र है और यह क्षेत्र अनुत्पादक है। अतः इस क्षेत्र को हमने मानचित्र की तैयारी के उद्देश्य हेतु नहीं लिया है। 6 करोड़ दस लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में से केवल 4 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। और एक करोड़ 60 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र से इमारती तथा अन्य प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है।

श्री जगपाल सिंह : छः मिलियन ऐन्क्रोच किसने किया है—ट्राइबल्स ने या नान ट्राइबल्स ने।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने मूल प्रश्नों का उत्तर 13 प्वाइंट में दिया है। उन्होंने आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बनने के बाद अतिक्रमण में कमी हुई है। लेकिन मुझे आंकड़ों के सम्बन्ध में सन्देह है। यह अधिनियम राज्यों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण के उद्देश्य हेतु बनाया गया है जब भी हम इस सम्बन्ध में प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तो केन्द्र सरकार यही कहती है कि वन सम्पदा की रक्षा का दायित्व राज्य सरकार पर है। वनों के क्षेत्र में कमी के परिणामस्वरूप सूखे, भूमि कटाब और बाढ़ों की घटनायें प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों का भी इस समस्या के प्रति जागरूक होना तथा भाग लेना जरूरी है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 का निरसन कर दे ताकि राज्य वनों की सुरक्षा, उनके विस्तार तथा पंचायतों और लोगों—विशेषकर आदिवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। तथा आदिवासी लोग पंचायतों की सहायता से वनों के संरक्षण और विस्तार के सम्बन्ध में कदम उठा सकें। क्या सरकार ये ऐसे ठोस कदम

उठाएगी ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : साम्यवादी दल के मेरे मित्र को हमेशा केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप और राज्य सरकार के अधिकारों की अतिक्रमण होता दिखता है । वे भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सदुपायों की प्रशन्सा नहीं करते···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ये बातें इनके दिमाग में घर कर गई हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपसे सहमत हूं (**व्यवधान**)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं जनता के हित का पक्षधर हूं । मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कृपया सुनिए ताकि आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें । जैसाकि मैंने पहले कहा कि इस विधान के बनने से पूर्व वन कटाई 1.5···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आंकड़े काल्पनिक हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अक्तूबर, 1980 के बाद यह कम होकर 3700 एकड़ तक रह गए थे । अत: इस अधिनियम का उद्देश्य वन सम्पदा का संरक्षण है न कि अन्यथा (**व्यवधान**)

श्री दलबीर सिंह : जैसा अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि फारेस्ट का मामला राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल हो गया है, क्या आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में एक तिहाई से ज्यादा आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं और जैसे ही आपकी फारेस्ट पालिसी बननी शुरु हुई है वहां के आदिवासियों को, जो सैंकड़ों सालों से जंगलों में रहते हैं, निर्देश हुआ है कि वे जंगलों को खाली कर दें । उनमें एक प्रकार से भय की स्थिति पैदा हो गई है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या आप मध्य प्रदेश शासन को ऐसा निर्देश देंगे कि जब तक नई फारेस्ट पालिसी नहीं बन जाती है उनको वहां से विस्थापित नहीं किया जाय ?

श्री जगपाल सिंह : कभी नहीं निकाला नाय ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जो ट्राइबल्स वहां रहते हैं उनका पूरा प्रोटेक्शन किया जायगा और जो नई फारेस्ट पालिसी बन रही है, उसमें खास कर ट्राइबल्स के राइट्स के लिए काफी लिखा गया है । यह वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में है । सरकार इस समस्या से अवगत है । हमने नई वन नीति में, जो अभी तैयार की जा रही है, एक विशिष्ट प्रावधान किया है । मैंने 6 करोड़ हैक्टेयर भूमि के अतिक्रमण के बारे में कहा है ये आंकड़े 6 करोड़ हैक्टेयर न होकर 6 लाख हैक्टेयर हैं ।

दुर्गम क्षेत्रों मे उचित दर की अधिक दुकानें खोलना

* 369. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जान-

कारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात पर जोर दिया गया है कि दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें अधिक खोली जाएं :

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदन्ड अपनाये गए हैं, और

(ग) प्रत्येक राज्य में, विशेष रूप ले उड़ीसा में, किन-किन क्षेत्रों को दुर्गम माना गया है?

इलैक्ट्रानिक विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एम० संजीवी राव) (क) से (ख) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें अतितिक्त नई उचित दर की दुकाने खोलने के लिए क्षेत्रों का पता लगाने की बात भी शामिल है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों से पहले कहाँ जा चुका है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने, उसे मजबूत तथा सप्रवाही बनाने के लिए कारगर कदम उठायें और ग्रामीण, पहाड़ों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में और उचित दर की दुकानें खोलने पर विशेष ध्यान दें । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी कहा है कि वे चलती-फिरती दुकाने खोलने पर विशेष बल दें, ताकि दुर्गम क्षेत्रों अथवा जिन क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं लाया गया है। आंशिक रूप से लाया गया है उन्हें इसप्रणाली के तहत लाया जा सके।

श्री चिंतामणि जेना : अध्यक्ष महोदय देख सकते हैं कि संघ सरकार ने अपनी जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों पर डाल दी है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि दुर्गम क्षेत्रों में, जहां समाज के निर्धनतम लोग और विशेषकर जनजातियों के लोग रह रहे हैं, उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तथा उन लोगों को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं ? इस संबंध में क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों पर डाल दी है; क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को कोई मानदंड निर्धारित करके भेजे गये हैं अथवा उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं जैसे कि कितनी न्यूनतम जनसंख्या पर एक उचित दर की दुकान खोली जा सकती है तथा दो उचित दर की दुकानों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए; क्या इस तरह के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं अथवा नहीं; यदि हां, तो कितने राज्य उनका पालन कर रहे हैं, यदि नहीं, तो केन्द्र द्वारा जारी किये गये उन मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों को कार्यान्वयन कराने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : हम अपनी जिम्मेवारी किसी पर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन संघीय प्रणाली में हमारी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से बंटी हुई है। मैं इस बारे में कई बार बता चुका हूं तथा मैं पुनः कहता हूं कि कुछ वस्तुओं के मामले में, जैसे कि वस्तुओं में से हम आवश्वक वस्तुओं की पूर्ति राज्य सरकारों को करते हैं और शेष वस्तुओं को राज्य सरकारें अपनी सूची में शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उदाहरण के लिए

पश्चिप बंगाल सरकार, उडीसा सरकार, तमिनाडु सरकार ने अपनी उचित दर की दुकानों में वहुत सी वस्तुएं उपलब्ध कराके बहुत अच्छा काम किया है। (**व्यवधान**)। अत: यह हमारी ओर से अपनी जिम्मेवारी किसी और पर डालने की कोई बात नहीं है। हम समय-समय पर राज्य सरकारों से यह निवेदन करते रहते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उन्हें किस तरह कार्य करना चाहिए। माननीय सदस्य ने मार्गदर्शी सिद्धांतों के वारे में पूछा है। हम प्रत्येक छ: माह के बाद परामर्शदात्री परिषद की बैठकें बुलाते हैं जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रभारी मंत्री आते है; तब हम इस प्रणाली का पुनरीक्षण करते हैं। 7 नवम्बर 1983 को हमने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विशेषरूप से, जैसा कि उन्होंने कहा, हमने इस नाम पर बल दिया गया कि जमजातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उचित दर की दुकाने खोली जानी चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। (**व्यवधान**) साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुप्लब्धता के सम्बन्ध में तथ्य से क्या पता चलता है !

1979 में राज्यों को आवश्यक बस्तुएं जैसे खाद्यान्न की पूर्ति 1794 मिलियन टन तक की जाती थी। तथा 1982 में इस मात्रा को बढ़ाकर 25.69 मिलियन टन कर दिया गया। उसका अर्थ है कि मूल्य के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राज्य सरकारों को भेजी जाने वाली 2,668 करोड़ रुपये की वस्तुओं को बढ़ाकर उनकी पूर्ति 5738 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस प्रकार राज्य सरकारों को काफी मात्रा में वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। विकास की दृष्टि से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 1979 से 1982 तक के 4 वर्षों में 14.4% वृद्धि हुई है; वितरित वस्तुओं की कीमत के रूप में 38.85% वृद्धि हुई है, चाहे खाद्यान्नों का प्रश्न हो या चीनी का अथवा खाद्य तेलों का। इस वर्ष यह पूर्ति अप्रैल की तुलना में 27000 या 28000 से बढ़कर अक्तूवर में 73160 टन थी। अत: प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई जा रही है तथा उत्पादन और कीमत की दृष्टि से उनमें असामान्य वृद्धि हो रही है। 1982 के पहले छ: महीनों में हमने उन्हें 8 लाख टन सप्लाई की जबकि 1983 के पहले छ: महीनों में हमने उन्हें 14 लाख टन सप्लाई की जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है, यह सच हो सकता है कि कुछ दुकानों में वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हो। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं है। 1979 के सूखे से यह सिद्ध हो गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने राज्य सरकारों की स्थिति को सम्भाल लिया है। उन्होंने पिछली बैठक में इसे स्वीकार किया है। उड़ीसा में पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उचित दर की दुकाने हैं। कई गैर-कांग्रेस सरकारों के असमान, राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली इन सात वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं उचित दर की दुकानों में उपलब्ध कराई हैं।

श्री चिंतामणि जेना : मंत्री महोदय ने मेरे पहले पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप उनकी बात सुनिए।

श्री चिंतामणि जेना : उन क्षेत्रों में परिवहन की भी बहुत कठिनाई है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिरांक 9 नवम्बर, 1983 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है—

उचित दर की दुकानों के लिए और बस्तुएं

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री समिति की चौथी बैठक के अन्तिम दिन नागरिक पूर्ति राज्य मंत्रितों ने कल यह आश्वासन दिया कि विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में और अधिक उचित दर की दुकानें खोलने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाएंगे।"

यह निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की भांति राज्य सरकारें अधिक से अधिक वस्तुओं को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास करेंगी।"

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस बैठक के उपरांत कितनी राज्य सरकारों ने दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर की और दुकानें खोली हैं ? क्या संघ सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी है ? क्या यह सच है कि बहुत से दुर्गम क्षेत्रों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें नहीं खोली गई हैं अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने तथा सभी राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों तथा संघ सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद भी वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा हैं ताकि दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजे जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वे भी यही बात कह रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पिचले प्रश्न का उत्तर देते समय इस बात पर बल दिया है कि चौथी बैठक में, दुर्गम तथा जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग काफी मात्रा में हैं, उचित दर की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। केवल इतना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि यदि आवश्बक हो तो चलती-फिरती दुकानें भी खोली जानी चाहिए। उचित दर की 2.93 लाख दुकानों में से 2.28 लाख दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा शहरों में केवल 64,000 दुकानें ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि आ जाते हैं। हमने करना यह है कि हम इस बारे में राज्य सरकारों से कहें और हमने राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में पूछा और कहा है। उन्हें इसकी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां दुकानें नहीं खोली हैं। उन्होंने दुकानें खोली हैं। और जो क्षेत्र बच गये हैं, हम उन पर निरंतर जोर दे रहे हैं।

माननीय सदस्य ने 7 नबम्बर को हुई बैठक के बारे में पूछा है। उस बैठक में हमने दूरस्थ तथा कम आबादी वाले क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से तथा उचित सुविधाओं प्रबन्ध की व्यवस्था करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की थी। बैठक में सर्वप्रथम इस पर सर्वसम्मति प्रकट की गई थी। दूसरे राज्यों द्वारा अत्याधिक उपभोग की जाने

वाली आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि करके तथा उनकी सप्लाई की व्यवस्था करके आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने पर चर्चा की गई। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। हमारा लक्ष्य प्रत्येक राज्य में 2000 उचित दर की दुकानें खोलना है। और करीब-करीब आधे राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अन्य राज्यों का कहना है कि यह फायदेमंद नहीं है। उचित दर की दुकानों का लाभ तभी हो सकता है जब राज्य सरकारें केवल आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर न रहें बल्कि अपनी ओर से कुछ वस्तुओं की सप्लाई करें जैसा कि तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी अर्से से चली आ रही है—इसकी दुकानों की संख्या बढ़ी है, वस्तुओं की मात्रा तथा वितरीत वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालन को बुलाने से पहले, मैं श्री डागा का ध्यान "हैण्डबुक फार मैंबर्स आफ लोक सभा" के पैराग्राफ 40 की उपधारा 9 की ओर दिलाना चाहता हूं। वह कृपया इसे पढ़ें तथा उसके बाद मेरे पास आयें।

श्री ए० के० बालन : राशन की दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20-सूत्री कार्यक्रम का एक मुख्य कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से केरल में भली भांति नहीं चल रहा है। वामपंथी सरकार के शासन के दौरान यह प्रणाली अच्छी तरह चल रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री भागवत झा आजाद : पिछले तीन अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने इस पहलू पर सामान्य रूप से ही नहीं कि बल्कि इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताया है कि हम इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी दुकानें खोली जानी चाहिए, क्योंकि भारत के लोग शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक रहते हैं। और 2.98 लाख दुकानों में से, 2 लाख से अधिक दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। केरल में भी अन्य राज्यों के समान ही मार्गदर्शी सिद्धांत आदि जारी किए गये हैं। वहां भी केन्द्र सरकार द्वारा वही वस्तुएं दी जायेंगी जो अन्य राज्यों को दी जाती हैं तथा अन्य वस्तुएं राज्य सरकार को उपलब्ध करानी होंगी। और केरल सरकार ऐसा ही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों की वसूली की अधिकतम सीमा

* 370. **श्री चित्त बसु**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसियों द्वारा घरेलु खाद्यान्नों की वसूली के लिए केवल

12.5 प्रतिशत की सीमा रखी है जबकि धान के कुल उत्पादन की लगभग 30 प्रतिशत और गेहूं के मामले में कुल उत्पादन की लगभग 50 प्रतिशत मात्रा बेचने के लिए मन्डी में लाए जाने का अनुमान है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)और (ख) जी नहीं। सरकारी एजेन्सियों द्वारा मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन धान और गेहूं की वसूली की जाती है और किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई सभी मात्रा समर्थन मूल्य पर खरीद ली जाती है बशर्ते कि वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टितों के अनुरूप हो। चावल, मिल-मालिकों/व्यापरियों आदि से लेवी के रुप में वसूल किया जाता है।

दिल्ली का प्रतिबन्ध

* 371. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरज भान : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करगें कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि और विकास कार्यालय दिल्ली द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर पुनर्वास कालोनियों में बने भवनों का निरीक्षण किये जाने पर फरवरी, 1971 में प्रतिबन्ध लगाया गया था,

(ख) उसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित के सम्बन्ध में अब तक अनुमानतः कितना बकाया धनराशि तथा उस पर कितना ब्याज इकटठा हो गया है ;

(एक) भूमि किराया जो प्रतिवर्ष प्रचलित बाजार दर के अनुसार संशोधित किया जाता और ;

(दो) दुरुपयोग क्षति, अतिरिक्त निर्माण के कारण प्रीमियम प्रभार ; और

(ग) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में किये गये सुधारात्मक उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) फरवरी, 1971 में प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा 29.9.72 में हटा दिया गया था। इसे मई, 1978 में विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाई को दूर करने के लिए पुनर्वास सम्पत्तियों के बारे में पुनः लगा दिया गया था। प्रतिबन्ध के कारण बकायादारी का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की मांग और उत्पादन

*373. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1984 में खाद्यान्नों की कुल मांग का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान खाद्यान्न का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ग) वर्ष 1983 के अंत में सरकार के पास खाद्यान्नों का कितना भंडार बाकि बचेगा ; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1983 में (नवम्बर तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए कुल कितना खाद्यान्न जारी किया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : देश में उत्पादन की मात्रा खुले बाजार में उपलब्धता, खुले बाजार में मूल्यों के रूख आदि जैसे विभिन्न अनिश्चित तथ्यों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1984 में अपेक्षित खाद्यान्नों की कुल मात्रा के ठीक-ठीक अनुमान बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) : आशा है कि फसल वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) के दौरान खाद्यान्नों के 1420 लाख मीटरी टन के कुल उत्पादन के योजना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा बशर्ते कि मौसम स्थिति अनुकूल रही ।

(ग) आशा है कि वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर 1983 के अन्त को सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 150 लाख मीटरी टन खाद्यानों का स्टाक उपलब्ध होगा ।

(घ) : खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के आंकड़े केवल अक्तूबर, 1983 तक ही उपलब्ध हैं । इस अवधि के दौरान कुल लगभग 139 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए निगम

*374. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की सलाह पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए नियमों की स्थासना की है और इस प्रयोजन के लिए कितने नियम स्थापित किये गये हैं तथा किन-किन राज्यों में निगमों की स्थापना किया जाना अभी बाकी है ; और

(ख) क्या छठी पांचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना की गई है और उसके द्वारा किये गपे कार्य का ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा प्रत्येक निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क)और (ख) जिन राज्यों ने नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना की है, उसके नाम संलग्न विवरण में दिये गये

हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में से किसी ने भी अब तक न तो नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना की है और न ही उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा किये गये वित्तीय साहायता के प्रावधान का उपयोग किया है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ नागरिक पूर्ति निगम गठित किये हैं ; के नाम दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नागरिक पूर्ति निगम का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश नागरिक पूर्ति निगम
2.	बिहार	बिहार राज्य नागरिक पूर्ति निगम
3.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश नागरिक पूर्ति निगम लि०
4.	केरल	केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम लि०
5.	कर्नाटक	कर्नाटक खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम लि०
6.	पंजाब	नागरिक पूर्ति निगम, पंजाब
7.	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश वस्तु व्यापार निगम लि०
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम लि०
9.	उत्तरप्रदेश	उत्तरप्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम लि०
10.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम
11.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु पूर्ति निनम
12.	गुजरात	गुजरात राज्य नागरिक पूर्ति निगम
13.	दिल्ली	नागरिक पूर्ति निगम, दिल्ली

शुष्क भूमि में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए योजना

*375. **श्री के० प्रधानी:**

श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान शुष्क भूमि में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले पर बहुत जोर दिया गया था,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी सहायता मांगी है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) : बारानी खेती के विकास, जिसके लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है, के लिए राष्ट्रीय नीति के रूप में जल विभाजक विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। तथापि, अनुसंधान कार्यक्रम के लिए कनाडा द्वारा कुछ तकनीकी सहायता दी जा रही है। चार राज्यों के कुछ सीमित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से जल विभाजक विकास के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पान अनुसंधान परियोजना

*376. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में पान के पत्तों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में कोई पूर्णस्तरीय पान अनुसंधान परियोजना स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 21 मार्च, 1983 को पश्चिम बंगाल में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय (बी. सी. के. वी वी.) कल्याणी में पान का पूर्ण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है जो कि देश के प्रमुख पान उगाने वाले राज्यों में से एक है।

(ख) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में स्थित एक ऊतक पालन एकक के समन्वित कक्ष के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में पान अनुसंधान प्रायोजना के 8 केन्द्र हैं। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्रों में से एक हैं जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है तथा जिस पर 3,27,580/-रु० की कुल लागत होगी। बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए कर्मचारियों पर खर्च तथा सुविधायें अन्य केन्द्रों के बराबर हैं। प्रायोजना के बारे में अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं :

(i) 'पान' के प्रमुख रोगों तथा कीटों का निदान तथा नियंत्रण।

(ii) 'पान' की खेती की कृषि-बागबानी प्रौद्योगिकियों में सुधार ।

(iii) देश में 'पान' की किस्मों का पता लगाना तथा संरक्षण और उपजाति सुधार ।

(iv) जनित्र द्रव्य सामग्री के संरक्षण के लिए 'पान' के ऊतक पालन पर अनुसंधान ।

(v) अन्य कोई प्रमुख समस्याएं जो हों ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयोग न किए गए कागज का रद्दी के रूप में बेचा जाना

*377. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :**

श्रीमती किशोरी मेहता : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 दिसम्बर, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयोग न किये गये कागज को रद्दी के रूप में बेच दिया गया ;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण क्या है और उन्हें क्या सजा दी गई है ;

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा विभागीय जांच की गई थी । जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराई गई तथा उसे आतेख्य चेतावनी जारी की गई है

वनस्पति निर्माताओं को जारी किए गए निदेश

*378. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री भीम सिंह : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माताओं को भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वनस्पति का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये निदेश कब दिए गये और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन निदेशों के पालन में सुविधा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नये कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। वनस्पति का उत्पादन वास्तव में वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के उपबंधों द्वारा शासित होता है तथा वनस्पति के विनिर्माण संबन्धी मानक वनस्पति तेल उत्पाद (गुणवत्ता का मानक) आदेश, 1975 में विनिर्दिष्ट हैं। इसलिए वनस्पति का विनिर्माण इन आदेशों में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पटसन उत्पादन में अनुसंधान और विकास के लिए खाद्य और कृषि संगठन से सहायता

*379. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि लगातार कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खाद्य और कृषि संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान ओर विकास प्रयत्नों को तेज़ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के जूट की वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है।

(ख) पिछले वर्षों के दौरान भारत के जूट की वस्तुओं की निर्यात में कमी आई है। इसका कारण सिन्थेटिक वस्तुओं से तथा अन्य जूट निर्यातक देशों से जबरदस्त स्पर्धा तथा विकसित देशों में लम्बे समय तक मन्दी का होना है। निर्यात की कुल मात्रा 1980-81 में 4.40 लाख मीटरी टन से घटकर 1981-82 में 4.05 लाख मीटरी टन तथा 1982-83 में 3.30 लाख मीटरी टन हो गया है। सन् 1983-84 के दौरान भी निर्यात कम हुआ जिसका कारण इस वर्ष कलकत्ता बन्दरगाह पर मांझियों द्वारा की गई लम्बी हड़ताल है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायगा।

आम के बागों में संकट की स्थिति

*380. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** :

श्री के० ए० स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आम के बागों में रहस्यमय बीमारी फैल रही है और आम के बाग

संकटग्रस्त होते जा रहे हैं तथा आम उत्पादकों को भारी हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् । आम के बाग कुरूपता की बीमारी से ग्रस्त हैं । यदि बीमारी की रोकथाम के उपयुक्त उपाय आम उत्पादकों द्वारा नहीं किये जाते तो आम के बागों में विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भाग में फसल की हानि होती है ।

(ख) बहु-शाखीय उपाय के माध्यम से इस समस्या से निपटने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर तथा केन्द्रीय आम अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ में वैज्ञानिक अनुसंधान हाथ में लिए जा रहे हैं ।

यह बीमारी पेचीदा किस्म की है । तथापि कुरुपता से जो वृक्ष अनुत्पादक हो जाते हैं उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली ने उपचारी उपाय विकसित किये हैं । इस उपचार में अक्तूबर के महीने में 200 पी० पी० एम० पर एन० ए०ए० (नैफथेलिन ऐसिड) का एक बार पत्तियों पर छिड़काव शामिल है, इसके बाद कली लगने की अवस्था में उन कलियों को तोड़ देना कुरूपता के प्रकोप को कम करने में सहायक पाया गया है ।

गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के माध्यम से वृक्षारोपण

*381. **श्री नर सिंह मकवाना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से अधिकाधिक वृक्षारोपण कराने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नई योजना का ब्यौरा क्या है,

(ख) वृक्षारोपण के लिए कितने एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है और उसकी क्या शर्तें हैं, और

(ग) वृक्षारोपण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं और उनके माध्यम से वृक्षारोपण अभियान चलाने में क्या कठिनाई अनुभव की जा रही है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1983-84 में छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना शुरू की गई है योजना का ब्यौरा सभापटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है ।

(ग) यह योजना प्रमुख रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के लाभ के लिए तैयार की गई है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग भी शामिल हैं । यह नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अपने आप में प्राथमिकता की मद है । छोटे तथा सीमांत किसानों की जिन

सहकारी समितियों की अपनी निजी भूमि हो वे भी नई योजना से लाभ उठा सकती हैं। अभी तक किसी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

विवरण

"छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता" नामक योजना का ब्यौरा

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता करने संबंधी कार्यक्रम में 1983-84 के दौरान 250 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो केन्द्रीय तथा राज्यों सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। यह देश के सभी खंडों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रति खंड पांच लाख रुपए के परिव्यय की व्ययस्था की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) छोटे तथा सीमांत किसानों को कुओं और पम्पसेटों पर समेकित ग्रामीण विकास के प्रतिमान के अनुसार 50 प्रतिशत की सीमा तक राजसहायता	3 50 लाख रुपए
(1) छोटे तथा सीमात किसानों की जोतों पर जलावन तथा फल देने वाले वृक्षों के रोपण के लिए समेकित ग्रामीण विकास के प्रतिमान के आधार पर 50 प्रतिशत की सीमा तक राजसहायता	0.50 लाख रुपए
(3) तिलहनों तथा दलहनों के उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिटों के निःशुल्क वितरण और आदानों, भूमि विकास तथा स्टाफ पर आने वाली लागत के लिए एकमुश्त आबंटन	1.00 लाख रुपए
योग	5.00 लाख रुपए

छोटे तथा सीमांत किसानों की जोतों पर जलावर तथा फल देने वाले वृक्षों के रोपण के लिए 50,000 रु० का प्रावधान किया गया है, जो नसरिया तैयार करने और मुफ्त या 10 प्रति पौध के हिसाब से मामूली शुल्क लेकर पौदों की सप्लाई करने के लिए हैं। प्रत्येक ब्लाक के लिए 80,000 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे तथा सीमांत किसान को अपनी निजी भूमि में फल देने वाले अथवा जलावन वाले कम से कम 25 प्रतिशत पौध लगाना आवश्यक है।

नियमित बाजारों का विकास

*382. **श्री ए० नीला लोहितादसन नाडार** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों सरकारों को विनियमित बाजारों के विकास के लिए सहायता देने के बारे में भारत सरकार की कोई योजना नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत यदि केरल को कोई राशि दी गई है, तो कितनी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) चुने नियमित बाजारों के विकास की योजना के अंतर्गत कृषि बाजारों के लिए आधार भूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित दरों पर दी जाती है जिससे योजना की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं :

(1) वाणिज्यिक फसलों (पटसन तम्बाकू, मूंगफली, काजू नारियल, आलू प्याज पान के पत्ते, मिर्च) का व्यापार करने वाले नियमित बाजारों के लिए···प्रति बाजार 4 लाख रुपये

(2) कमांड क्षेत्रों में स्थित नियमित बाजारों के लिए···प्रति बाजार 5 लाख रुपये

(3) फलों तथा सब्जियों के सीमांत बाजारों के लिए···प्रति बाजार 15 लाख रुपये

इस योजना के अन्तर्गत केरल राज्य को अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

गुजरात में मूगफली का उत्पादन बढ़ाने हेतु परियोजनाएं

*383. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आरम्भ की गई मूंगफली संबंधी विशेष परियोजना में किन-किन अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों को शामिल किया गया है,

(ख) इस सम्बन्ध में किए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप मूंगफली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ग) देश में, विशेष रूप से गुजरात राज्य में, मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) गुजरात में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में शुरू की गई विशेष योजना में निम्नलिखित अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय शामिल किए गए हैं :

(1) अच्छे बीजों का वितरण ;

(2) बुआई से पहले सिंचाई की व्यवस्था करके खरीफ मौसम की मूंगफली की अगेती बुआई करना ;

(ख) खरीफ की फसल हेतु संरक्षी सिंचाई की व्यवस्था करना ;

(4) पौधों को थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगाना ;

(5) वनस्पति रक्षण उपायों तथा उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाना ; और

(6) गर्मी में बोई जाने वाली मूंगफली के तहत और अधिक क्षेत्र को लाये जाने को लक्ष्य को 1979-80 के 68,000 हेक्टार से बढ़ाकर 1983-84 में 2 लाख हेक्टार करना ।

परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपये है ।

(ख) मुंगफली का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में किए गये उपायों के फलस्वरूप गुजरात में मुंगफली का निम्नलिखित उत्पादन होने की सूचना मिली है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1980-81	16.45
1981-82	21.98
1983-83	13.13 (सूखा वर्ष)

चालू वर्ष (1983-84) के संबंध में निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मूंगफली की फसल के आसार बहुत अच्छे हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए अन्य कदमों में आदानों की समय पर आपूर्ति करना, विस्तार तथा ऋण की सुविधायें जुटाना और समर्थन मूल्य निर्धारित करना शामिल हैं ।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंचाई तंत्र

*384. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कोई सिंचाई का तंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारी वर्षा से प्राप्त हो सकने वाला बड़ी मात्रा मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है और उसे एकत्र और उसका उचित रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था किए जाने से इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की विनाशकारी शक्ति में कमी आएगी और पानी का उत्पादक कार्यों में उपयोग

किया जा सकेगा; और

(घ) ऐसी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को क्या केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की गई एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा 1980-81 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, कोंकण क्षेत्र में 75% विश्वसनीय भूतल जल संसाधन लगभग 5273 हजार हैक्टेयर मीटर हैं । इसमें से लगभग 35% अर्थात् 1971 हजार हैक्टेयर मीटर का अभिज्ञात जल-संचयनों से उपयोग किया जा सकता है । इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोंकण क्षेत्र में पूर्ण की गई भूतल सिंचाई परियोजनाओं में एक बृहद सिंचाई और कई लघु सिंचाई वर्क्स शामिल हैं जिनकी सिंचाई क्षमता 35159 हैक्टेयर है । समिति की रिपोर्ट के अनुसार उस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर लगभग 0.86 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है । भूतल जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए इस समिति ने सब मिलाकर 7 बृहद, 96 मध्यम और 3571 लघु परियोजनाओं का पता लगाया है जिनसे 3.67 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अधीन आएगा ।

इस प्रकार सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए इस क्षेत्र के जल संसाधनों के भावी उपयोग के लिए काफी गुंजाइश है लेकिन व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और उन सम्भव लाभों का हिसाब लगा सकने से पूर्व विस्तृत फील्ड अन्वेषण करना अपेक्षित है ।

कोंकण क्षेत्र में गंभीर किस्म की बाढ क्षति की चिरकालिक समस्या नहीं है । लेकिन भारी वर्षा होने के कारण विरले ही बाढ की समस्या , जैसा कि 1983 के मानसून में उत्पन्न हो गई थी की उम्मीद की जा सकती है । सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से । इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को कुछ हद तक कम करना संभव हो सकता है ।

(घ) सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण राज्य विषय हैं और इनके लिए परिव्यय की व्यवस्था राज्यों द्वारा उनके अपने साधनों से की जानी होती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है न कि किसी विशिष्ट परियोजनाओं अथवा विकास के क्षेत्र के लिए ।

सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कदम

*385 **श्री गुलाम मोहम्मद खाँ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच हैं कि भूमिगत मलव्ययन व्यवस्था की अत्यधिक लागत के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवादी के समक्ष: सफाई व्यवस्था में सुधार की कठिनाई है;

(ख)क्या सरकार का आवास और शहरी विकास निगम(हुडको)और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से एक ऐसी सफाई व्यवस्था: जो सस्ती स्वच्छ कम लागत वाली और लोगों को स्वीकार्य हो, विकसित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) यह समस्या हमारे ध्यान में है और यू० एन० डी० पी० के सहयोग से सात राज्यों के 110 शहरों में कम लागत स्वच्छता पद्धति के लिए डिजाइल के विकास का एक व्यवहारिक अध्ययन किया गया था। सरकार ने शहरी स्वच्छता (चरण-2) के लिए इसी प्रकार का व्यवहारिक अध्ययन करने के लिए परियोजना प्रस्तावों का भी अनुमोदन कर लिया है। इसमें ग्यारह राज्य तथा तीन संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार के अध्ययन करने का प्रस्ताव है। यह पद्धति प्रत्येक परिवार के लिए बहाव के लिए द्वि-गड्ढा (एक समय पर एक ही गड्ढ़े का उपयोग किया जाना है) सहित जलवाही शौचालयों के निर्माण पर आधारित है।

राज्यों का अनुदान

*387 **श्री पी० एम० सईद** :

श्री बी०वी० देसाई : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों ने उचित दर दुकानों को चलाने हेतु प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र से 50 प्रतिशत अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों ने इसकी मांग की है;

(घ) क्या सरकार इन राज्यों को और अधिक अनुदान देने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना अनुदान देने पर सहमत हुई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से(ङ) केवल तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की 19 मई, 1983 को नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में मांग की थी कि राज्य में सहकारी समितियों अथवा नागरिक पूर्ति निगम द्वारा चलाई जाने वाली उचित दर दुकानों के उपकरण तथा स्टाफ व्यवस्था पर उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय के 50 प्रतिशत तक के लिए उन्हें आवर्ती अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाए।

सार्वजविक वितरण प्रणाली की योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास करने आवश्यक हैं। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी इन कार्यों

तक सीमित हैं—राष्ट्रीय नीति तैयार करना, उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय करना, सामान्य मूल्य स्थिरीकरण समर्थन मूल्य कार्य करना, आयात, सुरक्षित भण्डार बनाना तथा कुछ आवश्यक वस्तुओं की राज्य सरकारों को सप्लाई करने की व्यवस्था करना, जिनके लिए आंशिक रूप से राजसहायता दी जाती है। राज्य सरकारों (जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है) को राज्यों के भीतर सार्वजनिक वितरण के बिक्री केन्द्रों के माध्यमों से आवश्यक वस्तुओं के बितरण की व्यवस्था करने, उचित दर की दुकानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने, जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त उचित दर की दुकाने खोलने के बारे में पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और साथ ही वे सभी अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सम्भालनी होंगी जो इस योजना के सफल कार्याव्यन के लिए राज्य स्तर पर आवश्यक हैं। उचित दर की दुकाने चलाने हेतु राज्य सरकारों के खर्च को वहन करने के लिए केंद्रीय सहायता देने का विचार नहीं है।

इम्फाल में नल का विषाक्त जल पीने से मौतें

4174. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1983 के 'ब्लिट्स' में प्रकाशित समाचार जिसमें कहा गया है कि इम्फाल में नल का विषाक्त जल पीने से लगभग 80 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मणिपुर सरकार ने जांच की है। जैसे राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नल के दूषित तथा विषाक्त जल से इम्फाल में किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले

4175. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में डिपों अधिकारियों / जिला प्रबन्धकों / क्षेत्रीय प्रमुखों / जोनल प्रमुखों को उनके विरुद्ध सकर्कता के मामलों पर विचार किए बिना तैनात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नार्थ जोन के जोनल पी० वी० स्क्वेड में कुछ व्यक्ति कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनके विरुद्ध सतर्कता के मामले होने पर उनको वहां से नहीं बदला जा रहा है यद्यपि ए० एम० (लेखा) उपलब्ध हैं और नार्थ जोन में उनके स्थान पर तैनात किये जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) किसी अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता का मामला होने से उसकी तैनाती पर कोई रोक नहीं लगायी जाती है वशर्ते कि सम्बन्धित अधिकारी निलम्बित न हुआ हो और इस बात की आशंका न हो कि उनके पद पर बने रहने से जांच कार्यवाही में बाधा पड़ेगी। तथापि, वास्तव में सतर्कता विषयक गम्भीर मामलों में फंसे हुए अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर नहीं लगाया जाता है।

(ग) और (घ) कुछेक अधिकारी कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के उत्तरी जोन के जोनल पी० वी० स्क्वायड में कार्य कर रहे हैं। तथापि, उन्हें आवर्ती आधार पर लगाया जाता है और उन्हें उत्तरोत्तर बदला जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और प्लाटों की लाटरी के ड्रा में गड़बड़ी

4176. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि आवेदकों को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पिछली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और प्लाटों का आवंटन करने तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार किसी कालोनी और फ्लोर विशेष में फ्लैट देने के लिए ड्रा निकालने से पहले कम्प्यूटर में आंकड़े डालने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका विचार इस कदाचार को किस प्रकार रोकने का है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्होंने मामले की जांच करवाई है और यह सुनिश्चित किया है कि कम्प्यूटर में आंकड़े भरते समय पंचिंग और तकनीकी जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते हैं और निकालने से पहले कम्प्यूटर में आंकड़े भरते समय पंचरों द्वारा धोखेबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है; और

(घ) क्या कुछ ड्रा में इच्छुक पार्टियों ने इसे चुनौती दी है और इस तकनीक का भंडा फोड़ा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जैसा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, उत्तर निम्न प्रकार है :—

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है किसी विशेष प्लाट/फ्लैट के लिए छल-कपट करने की सम्भावना नहीं है और कि आंकड़े तैयार करते समय किसी व्यक्ति की उपस्थिति इस पद्धति में अपेक्षित नहीं है ।

(घ) लाटरियां निकालते समय तकनीकी को चुनौती देने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

पटेल नगर पुनर्वास कालोनी के सम्बन्ध में बिक्री की अनुमति

4177. **श्री छांगुर राम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेलनगर में लीज-होल्ड डबल-स्टोरी पुनर्वास कालोनी के मामले में बिक्री की अनुमति केवल अप्रैल, 1979 तक दी थी;और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के बाद बिक्री सम्बन्धी अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही वहीं उठता ।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में गन्दी बस्तियों में सुधार के लिए धन

4178. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए धन मन्जूर कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत बस्तर (मध्य प्रदेश) के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) शहरी क्षेत्रों में / मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक योजना में किए गए परिव्ययों में कार्यान्वित की जा रही है

तथा इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट में कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना में इस योजना के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बस्तर के लिए नियतित राशि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

गिरिजापुरी बधां के गेटों को बंद करने के कारण उत्तर प्रदेश में बाढ़ का आना

4179. **श्री रामलाल राही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ का पता लगाने और राहत कार्यों का सर्वेक्षण करने हेतु कोई केन्द्रीय अधिकारियों का दल उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी जिलों में गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उसने बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए लोगों से सम्पर्क किया था यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं,

(ग) गिरिजापुरी बांध के आसपास किन लोगों से पूछताछ की गई थी,

(घ) क्या यह सच है कि बाढ़, गिरिजापुरी बांध से पानी रोककर और फिर एकदम स्लूइस फाटक खोलकर पानी को छोड़ने के कारण आई है, और

(ङ) यदि हां, तो पानी को रोकने के क्या कारण थे ।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारणों का पता लगाने और राहत कार्यों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों का कोई दल नियुक्त नहीं किया है। बाढ़ और सूखा सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ज्ञापन की प्रतिक्रिया में जिस केन्द्रीय दल ने चालू वर्ष में राज्य का दौरा किया था, उसका सम्बन्ध मुख्यत: बाढ़ और सूखे से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राहत निधि की आवश्यकता का मूल्यांकन करना था।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गाय की चर्बी की मिलावट के कारण वनस्पति का कम उपभोग

4180. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुसंख्यक उपभोक्ताओं ने वनस्पति में गाय की चर्बी की मिलावट का पता चलने के कारण वनस्पति का उपभोग बंद कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इसका वनस्पति उद्योगों के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा है और कई यूनिटों में

वनस्पति तेलों का उत्पादन बंद हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विभिन्न वनस्पति विनिर्माताओं से लिये गये वनस्पति के नमूनों के विश्लेषण से उनमें गाय की चर्बी के अपमिश्रण का पता नहीं चला है। व्यापार स्तर पर भी वनस्पति में गाय की चर्बी के केवल दो मामले पंजाब सरकार द्वारा सूचित किए गये हैं। वर्ष के दौरान वनस्पति के उत्पादन और प्रेषणों में, जो उत्पाद की खपत के भी सूचक हैं, कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है।,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन

4181. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार और अन्य राज्यों में कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए सरकार तथा उसकी एजेंसियों द्वारा अदा की गई भूमिका की क्या मुख्य विशेषताएं हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : चुने हुए नियमित/ग्रामीण बाजारों के विकास हेतु योजना, जो कि बिहार सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में चल रही है, के अन्तर्गत कृषि बाजारों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है—

(1) वाणिज्यिक फसलों (पटसन, तम्बाकू, कपास, मूंगफली, काजू, नारियल, आलू, प्याज पान के पत्ते एवं मिर्च) का व्यापार करने वाले नियमित बाजार···4 लाख रुपये प्रति बाजार।

(2) कमाण्ड क्षेत्रों में स्थित नियमित बाजार···5 लाख रुपये प्रति बाजार।

(3) फलों एवं सब्जियों के सीमांत बाजार···15 लाख रुपये प्रति बाजार।

(4) प्राथमिक ग्रामीण बाजार···1.5 लाख रुपये प्रति बाजार।

(5) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए मान्यता प्राप्त पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण थोक-बाजार···5 लाख रुपये प्रति बाजार।

उपर्युक्त दरों से अधिक अन्य खर्च का वहन बाजार समितियों/राज्य विपणन बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से या संस्थागत वित्त में वृद्धि करके किया जाता है।

ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु योजना, जो कि बिहार सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी लागू है, के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत केन्द्रीय उपदान द्वारा, 25 प्रतिशत राज्य उपदान द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत बैंक ऋणों द्वारा वहन किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हल्द्वानी जिले में धान से चावल न निकाला जाना

4182. **श्री राम जी भाई मावणि** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 में भारतीय खाद्य निगम ने हल्द्वानी जिले में धान को चक्की द्वारा चावल बनाने के लिए ठेकेदारों को दिया था लेकिन उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को उसके बदले में चावल की सप्लाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 46 लाख रुपये की हानि हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम के इसके लिए उत्तरदायी किसी अधिकारी के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तृत जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने में क्या आपत्ति है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संचीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) **और (ग)** प्रश्न ही नहीं उठते ।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आस पास अनधिकृत झुग्गियां

4183. **श्री निहालसिंह** : **क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आस-पास अनधिकृत झुग्गियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं; जिसके परिणामस्वरूप वहां गंदगी होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशन और अस्पताल के समीपस्थ स्थानों से झुग्गियों को अन्य स्थानों को स्थानान्तरित करने हेतु कोई व्यवस्था करने का है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन झुग्गियों में उचित दर की एक दुकान आरम्भ की गई है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निकट झुग्गी-झोपड़ी समूह में उचित दर की दुकान विद्यमान है जो इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित है ।

साबुन बनाने में नीम के बीजों के तेल का प्रयोग

4184. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साबुन आदि बनाने में प्रयुक्त खाद्य तेलों की बचत के उद्देश्य से नीम और साल आदि जैसे अखाद्य तेलों के प्रयोग के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) साबुन बनाने में खाद्य तेलों के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से देश में नीम और साल सीड जैसे अखाद्य तेलों के प्रयोग की प्रौद्योगिकी देश में काफी विकसित है । तथापि साबुन उद्योग की तेलों/वसा की कुल मांग को पूरा करने के लिए इन बीजों का संचयन/वसूली पर्याप्त नहीं है ।

वनों का कम होना

4185. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्वतंत्रता के बाद वन निरन्तर कम होते जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्र वन के अंतर्गत लाया गया है,

(ग) उत्तरवर्ती योजनाओं में क्षेत्र में लगातार कमी होने के मुख्य कारण क्या हैं, और

(घ) इस विनाशकारी प्रवृत्ति को बदलने तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में वनों का मूल आकार जैसा था वनों के अधीन कम से कम उतना क्षेत्र पुन; रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी नहीं ।

1950-51 में वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 718 लाख हैक्टार था जो 1980-81 में बढ़कर 750.6 लाख हैक्टार हो गया है ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता । फिर भी वन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया गया था । इसके फलस्वरूप कोई वन भूमि गैर-वानिकी प्रयोग के लिए परिवर्तित नहीं की जा सकती है । सरकार वर्तमान वन क्षेत्रों में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिये हर सम्भव कदम उठा रही है । इसके अलावा वनों से बाहर के क्षेत्रों में भी रोपण करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

विवरण

प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में कुल वन क्षेत्र (दस लाख हैक्टार में)

राज्य 1 संघ राज्य क्षेत्र	1950-51	1955-56	1960-61	1968-69	1973-74	1979-80
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	5.96	6.25	6.42	6.41	6.48	6.41
2. असम	7.48	4.66	4.56	4159	2.87	3.07
3. बिहार	3.76	3.32	3.12	3.05	2.93	2.93
4. गुजरात	1.02	1.14	1.56	1.87	1.70	1.95
5. हरियाणा	—	—	—	0.14	0.15	0.16
6. हिमाचल प्रदेश	0.93	1.03	1.05	2.15	2.17	2.12
7. जम्मु व कश्मीर	2.76	2.86	2.08	2.10	2.27	2.19
8. कर्नाटक	3.20	3.54	3.68	3.51	3.61	3.79
9. केरल	0.95	1.80	2.05	1.13	1.13	1113
10. मध्य प्रदेश	18.82	19.15	17.27	16.81	16.62	15.54
11. महाराष्ट्र	7.34	6123	6.78	6.66	6.66	6.41
12. मणिपुर	0.58	0.60	0.60	0.60	1.44	1.52
13. मेघालय	—	—	—	—	0.70	0.85
14. नागालैंड	—	—	—	0.29	0.29	0.29

1		2	3	4	5	6	7
15.	उड़ीसा	6.16	6.28	6.59	6.75	6·79	6.02
16.	पंजाब	1.87	1.37	1.51	0.20	0.21	0.22
17	राजस्थान	3.36	3190	3.94	3.76	3.59	3.07
18.	सिक्किम	—	—	—	—	0.28	0.26
19.	तमिलनाडु	1.51	2.10	2-15	2.24	2.23	2.18
20.	त्रिपुरा	0.90	0.90	0.64	0.63	0.60	0.60
21.	उत्तर प्रदेश	3-37	3.89	4.15	4.88	5-13	5.12
22.	पश्चिम बंगाल	1.48	1.40	1.18	1.18	1.18	1.18
23.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.65	0.65	0.65	0.75	0.75	0.71
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	5.15	5.15	5.15
25.	चड़ीगढ़	—	—	—	—	—	—
26.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—	0.02	0.02	0.02
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
28.	गोवा दमन तथा दीप	—	—	—	0.13	0.13	0.13
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—	0.89	1.59
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	योग	71.08	71.08	68.98	75.00	75.77	74.61

मिन्टो रोड, नयी दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

4186. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री मिंटो रोड, नयी दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की मनम्मत के बारे में 18 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 के उत्तर के मम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कर्मचारियों के 91 क्वार्टरों में से कितने क्वार्टरों की मरम्मत कर दी गई है और टूटे फूटे एक मंजिला क्वार्टरों में रहने वाले कितने आवंटियों को वैकल्पिक आवास आवंटित कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या आवंटियों में से किसी को भी मरम्मत किए गए सम्बंधित क्वार्टरों का सम्पदा निदेशालय द्वारा आवंटन नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों को खाली कराने का है क्योंकि ये क्वार्टर केन्द्रीय सरकार के कब्जे में न होकर अन्य लोगों के कब्जे में हैं ; और

(घ) क्या अन्य क्षेत्रों में प्रभावित आवंटियों को वैकल्पिक आवास के आवंटन से बच्चों की शिक्षा, राशन कार्डों और गैस कनेक्शनों आदि के अन्तरप में परेशानी होगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) से (घ) :

सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई लक्ष्य

4187 **श्री एन० ई० होरी** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई लक्ष्यों के निर्भारण के संबंध में राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं ; और

(घ) यदि हा, तो तत्संवंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को रबी के दौरान दक्षतापूर्ण और समय पर सिंचाई के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए सलाह दी गई है । कुछ सुझाए गए उपाए ये हैं : (क) फसलों की बढ़ौतरी की नाजुक अवधि के दौरान गेहूं और अन्य फसलों को सिंचाई के जल की सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना (ख) विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई लक्ष्य और प्रत्येक बड़ी नहर प्रणाली के लिए उत्पादन के लक्ष्य नियत करना, (ग) नलकूपों को मरम्मत द्वारा अच्छी स्थिति में रखना और नलकूपों तथा पम्पों आदि को समय पर बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करना (घ) कुशल जल वितरण /प्रबंध संबंधी प्रक्रियाओं को अपनाना तथा (ड़) सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित विभागों, जो कृषि उत्पादन के संबंध में कार्रवाई करते हैं, के बीच गहन समन्वय रखना ।

देश में खेती योग्य कुल क्षेत्र

4188. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1.4.1983 के दिन देश में राज्य-वार पृथक-पृथक खेती योग्य कुल कितना क्षेत्र था,

(ख) 1.4.1983 के दिन सिंचाई के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र था,

(ग) 1.4.1983 तक राज्य-वार खेती योग्य ऐसा कितना क्षेत्र था जहां एक से अधिक फसल उगाई जाती थी,

(घ) 1.4.1983 तक देश में राज्य-वार प्रति एकड़ खाद्यान्न उत्पादन और फसल महनता कितनी थी, और

(ड़) क्या उच्च फसल महनता, सिंचाई सुविधा और उर्वरक के उपयोग के बीच सीधा संबंध है और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से(घ) कृषि के लिए कुल क्षेत्र, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र, फसली सघनता आदि के बारे में सूचना राज्यों द्वारा भूमि उपयोग संबंधी सांख्यिकी के भाग के रूप में भेजी जाती है । यह सूचना आमतौर पर कुछ समय बाद मिलती है। 1982-83 के संबंध में आंकड़े आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, जिसने निम्नलिखित ब्यौरा दिया है, राज्यों द्वारा आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं :-

आन्ध्र प्रादेश	1982-83
सकल सस्यगत क्षेत्र	127.7 लाख हैक्टार
सकल सिंचित क्षेत्र	45.2 लाख हैक्टार
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	17.4 बाख हैक्टार
फसली सघनता	115.7 प्रतिशत

1982-83 के दौरान प्रति एकड़/हैक्टार खाद्यान्न की राज्यवार पैदावार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ड़) सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान से बहु-फसल पद्धति संभव हो गई है, जिससे उच्च फसल सघनता प्राप्त हुई है और इसके परिणामस्वरूप उर्वरक की खपत बड़ी है । अखिल भारतीय स्तर पर संकल सिंचित क्षेत्र 1975-76 के 434 लाख हैक्टार से बढ़कर 1978-79 में 481 लाख हैक्टार हो गया, तथा सस्यगत सघनता 121.0 से बढ़कर 122.6 हो गई । इसी अवधि के दौरान उर्वरक की खपत 28.9 लाख मीटरी टन से बढ़कर 51.2 लाख मीटरी टन हो गई अर्थात् तीन वर्षों में लगभग 77 प्रतिशत । 1983-84 के दौरान उर्वरक की खपत और बढ़कर 72 लाख मीटरी टन हो जाने की आशा है ।

विवरण

खाद्यान्नों की पैदावार (1982-83)

राज्य	किलोग्राम/एकड़	किलोग्राम/हैक्टार
आन्ध्र प्रदेश	516	1274
असम	437	1080
बिहार	330	816
गुजरात	374	923
हरियाणा	708	1749
हिमाचल प्रदेश	473	1170
जम्मू और कश्मीर	594	1467
कर्नाटक	379	936
केरल	645	1593
मध्यप्रदेश	282	696
महाराष्ट्र	274	677
मणिपुर	546	1349
मेघालय	461	1140
नागालैंड	375	926
उड़ीसा	284	703
पंजाब	1145	2829
राजस्थान	263	651
सिक्किम	377	931
तमिलनाडु	504	1245
त्रिपुरा	573	1417
उत्तर प्रदेश	535	1322
पश्चिम बंगाल	422	1043
अखिल भारतीय	421	1041

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4189. **श्री छोटू भाई गामित :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के लिए कुछ धनराशि आबंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेगिस्तान के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ग) क्या ये कार्यक्रम देश को गर्म और ठडें दोनों इलाकों के लिए शुरू किए जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों तथा शुरू किए जाने वाले काम का ब्यौरा क्या है और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मरूभूमि विकाश कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 50.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के निम्नलिखित गर्म और शीत शुष्क क्षेत्रों को शामिल किया गया है :-

राज्य	जिला
गुर्म शुष्क क्षेत्र	
1. गुजरात	1. बानसकंठा
	2. मेहसाना
2. हरियाणा	1. हिसार
	2. भिवानी
	3. रोहतक
	4. सिरसा
3. राजस्थान	1. गंगानगर
	2. बीकानेर
	3. चुरु

1	2
	4. झुंझनु
	5. सिकर
	6. नागौर
	7. जोधपुर
	8. जैसलमेर
	9. बाड़मेर
	10. जालोर
शीत शुष्क क्षेत्र	11. पाली
4. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल तथा स्पिती
	2. किन्नौर
5. जम्मू तथा काशमीर	1. लेह
	2. कार्गिल

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों को लिया गया है :

(1) वनरोपण (सुरक्षा क्षेत्र पौधरोपण पर विशेष वल देते हुए) चारागाह विकास तथा रेत के टीलों को जमाना ;

(2) भू-जल विकास सहित लघु सिचाई । और

(ख) कृषि बागवानी और पशुधन विकास इत्यादि ।

चूंकि ये गतिविधियां मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण पाने और इन क्षेत्रों में विकास के लिए दीर्घ-कालीन नीति का भाग है इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे होने वाले निर्माण कार्यों के प्रभाव का पारस्थितिक संतुलन को पुर्नस्थापन आदि के रूप में अनिवार्य रूप में पूर्णतः पता नहीं लग सकता ।

कार्यकुशलता में सुधार के लिए किसानों को प्रशिक्षण

4190. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए बेहतर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए न केवल विस्तार तंत्र को सुदृढ़ किया जाना था वरन् चयन किए गए कि ानों और मजदूरों को अपनी कुशलता में सुधार ओ रउन्हें पूरी तरह से नियोजित करने और

बेहतर जीवन यापन अर्जित करने के लिए ऐसी कुशलता में विविधता के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण किया जाना था, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त की गई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

कार्यक्रम	**की गई प्रगति**
	(लाभानुभोगियों की संख्या)
1. कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा	5,992,125
2. (क) देश के भीतर किसानों का आदान-प्रदान	5,511
(ख) देश के बाहर	318
3. कृषि विज्ञान केन्द्र	94,711
4. कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) के किसानों के अध्ययन दौरे	1,058
5. स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण	44,376
6. प्रशिक्षण तथा दौरा पद्धति	13 (राज्य)

देश में गंदी बस्तियों का सुधार

4191. **श्री नवीन रावणी :**

श्री हरिहर सोरन : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गंदी बस्तियों के सुधार की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1982-83 और 1883-84 के दौरान इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों को कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत राज्यों में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए कुछ मार्गनिर्देशी सिद्धांत जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों ने उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक योजनाओं में लिए गए परिव्ययों से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट में कोई सहायता उपलब्ध नहीं हैं। मार्च, 1985 तक एक करोड़ों मलिन बस्ती निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करके लाभान्वित करने के लिए छठी पंच-वर्षीय योजना में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 151-45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन भारत सरकार द्वारा नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में किया जा रहा है· छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया गया खर्च एवं बताई गई वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	किया गया खर्च
		(लाख रु० में)
1980-81	10,86,078	2,336,01
1981-82	16,21,200	2,517,33
1982-83	14,80,569	3,136,57
योग	41,87,847	7,939,91

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारिय वास्तविक लक्ष्य 21.20 लाख व्यक्ति हैं और प्रस्तावित वित्तीय परिव्वय 3,557 लाख है। तथापि वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों के अनुमोदित वार्षिक योजना लक्ष्यों से ऊपर मलिन बस्ती जनसंख्या का अतिरिक्त कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रोत्साहन अनुदान के रूप में राज्य सरकार को देने के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। कई राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे हैं और चुने गए राज्य सरकारों को 404 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में दी गई है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए और छठी योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक/सांस्थानिक प्रबन्ध करें और आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करें।

अडमान और निकोबार द्वीप समूह संबंधी बहु-विषय अध्ययन दल की रिपोर्ट

4192. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या कृषि मंत्री अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संबंधी बहु-बिषयक अध्ययन दल के बारे में 1 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने भूमि प्रयोग समिति किस तारीख को गठित की थी और इसने मंत्रालय के अंतिम आदेशों के लिए क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और

(ख) भूमि उपयोग समिति की प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने 15 मार्च, 1976 को भूमि उपयोग समिति गटित की थी। समिति ने 16 मामलों में रक्षा तथा अंय प्रयोजनों हेतु वन भूमि निर्मुक्त करने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत 1869.8 हेक्टार क्षेत्र है।

(ख) सरकार ने यथा प्रस्तावित वन भूमि निर्मुक्त करने की मंजूरी दी है।

गेहू और रबी की अन्य फसलों की समय पूर्व बोई जाने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान

4193. **श्री जी० वाई०कृष्णन**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछले कुछ वर्षो से अप्रैल और मई के महीने हो रही असामयिक वर्षा को देखते हुए गेहूं और रबी की अन्य फसलों की समय पूर्व वोई जाने वाली किस्मों का अनुसंधान करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान्। तथापि बारानी दशाओं के अंतर्गत मानसून वर्षा से नमी बनाये रखने के अधिक प्रभावशाली उपयोग के उद्देश्य से जल्दी बोये जाने वाली उपयुक्त किस्मों के विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ये जल्दी उगाये जाने वाली फसल संभवत: सामान्य समय से कुछ जल्दी पकती है, परन्तु इस कार्य क्रमों का यह उद्देश्य नहीं है।

सामान्य समय से जल्दी पकने वाली किस्मों, यानी उत्तरी मैदानों में अप्रैल/मई में बोइ जाने वाली किस्मों के विकास के लिए प्रमुख उद्देश्य के रूप में विशिष्ट अनुसंधान नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि पकने की अवधि में किसी भी परिवर्तन हेतु प्रयत्न करना बहुत ही जल्दी समझा जायेगा क्योंकि अव तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ कि जलवायु चक्रों में स्थायी फेर हुए हैं और वर्तमान अनिश्चित जलवायु की दशायें हमेशा वैसी ही जारी रहेंगी। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत भी फरवरी/मार्च में अप्रैल और मई महीनों की अपेक्षा अधिक वर्षा होनी चाहिए।

कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु स्थानीय निकायों की वित्तीय कठिनाइयाँ

4194: **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या देश में कुछ नगर निगम और स्थानीय निकाय यह बहाना करके कि उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है,

(ख) यदि हां, तो नगर निगम तथा स्थानिय निकायों को अधिक वित्तीय संसाधनों की सिफारिश के लिए 8वें वित्तीय आयोग द्वारा कार्यवाहीकरवाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) आवास राज्य का विषय है और बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना को छोड़कर सभी आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवास के लिए अपने-अपने योजना नियतनों में से कार्यान्बित की जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) तथापि; स्थानीय निकाय, पर्याप्त विधियों का स्थानीय निकायों को अन्तरण करने के लिए समय-समय पर अनुरोध करते आ रहे हैं। इसको मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकारों से आग्रह किया गया था कि वे वित्त आयोग को अपने ज्ञापन में स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के ब्यौरे 8वें वित्त आयोग को पेश करें। निर्माण और आवास मंत्रायल ने भी विभिन्न नागरिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्थानीय निकायों के संसाधनों के अंतर को ध्यान में रखते हुए भारत में नगर स्थानीय निकायों का वित्तीय संसाधन एवं प्रदत्त सेवा स्तर पर एक अध्ययन रिपोर्ट भी 8वें वित्त आयोग को भेजी है।

आन्ध्र प्रदेश में तिलहन और दालों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

4195. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दे रही है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है, और

(ग) तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानित लागत सहित आन्ध्रप्रदेश में केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनायें निम्नलिखित हैं :

दलहन

(i) दलहनों के मिनीकिटों का प्रदर्शन करने की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वीकृत की

गई है, जिसके अन्तर्गत 1983-84 के लिए दलहनों के 21,700 मिनीकिटों का आवंटन किया गया है।

(ii) 1983-84 के दौरान राज्य से दलहनों के विकास के लिए 21.919 लाख रुपये की कुल लागत से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 16.735 लाख रुपये है।

तिलहन

आन्ध्र प्रदेश के लिए 1982-84 में तिलहन विकास के लिए 129.92 लाख रुपये की कुल लागत की एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित लघु और सीमांत कृषक योजना के अन्तर्गत उर्वरक के मिनीकिटों के साथ-साथ तिलहन और दलहन के मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में तिलहन और दलहन उत्पादन के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन (हजार मीटरी टनों में)	
	दलहन	तिलहन
1980-81	414.5	928.1
1981-82	466.6	1547.0
1982-83	512.7	1212.0

1983-84 के दौरान राज्य में तिलहन और दलहन उत्पादन की अच्छी सम्भावना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बकरी संस्थान में बकरियों की मृत्यु

4196. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बकरी संस्थान में 1.11.1983 तक मरने वाले 2 महीने, 2 से 6 महीने के बीच, 7से 12 महीने की आयु वाले मेमनों की लिंगवार और जातिवार तथा बड़ी बकरियों की संख्या क्या है और उनकी मृत्यु के कारण क्या हैं,

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बकरी संस्थान में 1.11.1983 को जिन्दा, आयु और लिंगवार तथा प्रत्येक जाति की बकरियों की संख्या कितनी थी तथा 31. 3. 1984 तक प्रत्येक जाति की लिंगवार खरीदी जाने वाली बकरियों की संख्या कितनी है और उसके कारण

क्या हैं और प्रत्येक बकरी का अनुमानित मूल्य कितना है, और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों सहित एक जांच समिति की स्थापना तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बकरी संस्थान के कार्यों पर एक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखने का है और यदि हां, तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे बाद में लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

नेल्लोर जिले में कृष्णापत्तयम बन्दरगाह का मत्स्यपत्तन के रूप में विकास

4197. श्री पसाल पेंचालैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्रप्रदेश नेल्लार जिले में कृष्णा पत्तनम बन्दरगाह का ब्रिटिश सरकार के सहयोग से मतस्य पत्तन के रूप में विकास करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) नवीनतम स्थिति क्या है और इस परियोजना को कब शुरू किया जायगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृष्णापत्तनम मत्स्यन बन्दरगाह से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी सहायता के लिए यू० के० सरकार को पेश किया जाना है ।

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपये के लगभग है । इसके मुख्य घटक ये है :—मछली पकड़ने वाला पत्तन, ग्रामीण सड़कें, मछली पकड़ने वाले जलयान तथा विपणन और परिसंस्करण की सुविधायें ।

(ग) योजना के मंजूर हो जाने के बाद ही क्रियान्वयन के लिए परियोजना को हाथ में लिया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश में भुखमरी और बाढ़

4198. श्री जैनुल बशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भुखमरी और बाढ़ के कारण भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है,

(ख) यदि हां, तो भुखमरी और बाढ़ के कारण अलग-अलग कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है और इसके लिए सहायता स्वरूप कितनी धनराशि की मांग की गई है, और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितनी धनराशि वास्तव में दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी हां, । 27.9.1983 को उत्तर प्रदेश सरकार से सूखा और बाढ़ों का एक-एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूखे के लिए 36.9 करोड़ रुपये और बाढ़ राहत कार्यों के लिए 566.93 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है । राज्य के 13 जिलों में लगभग 17.75 लाख हैक्टार में फसल शुरू की गर्मियों के महीनों में वर्षा न होने के कारण या तो क्षतिग्रस्त हुई या बोई नहीं जा सकी । उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ के कारण हुई निम्नलिखित क्षति सूचित की है:—

1. प्रभावित जनसंख्या	153.27 लाख
2. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	24.02 लाख हैक्टार
3. क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकानों की संख्या	3.89 लाख
4. मृत मनुष्य	511
5. मृत पशु	1835

(ग) एक केंद्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है । अधिकतम केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति लम्बित होने तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को तत्काल राहत व्ययों की पूर्ति करने के लिए साधनोपाय अग्रिम के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास तत्काल व्यय की पूर्ति के लिए 108 धन भी है ।

अम्बेडकर स्टेडियम में उपद्रव की घटना

4199. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवम्बर, 1983 को अम्बेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में डी० सी० एम० फुटबाल के फाइनल मैच के दौरान उपद्रव की घटना के बाद 22 नवम्बर को फुटबाल प्रेमियों ने बम्बई झगड़ा कर दिया ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उपद्रवों के कारणों की, विशेषकर रेफरी की भूमिका की पूरी तरह जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस घटनाओं को फिर से कभी न होने देने और खेल भावना को बनाए रखने के लिए कुछ मानदंड लागू करने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वैस्टर्न एण्डिया फुटबाल एसोसिएशन से सूचना के अनुसार जब 22 नवम्बर, 1983 को टाटा स्पोर्टस क्लब बम्बई और काशमीर × 1 के बीच रोबर्स कप के दौरान फुटबाल मैच चल रहा था तो

बारबोर्म स्टेडियम में कुछ हुल्लड़बाजी की घटनायें हुई थीं।

(ख) और (ग) दोनों मामलों में रैफ्री के निर्णय को नामंजूर करने के कारण गड़बड़ी उत्पन्न हुई, जिससे हिमायतियों की भीड़ अपनी सम्बन्धित टीमों के समर्थन में खेल मैदान में आने के लिए उत्तेजित हुई। अखिल भारतीय फुठबाल संघ ने इस बात की भी पुष्टि की है कि दोनों मामलों में रैफ्री उपयुक्त स्तर के थे और सदा स्वीकृत एफ० आई० एफ० ए० नियमों के अनुसार तथ्यों के आधार पर रैफ्री का निर्णय अन्तिम है। खिलाड़ियों और भीड की ओर से अनुशासन और स्वयं नियंत्रण तथा खेलों के नियमों और निर्धारित पद्धतियों को स्वीकार करने की अधिक सूझ बूझ से खेलों की सही प्रवृत्ति को बनाये रखने में अधिक सहायता मिलेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की किस्मों की खेती का क्षेत्र

4200. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान की किस्मों की खेती के लिए क्षेत्र के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सूचीबद्ध/सिफारिश की गई किस्मों की किसानों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने क्षेत्र पर खेती की गई जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पांच वर्षों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के बारे में बताया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस्म के अन्तर्गत खेती के वास्तविक क्षेत्र को बताना संभव नहीं है क्योंकि देश में इस तरह के किस्मवार आंकड़े एकत्रित नहीं किये जा रहे हैं। तथापि राष्ट्रीय बीज निगम जैसी बीज उत्पादन अभिकरणों द्वारा उत्पादित बीज की प्रमात्रा से इन किस्मों की लोक प्रियता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा प्रमाणित बीज के उत्पादन पर सूचना, जैसा कि नीचे दी गई है, से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की किस्मों की लोकप्रियता की सीमा का पता चलता है।

वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आयोजित प्रमाणित बीज की मात्रा (क्विंटल में)

फसल	कुल	आई०वी०आर०आई०किस्म	अन्य किस्म
गेहूं	3,67,000	3,04,000	63,000
ज्वार	41,200	40200	1,000
बाजरा	33,025	33,325	700
धान	1,49,500	18,300	1,31,100

1	2	3	4
मूंग	16,300	12,400	4,000
उड़द	8,000	500	7,500
लोबिया	4,200	4,200	शून्य
	6,19,225	4,11,925	2,07,300

धान की फसल के हानिकारक जीव जन्तुओं के नियंत्रण के लिए कीट नाशक दवाओं पर राज सहायता

4201. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें चालू वर्ष के दौरान धान की फसल के हानिकारक जीवजन्तुओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं पर केन्द्र या राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की योजनायें स्वीकृत की गई हैं,

(ख) इस प्रकार के अनुदान किस श्रेणी के किसान ले सकते हैं, और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) :(क) प्रमुख कृषि कीटों एवं रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, जिसमें केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्य सरकार के बीच परस्पर 50:50 के आधार पर वहन किए जानेवाला संक्रामक क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण कार्य भी शामिल है, के अन्तर्गत कीट नाशी दवाईयों की लागत पर 50 प्रतिशत तक की राजसहायता उपलब्ध है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, राजसहायता की समूची राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

चालू वर्ष के दौरान धान की फसलों के कीटों के नियंत्रण के लिए राज सहायता के केंद्रीय हिस्से को प्रशासनिक संस्वीकृति केरल, उड़ीसा, तमिलनाड्, पांडिचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आन्ध्रप्रदेश के संबंध में जारी की गई है। प्रथम तीन तिमाहियों के लिए धनराशि भी निमुंक्त की जा चुकी है। कीटनाशियों की लागत पर राजसहायता के अतिरिक्त प्रचालनात्मक लागत पर भी राजसहायता स्वीकार्य है।

(ख) क्षेत्र विशेष पर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर वनस्पति रक्षण उपाय करने की सिफारिश की जाती है। अतः उपर्युक्त योजना के तहत सभी श्रेणियों के किसानों को राजसहायता सुलभ है।

(ग) प्रमुख/कृषि कीटों और रोगों के नियन्त्रण और उन्मूलन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसमें स्थानिक क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण भी शामिल है, के अंतर्गत सभी राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार सहायता प्राप्त कर सकते ।

(1) स्थानिक क्षेत्रों में कीटों और रोगों की उन्मूलन-सतही छिडकाव कार्यों के लिए 15 रु० प्रति हेक्टेयर और हवाई छिड़काव संबंधी कार्यों के लिए 27.50 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राजसहायता ।

(2) विशेष कीटों का नियंत्रण :—

परिचालनात्मक खर्च पर 15 रु प्रति हेक्टेयर की दर से राजसहायता के अतिरिक्त कीट नाशियों की लागत पर 50 प्रतिशत तक की राजसहायता । बीज उपचार तथा कृन्तक नियंत्रण के लिए कोई परिचालनात्मक राजसहायता स्वीकार्य नहीं है ।

(3) खरपतवार नियंत्रण की परियोजना :

खरपतवारनाशियों की लागत पर 25 प्रतिशत तक की राजसहायता ।

उपरोक्त राजसहायता केन्द्र और राज्यसरकारों के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जा रही है । तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में समूची राजसहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

दिल्ली में ग्रह-कर की दरों में असमानता

4202: **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गृह कर की दरों में भारी असमानता है और विभिन्न वर्षों में बनाए गए मकानों पर भिन्न-भिन्न दरों से गृहकर लगाया जाता है जबकि सभी मकान मालिकों को सुविधायें एक जैसी मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां' तो दरों में असमानता का क्या औचित्य है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में समानता लाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि सम्पत्तियों के वार्षिक कर योग्य मूल्य के 12/1/2 प्रतिशत की समतुल्य दर पर गृह कर लगाया जा रहा है । वार्षिक कर योग्य मूल्य जो कि पंजाब नगर नालिका अधिनियम, 1911 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है, एक मकान से दूसरे के मामले में उनके क्षेत्रफल. निर्माण आदि की लागत में अंतर के कारण भिन्न-भिन्न हो सकता है । भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए कर की कोई भिन्न दर नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सम्पत्ति कर दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों तथा दीवान दौलतराय कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित अथवा निर्धारण योग्य मानक किराए के आधार पर लगाए जाते हैं । सम्पत्तियों के मानक किराए कानून के अनुसार निर्माण के वर्ष के मुताबिक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । दिल्ली नगर निगम ने यह भी कहा है कि पंजाबी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति बनाम दिल्ली नगर निगम

के मुकदमें में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कराधान तथा नागरिक सुविधाओं के प्रावधान के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से सहायता

4203. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है, और यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि की सहातता दी गई है,

(ख) क्या प्रत्येक ब्लाक में 5 लाख रुपये व्यय किए जायेंगे,

(ग) यदि हां, तो गोरखपुर और सीतापुर जिलों में, पृथक-पृथक प्रत्येक ब्लाक पर कितनी राशि व्यय की गई, और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने कर्मचारी बढ़ाये गये और कितने बीज और कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। 1983-84 के दौरान छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। जून तथा सितम्बर, 1982 को समाप्त प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों की दी किश्तों के लिए के लिए सम्बन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय शेयर के रुप में 67.2198 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार से सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अस्त व्यस्त होना

4204. **श्री बालसाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केंद्र द्वारा चावल की पूर्ति में कटौती के कारण महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारी दबाव में है ;

(ख) क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि इस वर्ष चावल की अच्छी फसल हुई है, सरकार चावल का पूर्व निर्धारित कोटा बहाल करने तथा पर्याप्त मात्रा में चावल देने पर विचार करेगी जिससे कि लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और चावल की पूर्ति में कितनी वृद्धि की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा, खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम०एस०

संजीवी राव) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जून, 1982 से उनके चावल के मासिक आबंटन को घटाकर 25,000 मी० टन कर देने के कारण राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

(ख) केंद्रीय पूल से महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आबंटन केंद्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। मासिक समीक्षा करने के फलस्वरूप आवंटनों में यथावश्यक वृद्धि/कमी कर दी जाती है। ये आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

(ग) यद्यपि महाराष्ट्र के चावल के मासिक आबंटन में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अप्रैल, 1983 के 55,000 मी० टन से बढ़ाकर मई 1983 में 60,000 मी० टन किए गए गेहूं के मासिक आबंटन को बनाए रखा गया है।

सूअर विकास में अनुसंधान कार्य

4205. **श्री नारायण चौबे** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सूअर विकास के लिए क्या अनुसंधान किये गये हैं और प्रत्येक योजना में कितनी राशि आबंटित की गई और उसे सरकार ने किन-किन राज्यों में उनका उपयोग किया है;

(ख) उनके क्या मुख्य परिणाम निकले और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रसार एजेंसियों अथवा राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से व्यापक रूप में कार्यान्वित किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) इसके आरम्भ किये जाने से लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सूअर परियोजना के परियोजना समन्वयकर्ताओं का विवरण क्या है किस तारीख को प्रत्येक वर्कशाप आयोजित की गई और उसकी क्या मुख्य सिफारिशें थीं ; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सूअर अनुसंधान परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार को उनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में सूअर विकास के निश्चित उद्देश्य के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस क्षेत्र में अनुसंधान के प्रयत्न किये गए हैं जिसके लिए सूअरों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। इसके लिए आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तिरुपति, जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, असम कृषि विश्वविद्यालय, खानापार तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में अनुसंधान केन्द्र स्थित हैं। यह अनुसंधान प्रायोजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हाथ में ली गई। और अपने परिवर्तित रूप के साथ छठी पंचवर्षीय योजना में जारी है ।

जिन राज्यों में उपर्युक्त अनुसंधान केन्द्र स्थित हैं और जिनमें निधि का उपयोग हुआ है वे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश।

योजना अवधि वार आबंटित निधि को विवरण 1 में दर्शाया गया है।

(ख) चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि और वर्ष 1980 के भाग में प्रायोजना कार्यक्रम में सूअर की विदेशी नस्लों (लार्ज व्हाइट यार्कशायर और लेण्ड्रेस) द्वारा इन अनुसंधान इकाइयों की पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि दशाओं में प्रदर्शन पर अनुसंधान कार्य चलाने पर विचार किया गया। इस अवधि के दौरान इन केन्द्रों पर इन विदेशी नस्लों ने अपने प्रदर्शन पर लगातार प्रगति दिखाई। उदाहरण के लिए ए. पी. ए. यू.—तिरुपति, जे. एन. के. वी. वी.—जबलपुर, ए. ए. यू. खानपारा और आई. वी. आर. आई.—इज्जतनगर अनुसंधान केन्द्रों पर अवधि के प्रारंम्भिक भाग (अवधि—1, 1972-73 से 1974-75) में दूध छुड़ाते समय औसत भार 7.89, 9.53, 9.40 और 9.84 किलो ग्राम था जो कि सुधर कर बाद वाले भाग में (अवधि—2, 1975-76 से 1979-80) में क्रमशः 11.29, 11.48,10.94, और 10.79 किलो ग्राम हो गया। क्रमशः इन्हीं केन्द्रों पर 28 सप्ताह की वय में शरीर भार 28.45, 50.96; 43.79 और 44.17 किलो ग्राम (अवधि 1 के लिए) की अपेक्षा (अवधि 2 के लिए) बढ़कर क्रमशः 52.69, 60.42, 53.07, और 61.24 किलो ग्राम हो गया। इसी प्रकार दूध छुड़ाते समय औसत लिटर आकार में भी (अवधि 1 के लिए) 7.91; 8.35, 6.48 और 6.02 से बढ़कर (अवधि 2 के लिए 7.98, 8.67, 7.81 और 7.51 सुधार दर्ज किया गया। औसत लिटर भार में सुधार (अवधि 1 के लिए) 84.16, 79.40, 61.68 और 60.63 किलो ग्राम से बढ़कर (अवधि 2 के लिए) 87.36, 93.36,85.08 और 80.80 किलो ग्राम क्रमशः सभी केन्द्रों में दर्ज किया गया।

देश में विदेशी नस्ल के सूअरों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या को उपलब्ध आर्थिक महत्व के सूअरों से कम संख्या को ध्यान में रखते हुए और इस प्रायोजना से देशी सूअरों को बिल्कुल बाहर रखे जाने की स्थिति को देखते हुए बाद में प्रायोजना के तकनीकी कार्यक्रम में भारी सुधार और परिवर्तन करके इसके कार्य क्षेत्र में देशी सूअरों को भी आधार रूप में लिया गया। छठी योजना के दौरान प्रथम दृष्टि में आवश्यकता पर आधारित देशी सूअरों पर कम से कम तीन पीढ़ियों के लिए और बाद में भारतीय परिस्थितियों में सूअर उत्पादन बढ़ाने के लिए विधि प्रक्रिया के विकास के लिए संकर नस्ल पर केवल परिवर्तित तकनीकी कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रायोजना की स्वीकृति दी गई थी। ज्यादा बल सूअरों के लिए सस्ता आहार विकसित करने पर दिया गया।

प्रायोजना के परिवर्तित कार्यक्रम के अंतर्गत देशी सूअरों पर अनुसंधान कार्य जारी है और विकास की गई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उचित समय पर सूअर पालकों तक पहुंचा दिया जोएगा।

(ग) प्रायोजना समन्वयकर्ताओं का विवरण—2 में दिया गया है। प्रत्येक वर्कशाप की तिथियां और मुख्य सिफारिशें विवरण—3 में दी गई हैं।

(घ) सूअरों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के परिवर्तित तकनीकी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दृष्टि में देशी शूअरों की तीन पीढ़ियों और फिर संकर नस्ल की दो पीढ़ियों (देशी सूकरी का उचित विदेश शूकर से प्राप्त की गई) पर आधारित परिस्थितियों में सूअर उत्पादन में सुधार के लिए विधि प्रक्रिया के विकास को और सूअरों के लिए सस्ता आहार खोजने के कार्य को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्य करना है। आशा है कि इसे निश्चित समय पर पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण—1

आबंटित निधि, दी गई निधि, वास्तविक व्यय योजना—अवधिवार (रु०)

	अनुसंधान केन्द्र का नाम	चौथी योजना (अक्तूबर, 1970 से मार्च, 1974)	पांचवी योजना (1974-75 से 1977-78)	अंतरिम छठी योजना (1978-79 से 1979-80)	छठी योजना 1980-81 से 1984-85)
1.	ए पी ए यू—तिरुपति	5,10,190	19,17,250	5,46,790	20,74,700
2.	जे एन के वी वी—जबलपुर	5,10,560	20,29,741	5,89,838	21,01;400
3.	ए ए यू—खानपारा	5,10,288	19,81,679	4,82,071	19,34,600
4.	आई वी आर आई—इज्जतनगर	6,41,928	×	×	×
कुल		21,72,966	59,28,670	16,18,699	61,10,700

* पांचवी योजना से आई. वी. आर. आई. केन्द्र, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का एक नियमित कार्य का एक अंग बन गया और इसके बजट को संस्थान के बजट के साथ मिला दिया गया। प्रायोजना समन्वयक को इसकी अलग से बजट संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण—2

प्रायोजना समन्वयक का नाम	कब तक पद रहा	टिप्पणी
1. डा. ओ वी. टण्डन	प्रारम्भ से 31.3.71	आई. वी. आर. आई. के आनुवंशिक प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहने के अतिरिक्त उन्होंने प्रायोजना के कार्य को भी किया।
2. डा. पी. एन. भट	1.4.71 से 6.4.72	आई. वी. आर. आई. के आनुवंशिक प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहने के अतिरिक्त उन्होंने प्रायोजना के कार्य को भी किया।
3. डा. बी. एल. रामा	7.4.72 से आज तक	

विवरण—3

वर्कशाप की तिथि :

पहला वर्कशाप	:	18-19 मार्च, 1971
दूसरा वर्कशाप	:	21-22 मई, 1973
तीसरा वर्कशाप	:	22-24 दिसम्बर, 1975
चौथा वर्कशाप	:	12-14 अक्तूबर, 1977
पांचवा वर्कशाप	:	15-17 दिसम्बर, 1980
छठा वर्कशाप	:	13-15 अगस्त, 1983

वर्कशापों की प्रमुख सिफारिशें

विभिन्न वर्कशापों की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार थीं—

पहला वर्कशाप

अनुकूलतम स्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान विदेशी सूअरों की नस्ल (लैंड्रेस और बड़े सफेद यार्कशायर) की आर्थिक महत्व की विशेषताओं के प्राचलों के अध्ययन और उपयुक्त प्रजनन कार्य-

क्रम को अपनाकर विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल/नस्लों का विकास करना तीसरी विदेशी नस्ल (ड्रोक) को पालने की भी सिफारिश की गई है। प्रत्येक केन्द्र के लिए 60-सो यूनिट के आकार के प्रजनक झुन्डों की सिफारिश की गई थी।

दूसरा वर्कशाप

आवश्यक भौतिक सुविधाओं की कमी और बजट की स्थिति ठीक न होने के कारण, वर्कशाप ने भारत की स्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान विदेशी नस्लों के सूअरों की उत्पादन क्षमता के अध्ययन के लिए एक अंतरिम प्रजनन कार्यक्रम की सिफारिश की। यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक केन्द्र में प्रजनक झुन्डों का आकार कम करके 24-सो- यूनिट कर दिया जाए।

तीसरा वर्कशाप

मुख्य सिफारिशें/दूसरे वर्कशाप द्वारा की गई सिफारिशों के ही अनुरुप थी, केवल यह सिफारिश और की गई कि प्रजनक पशुओं की संख्या का आकार बढ़ाकर प्रत्येक केन्द्र पर 32 मादा सूअर इकाई कर दिया जाए।

चौथा वर्कशाप'

तीसरे वर्कशाप की सिफारिशों के बाद जिसमें कि प्रत्येक केन्द्र में मादा सूअर इकाई की संख्या बढ़ाकर 1977-78 में 32 कर देने की सिफारिश थी, यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक केन्द्र में 60 मादा सूअर इकाई की आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि कम से कम 60 मादा और 12 नर सूअरों की प्रजनक इकाई हो सके।

यह सिफारिश की गई कि चयन अथवा संस्करण द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में देशी सूअरों में सुधार के लिए अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 3-4 केन्द्रों पर देशी सूअरों का बेड़ा बनाया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्वी प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, समुद्र तटीय प्रदेश और केरल में अतिरिक्त अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाएं।

पाँचवा वर्कशाप

वर्कशाप के सूअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के छठी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होने वाले काल के लिए परिवर्तित कार्यक्रम की सिफारिश की। प्रायोजना के इस परिवर्तित कार्यक्रम में इसके आधार में देशी सूअरों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत देशी सूअरों पर आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना निश्चित किया गया है और फिर उसके बाद भारतीय परिस्थितियों में सूअर उत्पादन में सुधार के लिए पूर्ण विधि प्रक्रिया का विकास करना है।

छठा वर्कशाप

सामान्य तौर पर वर्कशाप ने पांचवे वर्कशाप की सिफारिशों को उचित माना। फिर भी,

सातवीं योजना के लिए इसने सिफारिश की कि प्रायोजना के प्रजनन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें संकर नस्लों सहित और अधिक आनुवंशिक समूहों पर अध्ययन हो, प्रत्येक वर्तमान अनुसंधान केन्द्र पर मादा सूअर प्रजनक इकाई संख्या 60 तक बढ़ाई जाये तथा वर्तमान चार अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त 4-5 और अनुसंधान केन्द्र प्रारम्भ किये जाएं। यह सिफारिश की गई कि नये केन्द्र कलकत्ता, गोआ, केरल, रांची और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों में स्थापित किए जाएं।

ओखला औद्योगिक बस्ती में प्लाटों के लिए लाटरी निकालना

4206. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला स्थित कृत्धाधार औद्योगिक बस्ती में इलैक्ट्रानिक्स के लिए प्लाटों के आबंटन के लिए लाटरी निकाली गई थी ;

(ख) कितने प्लाट उपलब्ध हैं और कितने प्लाट वास्तव में आबंटित किये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक वर्ग में कितने उम्मीदवार प्रतीक्षासूची में हैं ;

(घ) क्या शेष प्लाट प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को आंबंटित करने का कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपलब्ध 227 प्लाटों में से 176 प्लाट आबंटित कर दिये गए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि निम्नांकित विवरण के अनुसार 25 अभ्यार्थी प्रतीक्षा सूची में हैं—

वर्ग	प्रतीक्षा सूची में अभ्यार्थियों की संख्या
बेरोजगार स्नातक	5
अनिवार्य अवयव उत्पादक एकक	5
विविधान हेतु वर्तमान एकक	5
सामान्य	10
	योग 25

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पगला-बौसलोई नदी बेसिन के जलमग्न क्षेत्रों को खेती के योग्य बनाने की योजना

4207. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पगला-बौसलोई नदी बेसिन के जलमग्न क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने की योजना का कार्यान्वयन आरम्भ से ही स्थगित रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना के कार्यान्वयन को बहुत समय तक स्थगित रखने के कारण वह अब निर्धारित समय अर्थात् जून, 1985 तक पूरी नहीं हो सकेगी ;

(ङ) यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ;

(च) क्या यह भी सच है कि इस योजना कार्य के निर्माण के लिए अपेक्षित सभी समान के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह कार्य मूल्य प्राक्कलित मूल्य पर पूरा नहीं हो सकेगा ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सरकारी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) भागीरथी में अविच्छिन्न जल प्रवाह के कारण पगला तथा बंसलोई नदी बेसिनों के निम्नवर्ती क्षेत्रों के निकास के लिए स्कीम को 4.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया है। इसमें दो नियामकों (रेगुलेटरों) अर्थात् एक पगला नदी के ऊपर तथा दूसरा बंसलोई नदी के ऊपर तथा इसके जल को गंगा नदी में ले जाने के लिए जल निकास प्रणाली का निर्माण करना सम्मिलित है। इन दोनों नियामकों के निर्माण कार्य निविदा समिति द्वारा अनुमोदित खुली प्रतीयोगी-निविदाओं के आधार पर दिसम्बर, 1979 में मैसर्ज चटर्जी पोल्क लिमिटेड कलकत्ता को दिया गया था। ठेकेदारों ने बंसलोई नियामक के कार्य को ही हाथ में लिया है। वित्तीय तथा संगठनात्मक संसाधनों में कमी के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा दोनों नियामकों को निश्चित तारीख तक पूरा करने के संबंध में उनके करार के अनुसार उन्होंने बंसलोई नदी के ऊपर नियामक का केवल 10% कार्य पूरा किया था इसीलिए संविदा की सितम्बर 1982 में रद्द कर दिया था और नई निविदाओं को आमंत्रित किया गया था तथा बंसलोई नियामक के शेष कार्य को एक ठेकेदार को पगला नियामक के कार्य को अन्य ठेकेदार को जुलाई 1983 में दे दिया गया था। संविदा पत्रों में विनिर्दिष्ट वर्तमान अनुसूची के अनुसार नियामकों को पूरा करने की तारीख मई, 1985 है।

(ग) मूल ठेकेदार द्वारा बंसलोई नियामक पर केवल 10% कार्य किया गया था तथा पगला नियामक पर कोई कार्य नहीं गया था। नए ठेकेदारों ने इन नियामकों पर बाढ़ ऋतु के बाद नवम्बर, 1983 में कार्य शुरू कर दिया है। काफर बांध का निर्माण पूरा हो चुका है तथा नींव स्तर पर कार्य शुरू करने के लिए जल-निकास से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(घ) से (छ) इन नियामकों पर सिविल कार्य मई 1985 के अनुसूचित समय तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। नियन्त्रण कपाटों के निर्माण, सप्लाई तथा प्रतिस्थापित करने के आदेशों को अभी दिया जाना है। इस स्कीम के दिसम्बर, 1986 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

गंडक नदी द्वारा बिहार के गांवों की भूमि का कटाव

4208. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर और साजीपुर ब्लाकों के तेर-सिया छोकिया और हरवंसपुर पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले गांवों की भूमि गंडक नदी के तेजधारा से बुरी तरह कटती जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंचाई विभाग के इन्जीनियरों ने इस कटाव को तुरंत रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है,

(ग) यदि हां; तो सरकार गंडक तथा गंगा नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या सरकार गंडक और गंगा नदियों द्वारा किये जाने वाले कटाव के कारण प्रभावित तथा बेघर हो गये लोगों को अन्तरिम सहायता देने पर विचार कर रही है तथा उनको फिर से बसाने और इस कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना बजट में से बाढ़ नियंत्रण कार्यों का सूत्रबद्ध किया जाता है तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। गंगा तथा गंडक नदियों के विसर्पी स्वरुप होने के कारण उनसे कई भागों में कटाव हो रहा है। राज्य सरकारों द्वारा कटाव-रोधी उपाय तैयार किए जाते हैं तथा क्रियान्वित किए जाते हैं तथा कटाव समस्या की गंभीरता के अनुसार निर्माण-कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और निधियां उपलब्ध की जाती हैं। वैशाली जिले में कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार को कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ों तथा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए, जहां आवश्यक समझा जाता है, राहत संबंधी सहायता तथा पुनर्वास संबंधी उपाय किए जाते हैं।

अशोक बिहार फेज-11 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली पड़े भूखण्ड

4209. **श्री भोखू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के अधीन, रिहायशी उद्देश्यों के लिए आवंटित अथवा खरीदे गये भू- खण्डों को निर्धारित अवधि के दौरान बनाना होता है;

(ख) इन नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अशोक बिहार फेज- 11 में दो भूखण्ड जिनमें प्रत्येक का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर है, (बी-1/2 और बी-1/4), 1970 से खाली पड़े हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है;

(घ) क्या उनमें से एक भूखण्ड में गन्दगी भर गई है ; और

(ड़) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टा-धारियों को प्लाट का कब्जा लेने की तारीक से उस भवन निर्माण पूरा कर लेने के लिए 2 वर्ष की अवधि अनुमेय है । प्राधिकरण इसके बाद कोई जुमाना लगाए बिना निर्माण पूरा करने के लिए एक वर्ष माफी अवधि देता है । इसके बाद, जुर्माना अदा कर देने पर निर्माण की अवधि में बढोत्तरी अनुमेय है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अशोक बिहार चरण-11 रिहायशी योजना में प्लाट न०बी-1/2 तथा बी-1/4 जो इन व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे जिनकी भूमि दिल्ली के सुनियाजित विकास के लिए अधिगृहीत की गई थी. खाली पड़े हैं । प्लाट न० बी-1/2 का कब्जा आवंटी को 18.2.1974 को दिवा गया था । 22.9.1980 को यह प्लाट आवंटी के चार पुत्रों के नाम अन्तरित कर दिया गया जिसके लिए पट्टा-विलेख उप-पंजीकार, दिल्ली के यहां 18.3. 1981 को पंजीकृत किया गया । प्लाट पर भवन निर्माण न करने के लिए आवंटियों को कारण बताओं नोटिस दे दिया गया है ।

प्लाट नं० बी-1/4 का कब्जा आवंटी को 23.7.1973 को दिया गया था जिसका पट्टा विलेख उप पंजीकार, दिल्ली के यहां 24.9.1974 को पंजीकृत हुआ । प्लाट पर भवन निर्माण पूरा करने के लिए समय वृद्धि 31.12.1976 तक दी गई थी । पट्टाधारी 20.12.1977 को मर गया । पट्टाधारी की विधवा के एक मुख्तार ने "वसीयत" के आधार पर विधवा के पक्ष में सन्दर्भाधीन प्लाट के परिवर्तन/अन्तरण हेतु आवेदन किया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के बिचा राधीन है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता

भाण्डागार नियमों का असन्तोषजनक कार्य

4210. **श्री टी० एस० गेंनी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह उनके द्वारा टिप्पणी की गई है कि भाण्डागार निगम का कार्य सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) भाण्डागार निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि कोई उपाय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव):(क) केंद्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों के अध्यक्षों औरप्रबन्ध निदेशकों के अखिल भारत सम्मेलन का 24 नवम्बर, 1983 को उदघाटन करते समय खाद्य और नागरिक पूर्ति मत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि कुछेक राज्य भाण्डागार निगमों का कार्य निष्पादन संतोष-जनक नहीं था ।

(ख) केंद्रीय भाण्डागार निगम से ऐसे राज्य भाण्डागार निगमों की समस्याओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने और उनका मार्गदर्शन करने तथा उनके कार्य पर गहरी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तीस्ता बराज परियोजना की लागत

4211. **श्री सुबोध सेन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तीस्ता बराज परियोजना (पश्चिम बंगाल)पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ख) कितनी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और कितनी केंद्र सरकार द्वारा और

(ग) उसके निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और उसमें से केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) निर्माणाधीन तीस्ता बराज परियोजना (चरण-एक, सोपान-एक), जैसी कि यह पश्चिम बगाल राज्य की 1984-85 की वार्षिक योजना की रूपरेखा में सम्मिलित की गई है, की अद्यतन अनुमानित लागत 325 करोड़ रूपये है । तथापि, इस परियोजना का संशोधित अनुमान केंद्र में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) "सिंचाई" एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का

आयोजन, क्रियान्वयन तथा वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजना के अन्तर्गत स्वयं किया जाता है। तथापि, राज्यों को केंद्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समग्र रूप से दी जाती है और यह विकास के किसी सेक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है।

1982-83 के अंत तक किया गया व्यय 126 करोड़ रूपये है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए 28 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है। तथापि, राज्य सरकार ने 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ;

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4212. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विशिष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि :

(एक) समेकित ग्रोमीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के नाम सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने चाहिए ;

(दो) ब्लाक योजना सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ;

(तीन) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के नाम व पते सम्बद्ध पूर्ण ब्यौरे सहित सम्बन्धित पंचायत में प्रदर्शित किए जाने चाहिए और उन्हें आम जनता के देखने के लिए रखना चाहिए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (ग) मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आयोजना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत सभी पहलू लिए गये हैं, जिनमें लाभभोगियों के चयन और निम्नमत ग्रामीण संगठनों को शामिल करने की पद्धतियां भी दी गयी है। खंड स्तरीय योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह निर्धारित किया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास के लाभभोगियों का अन्तिम चयन गांव (ग्रामसभा) की बैठक में किया जाए। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह भी परिकल्पना की गई है कि जहां खंड स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर रही हैं, वहां खंड योजनाओं के लिए उनकी सहमति ले ली जाए। राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सलाह देने के लिये भी अनुरोध किया है

कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों के नाम, खंड कार्यालयों, [पंचातत कार्यालयों आदि में सूचना पट्टों पर दर्शाये और उनके साथ-साथ उनके पते, उन्हें उपदान तथा ऋण के रूप में वितरित की गई धनराशि, उस मद जिसके लिए सहायता का प्रयोग किया गया है और आवेदन पत्र की प्राप्ति तथा उपदान तथा ऋण मंजूर करने की तारीख को भी दर्शाया जाए।

सहकारी आंदोलन के विकास और विस्तार संबन्धी समिति की सिफारिशें

4213. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मिर्धा की अध्यक्षता में देश में सहकारी आंदोलन के विकास और विस्तार के लिए नियुक्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) उनमें से कार्यान्वित की गई सिफारिशों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में उनका कार्यान्वयन किस तरीके से किया गया तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सहकारी आन्दोलन में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) दिनांक 17.8.1964 को श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में गठित "सहकारिता से संबंधित समिति" ने 31.8.65 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें मोटे तौर पर निम्नलिखित से संबन्धित है :—

1. समितियों की यथार्थता का मानदंड ;

2. सहकारी समितियों में निहित स्वार्थो से निपटने के लिए उपाय,

3. लेखा परीक्षा,

4. संसाधनों के संदर्भ में सहकारी आंदोलन की आत्म निर्भरता तथा राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना, और

5. आत्म निर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में सहकारी शिक्षा।

समिति की रिपोर्ट पर 1965 में हुए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों के प्रश्न पर भी 1969 में हुए मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था।

(ख) तथा (ग) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है; अतः समिति सम्मेलनों की सिफारिशों को राज्यों को समुचित कार्यवाही के लिए परिचालित किया गया। अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की जा चुकी है, जो सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है। अन्य सिफारिशों को राज्यों द्वारा विगत 18 वर्षों में विभिन्न मात्रा में क्रियान्वित किया गया है। उपरोक्त समिति द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन के कार्यों में काफी वृद्धि हुई है।

बहुमन्जिली इमारतों के विन्यास की पूर्वानुमति सम्बन्धित मुख्य इन्जीनियर के लिए जाने का प्रस्ताव

4214. **श्री एन. सेलवा राजू** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में हाल ही में अनेक बहु-मंजिली इमारतें ढ़ह गई हैं जिसके कारण अनेक व्यक्ति मारे गये और सम्पत्ति का नुकसान हुआ , और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव है कि बहु मंजली इमारतों के प्रस्ताव की अनुमति केवल इसी स्थिति में दी जाये कि उसका विन्यास और डिजाइन सम्बन्धित मुख्य इन्जीनियर (भवन) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो और जिसके लिए व्यक्तियों और संगठनों को उसके लिए पृथक रूप से निर्धारित शुल्क का भुगतान किया गया हो ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी :

दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक प्रशासन अधिकारी की पदोन्नति के लिए सेवा अवधि

4215. **श्री अनवार अहमद** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में सहामक प्रशासन अधिकारी को प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए कितनी न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है,

(ख) क्या वर्तमान कुछ प्रशासन अधिकारियों को सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि या परिवीक्षा अवधि पूरी करने से पहले पदोन्नत कर दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और मानदंड क्या है और उन्हें छूट देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, दिल्ली दुग्ध योजना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं । इसके न हो सकने पर ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस ग्रेड में कुल मिलाकर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी और अध्यक्ष के प्रथम निजी सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में कुल मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना में वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी । इस मामले में भर्ती नियमों में कोई छूट नहीं दी गई थी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जदाहर लाल नेहरु पुरस्कार के लिए चयन का तरीका

4216. **श्री एम० अरुणाचलय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जवाहर लाल नेहरु पुरस्कार के लिए चयन का तरीका क्या है ;

(ख) वर्ष 1981 के लिए कितने लोग चुने हैं और उनका विवरण क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन लोगों को पुरस्कार दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जवाहर लाल नेहरू एवार्ड को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, एक निर्णायक समिति, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक (अध्यक्ष), अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कृषि/पशु विज्ञान के क्षेत्र में तीन अन्य उत्कृष्ट विज्ञानी हैं, अवाई- को पाने वालों के नाम का निर्णय करेगी, इस निर्णायक समिति की नियुक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा की जानी है।

(ख) वर्ष 1981 के लिए निम्नलिखित आठ विज्ञानियों का अवाई के लिए चयन किया गया :

1. डा० जी० जे० नरसिम्हा राव,
   आनुवंशिकी प्रभाग,
   केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान,
   कटक

2. डा० सन्त प्रकाश वर्मा,
   सह-प्राध्यापक (सस्य विज्ञान),
   हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
   पालमपुर

3. डा० शंकर दास खेपर,
   प्राध्यापक तथा प्रमुख,
   मृदा तथा जल अभियांत्रिकी विभाग,
   पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
   लुधियाना

4. डा० अशोक कृष्ण,
   कनिष्ठ विज्ञानी,

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय
अनुसंधान केंद्र, खंडवा (म० प्र०)

5. डा० एम० एस० राठौर,
सह-प्राध्यापक,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(शिमला)

6. डा० गोपा एम० मज्मदार,
"जई मई" 19 बी,
सेवाग्राम सोसायटी निरामपुरा,
बरोडे (इस समय अमेरिका में)

7. डा० जी० जीवर्घीज,
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
राष्ट्रीय विशाणु संस्थान,
पुणे

8. डा० सनवाल सिह सेनगर,
विज्ञानी (एस-1) पशु पोषण,
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर, उ० प्र०

(ग) यथा समय में होने वाले समारोह में इन विज्ञानियों को एवार्ड दिये जायेंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशु-प्रजनन वैज्ञानिक पेनल द्वारा विचार की गई नई योजनाएं

4217. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशु-प्रजनन वैज्ञानिक पैनल की 1983 में हुई प्रत्येक बैंक में जिन नई योजनाओं पर विचार किया गया, उनमें से प्रत्येक योजना का नाम, उसके मुख्य इन्वैस्टीगेटर पड़ताल कर्त्ता, प्रस्तावित स्थान, कुल तथा अनावर्ती मदों सहित पृथक-पृथक लागत; प्रस्तावित अवधि वैज्ञानिक कर्मचारी और उनका प्रस्तावित वेतन तथा उनमें से प्रत्येक के के बारे में पेनल की सिफारिश क्या थी किस-किस तारीख को वे मंजूर की गई और अनुसंधान कार्य कब प्रारम्भ हुआ ; और

(ख) 1.1.1980 से 8.12.83 तक हुई प्रत्येक बैठक में इस पेनल ने कितनी नई योजनाओं पर विचार किया, प्रत्येक बैठक में कितनी योजनायें स्वीकार कीं, कितनी नामंजूर की, कितनी

संशोधन के लिए वापस भेजीं, अथवा संशोधन के लिए विशेषज्ञों को भेजी तथा मंजूर की गई कौन-कौन सी योजनायें किस किस तारीख को आरम्भ की गई, प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है और आरम्भ की गई प्रत्येक योजना के मुख्य इन्वैस्टीगेटर का नाम क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ी योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

नियमित बनायी गयी कालोनियों के लिए, नक्शे तथा सुविधाएं

4218. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार क्षेत्र में नियमित ननायी गई कालोनियों के लिए नक्शे को अन्तिम रूप देने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या कारण हैं और क्या इस प्रकार की योजनाओं को तैयार करने, इन कालोनियों को विकसित करने तथा उनमें सुविधाए प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) क्या इन कालोनियों पर लगाए जाने वाले विकास शुल्क के बारे में कोई निर्णय लिया गया है,

(घ) क्या समुचित सड़कों, सीवर व्यवस्था आदि का अभाव होने तथा वर्षा के दौरान पानी भरजाने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, और

(ड) यदि हां, तो क्या इस समय में कोई व्यय अनुमान तैयार किया गया है तथा इन कालोनियों में विकास सम्बन्धी कार्य कब शुरु किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) (घ) तथा (ड) नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में सड़कें, मलनिर्यास, जल पूर्ति, नालियां आदि जैसी सेवायें मुहैया कराने की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस समय यह दिल्ली विकास प्राधिकरण में तैयार की जा रही है। इसी बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को अनुदेश दिए गये हैं कि निर्धारित विकास प्रभारों के भुगतार पर तधा सम्नन्धित स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत मौलिक सुविधायें मुहैया करा दी जायें । तथापि अवधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण या विकास के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण या उनका विकास लाभ भोगियों द्वारा विकास

प्रभावों के भुगतान पर निर्भर करेगा ।

(ग) सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विकास प्रभार जो दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने निर्धारित किए हैं; वे नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के निवासियों द्वारा दिए जायेंगे । विकास प्रभारों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

निर्माण और आवास तथा आपूर्ति और प्रीत नगर समितियों से ऊपरी टैंक आदि की लागत के रूप में वसूल की गई राशि

4219. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण आवास और आपूर्ति मंत्रालय की सहकारी ग्रह निर्माण सोसाइटी लिमिटेड से केन्द्रीय ऊपरी टैंक की अनुपातिक लागत और ट्रक आउटफाल सीवर, जिससे इस समिति की कालोनी को जोड़ा गया है, की लागत के रुप में कितनी धनराशि वसूल की गई है, और

(ख) क्या इसके लिए प्रीतनगर सोसाइटी से भी कोई धनराशि वसूल की गई है और यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तिलहनों के उत्पादन में स्थिरता

4220. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष तिलहनों की सैकड़ों नई किस्में निकाले जाने के बावजूद जिसके बारे में अधिक उपज देने का दावा किया जाता है, 1970 से तिलहनों के उत्पादन में पूर्ण स्थिरता है,

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार घोर असफलता तथा उत्पादन में स्थिरता के कारणों का पता लगाने के लिए दावा की गई उपज सहित सभी नई किस्मों की एक एकीकृत सूची रखेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तिलहन के उत्पादन में पिछले कुछ समय से वृद्धि होना शुरु हो गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1970-71	96.30
1981-82	121.90
1982-83	105.50

वर्ष 1983-84 के दौरान तिलहन के उत्पादन की अच्छी संभावना है। विशेषकर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों में आदानों की समय से आपूर्ति तथा मूंगफली तोरिया एवं सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के लिए मूल्य समर्थन तथा उन्नत किस्मों की लोकप्रियता सहित विस्तार कार्य सम्बन्धी उपायों के कारण उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है।

(ग) तिलहनों की उन्नत किस्मों की उपयुक्तता और औसत उपज के साथ विभिन्न राज्यों के लिए तिलहन की उन्नत किस्मों की सूची पहले से ही उपलब्ध है तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न जारी है।

दूध का अनुमानित उत्पादन

4221. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (4 से 11 दिसम्बर) के "वीक" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए दूध के अनुमानित उत्पादन पर गंभीर शंका व्यक्त की गई है जिसे राज्यों से लिए जाने का दावा तो किया जाता है पर वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्राक्कलनों से भिन्न है (30वें राउण्ड 1975)

(ख) क्या यह सच है कि श्वेत क्रांति। और 2 की दूध उत्पादन में असफलता को छिपाने, 4 महानगरों के जागरूक नागरिकों को प्रसन्न रखने तथा हमारे सहकारी समितियों की सफलता दिखाने हेतु कुछ चहेती ग्रामीण डेरियों को भी खुश रखने के लिए परियोजना प्रस्ताव के विरूद्ध उपहार में प्राप्त दूध उत्पादों के आयातों को बढ़ाया जा रहा है, और

(ग) क्या सरकार दूध के उत्पादन में प्रयोग किए गए तरीकों पर विचार करने तथा उनके मंत्रालय तथा उसके तकनीकी खंड, और डेरी बोर्ड द्वारा बनाए गए प्राक्कलनों को देखने के लिए निष्ठावान अर्थशास्त्रियों का एक अध्ययन दल गठित करेगी ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शाहदरा, दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

4222. श्री **दयाराम शक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० बी० डी० शाहदरा में जिन दस सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को जमीन आवंटित की गयी थी, डी०डी० ए० ने उनमें से पांच सोसायटियों को अभी जमीन का कब्जा नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन सोसायटियों को खाली जमीन का कब्जा किस तारीख तक दिए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार उत्तर निम्नलिखित है:—

(क) तथा (ख) 10 सहकारी ग्रुप आवास समितिया, जिन्हें सी० बी० डी० शाहदरा में भुमि आबंटित की गई थी, में से दिल्ली विकास प्राधिकरण 6 समितियों को कब्जा नहीं दे सका। उन समितियों के नाम तथा उन्हें कब्जा न दिये जाने के कारण नीचे दिए गए हैं

क्र० सं०	समिति का नाम	कारण
1.	नव रचना सहकारी ग्रुप आवास समिति	स्थल पर अतिक्रमण
2.	विवेक सहकारी ग्रुप आवास समिति	—वही—
3.	लाइन्स सहकारी ग्रुप आवास समिति	—वही—
4.	वसंत सहकारी ग्रुप आवास समिति	—वही—
5.	गोल्डन सहकारी ग्रुप आवास समिति	—वही—
6.	निर्माण सहकारी ग्रुप आवास समिति	—वही—

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे ही प्लाटों का अतिक्रमण हटा दिया जायगा, सम्बन्धित समितियों को स्थल का कब्जा सौंप दिया जाएगा।

कीटनाशी औषधियों का आयात

4223. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का आयात किए जाने से वित्तीय और अन्य किस्म का घाटा हुआ है और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग किये जाने से भारी नुकसान हुआ है, और

(ख) क्या कृषि उत्पादन में कमी आने के कारण अधिक मात्रा में आयात करने से आर्थिक नुकसान हुआ है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस देश में कृषि के उद्देश्यों के लिए कीटनाशियों की कुल मांग का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग देशी उत्पादन से पूरा किया जाता है। देशी उत्पादन में वृद्धि के साथ हाल वर्षों के दौरान आयात स्तर घटता गया है

विकसित और कई विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में कीटनाशियों का प्रति हैक्टार उपयोग अभी भी काफी कम है। सिर्फ उन्हीं उर्वरकों जो जैविक क्षमता और सुरक्षा की जांच के उर्वरक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

अन्य आदानों की भांति कीटनाशी कृषि उत्पादनों मुखी नहीं हैं और इसलिए उनका उपयोग आवश्यकता पर आधारित आदान के बतौर फसल उत्पादन की क्षमता को बरकरार रखने के लिए किया जाता है।

डी० डी० ए० द्वारा पाकेट ए-II कालका जी एक्सटेंशन बिना विकास/सुविधाओं के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का कब्जा देना

4224. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री कालकाजी में बने दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों में ढांचा सम्बन्धी तथा अन्य कमियों के बारे में 21 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 984 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पाकेट ए-11 कालकाजी एक्सटेशन में निम्न आय वर्ग के मकानों का कब्जा आबंटितों से मकान का लागत वसूल करने के 16 महीने बाद दे रही है और वह भी क्षेत्र के बिना कोई विकास किए ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के लिए भी बिजली की सप्लाई के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण और "डेसू के बीच कोई विवाद है ;

(ग) क्या इन क्वार्टरों में पानी और बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं लगाए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ड़) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी इन आबंटितों से, संतोषजनक कार्य किये जाने और सभी सुविधायें दे दिए जाने के लिए उन्हें पत्र/वस्तु सूची की कोई प्रतिलिपि दिए बिना कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालकाजी में 192 निम्न आय वर्ग फ्लैट 24.3 82 को लाटरी निकाल कर आबंटित किए गए थे तथा आबंटन एवं मांग पत्र जुलाई, 1982 के अन्त तक सभी आबंटियों को इस अनुरोध के साथ कि किराया खरीद आधार वाले मामलों में एक माह के भीतर तथा नकद आधार वाले मामलों में दो माह के भीतर भुगतान कर दें, जारी कर दिए गये थे।

तथापि, यह देखा गया था कि फ्लैट सभी प्रकार से पूर्ण नहीं थे। तदनुसार ब्याज रहित भुगतान के लिए और अधिक समय मंजूर करते हुए पार्टियों को स्थगनपत्र जारी कर दिये गए थे।

क्योंकि फ्लैट सभी प्रकार से पूर्ण 31.8.83 तक किए गए थे अतः यह भी प्रस्ताव किया गया कि उन्हें 31.8.83 तथा स्थगन स्वीकृत किया जाय। जिन आवंटियों ने निर्धारित तारीखों के भीतर भुगतान कर दिया था उनकी जमा राशि पर अन्तरावधि के लिए ब्याज दिया जाएगा।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पार्किट में बिजली तथा पानी की सप्लाई उपलब्ध है।

(ङ) नहीं ; जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्ष्मीबाई कालेज के निकट सड़क के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद

4225. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीबाई कालेज के बराबर से होकर कालीदास रोड से अशोक विहार को जाने वाली सड़क के कब्जे के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के बीच कोई विवाद है और मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई है,

(ख) क्या इस विवाद के कारण सड़क की मरम्मत और रख-रखाव आदि नहीं किया जा रहा है वह बुरी दशा में है, और

(ग) सरकार उस मामले में कब तक निर्णय लेगी और प्राधिकारियों को सड़क की तुरन्त मरम्मत कराने के लिए निदेश देगी और यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के बीच सड़क के दखल के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसे दिल्ली नगर निगम अनुरक्षित कर रहा है।

(ख) रोजमर्रा का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तथा यातायात के योग्य है।

(ग) उपर्युक्त (क) में स्पष्ट की गई स्थिति की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को चावल की सप्लाई

4226, **श्री जी० भूपति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "दो रुपये किलो योजना" के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता पूरी करने के लिए चावल के आवंटन के बारे में खाद्यनिगम को कोई अभ्यावेदन दिया है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त अभ्यावेदन पर केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्राननिकी विभाग तथ खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि वे जनता के उन गरीब वर्गों, जिनके परिवार की आय 6000 रुपये प्रति वर्ष से कम थी। को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2/-रु० प्रति किलो की दर पर चावल की पूर्ति कर रहे थे। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 1983-84 में राज्य के अन्दर वसूल किए जाने वाले चावल में से केंद्रीय पूल से वर्ष में 19 लाख मी० टन चावल आबंटित करने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि वसूली पर निर्भर करते हुए और अंय राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चालू खरीफ वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश को को 10 लाख मी० टन से अधिक चावल आबंटित करना सम्भव नहीं हो सकता है।

भारत सरकार मुद्रणालय में पदों को रिलीज करना

4227 : **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री भारत सरकार मुद्रणालयों में पदों के रिलीज किये जाने के बारे में 25 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों में विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद कई वर्षों से नियम समिति में लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को समय पर रिलीज न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है और देश में बेरोजगारी पैदा नहीं करता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) तथा (ख) मानदण्ड समिति जिसने मानदंड निर्धारित करने से पहले विभिन्न वर्गों के पदों में पदों पर विचार किया, ने 711 पदों को समाप्त करने तथा 525 औद्योगिक पदों का सृजन करने की सिफारिश की थी। स्टाफ की छँटनी से बचने के लिए सरकार ने (i) फालतू पदों के पदधारियों को हटाने तथा (ii) पदों को चरणवद्ध रूप से सृजित/समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 1.2 1982 से 158 पदों का सृजन किया गया था और 233 पदों को समाप्त किया गया था। मान-दण्ड समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उर्वरकों में अपमिश्रण के मामले

4228. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने उर्वरकों में अपमिश्रण किए जाने के अनेक मामले आए हैं,

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये थे जिनमें उर्वरकों में से मिलावट पाई गई थी, और

(ग) कितने दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया था और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया था ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं तथा केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रयोगशाला में ग9548 नमूने विश्लेषित किये गये । विश्लेषण के उपरांत 4113 नमूने घटिया 18 नमूने ,मिलावटी पाये गये ।

(ग) 1992-83 के दौरान 335 मामलों में मुकदमे शुरू किये गये, 2621 मामलों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के तहत कार्यवाही की गई तथा शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई ।

राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपयोगिता

4229. **श्री माधव राय सिंधिया** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए किए गए अध्ययन से इस कार्यक्रम की उपयोगिता और कार्यान्वयन के बारे में कुछ समस्याओं का पता चला है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) विगत में किसी भी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए हैं कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 9 राज्यों में हाल ही में शुरु किए गए अध्ययनों के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन अब ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा गुजरात, तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों में किए जा रहे हैं ।

ीनी उद्योगों में क्षमता उपयोग और उनके द्वारा अर्जित लाभ

4230. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के कारखानों ने 1982-83 के सीजन में जून तथा रिकार्ड क्षमता का उपयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चीनी कम्पनियों ने पश्चिमी बंगाल सहित राज्य वार चीनी का कुल कितना शुद्ध मुनाफा कमाया ?

इलेक्ट्राननिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चीनी उद्योग ने 1982-83 मौसम के दौरान जून, 1983 के अन्त तक 81.80 लाख मीटरी टन चीनी का कुल उत्पादन किया था जबकि उसी तारीख को उनकी चीनी के उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता 65.67 लाख मीटरी टन थी। अतः 30 जून, 1983 को उपयोग की गई क्षमता की प्रतिशतता 124.56 प्रतिशत थी। चीनी मौसम 1982-83 हाल ही में समाप्त हुआ हैं । फैक्ट्रियों के लिए अपने लेखों को अन्तिम रूप देने, उनकी लेखापरीक्षा करवाने और अंशधारियों द्वारा उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। केवल उसके बाद ही फैक्ट्रियों के तुलन पत्र और लाभ तथा हानि के लेखे उपलब्ध हो सकेंगे ।

औद्योगिक एककों के समीप कृषि की उपेक्षा

4231. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस स्थिति से अवगत है कि वर्तमान औद्योगिक एककों और नए स्थापित हो रहे उद्योगों जिनमें रोजगार के काफी अवसर हैं, के आस-पास के क्षेत्रों में कृषि की उपेक्षा की जा रही है क्योंकि उद्योगों में काम करने से होने वाली आय की तुलना में कृषि के होने वाली आय कम पड़ती है, और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का किचार है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) यह सदा जरूरी नहीं है कि औद्योगिक इकाईयों, नई अथवा पुरानी, के आस-पास के कृषि क्षेत्र उपेक्षित हो जायेंगे। इसके विपरीत, उद्योगों अथवा औद्योगिक रूप से सकेन्द्रित क्षेत्रों के आस-पास का वातावरण अधिक गहन कृषि के अनुकूल है। ऐसी परिस्थितियों में अनेक किसान कम आय देने वाले धन्धों अथवा वाणिज्यिक फसलों के स्थान पर अधिक आय देने वाले अधिक सघन उत्पादन देने वाली जैसे कि सब्जियों फलों एवं चारे तथा डेरी और कुक्कुट पालन जैसे गौण व्यवसाय शुरू कर देते हैं। अनेक राज्य सरकारें अपनी याजनाओं में इन कार्यकलापों को प्रोत्साहन दे रही हैं । रोजगार के रूप में भी औद्योगिक रोजगार तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए श्रम की उपलब्धि में सदा विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि किसान परिवारों में बड़े पैमाने पर अपूर्ण रोजगार पाया जाता है।

महानगरीय क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम

4232. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार की देश में महानगरीय क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों की अनुमति

न देने की नीति है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं और यह नीति कब से लागू है,

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र में थाने जिले में भिवांडी के निकट, जो बम्बई महानगरीय क्षेत्र में आता है मांस प्रोसेसिंग यूनिट को वर्ष 1981 में डी० जी० टी० डी० द्वारा पंजीकृत किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो उस क्षेत्र में यूनिट की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ; और क्या बी० एम० आर० डी० की स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उद्योगों के विभिन्न दिशाओं में फैलाना और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना औद्योगिक प्रतिष्ठानों की औद्योगिक नीति और उनको लाइसेंस देने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्थान के सम्बन्ध में एक विशेष नीति का अनुसरण कर रही है। वर्तमान स्थानीय नीति के अन्तर्गत दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की मानक शहरी क्षेत्रों की सीमा के भीतर और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की म्यूनिसीपल-सीमा के भीतर नये एककों की स्थापना या वर्तमान एककों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती । ऐसा कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगीकरण करने और पहले से विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्रीयकरण रोकने के लिए किया गया है। हांलांकि उपरोक्त नीति का अनुसरण प्रतिष्ठापित क्षमता के इष्टतम उपयोग तथा देश में पर्याप्त और परिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा करने के दोहरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। फिर भी, सरकार कुछ छूट प्रदान करने की अनुमति देती रही है जिसमें उत्पादन के अनिवार्य स्वरूप और मात्रा मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किये बगैर उसी महानगरीय क्षेत्र के भीतर उत्पादन क्षमता को बदलना, किसी प्रकार के निवेश या ऊर्जा की अतिरिक्त मांग के बिना उसी वर्ग तथा लाईसेंसशुदा क्षमता के भीतर अधिक संख्या में औषध विनिर्माताओं के कार्यकलाप का निरूपण, बिना किसी अतिरिक्त क्षमता और पर्यावरण प्रदूषक किये बगैर दो या तीन पारियों में काम करके भरपूर मात्रा में विद्यमान मशीनरी का उपयोग, ३ दिसम्बर, 1977 से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करना आदि शामिल है।

उपरोक्त स्थानिक नीति में विविध प्रकार को स्वीकृत योजनाओं और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी एककों के सम्बन्ध में भी छूट दी जा सकती है।

उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिन्हें लाइसेंस देने के उपबंधों से छूट दी गई है और जिन्हें लाइसेंस देने के उपबंध से छूट दी गई है और जिन्हें तकनीकी प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है, के मामले में भी समय-समय पर सरकार की स्थानिक नीति के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) जी हां।

(घ) महाराष्ट्र सरकार के राज्य उद्योग निदेशक ने पंजीकरण के मामले की सिफारिश की है और यह भी प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित स्थान बम्बई नगर के मानक शहरी से बाहर था।

दूध के उत्पादन में वृद्धि

4233. **श्री भेरावदन के० गधावी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्वेत क्रांति आपरेशन फ्लड अभियान एक और दो के परिणाम-स्वरूप देश में दूध का उत्पादन बढ़ गया है,

(ख) क्या यह सच है कि इससे कारण शहरी क्षेत्रों में कुछ दूध की उपलब्धता बढ़ गई है और इससे दूध और उसके उत्पादों के मूल्य नियंत्रित हो गए हैं और इससे पशुपालन को बढ़ावा मिला है एवं किसान को भी आर्थिक रूप से फायदा हुआ है तथा साथ ही दूध का उत्पादन करने वाली प्राथमिक समितियां और दूध उत्पादक संघ सुदृढ़ हुए हैं और स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) क्या श्वेत कांति आप्रेशन फ्लड योजनाओं के अंतर्गत सहकारी दुग्ध डेरियों को दी गई सहायता से दूध और दूध के उत्पादों में कार्यरत गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा पशुपालकों और किसानों का शोषण भी रुक गया है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) विभिन्न केंद्रीय, केंद्र द्वारा प्रायोजित और राज्य योजनाओं, जिनमें आप्रेशन फ्लड कार्यक्रम भी शामिल हैं, के प्रभाव से 1971-72 से देश में दुग्ध के अनुमानित उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) बम्बई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की महानगनीय डेरियों के कुल सम्मिलित उत्पादन में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना का भी दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों के स्थिरीकरण पर प्रभाव पड़ा है। आप्रेशन फ्लड कार्य- क्रम में ऐसी डेरी सहकारी समितियों का सृजन करने की व्यवस्था है जिनका स्वामित्व और संचालन स्वयं दुग्ध उत्पादन करेंगे। इसने गांवों में उत्पादित दूध के लिए लाभकारी बाजार उपलब्ध कराया है और ग्रामीणों को अपने दुधारू पशुओं की बेहतर देखरेख करने की प्रेरणा दी है। अधिकाधिक संख्या में दुग्ध उत्पादक सहकारी डेरी समितियों की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और निजी व्यापारियों द्वारा शोषित किए जाने से बचाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करना

4234. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के कुछ विकास खंडों को इस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विकास क्षेत्रों के जिला वार नाम क्या हैं और इन विकास खंडों को इस कार्यक्रम में शामिल कब तक जायगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) और (ख) राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के 56 विकास खंडों को शामिल किए जाने का एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इसकी सिफारिशें प्राप्त होने तथा उनका अध्ययन किये जाने के पश्चात ही आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित विकास खंडों की सूची।

जिले का नाम	खंड का नाम
1. इलाहाबाद	1. कर्जना
	2. मेजा
	3. शंकरगढ़
2. गोंडा	1. बलरामपुर
3. लखीमपुर खीरी	1. लखीमपुर
	2. पासगांव
	3. मौहम्मदी
	4. मितौली
	5. गोला (खुम्बी)
	6. बेजर
4. चमोली	1. जोशीमठ
	2. कर्णप्रयाग
	3. गैरीसैण
	4. नारायण बनड़
	5. थराली
	6. पोखरी
	7. दसौली
	8. उखीमठ
	9. अगस्तमुनी
5. पौड़ी गढ़वाल	1. पौड़ी

1	2
	2. कोटा
	3. खिर्सू,
	4 पाबौ
	5. कलजीखाल
	9. थैलीसैंण
	7. लैंसडाउन
	7. डांगू
	9. ऐकेश्वर
	10. पोखड़ा
	11. वीरोखाल
	12. रिखड़ीखाल
	13. नैनीडांडा
6. टिहरी गढ़वाल	1. चम्बा
	2. थौलधार
	3. देवप्रयाग
	4. कीर्तिनगर
7. अल्मोड़ा	1. तकुला
	2. लमगढ़
	3. हवलबाग
	4. कपकोट
	5. गरुण-बैजनाथ
	6. चौखटिया
	7. त्रिखेत
	8. द्वारहाट
	9. भीखियासैंण
	10. स्यल्द
	11. साल्ट

1	2
8. पिथौरागढ़	1. कनालीछीना
	2. बेरीनाग
	3. धारचूला
	4. पिथौरागढ़
	5. गंगोलीघाट
	6. मुनस्यारी
	7. चम्पावत
	8. बड़कोट
	9. लोहपाट
	योग 56

जैन शुद्ध वनस्पति भटिंडा

4235. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैन शुद्ध वनस्पति, भटिंडा द्वारा वास्तव में वनस्पति का उत्पादन नहीं किया जाता और केवल अन्य उद्योगों के उत्पादों में चर्बी मिलाने का कार्य किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो इसका वास्तविक कार्य क्या है ?

(ग) क्या जैन शुद्ध वनस्पति के प्रबन्धकों द्वारा भटिंडा में एक सनातन धर्म कालेज चलाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों के बीच क्या कारण सम्बन्ध है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति अथवा किसी अन्य पार्टी की भटिंडा में कोई लाई-सेंसशुदा वनस्पति विनिर्माण यूनिट नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तीस्ता के जल का बटवारा

4236. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश के साथ तीस्ता ननी के जल के तदर्थ बंटवारा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया था ; और

(ख) मामले में अन्तिम निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) भारत और बंगलादेश ने यह मान लिया है कि तीस्ता जल का बटवारा करने के लिए गहन वैज्ञानिक अध्ययनों की आवश्यकता होगी और इस बात पर सहमति हुई है कि उन अध्ययनों को 1985 के अन्त से पूर्व कर लिया जाए। इन वैज्ञानिक अध्ययनों के पूरा किये जाने तक शुष्क मौसम के दौरान तीस्ता जल का तदर्थ बटवारे के बारे में मित्रता एवं अच्छे पड़ौसी की भावनाओं के आधार पर सहमति हुई थी।

(ख) इन वैज्ञानिक अध्ययनों को पूरा करने के बाद ही तीस्ता जल के बटवारे पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

दालों के उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट

4237. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में दालों के उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है ;

(ख) भारत में दालों के उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा क्या है और देशों की तुलना में यह कितना है ; और

(ग) हमारे देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए दालों में प्रोटीन का समुद्र स्रोत होने के कारण, इनकी खेती को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। देश में दालों के उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वर्ष 1981 से वृद्धि हो रही है।

(ख) ये विवरण संलग्न हैं (1) वर्ष 1980 से भारत और प्रमुख उत्पादक देशों में दालों का उत्पादन ; और (2) भारत में 1980 से प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता। किसी जिन्स की प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी अवधि के दौरान उत्पादन, निर्यात, आयात, स्टाक में परिवर्तन आदि और जनसंख्या पर निर्भर करती है। उपर्युक्त सभी मदों पर जानकारी न उपलब्ध होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का अन्दाजा लगाना संभव नहीं हो सका है।

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) सिंचित खेती पद्धति में दालों की फसलों की खेती शुरू करना ;

(2) रबी के मौसम में शेष नमी का लाभ उठाकर चावल की परती भूमि में और गर्मी

के मौसम में तिलहनों, गन्ना आलू और गेहूं के बाद सिंचाई की सहायता से उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना ;

(3) सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाओं में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली की फसलों में अरहर की अन्तर्वर्ती फसल उगाना ;

(4) उन्नत दालों के बीजों का संवर्धन और उपयोग करना ;

(5) पोद संरक्षण उपायों को अपनाना ;

(6) फास्फेट युक्त उर्वरकों और रिजोनियम कल्चर का उपयोग करना ;

(7) मूल्य निर्धारण और दालों के विपणन सहित सार्वजनिक नीतियां ;

(8) कटाई के बाद सुधरी प्रौद्योगिकी ; और

(9) सिंचित और वर्षा दोनों क्षेत्रों में विभिन्न ब्लाकों में "दाल फसल ग्रामों" का आयोजन करना ताकि श्रेष्ठ उपलब्ध जानकारी के आधार पर दाल की फसलों के उत्पादन, वसूली और विपणन के लिए समेकित दृष्टिकोण का विकास किया जा सके ।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न राज्यों में गर्मी के मौसम वाली मूंग की खेती के लिए प्रयासों में तेजी लाई गई है । वर्ष 1983-84 के लिए लघु और सीमांत किसानों की सहायता के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में किसानों को उर्वरकों सहित दालों के 200 मिनीकिट सप्लाई किये जा रहे हैं ।

विवरण-I

विश्व और महत्वपूर्ण देशों में दालों का उत्पादन

(दस लाख मीटरी टन)

	1980	1981	1982	1983
विश्व	40.1	42.5	44.6	45.0
भारत	8.6	10.6	11.5	11.6
मैक्सिको	1.3	1.8	1.4	1.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.5	1.7	1.4	1.2
ब्राजील	2.0	2.4	3.0	2.4
सोवियत संघ	6.4	5.6	6.5	7.0
चीन	6.7	6.4	6.7	उ०न०

स्रोत: विश्व और "भारत को छोड़कर" अन्य देशों में दालों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी "फूड आउटलुक" से लिए गये हैं।

उत्तर न० = उपखब्ध नहीं।

विवरण-II

भारत में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता

वर्ष	किलोग्राम	वर्ष	ग्राम	दिन
1980	11.3		30.9	
1981)अनन्तिम	13.6		37.2	
1982 (अनन्तिम)	14.3		39.2	

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

4238. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री दिगम्बर सिह :

डा० कृपा सिंधु भाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता से राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना नामक एक नये प्रसार कार्यक्रम (अम्ब्रैला प्रोग्राम) की स्थापना के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम (एन० ए० ई० पी०) के कार्यान्वियन के लिए लगभग कुल 200 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ;

(ग) क्या नया राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्तमान पीसमील स्टेट-वाइज फार्म एक्सटेशन प्रोजेक्टस के स्थान पर होगा ;

(घ) क्या इस ससम 13 राज्य "लैब टू लैंड" कार्यक्रम से उचित कृषि प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए विश्व बैंक के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपने राज्यों में अलग-अलग परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं ; और

(ड़) राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम की सम्पूर्ति के लिए नए प्रहार कार्यक्रम (अम्ब्रैला प्रोग्राम) के मुख्य उद्देश्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की राशि के बारे में अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) यह उसका स्थान नहीं लेगा, अपितु 13 राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही चालू विस्तार परियोजनाओं को निरन्तरता प्रदान करते हुए उन्हें मजबूत बनाएगा।

(घ) जी हां।

(1) चालू परियोजनाओं में अनुभव किए गए अभावों और अपूर्णताओं को दूर करने के लिए 13 मुख्य राज्यों में चल रही विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति को बनाए रखना और उसे सुदृढ़ करना।

(2) कुछ राज्यों के बाकी बचे जिलों में पुनर्गठित कृषि विस्तार की स्थापना में सहायता देना और बागवानी, पशुपालन आदि के अन्तर्गत क्षतिरिक्त क्षेत्र लाना।

(3) विद्यमान परियोजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा के आधार पर व्यावसायिक कृषि विस्तार में महायक संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना और राज्यों के कृषि विभागों और विस्तार निदेशालय केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के संगठनात्मक ढ़ांचे को मजबूत बनाना।

(4) प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली के कुछ विशेष कार्यकारी घटकों जैसे प्रशिक्षण सम्बन्धी अवस्थापना आदि को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना।

महाराष्ट्र के गांवों के लिए पेय जल सुविधा का प्रावधान

4239. **श्री उत्तम राठौर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने गांवों में पेयजल की सुविधायें प्रदान की गई हैं, और कितने गांवों में अभी भी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं ; और

(ख) राज्य में इस समय जिन गांवों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं इनमें पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में पता लगाए गए कुल 12035 समस्याग्रस्त गांवों में से, सितम्बर, 1983 के अन्त तक 9428 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करके (जिनमें आंशिक कवरेज भी शामिल है) लाभान्वित किया गया है शेष 3507 समस्याग्रस्त गांवों को अभी भी लाभान्वित किया जाना है।

(ख) वर्ष 1983-84 में 3563 गांवों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है (जिसकी तुलना में सितम्बर, 1983 के अन्त तक 1509 गांवों को पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है) और शेष 1453 गांवों को 1984-85 में लाभान्वित किए जाने का का प्रस्ताव है। जल-

पूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैंऔर उसका कार्यान्वयन किया जाता है ।

केली सिंचाई परियोजना का निष्पादन

4240. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश की केली प्रमुख सिंचाई परियोजना के निष्पादन कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को उपर्युक्त प्रमुख सिंचाई परियोजना के निष्पादन हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन कार्य की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से केली बृहद सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट जिसकी अनुमानित लागत 17.91 करोड़ रुपए है, नवम्बर, 1979 में तकनीकी संवीक्षा तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हुई थी । इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी गई थीं । राज्य की वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में यह इंगित किया गया है कि केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना रिपोर्ट को आशोधित किया जा रहा है।

सिंचाई एक राज्य-विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान इस परियोजना के लिए किसी परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया है ।

बिजनौर चीनी मिल की पिराई क्षमता में वृद्धि किया जाना

4241. **श्री मंगत राम प्रेमी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजनौर चीनी मिल (उ० प्र० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट, बिजनौर) की पेराई क्षमता का प्रतिदिन 2500 टन से बढ़ाकर 4500 टन करने हेतु कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जानी है और उसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अलग-अलग योगदान कितना होगा ;

(ग) क्या इसके लिए भारतीय वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अनुमति अपेक्षित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि उसमें कोई कठिनाई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीव राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खेलों के लिए स्टेडियमों का उपयोग

4242. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :
श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के संवर्धन की दृष्टि से दिल्ली में खेलों की उचित व्यवस्था हेतु काफी स्टेडियम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने या खेलों के संवर्धन के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान इन स्टेडियमों का उपयोग कौन सी तारीखों को किया गया और प्रत्येक के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1983 के दौरान, खेल प्रयोजनार्थ दिल्ली में निम्नलिखित स्टेडियमों के उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7466/83]

1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
2. इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम
3. यमुना वेलोड्रम
4. तालकटोरा तरण ताल
5. तुगलकाबाद शूटिंग रेंजिस
6. तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम
7. शिवाजी स्टेडियम
8. नेशनल स्टेडियम
9. हौज खास लान टेनिस स्टेडियम

टेनिस में प्रदर्शन

4243. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड में हमारे घटिया प्रदर्शन के बाद टेनिस के बारे में पुनर्विचार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्कूलों में प्रायः कोचिंग सुविधा और प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है और विश्वविद्यलिय स्तर पर प्रतिभा का पता लगाने और उन्हें चुनने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जहां अन्य देशों में विश्व टेनिस टूर्नामैंटों में किशोर लड़कियां सराहनीय प्रदर्शन कर रही हैं हमारे देश में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है ; और

(घ) हमारे देश में भविष्य में टेनिस की संभावनानों में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए जायेंगे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत ने नवें एशियाई खेलों में टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता । अतः भारतीय टीम के कार्य निष्पादन को किसी भी दशा में निराशाजनक नहीं कहा जा सकता ।

(ख) से (घ) खर्चे और किशोर लड़कियों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए टेनिस को कोचिंग और प्रशिक्षण की स्कूलों में सुविधाएं सामान्यतः उपलब्ध नहीं है । अखिल भारतीय लान टेनिस एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में "प्रतिभा विकास कार्यक्रम" आरम्भ किया जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग में ऐसे लड़के और लड़कियों के चयन की परिकल्पना की गई है जिन्होंने निपुणता के कुछ स्तर को प्राप्त किया है और जिनमें चैम्पियन बनने की क्षमता है । इन लड़के और लड़कियों को योग्य प्रशिक्षकों के अधीन गहन कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिभा का पता लगाने और विश्वविद्यालय स्तर पर जनशक्ति का पता लगाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएसन लड़के और लड़कियों के लिए वार्षिक अन्तर विश्वविद्यालय टेनिस प्रतियोगियाएं आयोजित करती है । टेनिस टीमों सहित संयुक्त भारतीय विश्वविद्यालय टीमों को भी विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है ।

देश में बध किए गए पशु

4244. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980-81, 1982 और 1983 (अक्तूबर की समाप्ति तक) के दौरान कुल कितनी (एक) गाय, (दो) गौ-जातीय पशु (तीन) भेड़-बकरियां और (चार) सूअर बध किए गए ;

(ख) प्रधान मन्त्री द्वारा राज्यों (केरल और बंगाल को छोड़कर) के मुख्य मन्त्रियों को लिखे गए पत्र के परिणाम स्वरूप कितने राज्यों ने गौ-हत्या का संज्ञेय अपराध के रूप में शामिल करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है अथवा उपयुक्त विधान बनाया है ;

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1983 (अक्तूबर, अन्त तक) कितने जानवरों (2) गौ-मांस (3) अन्य जानवरों के मांस का निर्यात किया गया ;

(घ) देश में (एक) गौ-मांस (2) जानवरों की चर्बी का कुल कितना उत्पादन होता है और यह किस प्रकार किनको वितरित की जाती है ; और

(ड.) क्या सरकार "गौ-हत्या" को समवर्ती सूचि में शामिल करने पर विचार कर रही है जैसा की प्रधान मन्त्री ने स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे से बादा किया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्र की की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेपाल को बाढ़ के कारण हुई क्षति का मुआवजा

4245. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1983 में बाढ़ के कारण नेपाल के सीमावर्ती राज्य में हुई क्षति का भारत सरकार ने मुआवजा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) चूंकि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता सिर्फ भारतीय क्षेत्र में आई बाढ़ों से क्षति के लिए ही दी जाती है; अतः प्रश्न ही नहीं होता ।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

4246. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री चिन्ता मणि जेना :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री के० मालन्ना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर से आरम्भ होने वले आगामी चीनी सीजन में चीनी का उत्पादन 20 प्रतिशत कम हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो भारत 1981-82 से विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है ;

(घ) 1983-84 के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी रेड्डी) : (क) और (ख) 1981 और 1982 के पंचांग वर्षों के लिए विभिन्न देशों के बारे में उपलब्ध चीनी के उत्पादन के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 1981-82 मौसम के दौरान 84 लाख मी० टन का उत्पादन होने से भारत गन्ने की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश उभर कर सामने आया था। 1982-83 में भी 82 लाख मी० टन का लगभग रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया गया था और अन्य देशों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आशा है कि 1983-84 के चालू मौसम में चीनी का उत्पादन लगभग 75 लाख मी० टन होगा जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन से केवल लगभग 7 लाख मी० टन अथवा 8.5 प्रतिशत कम होगा।

(ग) और (घ) 1983-84 मौसम में चीनी के उत्पादन में अनुमानित गिरावट का मुख्य कारण सूखा पड़ने के फलस्वरूप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में गन्ने का अनुमानित उत्पादन तथा मौसम के प्रारम्भ में भारी मात्रा में पिछला बचा स्टाक घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात विषयक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगा। सरकार उत्पादन को वांछित स्तर तक बनाए रखने के उद्देश्य से चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करवाना सुनिश्चित कर रही है।

मध्य प्रदेश को ग्रामीण आवास के लिए धन का आवंटन

4247. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान कितना धन आवंटित किया गया ; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितने मकान बनाए गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) ग्रामीण आवास योजना राज्य क्षेत्र में है और केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए सीधे धनराशि नहीं देती है। तथापि, केन्द्रीय सहायता "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदान" के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध कमजोर वर्गों के लिए आवास की केवल दो योजनाओं नामत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थलों की व्यवस्था करना और नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने से है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए दोनों योजनाओं की उपलब्धि इस प्रकार है।

	आवास स्थलों की व्यवस्था करना	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग
1982-83	3.854	4,365
1983-84 (30.9.83 तक)	3.874	1,825

चावल का समर्थन मूल्य

4248. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को यह सूचित किया था कि वह इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा चावल के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य से 10 रुपये अधिक मूल्य देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार नें केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि राज्य सरकार केवल मिलिंग उद्योग और सहकारी समितियों से ही किसानों को धान की खरीदारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए मूल्यों से 10/—रु० प्रति क्विंटल से अधिक राशि देने के लिए कहेगी और इस सम्बन्ध में कोई अनिवार्यता नहीं होगी । क्योंकि धान की खरीदारी मूल्य समर्थन के अधीन की जाती है और मिल मालिक निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य अदा करने के लिए स्वतन्त्र हैं और भारत सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रस्ताव के बारे में कोई अनिवार्यता नहीं है। समर्थन मूल्य धान के लिए और न कि चावल के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

नई दिल्ली के जोन डी—11 व डी—12 में पट्टे पर ली गयी जमीन का पुनर्विकास

4249. **श्री के० राममूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के जोन डी - 11 और डी—12 के सरकारी तथा निजी तौर पर पट्टे पर ली गयी भूमि के एकीकृत पुनर्विकास के लिए दिशा—निर्देश प्रदान करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा गठित सरकारी कार्यदल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़) : (क) तथा (ख) जोन डी—11 और डी—12 में पट्टे पर दी गई सरकारी और गैर सरकारी भूमि के पुनर्विकास पर सरकारी कार्यकारी दल द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उस पर सरकारी निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस क्षेत्र में सामूहिक आवास के लिए लम्बित आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार, सिफारिशों और उस पर सरकारी निर्णय को भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाई है।

विवरण

कार्यदल की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1. अतः कार्यकारी दल का यह दृढ़ विचार है कि नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहाकार समिति की 1974 की रिपोर्ट में जिसमें सरकारी भूमि पर सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, इस क्षेत्र में गैर-सरकारी और सरकारी भूमि का सामूहिक आवास आधार पर पुनर्विकास करने के लिए तथा कार्यकारी दल द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त निष्पादनों के लिए आधार होना चाहिये। इससे यह लाभ हुआ है कि योजनाकारी या संरक्षकों को 1974 की रिपोर्ट के अन्तर्गत संस्तुलित निम्नतर पुनर्घनत्व आपत्तिजनक नहीं होगा।	स्वीकृत
2. अतः यह दल सिफारिश करता है कि जब भी सरकारी भूमि पर सामुदायिक सुविधाएं दी जाये, सामुदायिक सुविधाएं मुहैया करने के लिए अपेक्षित भूमि की सामयिक कीमत पट्टाधारियों से उनके भूखण्ड क्षेत्र के अनुपात में वसूल की जानी चाहिये। यह भुगतान भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा उन शर्तों में से एक शर्त के रूप में निर्धारित की जानी चाहिये। जिस पर पट्टे को बहु-मंजिला सामहिक आवास में बदलने की अनुमति हो। इसका निष्पादम निजी भूखण्ड क्षेत्र का लगभग 390 वर्गगज प्रति एकड़ हो।	इस शर्त के अनुसार स्वीकार किया कि निजी भूमि जिसे सामूहिक आवास में परिवर्तन किया जाने की अनुमति दी गई हो, प्रति एकड़ के लिए भूमि का 390 वर्ग गज के लिए परिवर्तन करने के प्रत्येक मामले में लागू निर्णायक तारीख की चालू रिहायशी दर पर परिवर्तन करने के लिए अनुमति देते समय सानुदायिक सुविधाएं देने के लिए अपेक्षित सरकारी भूमि के लिए ऊपरि प्रभार भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा पट्टाधारियों से वसूल किया जाए।

3. डिजाइन ग्रुप द्वारा संस्तुतित और इसके द्वारा कहीं भी किए जाने वाले विस्तृत निष्पादनों और इसकी अन्तिम सिफारिशों को निलम्बित करते हुए; 1974 की रिपोर्ट व्यापक ढांचे के रूप में तैयार होनी चाहिये जिसके आधार पर सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों द्वारा 20 रिहायशी एकक प्रति एकड़ और 75 का फर्शी क्षेत्र अनुपात के आधार पर सामूहिक आवास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके। तथापि, 1974 की सिफारिश में निर्धारित 45 फुट तक उंचाई प्रतिबन्धों के मामले में जहां नगरीय निष्पादन किए गए हैं और दिल्ली नगर कला आयोग ने उसका अनुमोदन कर दिया है, उन मामलों में 80 फुट तक की छूट दी जाए।

4. इसलिए सरकार दिल्ली प्रशासन को उपयुक्त नीति मार्गनिर्देशन जारी करे कि ग्रुप आवास योजना के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत ढील देते समय वे निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को लागू करें :—

(i) नई दिल्ली पुनर्विकास सलहाकार समिति की 1974 की रिपोर्ट और क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा लेने वाले निर्णय कि उन्हें भवन नक्शों के लिए नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली नगर कला आयोग से संशोधित स्वीकृत प्राप्त करें, के अनुसार पुनर्विकास होना चाहिये।

(i) उन सहकारी ग्रुप आवास नक्शों के मामलों में स्वीकृत जिनका दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि तथा विकास कार्यालय नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली नगर कला आयोग ने पहले ही अनुमोदन कर लिया है परन्तु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत ढील नहीं दी गई है।

(ii) जिस सरकारी भूमि पर सामूहिक सेवाओं की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है उसके लिए उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार हिसाब लगाई गई आनुपातिक लागत का भुगतान पार्टी को करना चाहिये।

(ii) ऐसे मामलों अनुपूरक मांग द्वारा भूमि तथा विकास कार्यालय को ऊपरी प्रभार वसूल करने चाहिए।

5. इसलिए इस कार्यकारी दल का विचार है कि विशेषज्ञय नगर आयोजकों, इन्जीनियरों, वास्तुकों, विस्तृत पुनर्विकास मामला नक्शे बनाने के लिए मुख्य वास्तुक के नियन्त्रणाधीन

नगर अभिकल्पकों इत्यादि के एक बहु उद्देश्यीय डिजाइन ग्रुप को सरकार द्वारा तत्काल ही मन्जूर करना चाहिये।

डिजाइन का सृजन कर दिया गया है। इन माडलों नक्शों के आधार पर कार्यकारी दल अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

6. यह दल मुख्य वास्तुक की सम्पूर्ण निगरानी के अन्तर्गत एक डिजाइन कक्ष के सृजन की सिफारिश करेगा इसकी क्षमता नहीं वही जो कि इससे पूर्व वाले कक्ष के लिए थी।

7. इस डिजाइन कक्ष को सर्वेक्षण, ड्राइंग तथा लिपिकीय स्टाफ द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता दी जानी चाहिये।

8. इस डिजाइन कक्ष को आरम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए बनाया जाना चाहिये और आवश्यकताओं के अनुसार इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।

9. यद्यपि, कार्यकारी दल द्वारा सुझाये गये डिजाइन कक्ष पर लगभग 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय होगा फिर भी यह लाभप्रद है और इस व्यय का प्रतिकार करने से तो त्वरित पुनर्विकास के रूप में यह व्यय करना लाभप्रद होगा।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

4250. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण अनेक लोगों को काफी कठिनाइयां हुई हैं और इससे शहरी भूमि के दुरुपयोग का भी अवसर मिला है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यदि आवश्यकता हुई तो सम्बद्ध राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के बाद शहरी भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कोई प्रभावी कानून बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा सभी संघ राज्यों क्षेत्रों में, 17 फरवरी, 1976 से लागू है। बाद में, इस अधिनियम को असम, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य ने अपना लिया था। इसके कार्यान्वयन की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं तथा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी संशोधन विधेयक पेश कर दिया जाएगा।

मिलावटी उर्वरकों की बिक्री

4251. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश उर्वरक डीलर मिलावट और घटिया किस्म के उर्वरक बेचने के दोषी पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। 1982-83 के दौरान विक्रेताओं विनिर्माताओं आदि से 39548 नमूने लिये गये और उन्हें राज्य तथा केन्द्रीय उर्वरक गुणवता नियन्त्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रयोगशालाओं में विश्लेषित किया गया। इनमें 4113 नमूने घटिया तथा 18 नमूने मिलावटी पाये गये।

(ख) 1982-83 के दौरान 335 मामलों में मुकदमा शुरु किया गया, 2621 मामलों में उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई तथा शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशियाई खेल गांव के फ्लैटों को अनिवासी भारतीयों को बेचना

4252. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव कम्प्लेक्स में बने कुल कितने फ्लैटों को अनिवासी भारतीयों और अन्यों को बेचने का विचार है ;

(ख) इन फ्लैटों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या इन फ्लैटों की बिक्री की जानकारी देने वाली पुस्तिका (ब्रोशर) और आवेदन पत्र बेचे गए हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की इन मकानों को बेचने की पेशकश के जवाब में कितने

उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

(ड.) कम संख्या में उत्तर मिलने के क्या कारण हैं ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है।

(क) 599 नवीनतम निर्णयानुसार ।

(ख) इनकी कीमत 720,000 रुपये से 15,65,600 रुपये के बीच है जो फ्लैट के आकार तथा टाइप पर निर्भर है । इनकी कीमत में जुडनारों, फर्नीचर, गैराज, सर्वेन्ट क्वार्टरों आदि जहां भी इनकी व्यवस्था है, की लागत शामिल है ।

(ग) इन फ्लैटों की बिक्री के लिए विवरणिका की बिक्री की जा रही है तथा विवरणिका को बेचने की अन्तिम तारीख 30.12.83 है ।

(घ) से (च) चूंकि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 30.12.83 है, इसलिए प्रतिक्रिया का कोई मूल्यांकन करना असामयिक होगा ।

महाराष्ट्र में केला और संतरा उत्पादकों को अधिक लाभ दिलाने की योजना

4253. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऽ

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ ने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में केला और संतरा उत्पादकों को अच्छा लाभ दिलाने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से राज्य में फलों के लघु उत्पादकों को क्या सहायता और लाभ मिलेंगे और यह कब तक लागू हो जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेपेड) के पास केला, सन्तरा और अन्य फलों के विपणन के लिए एक कार्यक्रम है । इस कार्यक्र म का महाराष्ट्र में भी विस्तार किया गया है ।

(ख) नेफेड के कार्यक्रम में ठीक तरह से श्रेणीबद्ध तथा पैक किए गए फलों की खरीद, गुण नियन्त्रण, परिवहन, शीतागार और दिल्ली में फलों की विपणन की व्यवस्था शामिल है ।

(ग) नेफेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होने के कारण राज्यों में अपने कार्यकलाप मुख्यत: स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से चलाता है । नेफेड उत्पादकों से केला और सन्तरे की

खरीद के प्रयोजन हेतु महाराष्ट्र में स्थानीय सहकारी समितियों के साथ काम करेगा । नेफेड के कार्यकलापों का उद्देश्य फल उत्पादकों को अच्छी आय प्रदान करना है ।

नारियलों के तेल कीमत में वृद्धि

4254. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नारियल के तेल के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) नारियल के नेल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने और बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे उपायों के अलावा, केन्द्रीय सरकार की नीति में मुख्य जोर उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है । नारियल के विकास से सम्बन्धित कार्य देखने के लिए एक नारियल विकास बोर्ड गठित किया गया है, जिसका मुख्यालय कोचीन में है । अल्पकालिक उपाय के रूप में, सभी दक्षिणी राज्यों को अप्रैल, 1983 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित पामोलियन का आवंटन बढ़ा दिया गया है ।

महाराष्ट्र में सन्तरा, केला और माल्टा आदि की लाभकारी कीमतें

4255. **डा० प्रताप वाघ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में सन्तरा, केला और माल्टा आदि के उत्पादकों को उपयुक्त कीमत वसूल करने में हो रही कठिनाईयों से अवगत है ;

(ख) उत्पादकों को बिचौलियो के शोषण और कदाचारों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) बम्बई, नागपुर, जलगाव तथा भुसावल में केले के थोक मूल्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के महीनों में केले के मूल्य गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक अर्थात 30 से 80 प्रतिशत तक अधिक थे। संतरे के संबंध में बम्बई से उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि अगस्त से अक्तूबर तक की अवधि में मूल्य गत वर्ष की तुलना में अधिक थे, परन्तु नवम्बर और दिसम्बर में वे गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हैं । 2 दिसम्बर के मूल्य सम्बन्धी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि बम्बई में अच्छे किस्म के 12 दर्जन सन्तरों का मूल्य 105 रुपए है, जबकि पिछले वर्ष इनका मूल्य 114 रुपये था ।

(ख) एक राष्ट्रीय बागान बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बागवानी के समेकित विकास के लिए उत्पादकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह बोर्ड उत्पादकों को कटाई के उपरान्त संभाल एवं विपणन सुविधाएं आदि प्रोत्साहन प्रदान करेगा ताकि उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

दक्षिणी बिहार में सिंचाई सुविधाएं

4256. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी बिहार सिंचाई के मामले में उपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप नवादा, नालन्दा, औरंगाबाद, गया, हजारीबाग आदि जिलों में प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन का नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना जिले के किसी क्षेत्र से गंगा नदी से इन जिलों के लिए नहर निकालकर सिंचाई की गारन्टी देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। योजना अवधियों के दौरान हाथ में लिए गए सिंचाई कार्यक्रम से दक्षिण बिहार में सिंचाई के सम्बन्ध में किसी की उपेक्षा का आभास नहीं होता है योजनाओं के दौरान हाथ में ली गई बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं को पूरा होने से अकेले ही 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

(ग) दक्षिण बिहार के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पटना जिले में गंगा नदी से निकालते हुए किसी नहर के निर्माण करने से संबन्धित कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध ब्लॉक

4257. **श्री मन मोहन टुडु :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उड़ीसा के कितने ब्लाकों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है ;

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने के लिए क्या कोई कनम उठाए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983-84 में कितनी धनराशि

आवंटित की गई है ; और

(घ) उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि की पुनरीक्षण के लिए जिन उपायों को करने का विचार किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 20.10.1980 से उड़ीसा के सभी 314 खण्डों में लागू कर दिया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचर्षीय याजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष प्रति खण्ड औसतन 600 परिवारों को लाना है।

(ग) 1983-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन का केन्द्रीय अंश 1256.00 लाख रुपये है। राज्य सरकार द्वारा भी इतनी ही धनराशि सुलभ की जानी है।

(घ) आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से, राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य के दौरे करके कार्यक्रम की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय दल ने 23 जून से 25 जून, 1983 तक उड़ीसा का दौरा किया था। इस दल के निष्कर्षों को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दिहाड़ी के मजदूरों की दरें कम करना और उन्हें नियमिता किया जाना

4258. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नैमित्तिक पेन्टरों, कारपेन्टरों आदि की दैनिक मजूरी हाल में 20 रुपये से घटा कर 16 रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य बातों के साथ-साथ उसी तारीख से अब से दैनिक मजूरी की दरे कम की गई हैं ; उन्हें बहाल करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिहाड़ी कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ;

(ड.) दिहाड़ी पर काम कहने वाले नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के क्या मानदंड हैं ;

(घ) क्या संसद भवन और संसदीय सौध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे नैमि-

त्तिक मजदूर हैं, जो दो वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके हैं, लेकिन जिन्हें अभी नियमित नहीं किया गया है ;

(छ) यदि हां, तो श्रेणीवार उनकी संख्या क्या है ;

(ज) उन्हें श्रेणीवार, किस तारीख तक नियमित कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : यह पता चला कि कार्य प्रभारित स्थापना के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्गीकरण का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कतिपय मण्डलों में पालन नहीं किया जा रहा था। मस्टर रोल कर्मचारियों की एक ही श्रेणी को भिन्न-भिन्न दरों से भुगतान किया जा रहा था। इसलिए कुशल व्यक्तियों के विद्यमान वर्गीकरण के अनुसार भुगतान में एकरूपता लाने के लिए सामान्य आदेश जारी किये गये थे। इसका स्वभाविक परिणाम यह हुआ कि एक ही मण्डल के कुछ वर्गों की भुगतान दरें कम हुई ।

(ग) जी, हां ।

(क) कुशल व्यक्तियों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्गीकरण को बदलने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है और इसलिए गलती से भुगतान की गई दैनिक मजदूरी दरों को पुनः देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ड.) दैनिक मजदूरी वाले व्यक्तियों की सेवाओं को नियनित करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं :—

(1) किसी कामगर ने पिछले दो वर्षों में लगातार कम से कम 240 दिन की सेवा की हो ।

(2) निर्धारित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

(3) अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतायें प्राप्त होनी चाहिए ।

(4) यदि कोई कामगर 1979 के बाद काम पर लगा हो तो उसका नाम—मूलरूप से रोजगार कार्यालय में भेजा हुआ होना चाहिए ।

(च) जी, हां ।

(छ) बेलदार — 60

अपहोलस्टर — 1

रंगसाज — 9

बढ़ई — 4

फिटर/ सहायक फिटर — 3

मैसन — 1

खलासी — 12

(ज) नियमितिकरण एक सतत प्रक्रिया होने के कारण पात्र मस्टर रोल कर्मचारियों को रिक्तियां होने पर नियमित किया जा रहा है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि में आत्म-निर्भर होना

4259 : **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं, अथवा करने का विचार है ;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ;

(ग) देश किस वर्ष तक आत्म-निर्भर हो सकेगा ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : (क) से (ग) खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर बल देना हमारी क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति को दी गयी उच्च प्राथमिकता के परिणामस्वरूप ही भारत ने कृषि उत्पादन में उत्कृष्ट प्रगति की है। वर्ष 1979-80 और 1982 को छोड़कर, जबकि घोर और दूर-दूर तक सूखा पड़ने के कारण उत्पादन में तेजी से गिरावट आयी थी, देश ने कुल मिलाकर खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। ऐसा केवल कुछ ही मामलों में हुआ है जबकि बफर स्यकमें वृद्धि करने के लिए खाद्यन्नों के कुछ आयातकी व्यवस्था करनी पड़ी। यह उपाय भविष्य में उत्पादन में कमी होने की संभावनाओं के प्रति खाद्य सुरक्षा और अत्यधिक मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से जरूरी होता है। खाद्यान्नों के वर्ग में, दलहनों से उत्पादन में वृद्धि की दर धीमी रही है और इसकी वृद्धि दर में सुधार करने की आवश्यकता है। गन्ने और कपास के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात भी कर रहा है। तिलहनों के मामले में, खाद्य तेलों की तेजी से बढ़ती हुई मांग के मुकाबले सप्लाई कम है, जिसे आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। तथापि, तिलहनों के अतारिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय करके इनके आयात को कम करने और यथाशीघ्र इसे बन्द करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। नये 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रमुख समस्याओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना है, जिन पर राष्ट्रीय दृष्टि से उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, सिंचाई के विस्तार, वारानी खेती के विकास दलहनों और तिलहनों के उत्पादन और वनरोपण के प्रयासों में तेजी लाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

कृषि और सहकारिता विभाग से सम्बधित कृषि मदों के मामले में हुई राज्यवार प्रगति अनुबन्ध 1 से 7 में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखे गए गये। देखिए संख्या एल० टी० 7467/83[

"रिजेंसी हयात होटल" की स्थापना के संबंध में शर्तों की पूर्ति

4260. **श्री बलवीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिजेंसी हयात होटल," "एशियन होटल लि०" ने स्थापना के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार द्वारा पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया है ;

(ख) क्या यह नियम और शर्तों का निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पालन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो समय-सीमा में कितना समायोजन किया गया ; और

(घ) यह देखने के लिए कि एशियन होटल लि० द्वारा इस सम्बन्ध में सभी सहमत नियमों और शर्तों का पालन किया गया है क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता

4261. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 में देश में रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष में उड़ीसा में अधिक खपत को बढ़ावा देने हेतु रासायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथः उन रासायनिक उर्वरकों को खेतों में उचित प्रयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा के लिए राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1983-84 की कुल निवल आवश्यकताओं का मूल्यांकन 102.60 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों के रूप में किया गया था । इसकी तुलना में देशी विनिर्माताओं तथा आयातित सामग्री से 106.91 लाख मीटरीटन पोषक तत्वों का आबंटन किया गया है । सभी राज्यों के लिए वास्तविक मांग की तुलना में वास्तविक उपलब्धि की सतत समीक्षा की जा रही है ।

किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित तथा दक्षता से प्रयोग करने के बारे में उन्हें विभिन्न विस्तार एजेंनियों के माध्यम में बराबर शिक्षित किया जा रहा है ।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

केशव मार्ग, गुरू रामदास नगर, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

4262. **श्री कुवंर राम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केशव मार्ग, गुरू रामदास नगर दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में 2 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु रामदास नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जे को खाली करा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक खाली करा लिया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण अतिक्रमणों को हटाया नहीं जा सका और कि इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समान्य प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए निर्माण कार्यों के टेके दिये जाना

4263: **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निविदाएं आमंत्रित किये बिना तथा निर्माण कार्यों के ठेके दिए जाने के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए मयूर बिहार (त्रिलोक पुरी) में "34-शीर्षक-मल व्ययन की अतिरिक्त सुविधाएं" के अन्तर्गत निर्माण-कार्य का ठेका किसी ठेकेदार को दिया था ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्यों का ठेका देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये बिना कल्याणपुरी के ब्लाक-19 तथा अन्य स्थानों जैसे जनता कालोनी, विवेक बिहार खिचड़ीपुर आदि में भी निर्माण कार्य का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है ;

(ग) यदि हां, तो निविदाएं आमंत्रित करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन किये बिना किन परिस्थितियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के ठेके दिए हैं ; और

(घ) इस मामले में आवश्यक औपचारिकताओं पर ध्यान न दिये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निर्जल भूमि में सिंचाई के बारे में सेमिनार

4264. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्जल भूमि में सिंचाई करने के बारे में नई दिल्ली में 24 नवम्बर, 1983 की आयोजित किए गए सेमिनार ने सरकार से कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंचाई सुविधाओं के निर्जल एवं अर्द्ध निर्जल क्षेत्रों में विस्तार किये जाते समय संमुख आने वाली विशिष्ट समस्याओं को प्रकाश में लाने की दृष्टि से तथा सिंचाई सुविधाओं से अधिकतम लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जा सकने वाली विकसित प्रोद्योगिकी की जांच करने के लिए "निर्जल भूमि में सिंचाई" पर 24 और 25 नवम्बर' 1983 को नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित की गई थी । इस सेमिनार में राज्यों के सिंचाई विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय सरकार के विभागों, अनुसंधान संगठनों तथा अन्य निकायों के बहु-विषयक विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया था । विचारों के आदान प्रदान एवं विषयगत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सम्बद्ध विषयों के दस्तावेजों पर विचार-विमर्श किए गए थे । सेमिनार ने कई सुझाव दिए हैं और सिफारिशें भी की हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

देश के निर्जल एवम् अर्द्ध निर्जल क्षेत्रों में भूतल तथा भूमिगत जल दोनों से सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन तथा कार्यान्वयन की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न सिफारिशें को भिन्न भिन्न केन्द्रीय विभागों, राज्य सरकारों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि द्वारा ध्यान में रखा जाएगा इस तरह से सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल कोई विशिष्ट कार्रवाई करनी अपेक्षित नहीं है ।

विवरण

1. निर्जल भूमि के लिए जल संसाधनों के उपयोग के आयोजन में, कृषि विकास के अतिरिक्त, पेय जल की आपूर्ति, सक्रिय स्टाक की आवश्यकता आदि जैसे खपत-योग्य जल के इस्तेमाल के लिए कई प्रतियोगी मांगों के बारे में पूर्ण रूप से विचार करना होगा ।

2. चूंकि भूमि एक इतना अधिक प्रतिबन्धक घटक नहीं है इसलिए दुर्लभ जल को सावधानी पूर्वक आवंटित करना होगा तथा जल अभाव की स्थितियों और उनसे निपटने की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे जल को अपव्यय किए बगैर उपयोग करना होगा ।

3. गहन सिंचाई के स्थान पर, यथा संभव अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने हेतु अधिक क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु बड़े पैमाने पर व्यापक सिंचाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

4. मध्यम कृषिगत प्रोद्योगिकी के साथ-साथ सेक्त्र (स्प्रिंकलर्स) तथा द्रप्स (ड्रिप) सिंचाई जेसे उच्च कोटि की सिंचाई प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए और जल के उपयोग के वास्ते ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध सरकारी सहायता के उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

5. बढ़ती हुई फसलों की नाजुक स्थितियों के दौरान फसलों कौ सिंचाई की सुविधा देकर कृषि उत्पादन में कोई विशेष कमी किए बिना यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

6. रेगिस्तानी क्षेत्र में जलमौसम-विज्ञान सम्बन्धी स्थितियों की जानकारी के लिए वर्षा-पात से संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसका प्रयोग उन उपयुक्त फसलों का चयन करने के लिए किया जाना चाहिए जिन पर सूखे का प्रभाव पड़ता है और जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है तथा उसका प्रयोग इस बात का निश्चय करने के लिए भी किया जाना चाहिए कि फसलों के लिए किस समय सिंचाई की व्यवस्था की जानी है।

7. फसलों की जल की आवश्वकताओं का वैज्ञानिक आधार पर हिसाब लगाया जाना चाहिए और सिंचाई के बीच अन्तरालों का हिसाब आर्द्रता प्रतिबल सिद्धांतों के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

8. राजस्थान नहर परियोजना चरण-एक से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान चरण-दो के लिए अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनायी जानी चाहिए।

9. प्रचालन सम्बन्धी उन्नत सुविधाओं के जरिए अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए जल की बचत करने के लिए तथा विकसित प्रवलनात्मक सुविधाओं के जरिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भी जल वितरण प्रणाली को पक्का करने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

10. दुर्लभ जल के बेहतर उपयोग के लिए कृषकों में आत्मनियंत्रण लाने हेतु रोटेशनल जल वितरण की व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

11. जल कीं कमी को ध्यान में रखते हुए पश्चप्रवाह का, जिसमें कुछ खारापन हो सकता है, उपयोग करके यदि इसे किफायती तौर पर विकसित किया जा सकता हो तो इसके लिए कृषि में जल के पुनः उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे खारे जल का सामाजिक वनरोपण तथा घासपात की फसलों के लिए जो जल की कुछ लवणता का समान उपयोग करती ,हैं ऐसा किया जा सकता है।

12. निर्जल क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के कारण होने वाले पर्यावरण प्रभाव को काफी अग्रिम रुप से मूल्यांकित किया जाना चाहिए तथा यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई को हाथ में लेने से पूर्व परियोजना रिपोर्ट का एक भाग होनी चाहिए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया जाए।

ग्रीन पार्क और साकेत में डी० डी० ए० द्वारा बनाए गए मकानों का मूल्य

4265. **श्री शिवसरण वर्मा :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री राम किंकर :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बनाए गये मकानों का मूल्य एक लाख पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है जबकि उसी क्षेत्र से थोड़ी दूर साकेत में इसी योजना के अंतर्गत बनाये गए मकानों का मूल्य डेढ़ लाख रुपये निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या साकेत में इसी योजना के अंतर्गत बनाए गए नए मकानों के मूल्य में फिर वृद्धि करने का विचार है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इन मकानों के निम्न स्तर और किस्म के कारण इनकी कीमतें कम करने का विचार है ;

(घ) क्या ग्रीन पार्क में इस योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान अधिकांशत: उन व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं, जो डी० डी० ए० में अथवा उसके सम्बद्ध कार्यालयों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उक्त तथ्यों की जांच करेगी और सदन को उसके परिणामों से अवगत कराया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जनकपुरी पाकेट "बी" में स्वयं वित्त पोषित फ्लैट

4266. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री जनकपुरी पाकेट "बी" में स्वयं वित्त पोषित फ्लैटों के बारे में 28 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन फ्लैटों के निर्माण में फरवरी, 1983 से वस्तुत: कोई प्रगति नहीं हुई है और यदि हां, तो कैसे और दिसम्बर, 1983 तक इन फ्लैटों को पूरा करने का आश्वासन किए आधार पर दिया गया था ;

(ख) क्या निर्माण में असाधारण विलम्ब और परिणामस्वरूप आवंटितियों को हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इन फ्लैटों के निर्माण में समय की हानि को पूरा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है और इन्हें किस समय तक आवंटितियों को सौंप दिया जाएगा ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1983 तक फ्लैटों को पूरा करने की संभावित तारीख फरवरी, 1983 में बताई गई थी जो शेष काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय का हिसाब लगाने और उस समय तक की गई प्रगति पर आधारित थी। बाद में, सीमेंट की सीमित सप्लाई और वजन की भारी कमी के कारण प्रगति धीमी हो गई।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के नोटिस जारी किए हैं। वे कब्जे के लिए फ्लैटों की पेशकश करने तक 2/1/2 से अधिक की अवधि के 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करेंगे।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ठेकेदार ने काम को दुबारा करना शुरू कर दिया है और शीघ्रतिशीघ्र काम पूरा कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं तथा आबंटन का प्रश्न काम पूरा होने के पश्चात् ही उठेगा।

अशोक विहार फेज, Iv में डी० डी० ए० के स्ववित्त घोषित फ्लैटों का निर्माण

1267. **श्री जुलफीकार अली खाँ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० का विचार अशोक बिहार फेज Iv में उन लोगों को आबंटन के लिए फ्लैटों के निर्माण का कार्य कब आरम्भ करने का है, जिन्होंने स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दो से तीन किश्तें जमा करा चुके हैं ; और

(ख) उक्त फ्लैटों का निर्माण पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का चरण-Iv , अशोक बिहार में फरवरी 1984 में फ्लैटों का निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटियों से केवल पहली और दूसरी किश्तें प्राप्त की हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि समय सूची के अनुसार एक साल के भीतर फ्लैटों का निर्माण किए जाने की आशा है।

पंजाब के फरीदकोट और मुक्तसर में जलस्तर का ऊपर उठना

4269. **श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के दो शहर फरीदकोट और मुक्तसर के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण धंस रहे है ;

(ख) क्या यह सच है कि जलस्तर में होने वाली इस वृद्धि से इन शहरों में रहने वाले लोगों के जान और माल के लिए खतरा पैदा हो गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बम्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने जलस्तर में वृद्धि को रोकने तथा इन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या कदम उठाए या उठाने का विचार है।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अभी हाल ही में फरीदकोट तथा मुक्तसर शहरों के आसपास भूमिगत जलस्तरों में लगातार वृद्धि होती पायी गई

है । इस वृद्धि होने का कारण भूतल सिंचाई प्रणालियों के द्वारा भूतल जल के अत्याधिक प्रयोग से है । जल स्तरों में सतत तथा असामान्य वृद्धि के कारण, यह देखा गया है कि भवनों की नीवे, सड़के तथा जल-निकास प्रणाली प्रभावित हुई है ।

(ग) पीछे हाल ही में राज्य जल-निकास, जनस्वास्थ्य लोक निर्माण-कार्य विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तथा पंजाव कृषि विश्वविद्यालय की एक समिति तथा पंजाब राज्य नलकूप निगम ने इस समस्या का अध्ययन किया है ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि मुक्तसर क्षेत्र में नहर सिंचाई को लागू करने के पश्चात भूतल जल का लगभग 600 मिलियन घन मीटर वार्षिक भूतल जल भूमिगत जल निकाय को रिचार्ज किया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप, भूमिगत जल स्तरों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है । इस जल स्तर की औसतन वृद्धि 0.7 मीटर प्रतिवर्ष लगाई गई है । अब जल स्तर भूमिगत स्तर से नीचे 6.17 से 5 मीटर तक रह गया है । मुक्तसर शहर के चारों और 10 किलोमीटर की दूरी में इस जल स्तर में वृद्धि के कारण 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है ।

फरीदकोट क्षेत्र में भी जल-स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखा गया है और 1978 में भूमिगत स्तर 3 मीटर तक नीचे था ।

(घ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तथा पंजाब सरकार के विभिन्न दलों की सिफारिशों के आधार पर, स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं । इनमें अधिक जल को नदियों में ले जाने के लिए विद्यमान ड्रेनों का विस्तार करना, उथले कुंओं का निर्माण करना तथा नहरों को पक्का करना शामिल है । जल तालिका को कम करने के लिए, 285 उथले कुंओं के निर्माण करने की सिफारिश की गई है जिसमें से पंजाब सरकार द्वारा 46 कुंओं को पहले ही प्रतिष्ठापित किया जा चुका है । विभिन्न उपचारी उपायों के कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप जल तालिका का प्रेक्षण करने हेतु फरीदकोट क्षेत्र में 290 तथा मुक्तसर के क्षेत्रों में 170 किलो मीटरों के निर्माण की योजना बनाई गई है ।

मछली पकड़ने के अभियानों में ईन्धन की खपत

4270. **श्री दौलतसिंह जी :** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गहरे ससुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के कार्य चालन व्यय लगभग 50 प्रतिशत व्यय ईन्धन तेल की खपत पर होता है ;

(ख) राज सहायता आदि के माध्यम से ऐसी लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ।

(ग) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) झींगा मछली के पकड़े जाने में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुये झींगा मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ड़.) गत दो वर्षों के दौरान झींगा मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) उन मत्स्यन जलयानों के लिए जिनकी लम्बाई 13.7 मीटर से कम नहीं है और जिनमें 150 हार्स पावर से कम के इन्जिन नहीं है, हाई-स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में रियायत देने के सम्बन्ध में एक योजना इस समय चल रही है । इस योजना में निम्न-लिखित व्यवस्था है :—

(1) डीजल पर उत्पदन शुल्क की 50 प्रतिशत की आम छूट, तथा

(2) निर्यात किए गए प्रत्येक एक टन झींगा मछली के लिए प्रत्येक 1.08 किलोलिटर डीजल पर उत्पाद शुल्क की 50 प्रतिशत और रियायत ।

चूंकि कुछ विशेष शर्तों सहित 100 प्रतिशत राहत पहले से ही उपलब्ध है, अतः इस योजना को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दिसम्बर, 1982 में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार श्रम्प ट्रालरों के अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ड.) सरकार मैक्सिकों से आयातित श्रम्प ट्रालरों के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण की अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष करने के लिए राजी हो गई है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बजट प्राक्कलन

4271. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बजट प्राक्कलन के बारे में 21 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसधान परिषद आयोजन के साधन के रूप में योजना बजट बनाने की प्रक्रिया को कोई महत्व देती है और आई० आई० एस० आर० लखनऊ, डी० टी० आर० आई० राजामुन्द्री, सी० टी० आर०, बम्बई, सी० आई आर० जी० मखदूम और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में भी 1982-83 में वास्तविक व्यय, योजना बजट और पुनरीक्षित प्राक्कलनों से अधिक होने के क्या कारण है और संस्थान में किन उप-शीर्षों में इस प्रकार व्यय अधिक हुआ है; और

(ख) 1983-84 में भी अगस्त और सितम्बर, 1983 तक अनुपाततः सी० आई० आर० जी० मखदूम में और इसी प्रकार सी० पी० सी० आर० आई० कासरगाड में अतिरिक्त व्यय जारी रहने के विरुद्ध भारतीय कृषि अनुसंसान परिषद के मुख्यालय ने क्या कार्यवारी की और प्रत्येक उप-शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि मन्जूर की गई थी और कितनी खर्च की गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भा० कृ० अ० प० विभिन्न संस्थानों की बजट योजना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देती है । अनुसंधान संस्थानों

के निदेशकों से मदवार विस्तृत आकलनों के प्राप्त होने पर भा० कृ० अ० प० के मुख्यालय में योजना बजट की पूर्ण रूप से संमीक्षा की जाती है । योजना आयोग द्वारा योजना आवंटन राशि पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात वित्तके अनुमोदन के साथ आकलनों को अन्तिम रूप दिया जाता है । वर्ष की अवधि के दौरान कई बार कुछ संस्थानों में व्यय समानुपातिक नहीं होता क्योंकि या तो भवन के आकलन जिनके लिए वजट में प्रावधान किया गया है, प्राप्त नहीं होते अथवा ऐसे उपस्कर जिनके लिए आदेश दिये जा चुके हैं, वे नहीं आ पाते । भा. कृ. अ. प. के मुख्यालय में विभिम्न समीक्षाओं के दौरान इस संभावित घटनाओं पर काफी ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और कुछ संस्थानों द्वारा की गई ऐसी बचतों को दूसरी संस्थानों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जाता है । इस संबन्ध में यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जबकि आवर्ती मदों जैसे स्थापना व्यय और फुटकर व्यय समानुपातिक होंगे, पूंजी मदों जैसे भवन और उपकरण समानुपातिक नहीं होगे, क्योंकि बाद वाले मदों पर सामान्य तौर पर वर्ष के दूसरे भाग में होते हैं । अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों की सलाह से संस्थानों की वास्तविक आवश्यकताओं पर संशोधित आकलन के समय पुन: विचार किया जाता है । संशोधित आकलन की स्थिति के संबन्ध में व्यय की प्रगति का प्रत्येक माह भा. कृ. अ. प. मुख्यालय में अनुश्रवण किया जाता है । संवीक्षा के दौरान यदि किसी संस्थान में बचत पाई जाती है तो उसे अन्य संस्थान की वास्तविक आवश्यकताओं देखते हुए उधर दे दिया जाता है ।

जैसा कि लोक सभा के दिनांक 21.11.1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 में पहले ही उत्तर दिया जा चुका है । भा. कृ. अ. प. के महानिदेशक निधि को एक संस्थान से दूसरे संस्थान को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए सक्षम है बशर्ते सम्पूर्ण स्वीकृत बजट आकलन से यह ज्यादा न हो ।

जैसा कि 1982-83 की योजना के अन्तर्गत व्यय स्वीकृत बजट आकलनों के अन्दर ही था, भा. कृ. अ. प. के संस्थानों के विरुद्ध स्वीकृत आकलन से अधिक व्यय करने के लिए कार्रवाही करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । वैसे भी भा. कृ. अ. प. एक स्वायत्त शासी निकाय है और ब्लाक ग्रान्ट प्रणाली पर कार्य कर रही है ।

उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण

4272. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री मध्य प्रदेश में गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए धन के आबंटन के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6787 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरूखाबाद और इटावा जैसे अविकसित जिलों के अब तक कितने गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है ;

(ख) उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 1000 से अधिक आवादी वाले दुया, महु नगरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की

व्यवस्था की गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) इस प्रकार की सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है ।

उड़ीसा की बाघालती मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देरी

4273. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का उड़ीसा सरकार से गंजम जिले में बाघालती मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या कदम उटाए गये हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है और परियोजना को लगाने के लिए व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय जल आयोग योजना आयोग से निर्धारित समय से उसकी स्वीकृति के लिए परियोजना रिपोर्ट कब देने जा रहा है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) उड़ीसा की राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग ने बाघलती परियोजना की तकनीकी जांच पूरी कर ली है और योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 1.12.83 को हुई उस की बैठक में इस पर विचार किये जाने के पश्चात् इस पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राज्य सरकार ने इस परियोजना को अपनी छठी योजना में सम्मिलित नहीं किया है ।

राज्यों के खेल मन्त्रियों का सम्मेलन

4274. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या खेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हुए राज्यों के खेल मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ; कितनी अस्वीकृत की गई हैं और कितनी विचाराधीन हैं ;

(ड़) उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) उक्त सम्मेलन में किन अन्य विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (च) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के खेल मन्त्रियों का एक सम्मेलन 1 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में हुआ था :—

(1) सम्मेलन ने खेल विभान द्वारा उसके समक्ष रखे गये राष्ट्रीय खेल नीति के संकल्प मसौदा पर कुछ संशोधनों सहित, विचार किया और उसका समर्थन किया ।

(2) सम्मेलन में सामान्यत: केन्द्र सरकार के भारतीय खेल प्राधिकरण को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया ।

(3) सम्मेलन ने खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना का सर्वसम्मिति से स्वागत किया ।

(4) सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में नामित 1985 से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का स्वागत किया और खेल विभाग द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सहमति से उपयुक्त ढंग से इस वर्ष को मनाने हेतु उठाये गये कदमों का समर्थन किया ।

(5) सम्मेलन ने सामान्यत: खेल विभाग से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति, द्वारा दिये गये इस सुझाव का समर्थन किया कि "खेल" विषय को राज्य सूची में से संविधान की समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया जाए । कुछ राज्यों ने इस पर असहमति व्यक्त की ।

2. सम्मेलन का उद्देश्य परामर्श तथा विचारों का आदान-प्रदान था और इसे मुख्यत: राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे पर विचार करने के लिए ही आयोजित किया गया था और उसने इस का समर्थन किया । सरकार ने पहले ही खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना कर दी है । सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना को भी स्वीकृत किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बकरी संस्थान में वैज्ञानिक कर्मचारियों में परिवर्तन

4275. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बकरी संस्थान में वैज्ञानिक कर्मचारियों में परिवर्तन के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4488 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन छह वैज्ञानिकों के नाम और प्रत्येक के पद क्या हैं, 1981 से 1982 तक जिनकी स्थिति बदली गई और वे कितने समय उस पद पर रहे तथा उनमें से प्रत्येक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेवा, संस्थान में आने के बाद तारीखवार कौन-कौन से पद पर रहा और जहां से उन्हें स्थानान्तरित किया गया उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बकरी संस्थान में किस पद पर स्थानान्तरित किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वर्ष 1981 से 30.6.1983 की अवधि के दौरान सी० आई० आर० जी० मखदूम में जिन वैज्ञानिकों ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया उनके ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

1981 से 30.6.83 की अवधि के दौरान सी. आई.आर.जी.में जिन वैज्ञानिकों के पदों में (स्थिति में) परिवर्तन हुए हैं उनको दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नाम और पद	पदनाम के साथ भा० कृ०अ० प० में नौकरी करने की तिथि	संस्थान का नाम जहां उन्होंने शुरू में नौकरी ज्वायन की	सी.आई.आर. जी. में ज्वायन करने की तिथि	सी.आई.आर जी. छोड़ने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा० बलदेव सिंह एस-1	1.2.77 एस-1	आई वी आर आई	1.2.77*	28.3.81	उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में पदोन्नति पर तबादला
2.	डा० रणजीत सिंह एस-1	1.1.77 एस-1	आई वी आर आई	1.1.77*	16.11.81	आई वी आर आई, इज्जतनगर में पदोन्नति पर तबादला
3.	श्री जे.एम.सूद एस-1	28.8.78 एस-1	आई वी आर आई	28.8.78*	22.11.82	आई जी एफ आर आई, झांसी में तबादला

1	2	3	4	5	6	7
4.	डा० बिशम्बर सिंह एस-1	31.8.77 एस-1	सीएसडब्ल्यू आर आई	17-11.81	अभी पद पर कार्य कर रहे हैं	सीएसड़ब्ल्यू आर आई से तबादला होने पर ज्वायन किया
5.	डा० (श्रीमती) पी. पी.भट, एस-2	7.4.72 सहायक प्रो० ए. जी. औरबी.	आई वी आर आई	6.7.82	—वही—	सहायक प्रो० ए जी एण्ड बी- 7.4.72 से 30.9.75 वैज्ञानिक, एस-1, : 1.10.75 से 30 6.78 वैज्ञानिक, एस-2, : 1.7.78 से 5.782 वैज्ञानिक,एस-2,सी आई आर जी, 6.7.82 से 7.6.83 वैज्ञानिक, एस-3, 8.6.83 से आज तक
6.	डा० बी. यू. खान, एस-3	31.12.79 सहायक ए. आई. आफिसर	आई वी आर आई	15.6.83	अभी पद पर कार्य कर रहे हैं	आई वी आर आई में सहायक ए. आई. प्रो० : 31.12.69 से 27.1.72 वैज्ञादिक, एस-1- आई वी आर आई, 28.1.72 से 30.6176

1	2	3	4	5	6	7
						वैज्ञानिफ, एस-2, आई वी आर आई, 1.7.76 से 14.6.83 वैज्ञानिक, एस-3, सी आई आर जी. 15.6.83 से आज तक

*संस्थान की स्थापना के समय ही उन्हें सी आई आर जी में तबादला कर दिया गया

संक्षिप्त नाम

सीएसडब्ल्यू आर आई	: केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसन्धान संस्थान
सी आई आर जी	: केन्द्रीय बकरी अनुन्धान संस्थान
आई वी आर आई	: भारतीय पशुचिकत्सा अनुसंधान संस्थान
आई जी एफ आर आई	: भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान

लिटिल अन्डमान में प्लाईवुड फैक्टरी

4276. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार फोरेस्ट प्लांटेशन एण्ड डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने जप्रैल, 1977 से कार्य शुरू कर दिया था और लिटिल अन्डमान में प्लाईवुड फैक्टरी स्थापित करने का इसकी योजना अभी तक फलीभूत नहीं हुई ;

(ख) क्या सरकार ने लिटिल अन्डमान में प्लाईवुड फैक्टरी लगाने का विचार त्याग दिया है, यदि नहीं, तो फैक्टरी कब स्थापित की जायेगी ;

(ग) क्या नार्थ अन्डमान परियोजना के लिए निगम ने अपना प्रस्ताव भेजा है और 1445 हैक्टर भूमि के वार्षिककारण की मंजूरी सम्बन्धी प्रस्ताव को पर्यावरण विभाग द्वारा 200 हैक्टर तक सीमित कर दिया गया है और ई० एफ० सी० मेमा को पुनरीक्षित किया गया है और 16-8-83 को प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की नई है ;

(घ) क्या सरकार ने नार्थ अन्डमान में उद्योग लगाने का विचार त्याग दिया है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है और यदि नहीं, तो परियोजना कब क्रियान्वित होगी, और

(ड) निगम के वर्तमान कार्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार प्लाईवुड फैक्टरी संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ग) उत्तरी अन्डमान परियोजना संबंधी संशोधित प्रस्ताव में सार्वजनिक निवेश बोर्ड के ज्ञापन के लिए परिवर्तन किया गया है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

(घ) जी नहीं । सरकार इस परियोजना पर विचार करेगी ।

(ड़) काष्ठ निष्कासन और इमारती लकड़ी का विपणन करना, प्राकृतिक तथा कृत्रिम पुनरुत्पादन बढ़ाना, रेड आयल पाम बागान शुरु करना कचल रबर बागानों का प्रबंध करना तथा अवस्थापन का विकास करना निगम के वर्तमान कार्य हैं ।

रेमुगर केन एवं शूगर कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

4277. **श्री अजित बाग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एण्डरेसन राइट एण्ड कम्पनी एम्पलाइज एसोसिएशन से 10 नवम्बर, 1983 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने रैमुगर केन एवं शूगर कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने का निवेदन किया था,

(ख) उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) राष्ट्रीयकरण करने संबंधी उनके प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. स्टाफ के वेतन का भुगतान न करना,

2. प्रबंध द्वारा तथाकथित किए गए कदाचारों की कुछ घटनाएं ।

3. कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी के चीनी यूनिट के कार्य की जांच करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को परामर्श दिया है । विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उन्हें दिए गए प्राधिकारों और शक्तियों के अधीन पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार इस मामले में और कार्रवाई करने की अत्यधिक अच्छी स्थिति में हैं ।

बैडमिन्टन टीम के चयन के बारे में शिकायतें

4278. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जैसे बम्बई मास्टर्स, थोमस का और कलकत्ता में ए० बी० सी० के लिए बैडमिन्टन टीम के चयन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस से प्राप्त हुई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिवेन्द्रम के एक निवासी से उनके पुत्र के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । यह उल्लेख किया गया था कि उसे भारतीय बैडमिन्टन टीम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह पूर्ति और दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ था ।

(ग) अभ्यावेदन भारतीय बैडमिन्टन एसोसिएशन के ध्यान में लाया गया था ।

एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक धन का प्रावधान

4279. **श्री रामसिंह यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1,50,000 लोगों को लाभ होगा और उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी ; और

(ख) क्या कार्यक्रम की प्रशंशनीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का उसके लिए अधिक धन उपलब्ध कराने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) :(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 15 मिलियन परिवारों को उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहायता पहुंचाना है ।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए मूल परिव्यय में वृद्धि करने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तुगलकाबाद, दिल्ली का विकास

4280. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो तुगलकाबाद के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां गांव तुगलकाबाद के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक विकास योजना तैयार की है परन्तु उसे अभी सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है । गांव के एक्सटेंशन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियनितिकरण नक्शा बना दिया है ।

(ख) विकास नक्शों में पंचायत घर स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, समाज सदन तथा विद्यालय स्थल इत्यादि जैसी सामूहिक सुविधाओं की चुनीदी व्यवस्था की गई है । तुगलकाबाद एक्सटेंशन का विकास, नक्शे के अनुसार विकास प्रभार प्राप्त हो जाने के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवास योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को धनराशि का आबंटन

4281. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि मांगी थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्माव आरिफ) : (क) योजना आयोग ने (पुलिस आवास सहित) आबास के लिए 1148.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया ।

(ख) राज्य सरकार ने निम्न प्रकार से 1335 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था:—

	(लाख रुपयों में)
1. आवास बोर्ड को ऋण	337
2. किरायेदारी आवास योजना	145
3. निम्न आय वर्ग आवास योजना	147
4. मध्यम आय वर्ग आवास योजना	8
5. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	22
9. लोक निर्माण विकास आवास योजनायें	220
7. वसूल न किये जाने वाले ऋण (बटटे खाते में डालना)	1
8. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	5
6. ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना	5
10. गृह निर्माण अग्रिम	320
11. पुलिस आवास	125

कालाहाडी, उड़ीसा में इंद्रावती परियोजना

4282. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापूरट में कालहांडी अपर इन्द्रावती वहुप्रयोजनीय परियोजना का कार्य प्रगति पर है ;

(ख) आज तक पूरे किए गये कार्य को प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में वर्षवार इस परियोजना के लिए कितना धन आबंटित किया गया ;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा धन दिये जाने से कार्य की प्रगति में तेजी आई है ;

(घ) यदि हां, तो कार्य की प्रगति सहित उसका ब्यौरा क्या है ;

(ड़) क्या प्रथम चरण में पूर्व प्रस्ताव के अनुसार दस हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपर इन्द्रावती बहुप्रयोजिनी प्रियोजना, जो 208.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा मई, 1978 में अनुमोदित की गई थी, पर निर्माण-कार्य किए जा रहे हैं ।

बांध पर अवसंरचनात्मक निर्माण-कार्य और भू-विज्ञान सम्बन्धी अंवेषण लगभग पूरे हो गये हैं । इन्द्राबती बांध पर 58% खुदाई-कार्य कर लिया गया है । बायी डाइक-तीन में 12%, दायी डाइक-एक का 38%, डाइक संख्या दो का 41%, हैड रेस सुरंग में 64% तथा बिजली घर का 34% मिट्टी का कार्य किया जा चुका है । बिजली से संबंधित कार्य भी आरम्भ किए गये हैं और वे प्रगति परहैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना पर हुआ व्यय, जिसमें बिजली के कार्य पर हुआ व्यय शामिल है, निम्न प्रकार है:—

	(करोड़ रुपये)
1981-82	13.61
1982-83	10.02

(ग) और (घ) हाल में, जून, में 1983 में इस परियोजना के लिए 156.00 मिलियन एस० डी० आर (170.00 मिलियन अमरीकी डालर) के क्रेडिट के लिए तथा विदयुत सेक्टर के अन्तर्गत 156.40 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार हुआ है। इस बहुप्रयोजनी परियोजजा के सिंचाई भाग के लिए भी विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव किया गया है और यह विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय वर्ष 1985 को पाइप लाइन में शामिल की गई है ।

विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध हो जाने के साथ, बैंक के साथ सम्मत कार्यक्रम के अनुसार राज्य द्वारा यह परियोजना क्रियान्वित की जानी होगी और इसलिए योजना से बाहर उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त धन का उपयोग करते हुए निर्माण-कार्यों में तेजी आ जाएगी ।

(ड़) और (च) परियोजना के पूर्ण हो जाने पर, इसमें 1.86 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है । अभी तक कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार को परियोजना केकिसी पहले सोपान के बारे में जानकारी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई सिंचाई संभावना के लिए केन्द्रीय धनराशि

4283. **श्री अरूण कुमार नेहरू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1984 तक बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई सम्भावना में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना उपयुक्त वित्तीय आबंटन किये जाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां । वर्ष 1983-94 (जुलाई, 1983 से जून, 1984 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में वृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों से 55,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है तथा उनके लिए परिव्यय की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी भी स्कीम या विकास के क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है ।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात करने हेतु राज्यों द्वारा किये गए प्रस्ताव

4284. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात करने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) क्या उनमें से किसी एक को अथवा सभी को अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने राज्यों ने ऐसी नौकाओं का आयात किया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) कारखाने में दो ट्रालरों के आयात के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी विकास निगम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था । मत्स्यन जलयान अधिग्रहण समिति ने मूल्य निर्धारण प्रमाण-पत्र और भुगतान के तरीके में कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है । राज्य सरकार इस मामले को आगे बढ़ाने में अब इच्छुक नहीं है, अतः यह मामला बन्द कर दिया गया है ।

उड़ीसा समुद्री और चिल्का क्षेत्र विकास निगम ने भी नीदरलैंड से दो झींग ट्रालरों के के आयात के लिए आवेदन पत्र दिया है । उन्होंने बाद में उन्हें आयात करने सम्बन्धी प्रस्ताव को वापिस ले लिया था ।

तमिलनाडु सरकार ने सितम्बर, 1983 में तमिलनाडु मात्स्यकी विकास निगम लि० द्वारा 23 मीटर के दो झींगा ट्रालरों और 25 मीटर के दो दुम्बाल ट्रालरों की खरीद के लिए केन्द्रीय

सरकार से अनुरोध किया था। तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह जलयानों का पूर्ण ब्यौरा भेजें। उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से नुकसान

4285. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न जिलों में जिलावार हाल की बाढ़ों से किस सीमा तक नुकसान हुआ है

(ख) क्या राज्य सरकारों को भूमि राजस्व, छात्र शुल्क और ऋण आदि की वसूली रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं : और

(ग) यदि हां, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में हाल की बाढ़ के कारण हुई क्षति की सीमा के जिलेवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-1 तथा विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं क्योंकि यह मामला केवल राज्य सरकार के प्राधिकरण में आता है।

विवरण -1

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित जिले

जिले का नाम	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	पूर्ण तथा आंशिक रूप में क्षति ग्रस्त मकानों की संख्या	मृतक मनुष्य	मरे पशु
1. गोंडा	4.58	1.00	—	1	—
2. बहराईच	7.16	1.97	14071	14	48
3. प्रतापगढ़	—	—	1	1	—
4. फैजाबाद	3.48	0.32	313	3	2
5. सुल्तानपुर	—	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	बाराबंकी	2.46	0.55	23976	—	12
7	आजमगढ़	1.04	0.20	76	—	—
8.	बस्ती	3.99	0.64	—	—	—
9.	देवरिया	0.90	0.12	182	2	—
10.	गोरखपुर	2.14	0.32	135	4	1
11.	बलिया	3.19	0.12	901	2	—
12.	गाजीपुर	3.73	0.17	17	8	21
13.	मिर्जापुर	3.83	0.36	—	8	25
14.	जौनपुर	0.19	0.005	—	—	—
15.	वाराणसी	1.50	0.19	15	10	—

विवरण-2

पश्चिमी विहार के बाढ़ से प्रभावित जिले

जिले का नाम	प्रभावित जन संख्या (लाख में)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हेक्टार)	पूर्ण तथा आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृतक मनुष्य	मरे पशु
1. मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण)	0.47	0.24	237	—	—
2. बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	1.48	0.20	6262	—	—
3. भोजपुर	4·77	0.43	310	— सूचना नहीं दी गई	
4. छपरा (सारन)	1.98	0.16	136	1	2
5. सिवान	0.27	0.05	100	सूचना नहीं दी गई	15

पेयजल की पूर्ति के लिए केरल को धन

4286. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केरल राज्य ने सारे राज्य में पेयजल पूर्ति की सुविधा के विस्तार के लिए दिए गए सारे धन का उपयोग किया है और अधिक धन की मांग की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जलपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण जलपूर्ति योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए राज्य क्षेत्रों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां दी जाती हैं। 1977 से राज्य के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए० आर० पी०) के अन्तर्गत भी निधियां दी जा रही हैं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, पेयजल पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु राज्य के पास अभी भी पर्याप्त योजना निधियां उपलब्ध हैं।

छठी योजनावधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपये की राशि तथा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 27,22 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करायी गई है। वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित नियतन निम्न प्रकार हैं:—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमनुोदित नियतन
1980-81	330.08	694.00
1981-82	523.53	676.00
1982-83	643.20	741.00
1984-84	1121.00 (अस्थायी नियतन)	711.80

इसके अतिरिक्त निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को 7.5 लाख रुपये की राशि दी गई है।

उपर्युक्त की तुलना में राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियां निम्न प्रकार है:—

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1980-81	3.28	3.82

1	2	3
1981-82	5.26	5.69
1982-83	6.41*	6.11*
योग	14.95	15.62

राजस्थान में जैलोर और बाड़मेर में सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र में नर्मदा नहर के स्तर के कारण पड़ने वाला प्रभाव

4287. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम राजस्थान के जैलोर और बाड़मेर जिलों में कम क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी यदि गुजरात राज्य सीमा में नर्मदा नहर का स्तर नीचा रखा जाता है ;

(ख) क्या पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा नहर का स्तर उंचा रखकर उपर्युक्त जिलों में अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने का विचार था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का नहर के स्तर को ऊंचा करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में राजस्थान राज्य की सिंचाई परियोजनों के लिए नर्मदा का 0,50 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया है जो नर्मदा पर गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना से निकालने वाली नवगाम नहर के जरिये राज्य की सीमा पर दिया जाना है। न्यायाधिकरण ने राजस्थान सीमा पर नहर का पूर्ण आपूर्ति स्तर 131 फुट होना भी नियत किया है। न्यायाधिकरण का पंचाट नर्मदा बेसिन वाले सभी राज्यों पर आबद्धकर है यह तदनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने केंद्र की राजस्थान सरकार को नर्मदा के आबंटित जल से सिंचित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों की वास्तविक मात्रा को इंगित करते हुए अभी एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

नकली बीजों के कारण अमरावती में फसलों को क्षति

4288. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने 22 अक्तूबर, 1983 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित उस समाचार को

*केरल सरकार द्वारा दिए गये 1982-83 के व्यय के आंकड़े अस्थाई हैं -

पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा बेचे कथित नकली बीजों को बोने से गुजरात के अमरावती जिले में फसलों को व्यापक क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के नकली बीज अन्य राज्यों में भी किसानों को सप्लाई किए गए हैं ; और

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार देश भर में इस प्रकार के मामलों की जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) :(क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि उन्हें महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक उत्पादक से संकर कपास-4 के बीजो के दो लाटों के कम प्रजनन होने की शिकायत प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार ने इस मामले में छानबीन की, नमूने लिए और पाया कि ये दो लाट कम प्रजनन वाले थे । ये बीज एक निजी उत्पादक द्वारा सप्लाई किए गए थे । गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड ने बताया है कि उन्होंने केवल प्रमाणीकृत बीज सप्लाई किए थे और उन्होंने महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी राज्य को न तो नकली बीज और न ही घटिया बीज सप्लाई किए ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बीजों की गुणवत्ता को लागू करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया है । अतः केन्द्र सरकार का इस मामले में जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राजपथ में गगंनचुंबी इमारतें

4289. **श्री ए० नीलालो हितदासन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजपथ के आस-पास गगन चुंबी इमारतें बनाने की अनुमति देने के उनके निर्णय पर हुई सामान्य प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है (हिन्दुस्तान टाइम्स 20 नवम्बर, 1983) ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां । तथापि, जोन-11 तथा डी-12 की सरकारी तथा निजीरूप में पट्टाकृत भूमि पुनः सघनीकरण के लिए उद्दिष्ट है तथा नई दिल्ली पुनर्विकास परामर्शी समिति ने भी 1974 तथा 1976 में इस विषय पर कतिशय रिपोर्ट प्रस्तुत की है । क्योंकि किसी अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अभाव में कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही थीं । सरकार ने एक सरकारी कार्यकारी दल की एक अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया था कि सामूहिक आवास के निलम्बित आवेदनों को 75 के फर्शी क्षेत्रफल अनुपात, 20 रिहायशी एकक प्रति एकड़ की सघनता, 20 प्रतिशत का

भूमि आच्छादन तथा 45 फीट की ऊंचाई के (उन मामलों में जहां दिल्ली नगर कला आयोग ने पहले ही 45 फीट से अधिक ऊंचाई भवनों को अनुमोदित कर दिया है, 80 फुट तक की छूट अनुमेय हैं । के आधार पर निपटाया जाए)। सरकार कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त ही जाने के बाद पुनर्विकास के लिए अन्तिम निर्णय लेगी ।

(ख) इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्कता नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र पहले ही बड़े भाग में 75 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा छोटे भाग में 60 व्यक्ति की एकड़ के आधार पर पुन: सघनीकरण के लिए उद्दिष्ट है ।

केरल में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक प्रभाग का खोला जाना

4290. **श्री ए० नीलालो हितदसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक विद्युत प्रभाग खोले जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) निर्माण महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ने दिनांक 3 सितम्बर, 1982, को एक आदेश जारी करके मद्रास में मद्रास सेंट्रल प्रभाग संख्या 3 को और त्रिवेन्द्रम में उपर्युक्त प्रभाग के उपयोग को बन्द कर दिया था ; और

(घ) यदि हां. तो उस आदेश के कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । मद्रास में केन्द्रीय विद्युत मण्डल 3 को बन्द करने और त्रिवेन्द्रम में एक विद्युत मण्डल खोलने के आदेश 1982 के कार्यालय आदेश संख्या 488 द्वारा जारी किए गए थे । बाद में मद्रास और त्रिवेन्द्रम में कार्यभार के पुनरीक्षण पर उपर्युक्त आदेशों को कार्यान्वित न करने का निर्णय लिया गया था ।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कार्यान्वयन

4291. **प्रो नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में

अधिग्रहण अधिनियम के कार्यान्वयन में कठिनाइयों की जानकारी है ?

(ख) यदि हां, तो यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण करने से इन्कार करने के मामले में केंद्रीय सरकार को रेल लाइन, डाक एवं तार स्थापनाओं जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु क्या शक्तियां प्राप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में उपयुक्त सरकार अर्थात संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन करने तुहे व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्य उनसे संबंधित केंद्र शासित क्षेत्रों में संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने हेतु राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। केंद्रीय सरकार यदि किसी मामले में ऐसा करना उचित समझें तो वह इन कार्यों का प्रयोग कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भण्डारण गोदामों का निर्माण

4292. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्नों के संग्रह के लिए गोदाम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ये गोदाम बनाये जाने की मांग की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय किये जाने की सम्भावना है और प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश की पंजाब और हरियाणा के साथ लगने वाले सीमा-क्षेत्र में दावों को ध्यान में रखते हुए इनके स्थानों के बारे में निर्णय लिया जायेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम का हिमाचल प्रदेश में चम्बा, कांगड़ा, शिमला, मण्डी और सोलन में गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भारतीय खाद्य निगम से उना जिले में स्थित गाग्रेट, हमीरपुर जिले के नादौन और बिलासपुर जिले के बिलासपुर अथवा स्वरघाट में गोदामों का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया था। निगम ने इस अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर विचार किया था और वह

इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि शाग्रेट और नादौन में गोदामों का निर्माण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बिलासपुर जिले में गोदामों का निर्माण करने विषयक अनुरोध निगम के विचाराधीन है और इस पर यथा सम्भव शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। गोदामों के लिए ठीक-ठीक स्थान के बारे में भूमि की उपलब्धता और अन्य परिचालन सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा।

वनरोपण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का आवंटन

4293. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धन के विशेष आवंटन के लिए पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के दांव पर जिसमें उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नए वनों को तैयार करने, विकसित करने और रोपण द्वारा अधिक बड़े क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में सहायता मिलेगी विचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी पहाड़ी राज्य द्वारा किस प्रकार की मांग की गई है और उन पर केन्द्रीय सरकार का क्या प्रत्युत्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार अधिक बड़े क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए स्वेच्छा से ऐसे कोई प्रोत्साहन प्रदान करेगी ?

कृषि मत्रालय में रज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) सरकार सामाजिक वानिकी की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पहले ही धनराशि आवंटित कर रही है। इसमें पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में हरी पट्टी का विस्तार करने तथा कमजोर हिमालयी पारिस्थितिकी का आरक्षण करने सम्बन्धी हिमालय (मृदा निगरानी कार्य) में ग्रामीण ईन्धन वृक्षारोपण तथा मृदा जल और वृक्ष संरक्षण भी शामिल हैं। 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत पहाड़ी राज्यों को 2026.42 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

आपरेशन फलड में कथित गड़बड़ी

4294. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर, 1983 के 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया" में "दी आपरेशन फ्लड व्हाइट लाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर हुई प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिया है, जिसमें देश के विभिन्न भागों में दूध के उत्पादन और वितरण में गम्भीर दुर्विनियोग और गम्भीर कदाचार और उसके परिणामस्वरूप देशवासियों के स्वास्थ्य पर हुए अत्यधिक गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आरोप लगाए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं, करने का विचार है या ये आरोप झूठे हैं ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। प्रत्यक्षतः यह प्रतीत होता है कि इस लेख ने सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, स्वतन्त्र रूप से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा उनके द्वारा क्रियान्वित की गई परियोजना की कार्य प्रणाली का कुछ विषेशज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाए।

डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली में पेयजल की कमी के बारे में अभ्यावेदन

4295. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री संतोष मोहन देव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैक्टर डी०" मन्दिर मार्ग, नई निल्ली (डी० आई० जैड० एरिया) की वेल-फेयर एसोशिएशन उस क्षेत्र में पेयजल की भारी कमी के बारे में उनके मन्त्रालय से अनुरोध करती रही है ;

(ख) क्या पहली और दूसरी मंजिल के निवासियों को सदैव पानी की भारी कमी बनी रहती है, क्योंकि सुबह दो बार केवल आधा घंटा पानी सप्लाई किया जाता है और कभी-कभी सुवह 9.00 बजे के बाद पानी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित प्राधिकारी मौके का आकस्मिक दौरा करेंगे तथा उस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को राहत के लिए किन्हीं उपचारात्मक उपाय की खोज निकालेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) मन्दिर मार्ग में टाइप "डी०" के क्वार्टरों के सभी तलों में प्रातः 4.00 बजे से 9.00 बजे तक चार घण्टे पानी मुहैयया किया जाता है और फिर दोपहर 11.30 बजे से 12.00 बजे तक आधा घण्टा के लिए तथा सायं 4.30 बजे से 9.00 बजे तक 3 1/2 घण्टे पानी मुहैयया किया जाता है।

(ग) आकमनिक दौरे किए जाते हैं।

मोटे अनाज का उत्पादन

4296. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान देश में मोटे अनाज का मदवार कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि मोटे अनाज के उत्पादन में प्रत्येक वर्ष में गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) . (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। मोटे अनाज के उत्पादन में वर्षानुवर्ष गिरावट नहीं आई है । मोटे अनाज अधिकतर वर्षा सिंचित परिस्थितियों में पैदा किये जा रहे हैं ; अतः उत्पादन में उतार-चढ़ाव मौसम तथा वर्षा की विभिन्नता पर निर्भर करता है।

(घ) मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उठाये जा रहे कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों तथा उन्नत बीजों को लोकप्रिय बनाना ;

(2) बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकीटों का वितरण ;

(3) उपयुक्त किस्मों के विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा उपयुक्त बारानी खेती की तकनीकों को अपनाना और उनका विस्तार करना। इनमें जल उपयोग तथा सूक्ष्म जल विभाजकों का विकास करना भी शामिल है।

(4) लाभकारी समर्थन। अधिप्राप्ति मूल्य आदि।

विवरण

मोटे अनाजों का अखिल भारतीय उत्पादन

(दस लाख मीटरी टन)

जिन्स	वर्ष		
	1980-81	1981-82	1982-83
ज्वार	10.43	12.06	10.68
बाजरा	5.34	5.54	5.13
मक्का	6:69	6.90	6.28
रागी	2.42	2.96	2.61
छोटे कदन्न	1.58	1,64	1.24
जौ	2.29	1.99	1.86
कुल मोटे अनाज	29.02	31.09	27.80

कुएं खोदने का कार्यक्रम

4297. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित कंए खोदने के कार्यक्रम को 1983-84 वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में शुरु करने का विचार है ,

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले प्रस्तावित राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम को गुजरात में भी शुरु किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो गुजरात के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है ; और

(ड़) 1983-84 में गुजरात में कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) राज्यों में खुदाई कुँओं के निर्माण का कोई विशेष केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है । तथापि, लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता के लिए, केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने 1983-84 के दौरान 250 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को स्वीकृत किया है । यह राशि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर-बरादर बांटी जाएगी । इस स्कीम के अंतर्गत प्रति ब्लाक 5.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से लघ् सिंचाई स्कीमों के लिए 3.50 लाख रुपए उपलब्ध किये जायेंगे, जिसमें खुदाई कुएं भी शामिल हैं ।

(ख) राजस्थान के अतिरिक्त, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस स्कीम को स्वीकार कर लिया गया है । दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने कार्यक्रम को स्वीकार किया है किन्तु इस स्कीम के लिए निधियों का आवश्यकता नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) गुजरात राज्य के सभी जिलों में इस स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ढ़) इस स्कीम के अन्तर्गत लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए गुजरात राज्य को 3.5 लाख रुपए प्रति ब्लाक की दर से 763 लाख रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है । केन्द्र का हिस्सा 381.50 लाख रुपए हैं । खुदाई कुँओं सहित, लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए गुजरात राज्य को जून तथा सितम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली पहली तथा दूसरी तिमाही के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 163.50 लाख रुपए की धनराशि की दो किस्तें दी जा चुकी हैं ।

गुजरात के कमी वाले क्षेत्रो में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ऋण

4298. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में पेय-जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऋण देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए कितनी राशि की मांग की गई है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) वर्षा ऋतु पूर्वावधि 1983-84 के दौरान सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता के अंग के रूप में अभावग्रस्त क्षेत्र में जलपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए गुजरात राज्य से केन्द्रीय सरकार के ऋण हेतु कोई अनु-रोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा बीजों की बिक्री

4299. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/ कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित "ब्रीडर सीडस" और 'सर्टीफाइड सीड्स' निजी फर्मो को बेचे जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो खरीददार फर्मों/व्यक्तियों का विवरण दर्शाते हुए पिछले तीन वर्षो के दौरान इस प्रकार की बिक्री का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस प्रकार की बिक्री के लिए कोई नियम मार्गनिदर्शी सिद्धांत लागू है और यदि हां; तो उनका ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इस पर ध्यान दिया गया है कि अच्छी किस्म के बीजों और "ब्रीडर सीडस" की कमी है जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम को पिछले वर्ष बीज के रूप में "करनाल बंट अफेक्टिड व्हीट" की बिक्री करना आवश्यक हो गया था, और

(ड) यदि हां, तो चावल के बीजों का निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) संकर परागित किस्मों के सिवाय भा० कृ० अ०प० के संस्थानों द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज को निजी फर्मो एजेंसियों को नहीं बेचा जाता है । भा० कृ० अ०प० के संस्थान प्रमाणित बीज का उत्पादन नहीं करते हैं । फिर भी, सम्ब-

न्धित राज्यों द्वारा तैयार किये गये मार्गनिर्देशनों के अनुसार महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निजी फार्मों को प्रजनक और मूल बीज बेचा गया।

(ख) महाराष्ट्र और राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निजी फर्मों को बेचे गये प्रजनक और मूल बीज का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) प्रजनक और मूल बीजों बेचने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा तैयार किये गये मार्ग निर्देशनों का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है। कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 जुलाई, 1983 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर निजी फार्मों को फसलों की संकर परागित किस्मों के प्रजनक बीज की बिक्री को और उदार बना दिया था (त्वरित संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है) (अनुबंध -3) [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल०टी० 7468/83]

(घ) जी नहीं, श्रीमान। मूंगफली और अरण्डी के सिवाय जिनकी संवर्धन दर कम है, अन्य प्रजनक बीज की कोई कमी नहीं है। रबी के दौरान वर्ष 1981-82 में विपरीत जलवायवीय स्थितियों के कारण गेहूं के बीज उत्पादन पर बुरा असर पड़ा रबी 1982-83 में बीज की मांगों को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने अच्छी क्वालिटी के गेहूं को खरीदा, जिसका उपयोग बीज उद्देश्य के लिए किया गया था। सम्बन्धित राज्य सरकारें इन गल्लों को खरीदने से पहले इनकी उपयुक्तता और करनाल बंट के होने की स्थिति से स्वयं को आश्वस्त कर लेती है। गेहूं के प्रमाणित बीज में सहिष्णुता की सीमा संयोग से 0.5 प्रतिशत है।

(ड़) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित निर्यात की वर्तमान नीति के अनुसार चावल के बीजों का खुला-आम लाइसेन्स के आधार पर निर्यात किया जाता है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भू: संरक्षण योजना के लिए राज सहायता की मंजूरी

4300. **श्री बाबूराव परांजपे :** क्या कृषि मंत्री अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भू-संरक्षण योजना के लिए राज सहायता की मंजूरी के बारे में 22 अगस्त, 983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4489 के उत्तर सम्बन्ध में मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1980 में मंत्रालय को भू-संरक्षण कार्य, वनरोषण और अनुरक्षण के लिए ऋण सुविधाएं लेने वाली वैयक्तिक तथा कोआपरेटिव सोसायटियों को राजसहायता मंजूर करने के बारे में अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

(ख) उनके मंत्रालय ने इस संबंध में पूरा प्रस्ताव भेजने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन का कब कहा था ;

(ग) पूरे प्रस्ताव में और क्या सूचना देने के लिए कहा गया है ; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से अनुरोध किया गवा था कि वे मई, 1981 तक पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ग) तथा (ग) समेकित प्रस्ताव के साथ चालू योजना के और ब्यौरे जून, 1983 में मांगे गए थे, जिन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने अक्तूबर, 1983 में प्रस्तुत किया। इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

4301. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना नामक, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त (अम्ब्रेला कार्यक्रम) प्रसार कार्यक्रम के पूरक के रूप में अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध किए जाने की आशा है ;

(ख) इन कार्यक्रमों के जरिए पैदा किए गए उत्साह को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को, जो अपना पंचवर्षीय कार्यक्रम पूरा कर चुका है, कितनी और सहायता उपलब्ध की जाएगी ; और

(ग) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत नए प्रसार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह मामला विश्व बैंक के विचाराधीन है, जो आजकल उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों तथा कृषि मंत्रालय विस्तार निदेशालय की उप-परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है।

(ख) उड़ीसा की राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की उप-परियोजना का विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) (1) चालू परियोजनाओं में अनुभव किये गए अभावों और अपूर्णताओं को दूर करने के लिए 13 मुख्य राज्यों में चल रही विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति को बनाये रखना और उसे सुदृढ़ करना।

(2) कुछ राज्यों में, जिन्हें अभी कृषि विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, पुनर्गठित कृषि विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करने में सहा- प्रदान करना।

(3) देश में बागवानी, जलप्रबन्ध बारानी खेती आदि जैसे अतिरिक्त क्रियात्मक क्षेत्रों को शामिल करना।

जल प्रबन्ध के लिए विश्व बैंक से सहायता

4302. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक में हाल ही में जल प्रबन्ध के क्षेत्र में कुछ पायलट परियोजनाओं में सहायता का वचन दिया है ;

(ख) क्या इनमें उड़ीसा की हीराकुंड भी शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब शुरु किये जाने की आशा है और इस परियोजना की मोटी रूप-रेखा क्या है और क्या इसे उड़ीसा सरकार के सुपुर्द किया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने हाल में जल प्रबन्ध के लिए सहायता देने का कोई वचन नहीं दिया है। तथापि विश्व बैंक के जल प्रबंध से सम्बन्धित दल ने कुछ परियोजनाओं का अध्ययन किया है जिनमें अपर कृष्णा परियोजना (कर्णाटक), हीराकुंड (उड़ीसा), नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश) और गुजरात की कुछ परियोजनाओं शामिल हैं और इस विषय पर एक विषलेषणात्मक दस्तावेज किया है।

उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भाग (ख) और (ग) के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भंडारण क्षमता में गिरावट

4303. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राज्य भंडागार निगम के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था और ब्यान दिया था कि योजनावधि के पहले तीन वर्षों में भंडारण क्षमता के लक्ष्यों में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में छठी योजना के दौरान केन्द्रीय भंडागार ,निगम द्वारा कितनी अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जा रहा है और इस उद्देश्य से किन स्थानों का चयन किया गया है यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा, खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) केंद्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के अखिल भारत सम्मेलन का 24 नवम्बर, 1983 को उद्घाटन करते समय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने बताया था कि भाण्डागार निगम छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए थे।

(ख) केंद्रीय भाण्डगार निगम ने अब तक उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बरहाम पुर में 10,000 मी० टन, पारादीप में 8,000 मी० टन, सम्बलपुर में 4,000 मी० टन, कटक में 3,700 मी० टन और पारादीप बन्दरगाह पर 2,000 मी० टन क्षमता का निर्माण किया है।

इसके अलावा, केंद्रीय भाण्डागार निगम की उड़ीसा में स्थित जयपोर में 5,000 मी० टन क्षमता का निर्माण करने की योजना है जिसके छठी योजना में पूरी होने की सम्भावना है।

ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को अनुदान

4307. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को, विशेषकर उड़ीसा को, ग्रामीण विकास के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(ख) इस राज्य में केंद्रीय अनुदानों के जरिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या राज्य में कुछ धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है या इसका अन्य कार्यों में प्रयोग किया गया है, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मंत्रालय के ग्रामीण के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बंटित राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाले विवरण (क) से (घ) तक संलग्न हैं।

(ख) उड़ीसा में कार्यान्वित किये जा रहे मन्त्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्षवार प्राप्त की गई प्रगति को दर्शाने वाले विवरण (ड़) से (छ) तक संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिए' एल० टी० 7469/83]

(ग) उड़ीसा में 1.4.1983 को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 65.50 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1341.14 लाख रूपये खर्च न किये गए अधिशेष के रूप में थे। राज्यों को, खर्च न किए गए अधिशेष को अगले वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इस मन्त्रालय के पास राज्य द्वारा अन्य प्रयोजनों हेतु किन्हीं निधियों का का उपयोग किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

भारत में वनक्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का सर्वेक्षण

4305. **श्री० जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में वन क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार प्लाईवुड उद्योग में सुधार की ओर पर्याप्त ध्यान दे रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्लाईवुड उद्योग सहित वन क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्लाईवुड उद्योग सहित वानिकी क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 2400 लाख मानव दिवस रोजगार सर्जित किया गया है।

"मशरूम काम्प्लेक्स" की स्थापना

4306. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी योजनाएं शुरू करने का है जिनके अन्तर्गत कुछ राज्यों में "मशरूम काम्प्लेक्स" स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या उड़ीसा में "मशरूम काम्प्लेक्स" की स्थापना के लिए ऐसी कोई योजना शुरू की गई है या करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उड़ीसा में "मशरूम" के विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्यों में मशरूम की खेती करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू करने के सम्बन्ध से इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और कर्नाटक राज्यों में नीदरलैंड के सहयोग से मशरूम की खेती का विकास करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

यमुना पार की कुछ कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम के अधीन लाया जाना

4307. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की यमुनापार की लक्ष्मीनगर शक्करपुर और इसकी निकट वर्ती कालोनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब ; और

(ग) क्या सरकार इन कालोनियों के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देगी ; यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) फिल-

हाल नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इन कालोनियों के विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा यथानिधारित विकास प्रभार नियमित अनधिकृत कालोनियों के लाभ-भोगियों द्वारा अदा किए जाने अपेक्षित हैं ।

राष्ट्रीय प्रसार परियोजनाएं

4308. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने किसानों की कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की राष्ट्रीय प्रसार परियोजनाओं के लिए 500 रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तकबनाए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि प्रसार परियोजना प्रस्तुत की है । परियोजना की कुल लागत को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है ।

पृथ्वीराज रोड, मानसिंह रोड और औरंगजेब रोड नई दिल्ली पर ग्रुप हाउसिंग कार्यक्रम

4309. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पृथ्वीराज रोड, मानसिंह रोड और औरंगजेब रोड, नई दिल्ली पर ग्रुप हाउसिंग कार्यक्रम के बारे में सरकारी कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या राजधानी में भीड़भाड़ को कम करने के बजाय यह इससे भीड़भाड़ और बढ़ेगी;

(ग) क्या इससे राजधानी की हरियाली नष्ट नहीं हो जाएगी ;

(घ) क्या सरकार उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) डी-11 तथा डी-12 जोन में सरकारी तथा निजी रूप में पट्टाकृत भूमि के पुनर्विकास पर सरकारी कार्यकारी दल द्वारा की गई उसकी अन्तरिम रिपोर्टकी सिफारिशों को सरकार ने मानलिया है कि उसकी

अन्तिम रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक इस क्षेत्र की सामूहिक आवास की निलम्बित अर्जियों को 75 के फर्शी क्षेत्रफल अनुपात, प्रति एकड़ 20 रिहायशी एककों की सघनता, 25 प्रति शत का भूमि आच्छावन तथा उस 45 फीट की उचाई उन मामलों में जहां दिल्ली नगर कला आयोग ने पहले ही भवन की 45 फीट से अधिक उचाई अनुमोदित कर दी +, 80 फीट तक छूट अनुमेय है) के आधार पर निपटाई जाएं ।

(ख) प्रश्नगत क्षेत्र में रिहायशी सघनता कम है अतः वृहद योजना में इन जोनों में क्षेत्र की पुनः सघनीयकरण के लिए बड़े भाग में 75 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा छोटे भाग में 60 व्यक्ति प्रति एकड़ की व्यवस्था है । अतः संकुलन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । क्योंकि वृक्षों वाले स्वरूप का संभाव्य अधिकतम सीमा तक अनुरक्षण किया जाएगा ।

(घ) तथा (ड़) उपर्युक्त (ख) से (ग) तक के उत्तरों की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुन्दरवन मत्स्य पालन परियोजना में गतिरोध

4310. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र से वित्तीय तथा अन्य तकनीकी सहायता के अभाव में सुन्दरवन मत्स्य पालन परियोजना को धक्का लगा है, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना, जो कि इस क्षेत्र के निवासियों के दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकानों का निर्माण

4311. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकानों के निर्माण सम्बन्धी छठी योजना में सम्मिलित योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

(ग) इस सम्बन्ध में केंद्र द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ;

(घ) क्या कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकानों के निर्माण का छठी योजना का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ; और

(ड़) यदि नहीं, तो कितनी कमी रह जाने की सम्भावना है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां। कमजोर वर्गों के लिए आवास के लिए दो योजनाए हैं अर्थात ग्रामीण भूमिहीन कामगरों के लिए आवास स्थल व निर्माण सहायता और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास। भूमिहीन कामगरों के लिए ग्रागीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना की 30.9.83 तक राज्यवार उपलब्धि संलग्न है (विवरण-1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की योजना के 1.4.82 से 30.9.83 तक के ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) छठी योजना में ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के लिए 353.50 करोड़ रुपये का 170 करोड़ रुपये आवास स्थलों के लिए तथा 183.50 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के लिए) और 485 करोड़ रुपये आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान करने का विचार किया गया है।

(घ) तथा (ड़) छठी योजना में ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत सभी 68 लाख परिवारों को आवास स्थलदेने का विचार है जो कि लक्ष्य है और कुल पात्र परिवारों में से 25 प्रतिशत परिवारों को निर्माण सहायता देने का विचार है। छठी योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (आवास) योजना का लक्ष्य 16.52 लाख एकक है। कमी के कारणों की जांच की जा रही है।

विवरण-I

भूमिहीन कामगरों के लिए ग्रामीण आवास स्थल एवम् निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत 30.9.83 तक की प्रगति।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास स्थल		निर्माण सहायता	
	छठी योजना का लक्ष्य	1980 से 30.9.82 तक उपलब्धि	छठी योजना का लक्ष्य	1980 से 30.9.83 तक उपलब्धि
1. आंध्र प्रदेश	11,10,000	9,02,628	4,60,000	3,68,411
2. असम	2,30,000	17,092	70,000	20,047
3. बिहार	16,00,000	60,263	6,00,000	40,777
4. गुजरात	2,00;000	2,83,563	1,53,000	98,472
5. हरियाणा	1,20,000	78,220	80,000	4,975
6. हिमाचल प्रदेश	नगण्य	730	—	747
7. रम्मू तथा कश्मीर	10,000	1,431	5,000	1,232

1	2	3	4	5
8. कर्नाटक	3,30,000	2,89,331	3,00,000	1,87,813
9. केरल	2,70,000	12,361	90,000	7,338
10. मध्य प्रदेश	3,50,000	46,4970	2,78,000	1,35,334
21. महाराष्ट्र	90,000	1,52,272	1,13,000	1,075,67
12. उड़ीसा	3,20,000	40,779	1,28,000	8,232
13. पंजाब	60,000	4,930	88,000	26,478
14. राजस्थान	1,90,000	2,32,768	2,35,000	42,164
15. तमिलनाडु	13,?0,000	10,47,980	4,60,000	91,872
16. त्रिपुरा	20,000	15,705	13,000	6,484
17. उत्तर प्रदेश	3,70,000	4,26,216	4,03,000	38,627
18. पश्चिम बंगाल	60,000	4,039	85,000	1,14,434
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	नगण्य	2,550	—	933
2. दादर तथा नगर हवेली	—	76	पूर्ण हो गई है	
3. दिल्ली	10,000	3,665	3,000	699
4. गोआ दमन तथा द्वीव	—	1,516	—	293
5. पाण्डिचेरी	10,000	4,687	3,000	4,203
योग—67,70,000		36,29,287	35,97,000	13,06,131

टिप्पणी:—मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम राज्यों और अरुणाचल प्रदेश लक्ष्य द्वीप तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। चंडीगढ़ में योजना के सम्बन्ध में प्रगति महत्वपूर्ण नहीं है।

विवरण-II

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना के अंतर्गत प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना का लक्ष्य	30-9-83 तक उपलब्धि	
		1980-81 तथा 1981-82	1-4-1982 से 30-9-83 तक
1. आंध्र प्रदेश	54,000	ब्यौरे मंत्रालय	15,639
2. असम	19,333	में सुलब्धता से	2,699
3. बिहार	68,133	उपलब्ध नहीं	10,581
4. गुजरात	1,06,267	हैं।	8,169
6. हरियाणा	41,767		2,297
7. हिमाचल प्रदेश	21,700		511
8. जम्मू तथा कश्मीर	10,000		110
8. कर्नाटक	96,867		15,078
9. केरल	69,333		19,519
10. मध्य प्रदेश	56.267		5,990
11. महाराष्ट्र	1,74,000		16,998
15. मणिपुर	8,133		—
13. मेघालय	5,800		88
14. नागालैंड	22,233		कोई योजना नहीं है
15. उड़ीसा	25,133		23,025
16. पंजाब	87,646		85
17. राजस्थान	38,867		12,120
18. सिक्किम	5,833		शून्य
19. तमिलनाडु	1,57,400		21,478

1	2	3
20. त्रिपुर	14,500	31
21. उत्तर प्रदेश	1'79,033	21,804
22. पश्चिम बंगाल	90,867	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	2,600	3
2. अरुणाचल प्रदेश	1,50,000	—
3. चंडीगढ़	—	134
4. दादर तथा नागर हवेली	—	—
5. दिल्ली	1,40,267	2,131
6. गोआ दमण तथा दीव	14'500	278
7. लक्षद्वीय	2,033	34
8. मिजोरम	—	—
9. पांडिचेरी	10,867	27
	16,52,379	1,78,750

दिल्ली दुग्ध योजना के घी की कमी

4312. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली दुग्ध योजना के घी की अत्यधिक कमी है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) उत्पादन बढ़ाने तथा कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस घी के निर्माण में आयात किया गया बटर आयल भी उपयोग में लाया जाता है ; यदि हां, तो किस अनुपात में ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के घी के निर्माण में और कन अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) अन्य किस्मों/ब्राण्डों के घी तुलना में दिल्ली दुग्ध योजना के घी का मूल्य कम होने की वजह से इसकी मांग अधिक है, जिसके फलस्वरूप इस समय दिल्ली दुग्ध योजना के घी की कमी है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना घी का उत्पादन निरन्तर बढ़ा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना कच्चे दूध से क्रीम निकाल कर घी बनाती है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

4313. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को जो अब तक प्रत्येक राज्यवार विस्तार कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है, अब नये राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किए जाने वाले नये कृषि विस्तार परियोजना कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और कृषि विस्तार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ी योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन इण्डोर स्टेडियम के कार्यकारी इन्जीनियर के विरुद्ध जांच

4314. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन इण्डोर स्टेडियम के कार्यकारी इन्जीनियर के विरुद्ध जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परिक्षक ने इण्डोर स्टेडियम में अलग-अलग तारीखों को निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था और उन्होंने कतिपय अनियमितताएं देखीं। जब कभी भी सतर्कता मामला हुआ, दिल्ली विकास प्रधि

करण के खतर्कता विभाग ने स्पष्टीकरण मांगे जिनकी अब उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

4315. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियों के सुधार के बारे में योजना आयोग के अनुदेशों पर ठोस कार्यक्रम के साथ एक योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों के सुधार पर अब तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं कि गन्दी बस्ती सुधार के लिए मंजूर की गई धनराशि को कुछ राज्यों ने रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया है और गन्दी बस्तियों में रहने वालों को स्थल सुधार कार्यक्रम का लाभ नहीं मिला है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) शहरी क्षेत्रों में मलिना बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक योजना में किये गये परिव्ययों से कार्यान्वित की जा रही है तथा इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट में कोई सहायता उपलबध नहीं है। मार्च, 1985 तक एक करोड़ मलिन बस्ती निवासियों को लाभान्वित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत 151.45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की बड़ी-बड़ी योजनायें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना के भाग के रूप में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मलिन बस्ती क्षेत्रों में जलपूर्ति, मल निर्यास बरसाती पानी की नालियां, सामूहिक स्नानग्रह तथा शौचालय, विद्यमान लेनों को चौड़ा करना तथा उन पर खड़ंजे बिछाना एवम् स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया की जाती हैं। छठी योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देकर महा नगरों में प्रवर्जन की गति कम की जा सके।

(ख) छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये गये व्यय तथा वास्तविक उपलब्धि का एक विवरण संलग्न है। (ग) जैसे कि भाग (क) में स्पष्ट किया गया है, यह योजना पूर्णरुपेण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जाती है ओर उसके लिए केन्द्रीय निधियों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, अनुमोदित वार्षिक योजना लक्ष्यों से भी अधिक मलिना बस्ती जनसंख्या के अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को देने के लिए केन्द्रीय बजट में 15 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावों के आधार पर चयनित राज्य सरकारों को 2.12.83 को तदर्थ आधार पर केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 404 लाख रुपये की राशि दी गई है।

विवरण

शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान योजना की प्रगति				वास्तविक उपलब्धि व्यक्तियों में वास्तविक व्यय/परिव्यय लाख रुपयों में			
		व्यय 1980-81	उपलब्धि	व्यय 1981-82	उपलब्धि	व्यय 1982-83	उपलब्धि	तीन वर्षों का योग 1980-83 व्यय	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	270.00	237973	290.80	267209	512.00	244829	1072.80	750011
2.	असम	—	—	10.00	5600	10.00	3600	20.00	9200
3.	बिहार	59.00	39260	40.00	26666	55.00	13929	154.00	79855
4.	गुजरात	41.00	103380	40.00	34346	60.00	57401	141.00	195127
5.	हरियाणा	20.00	उपलब्ध नहीं	80.00	27835	80.00	60210	180.00	33045
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	3000	5.00	3000	10.00	4000	20.00	10000
7.	जम्मू और कश्मीर	150.00	40000	119.00	50000	120.00	9000	389.00	99000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	कर्नाटक	80.86	23867	82.09	76000	138.00	82009	300.95	181876
9.	केरल	65·00	15334	65.00	14597	65.00	360	195.00	30391
10.	मध्य प्रदेश	51.27	34145	26·73	17802	124.49	84959	202.49	136906
11.	महाराष्ट्र	321-53	130473	447·42	106510	450.00	162655	1218.95	399633
12.	मणिपुर	.00	300	2.42	300	5.00	—	3.42	600
13.	मेघालय	3.83	2553	3.94	2027	3.00	1996	10.77	716
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	15.00	5000	15.00	7000	15.00	16350	45.00	28350
16.	पंजाब	19.00	53810	80.00	57242	80.00	74586	179.00	188638
17.	राजस्थान	60.00	12583	40.00	13769	70.00	48631	170.00	74980
18.	सिक्कम	1T00	1500	2.00	1500	3.00	2425	6.00	5425
19.	तमिलनाडु	234.53	उपलब्ध नहीं	291.77	429000	450.00	218740	946.35	647740
20.	त्रिपुरा	1.77	500	6.53	5000	10.00	4040	18.3	10340
21.	उत्तर प्रदेश	200.00	85500	200.00	129700	232.00	167549	632.00	382729
22.	पश्चिम बंगाल	625.02	220000	483.31	200000	400.00	40000	1508·33	460000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अन्डमान तथा निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	100.00	66000	200.00	13300	220.00	159000	520.00	358000
6.	गोवा, दमण और द्वीप	5.15	4900	8.10	5700	7.18	2200	19.43	12800
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	मिजोरम	—	—	—	—	8.90	6100	8.99	6100
9.	पाण्डिचेरी	6.00	6000	9.22	6000	8.00	16000	23.22	28000
	योग	2336.01	1086078	2517.33	1621200	3136.57	1480569	7989.91	4187847

कोलाघाट एकक (पश्चिम बंगाल) के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के ठेके

4316. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने 24 अप्रैल, 1982 को कोलाघाट एकक (पश्चिम बंगाल) के डी० पी० पी० साइड में पाइलिंग और पाइल कैप कार्य के लिए प्रत्येक दो करोड़ रुपये के दो ठेके (एक) मैसर्स टी० सी० एस० (दो) मैसर्स आई० सी० एस० पी० ठेकेदारों को दिये हैं ;

(ख) क्या इसमें नियमों का कोई उल्लंघन किया गया है और 72 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या इस मामले में कोई उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जैसा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है, उसने लगभग दो करोड़ रुपये के दो ठेके मैसर्स टेक्नीकल कंसलटेन्सी सर्विस तथा मैसर्स इण्डियन कंकरीट एण्ड स्टील पाइल प्रा०लि० को 16-4-1982 को दिए ।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और इससे निगम का कोई कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुआ ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में उर्वरक की कमी

4317. **श्री नवीन रावणी :** क्या कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में उर्वरक की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक की कमी होने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) देश की मांग और प्रत्येक राज्य की उर्वरक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) प्रत्येक राज्य की उर्वरक की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं । गुजरात में उर्वरकों की मांगें पूरी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं होता ।

(ग) राज्यों के परामर्श से राज्यवार तथा मौसमवार उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है। देशी उत्पादन के माध्यम से तथा पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के आयात की व्यवस्था करके इन मांगों को पूरा करने की व्यवस्था की गई है।

(घ) 1983-84 के लिए प्रत्येक राज्य की खपत के लक्ष्य के अनुसार उर्वरकों की आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 में खपत के लक्ष्य के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता

राज्य	(एन० पी० के लाख मीटरी टन में) 1983-84 में उर्वरक खपत का लक्ष्य
आन्ध्र प्रदेश	7.05
केरल	1.20
कर्नाटक	4.62
तमिलनाडु	4.90
गुजरात	4.60
मध्य प्रदेश	2.85
महाराष्ट्र	5.75
राजस्थान	1.80
हरियाणा	2.95
पंजाब	9.22
उत्तर प्रदेश	16.88
हिमाचल प्रदेश	0.23
जम्मू और कश्मीर	0.37
असम	0.20
बिहार	2.58
उड़ीसा	1.02
पश्चिम बंगाल	2.93
अन्य	2.25
योग :	72.00

आल इण्डिया ईस्टीइयूट आफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट नाम से चल रहा एक संस्थान

4318. **श्री मोम्हमद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साउथ एवन्यू, नई दिल्ली में आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट नाम से चल रहे एक संस्थान की ओर दिलाया गया है, जिसका नाम भ्रमित करने वाला है, क्योंकि राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों में एक 'लोकल सैल्फ गवर्नमेंट' विभाग है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) क्या किसी और संस्थान ने भी अपने में गवर्नमेंट शब्द जोड़ने की अनुमति प्राप्त की की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़) : (क) जी, हां,

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

पश्चिम बंगाल में बीमार चीनी यूनिटें

4319. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सभी तीनों चीनी यूनिटें बीमार हैं ;

(ख) यदि हां, तो यूनिटों की इस बीमार स्थिति के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है ; और

(ग) क्या सरकार इन यूनिटों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने को और उन्हें उनकी पूर्व स्थिति में वापस लाने में सहायता देने को तैयार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल चीनी उद्योग विकास निगम लि०, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिष्ठान है, के स्वामित्व में अहमदपुर और बेलडागा में नौ यूनिटें हैं । प्लासी में स्थित तीसरा यूनिट रामनुगर केन एण्ड शूगर कं० के स्वामित्व में है।

2. बेलडांगा के यूनिट ने कई वर्षों से कार्य नहीं किया है । 1982-83 के दौरान, दूसरे

दो यूनिटों ने निम्नलिखित कार्य किया है :—

	पिराई मौसम (कुल दिन)	पेरा गया गन्ना (मीटरी टन)	उत्पादित चीनी (मीटरी टन में)
अहमदपुर	127	45,502	3,814
प्लासी	121	62,161	5,250

3. उपलब्ध सूचनानुसार, चालू वर्ष के केवल अहमदपुर यूनिट ने ही गन्ने की पिराई का कार्य शुरु किया है ।

4: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दो यूनिट पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं । जहां तक तीसरे यूनिट का सम्बन्ध है, उनका प्रबन्ध अधिग्रहण करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

शहरी स्वच्छता के लिए केंद्रीय योजना

4320. **श्री अन्नत रामुलु मल्लु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर शहरी स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(घ) महानगरों में केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत बेहतर स्वच्छता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां ।

(ख) नगरीय स्वच्छता योजनाएं अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के संदर्भ में आरम्भ की गई हैं, जो कि 1981 से 1990 तक मनाया जा रहा हैं पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के लिए नगरीय जनसंख्या के वर्तमान 27 प्र० श० समावेशन के प्रति सरकार दशक के अन्त तक नगरीय स्वच्छता के बारे में 80 प्र० श० समावेशन की लक्ष्यप्राप्ति का विचार करती है ।

(ग) दशक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 3150 करोड़ रुपये (1980 के मूल्य स्तर पर की आवश्यकता होगी ।

(घ) स्वच्छता राज्य का विषय होने से प्रबोधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है ।

बी० आई० सी० पी० की सिफारिश के अनुसार चीनी के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगाना

4321. **श्री रेणुपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० आई० सी० पी० की सिफारिश की वैधता क्या है कि सीजन की कालावधि तथा चीनी की वसूली दर में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखे बिना चीनी के मूल्यों में वृद्धि को तीन वर्ष के लिए रोक दिया जाये ; और

(ख) क्या केवल गन्ने के मूल्य में वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है जबकि खाद्य फसलों के मूल्य बढ़ रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिक विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) :(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, जिसने चीनी उद्योग के लागत ढांचे के बारे में नये सिरे से अध्ययन किए थे, की सिफारिशों की जांच की जा रही है और सरकार को विभिन्न सिफारिशों के बारे में अपनी राय अभी कायम करनी है ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में इस समय कोई विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते हैं ।

भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों का वेतन ढाँचा

4322. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड में, भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे के समान बनाने की बजाय वर्कशाप कर्मचारियों के वेतन ढांचे के समान बना दिया गया है ;

(ख) क्या वर्कशापों में मरम्मत का काम भी होता है जबकि मुद्रण कार्य एक नया उत्पादन करने का कार्य है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक लाभ कमाना है और वह उत्पादकता से जुड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुद्रणालय कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करके उसे औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे के समान बनाया जाएगा ताकि मुद्रणालय कर्मचारियों को अन्याय से बचाया जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तृतीय वेतन आयोग ने इस तथ्य को नोट किया था कि द्वितीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों के दो मुख्य ग्रुपों को श्रेणी बद्ध किया था नामतः (i) हाथ से काम करने वाले कर्मचारियों एवं उनके पर्यवेक्षक

जिसमें मैकनिक, बिजली मिस्त्री, लोहार जो छपाई और अन्य मशीनों की देखभाल और मरम्मत करते हैं, जैसे कार्यशाला सम्बन्धी श्रेणियां और (ख) गैली प्रूफ-प्रेसमैन, मशीनमैन, कम्पोजिटर, लाइनों आपरेटर, मोटरो आपरेटर, जिल्दसाज आदि जो प्रेस में अलग-अलग कार्यों पर तथा बिभिन्न मशीनों के संचालन में कार्यरत है, जैसे प्रिंटिंग आपरेटर शामिल हैं और (ii) कापी-होल्डर्स और प्रुप रीडर्स तथा उनके पर्यवेक्षक जैसे शिक्षित कर्मचारी। आयोग ने मुद्रणालयों में उस योजना के मुताबिक विभिन्न कार्यों को वर्गीकृत एवं पारिश्रमिक देने की सिफारिश की थी जो उन्होंने मुख्यतया: प्रेस कर्मचारियों के बारे में कुछ उपक्रमों सहित कार्यशालाओं के अन्य कर्मचारियों के लिए अध्याय 19 में सुझाया था ताकि सूक्ष्म भेदों एवं अन्तर्भेद प्रतिबिम्बित हो सकें। अध्याय 19 में, आयोग ने यह उल्लेख किया था कि कार्यशाला कर्मचारी जातिगत शब्द है जिसके लिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कार्यशालओं, उत्पादन एककों या विभाग की ओर से चलाये जाने वाले स्थापनओं जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित फैक्टरियां हैं, में नियोजित हस्तकोशलपूर्ण ग्रेडों में लागू किया है।

(ख) मुद्रण निदेशालय के नियन्त्रणाधीन भारत सरकार मुद्रणालय लाभ हानि रहित आधार पर चलाये जा रहे हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, चतुर्थ वेतन आयोग सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रेस कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार कर सकता है।

भिवन्डी में माँस संसाधन एकक

4323. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिवन्डी में मांस संसाधन एकक में इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर एक वर्ष में कुल कितने मवेशी और अन्य पशुओं को मारा जाएगा,

(ख) उन जिलों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां से इन मवेशियों को बूचड़खाने लाया जाएगा,

(ग) क्या प्राधिकारियों द्वारा बूचड़खानों में मवेशियों को लाने, उनको चारा, शरणस्थल और पानी आदि उपलब्ध कराने तथा रद्द किए गए मवेशियों अथवा जिन का वध करने की अनुमति नहीं दी जाती है को वापस भेजने के लिए पहले ही से भीड़ भाड़ वाली सड़क और रेल सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित दबाव का कोई अनुमान लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

4324. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभाग द्वारा सीधे प्रायोजित किए गए कितने ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयनधीन हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा की कितनी परियोजनायें मन्त्रालय स्तर पर स्वीकृति के लिए पड़ी हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) उड़ीसा में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं :— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम ।

(ख) व (ग) इन कार्यक्रमों में से केवल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई परियोजनाएं केंद्रीय सरकार के पास संस्वीकृति के लिए आती हैं । राज्य सरकार से 6 परियोजनाएं 1.12.1983 को प्राप्त हुई हैं । इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारान्टी कार्यक्रम

परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत
1. उड़ीसा के 13 जिलों में ग्रामीण सड़कों के सुधार, तालाबों की मरम्मत और लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार से सम्बन्धित परियोजना	121,54,775 रुपये
2. उडीसा में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा सुधार के लिए परियोजना	116,87,836 रुपये
3. उड़ीसा में गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों तथा अपग्रेड किए गए माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण हेतु परियोजना	45,82,500 रुपये
4. उड़ीसा में सामाजिक वानिकी, जंगलाती सड़कों के निर्माण तथा सुधार और छोटे-छोटे जोहड़ों की खुदाई से संबन्धित परियोजना	25,50,000 रुपये

1	2
5. उड़ीसा के चार जिलों में जल संचयन ढांचों के निर्माण हेतु परियोजना	21,00,000 रुपये
6. उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए परियोजना	274,43,00 रुपये
योग :	605,18,111 रुपये

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में ग्रामीण मजदूर संगठनों से मांगा गया सहयोग

4325. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्रामीण मजदूर संगठनों का सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं जिससे सहयोग मांगा गया है ;

(ग) क्या इस प्रकार के सहयोग को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र में कोई फोरम बनाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का कोई फोरम बनाने पर विचार करेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) इस मन्त्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के विचारों को गांवों की जनता द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए प्राप्त किया जाता है और इसमें कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों उस समय अपनी राय यदि कोई हो, देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कार्यकर्ताओं की सहकारी सोसाइटी के माध्यम से कार्य के निष्पादन पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है क्योंकि वे ठेकेदारी आधार पर कार्य करना चाहते हैं जिसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमति नहीं है। इस बारे में मंच के गठन करने का प्रश्न नहीं उठता।

चावल और गेहूं की बिकास दर

4326. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि गेहूं का उत्पादन 1967 में 1.10 करोड़ टन था, 1982 में बढ़कर 4.25 करोड़ टन हो गया, जबकि उसी अवधि में चावल का उत्पादन जो कि 3.5 करोड़

टन था, बढ़कर केवल 5.70 करोड़ टन हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो चावल उत्पादन के इस धीमी विकास दर के क्या विशेष कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में गेहूं का उत्पादन 1966-67 के 113.9 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1982-93 में 425.0 लाख मीटरी टन हो गया। 1966-67 में चावल का उत्पादन 304.4 लाख मीटरी टन था। 1978-79 में चावल का उत्पादन 537.7 लाख मीटरी टन के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद 1979-80 और 1982-83 के उन वर्षों, जबकि भंयकर सूखा पड़ा था, को छोड़कर इसका उत्पादन लगभग 53 लाख मीटरी टन पर स्थिर हो गया।

(ख) चावल उत्पादन की मन्द विकास दर के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं—

(1) गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र 1966-67 के 128.4 लाख हैक्टार से बढ़कर 1982-83 में 231.5 लाख हैक्टार के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया जबकि चावल के अन्तर्गत क्षेत्र 1966-67 के 352 लाख हैक्टार से बढ़कर 3981-82 में 407 लाख हैक्टार के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया।

(2) चावल की फसल बाढ़ और सूखा जैसे मौसमों की प्रतिकूलता के प्रति अधिक संवेदनशील है ;

( ) सिंचाई के अन्तर्गत कम क्षेत्र ;

(4) कृमियां और रोगों के हमले के प्रति इस फसल की अधिक संवेदनशीलता ;

(5) उर्वरकों की कम खपत ; और

(6) खराब जल निकास और विस्तृत क्षेत्र में फसल की जलमग्नता।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

4327. **श्री चित्त बसु :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) नामक कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ;

(ग) चालू वर्ष के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(घ) विभिन्न राज्यों में इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ; और

(ड़) इस कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में क्या अन्तर है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम के निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्य हैं—

(1) प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाना तथा उनमें वृद्धि करना ।

(2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन करना जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा ।

(ग) 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) 16 नवम्बर, 1983 से पूर्व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से 39 परियोजनाएं प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन परियोजना प्रस्तावों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्रीय समिति द्वारा 17 नवम्बर, 1983 को हुई बैठक में विचार किया गया था तथा 23 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था ।

उसके बाद 75 से अधिक और परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

(ड़) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के मुख्य अन्तर को विवरण में दर्शाया गया है ।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बीचो मुख्य अन्तर को नीचे दिया गया है—

(1) जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार के अवसरों में सुधार तथा विस्तार करना है । लेकिन राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त लाभप्रद अवसर सृजित करना है ।

(2) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय को पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय क केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है ।

(3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा विशिष्ट कार्य परियोजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें केन्द्रीय समिति के अनुमोदन और संस्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय को भेजना होता है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शेल्फ आफ प्रोजेक्टस तथा वार्षिक कार्रवाई योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा तैयार तथा मंजूर की जानी होती है।

(4) जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या पर 75 प्रतिशत बल तथा निर्धनता के प्रभाव को 25 प्रतिशत बल देते हुए आबंटन दिये जाते हैं। निधियों का जिला-वार कोई आबंटन नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में राज्यों से इस मानदण्ड के आधार पर जिलों को और आबंटन देने की अपेक्षा की जाती है।

महाराष्ट्र में सन्तरा, केला और माल्टा आदि की लाभकारी कीमतें

अशोकनगर, दिल्ली में सड़कों के निर्माण कार्यों का पूरा होना

4328. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक नगर 20, मानक विहार के उन स्थानों (सड़कों) गलियों के नाम क्या हैं जिन के लिए मिनी गन्दगी विकास द्वारा 1982-83 वर्ष के लिए अनुमान तैयार किये गए थे ;

(ख) इस क्षेत्र में जनवरी, 1982 से अक्तूबर, 1983 के बीच की अवधि के दौरान किये गये कार्यों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और क्या इस अवधि के दौरान शुरु किये गये सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिये गए हैं अथवा अधूरे छोड़ दिये गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि पांच महीने बीत गये हैं जब मानक बिहार, फतेहनगर, अशोक पार्क और हरिनगर की सड़कों/गलियों में रोड़ी बिछाई गई थी और अब तक कोई कोलतार नहीं डाली गई है ; और

(घ) इसके और अन्य देरियों के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त कार्यों के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मानक बिहार में सड़कों तथा नालियों के सुधार कार्य के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान निम्नलिखित दो आंकलनों को स्वीकृत किया गया था।

(1) ए तथा बी ब्लाकों में सड़कों पर रोड़ी तथा पूर्व मित्रण बिछाना अनुमानित लागत 48,840 रुपये।

(2) ब्लाक ए गली संख्या 9 में खरंजे तथा नालियां बनाना अनुमानित लागत 13, 350 रुपये।

(ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित कार्य के मामले में सड़कों पर रोड़ी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। उपर्युक्त (2) में उल्लिखित कार्य को ठेकेदार को दे दिया गया है।

(ग) और (घ) :मानक बिहार, फतेहनगर, अशोक पार्क और हरिनगर कालोनियों में सड़कों पर रोड़ी बिछाने के विभिन्न कार्य कर दिये गये हैं। इस कालोनियों में पूर्व मिश्रण कार्य भी आरम्भ कर दिए गए हैं।

स्वयंसेवी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान

4329. **श्री मूलचन्द्र डागा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान सहकारी पाइलट परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और स्वयं सेवी संगठनों को मजबूत बनाने की दृष्टि से स्वयंसेवी संगठनों को राज्यों और संघ क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) यदि, हां, तो प्रत्येक कार्य के लिए इनमें से प्रत्येक संगठन को दी गई धनराशि का उल्लेख करते हुए ऐसे संगठनों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र को कितनी धनराशि दी गयी है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की छठी योजना स्कीम के अन्तर्गत अन्यों के साथ-साथ निम्न-लिखित दो घटकों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है:—

(1) युवक मंडलों/महिला मण्डलों को सुदृढ़ बनाने हेतु संघ शासित क्षेत्रों को सहायता,

(2) जन सहयोग की प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता।

(ख) महिला मण्डलों/युवक मण्डलों को सुदृढ़ बनाने के लिए संघ शासित क्षेत्रों को दी गई धनराशि का ब्यौरा विवरण—1 में दिया गया है। केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से किये गए निर्माण कार्य की मदों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सहायियत संगठनों के नामों का ब्यौरा इस मन्त्रालय में नहीं रखा जाता है।

जन सहयोग की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरु करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सुलभ की गई धनराशि विवरण—2 में दी गई है। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र इन परियोजनाओं को या तो सीधे अथवा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से आरम्भ कर सकते हैं। संगठनों के नामों का ब्यौरा इस मन्त्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण-1

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला मण्डलों/युवक मण्डलों को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्रों को बंटित निधियां

क्रम सं०	संघ शासित क्षेत्र का नाम	अभी तक बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1.	चंडीगढ़	0.09
2.	दिल्ली	0.14
3.	गोआ	0.22
4.	लक्षद्वीप	0.12
5.	मिजोरम	0.24
6.	पांडिचेरी	0.20
		योग 1.01 लाख

विवरण—2

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जन सहयोग की प्रायोगिक परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों को बंटित निधियां ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	नवम्बर, 83 तक बंटित धनराशि	शुरु की गई गतिविधियों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
1.	हरियाणा	14.80	महिला मन्डल भवनों का निर्माण
2.	हिमाचल प्रदेश	17.06	सामुदायिक केन्द्रों, एरियल रोपवेयस, पुलियों, फुटपाथों, का निर्माण
3.	मेघालय	17.33	स्कूल भवनों, सड़कों, सिंचाई जल वाटिकाओं, मछलियों के

1	2	3	4
			लिए तालाबों, साल लकड़ी का पुल, फुटपाथों, सामुदायिक हाल, सभा भवन एवं स्टेडियम खेल के मैदानों का निर्माण
4.	पंजाब	10.00	महिला मण्डल भवनों का निर्माण
5.	तमिलनाडु	0.12	सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण
		योग: 59.31	

विदेशों में गेहूं वसूली अधिकारी

4330. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं, जहां हमने नियमित रूप से गेहूं खरीद अधिकारी नियुक्त किए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : किसी भी देश में नियमित आधार पर गेहूं खरीद अधिकारी तैनात नहीं किया गया है ।

दिल्ली में निषिद्धि क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक एकक

4331. **श्री मूलचंद डागा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निषिद्ध क्षेत्रों में अभी तक ऐसे कितने औद्योगिक एकक कार्यरत हैं जो आसपास की कालोनियों की वायु प्रदूषित कर देते हैं और उनके निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उन औद्योगिक एककों को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई थी और कब शुरू की गई थी ;

(ख) क्या उनमें से कुछ एककों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और कुछ एककों को स्थानान्तरित किया जाना बाकी है ;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक एककों को अन्य स्थानों में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्लाट आबंटित किये जाने के बावजूद वे अभी भी अपने पुराने स्थान में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित की गई परन्तु उन्होंने अभी तक अपने उद्योग स्थानान्तरित नहीं किये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में बाढें

4332. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, बाढ़ से जान और माल की कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान बाढ़ से होने वाली हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक और दीर्घावधि उपाए किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गये उपाय निम्नलिखित हैं:—

(1) छठी योजना में बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए परिव्यय पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया गया है और चालू योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में खर्च करने के लिए 1045 करोड़ रुपये रखे गए हैं ।

(2) राज्य सरकारों से बाड़ प्रवण बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक प्लान तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है । भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए 1981 ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन भी किया है ।

(3) भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान विभिन्न अन्तः राज्जीय नदियों पर बाढ़ भविष्यवाणी तन्त्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना भी शुरु किया है ।

(4) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए भारत सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ मैदान क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य शुरु किया है और राज्य सरकारों से बाढ़ मैदान नियमन लागू करने के लिए उपयुक्त कानून लागू करने का भी अनुरोध किया है ।

(5) बाढ़ से होने वाली हानियों में बढ़ते हुए रुख को देखते हुए भारत सरकार ने 1976 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। दो अन्तर मंत्रालयी समितियों द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया गया और मार्गदर्शी सिद्धांत और अनुदेश तैयार किए गए और इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और सम्बद्ध केंद्रीय एजेंसियों को आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सितम्बर, 1981 में जारी किया गया।

विवरण

वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान देशभर में बाढ़ों के कारण जीवन और सम्पत्ति को हुई क्षति दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख) (हेक्टार)	क्षतिग्रस्त मकानों/ झौपड़ियों की संख्या (लाख में)	मृतकों की संख्या	मृतक पशुओं की संख्या
1981	309.1	32.2	7.48	1033	45588
1982	633.3	56.83	32.16	1818	258218
1983	444.25	76.96	14.25	2077	131307

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

4333. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के 1984-85 के वार्षिक योजना प्रस्तावों के प्रारूप के अनुसार उत्तर प्रदेश में छठी योजना से पहले की 32 बृहत् तथा 25 मध्यम निर्माणाधीन स्कीमें हैं

जिनके लिए छठी योजना में परिव्यय स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, छठी योजना में स्वीकृत परिव्यय वाली 6 बृहत् तथा 12 मध्यम नई स्कीमें हैं। अनुमानित लागत तथा उन पर हुए व्यय को दिखाने वाले विवरण उपाबन्ध-एक तथा दो के रूप में संलग्न हैं।
[ग्रंथालय में रखे गए/देखिये संख्या एल० टी० 7470/83]

नहर परियोजनाओं की क्षमता का उपभोग

4334. **श्री मती प्रमिला दण्डवते :**
श्री भीम सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में निर्मित नहर परियोजनाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में निर्मित नहर परियोजनाओं की पूर्ण क्षमता का उपभोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य सम्भवतः यह जानना चाहते हैं कि क्या सृजित की गई पूर्ण सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। योजना अवधियों के दौरान 1982-83 तक बृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा सृजित की गई 19.4 मिलियन हैक्टेयर की असुमानित सिंचाई क्षमता में से 14.6 मिलियन हैक्टेयर का उपयोग किया गया है। बृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा मार्च, 1983 तक सृजित सिंचाई क्षमता तथा उसके उपयोग को दिखाने वाला राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर प्रदेश में बृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में 1.4 मिलियन हैक्टेयर का अन्तर है।

(घ) इस उपयोग में अन्तर कई कारणों जैसे अभिकल्प स्तरों से अधिक सीपेज, खेत नालियों आदि की कमी के होने से है।

विवरण

मार्च, 1983 तक बृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित की गई तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता को दिखाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य	क्षमता	समुपयोजन
1.	आंध्र प्रदेश	1493	1130
2.	असम	134	85

1	2	3	4
3.	बिहार	2300	1573
4.	गुजरात	1089	665
5.	हरियाणा	1413	1254
6.	हिमाचल प्रदेश	6	3
7.	जम्मू और कश्मीर	91	80
8.	कर्नाटक	874	853
9.	केरल	343	323
10.	मध्य प्रदेश	1173	694
11.	महाराष्ट्र	1277	534
12.	मणिपुर	26	16
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	1066	1066
16.	पंजाब	1213	1199
17.	राजस्थान	1331	1102
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	319	307
20.	त्रिपुरा	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	4142	2737
22.	पश्चिमी बंगाल	1105	993
	उप जोड़ राज्य	19386	14614
	संघ राज्य क्षेत्र	19	13
	जोड़ : राज्य तथा संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र	19405	14627

आई० एण्ड० सी० ए० डी० डिवीजन, योजना आयोग में मूल्यांकन किए गए अनुसार ।

टेनिस में प्रदर्शन

4335. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के एशियाड के बाद से टेनिस के हमारे प्रदर्शन में में कोई सुधार नहीं हुआ है ; और

(ख) गहन प्रशिक्षण देने और स्कूलों में खेलों को शुरु करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। भारत ने इस वर्ष ईस्ट जोन डेविस कप चैम्पियनशिप जीता है।

(ख) टेनिस खिलाड़ियों के कार्चिग और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय लान टेनिस एसोसिएशन का है और इस एसोसिएशन ने एक "प्रतिभा विकास कार्यक्रम" आरम्भ किया है जिसका लक्ष्य उभरते हुए जूनियरों का विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 से 16 वर्षों के आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से चुने जाते है और उन्हे खेल में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

"आपरेशन फ्लड दी व्हाइट लाई" शीर्षक से लेख

4336. **श्री मेरावादन के० गधावी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 अक्तूबर-5 नवम्बर की 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया, में "आपरेशन फ्लड दी व्हाइट लाई" शीर्षक से प्रकाशित लेख की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार इस बात को यह समझती है कि इस प्रकार लेख देश के दूध और दूध उत्पादन के सहकारी आन्दोलन को निरुत्साहित करते है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपयुक्त उत्तरों और प्रकाशन द्वारा ऐसे प्रचारों का खण्डन करने का है ;

(घ) क्या यह सच है कि खाद्य तेल उत्पादन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में कुछ निजी निहित स्वार्थ वाले लोग राष्ट्रीय डेरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की गतिविधियों के कारण खुश हैं और वे इस प्रकार इन संस्थाओं को असफल करने के लिए झूठा प्रचार करते हैं ;

(ड.) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(च) क्या राष्ट्रीय दूध ग्रिड, दूध और दूध उत्पादों के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा कर रहा है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) प्रत्यक्षत: यह प्रतीत होता है कि इस लेख ने सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया भारतीय डेरी निगम ने हाल ही में आप्रेशन फ्लड -ए रिऐलिटी नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें तथ्यों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है

(घ) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ङ.) प्रश्न नहीं होता ।

(च) राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड दुग्ध उत्पादन और सप्लाई में क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलनों को दूर करने के लिए आप्रेशन फलड कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है

स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा गुजरात में एक फार्म की स्थापना

4337. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या स्टेट फार्मस् कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सिद्धांत रूप में प्रत्येक राज्य में एक फार्म की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

(ख) क्या स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इण्डिया में गुजरात में ऐसे किसी फार्म की स्थापना की है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार गुजरात में एक फार्म की स्थापना करने पर विचार करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में एक फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है । परन्तु अभी तक निगम के निदेशक मंडल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) निगम को गुजरात सरकार से राज्य में फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि यदि कोई उपयुक्त स्थल सुलभ किया जाए, तो राज्य में फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाण्डागारों का निर्माण

4338. **श्री गुलाम मोहम्मद खाँ :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य भाण्डागारों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे हैं और उन्होंने धन को अन्य गतिविधियों में खर्च कर दिया है ; और

(ख) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों, दोनों के लिए भण्डार क्षमता का निर्धारित लक्ष्य क्या है और निर्माण में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) योजना निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य को तेज करने और कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने विचार है ?

इलेक्ट्राननिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम और 16 राज्यभाण्डागार निगमों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमश 14.50 लाख मीटरी टन और 25.00 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के प्रति केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों ने योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 5.88 लाख मीटरी टन और 9.52 लाख मीटरी टन की क्षमता का निर्माण किया था। राज्य भाण्डागार निगमों के अलावा स्वयं राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा भण्डारण क्षमता के निर्माण का कार्य इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा क्षमता के निर्माण में की गई प्रगति पर समय-समय पर निगरानी रखती है और वह निगम को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने के लिए परामर्श देती है/ उनकी सहायता करती है। केन्द्रीय भाण्डागार निगमों द्वारा क्षमता के निर्माण में की गई प्रगति पर निगरानी रखता है। निगम से राज्य भाण्डागार निगमों की समस्याओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने, समस्याओं को हल करने में उनका मार्गदर्शन करने तथा प्रगति पर गहरी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

विश्व में खाद्यान्नों का असमान वितरण

4339. **श्री पी० एस० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व में उपलब्ध खाद्यान्नों के असमान वितरण पर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि गत दो वर्षों में बिश्व में खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी, बहुत से देशों को खाद्य की असामान्य कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने यह भी बताया है कि अधिकांश फालतू खाद्य भण्डार केवल कुछ बड़े देशों के हाथ में हैं ;

(घ) यदि हां, तो भारत ने और क्या अन्य सुझाव दिए हैं ; और

(ड.) उन पर कहां तक विचार किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ड.) भारत को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में विभिन्न विकासशील देशों में असंतोषजनक खाद्य स्थिति के बारे में अभिव्यक्त की गई चिन्ता में शरीक होने का और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच विश्व खाद्यान्न स्टाक के असंतुलित बितरण के बारे में ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला था। भारत हमेशा विश्व खाद्य सुरक्षा के सिद्धान्त का समर्थक

रहा है इस सम्बन्ध में कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

4340. **श्री मनोहर लाल संनी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान कार्य को मजबूत करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिष्ठित बैज्ञानिकों को लेकर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको स्थापित कर दिया गया है और क्या इनसे कृषि जलवायु उपयोगी जोनो में कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालयों की क्षमता में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विकास विभाग और कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालयों के बीच सम्बन्ध को मजबूत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ड़) क्या शीतोष्ण जलवायु वाले फलों, रेशम की पालन और बकरी पालन आदि की समस्या से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोई कृषि सम्बन्धी विद्यालय स्थापित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) यह प्रश्न संभवत: इस प्रायोजना के अन्तर्गत कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के आधार पर कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु 1-1-1979 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए या सुदृढ़ करने के लिए 16 कृषि विश्वविद्यालयों में परिचालन के लिए 65 उप प्रायोजनाओं को, जिसमें प्रत्येक एक कृषि जलवायवीय क्षेत्र के लिए होगी, स्वीकृत कियागया है । ये उप प्रायोजनाएं परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, तथा एक विशेष कृषि जलवायवीय क्षेत्र में स्थान पूरक और समस्या पूरक अनुसंधान को चलाने हेतु इन विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है । प्रायोजनायें ने इन केन्द्रों में स्टाफ, औजार, कार्यात्मक भवन आदि के रूप में स्थायी अवस्थापन तैयार करने की व्यवस्था करती है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ तथा शीघ्र स्थानान्तरण को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्रों तथा सम्बद्ध क्षेत्र में राज्य कृषि विभाग में सम्पर्क के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है । पूर्व निश्चित सूची के अनुसार नियमित रूप से छमाही कार्यशाला के आयोजन के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है जिसमें राज्य सरकार के अनुसंधान बैज्ञानिक अधिकारियों तथा चुने हुए किसानों द्वारा भाग लिया जाता है । तकनीकी कार्यक्रम के गुण में

सुधार लाने हेतु यह या त्रिकी सहायक हुई है जिसमें इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान की समस्याएं वास्तविक क्षेत्र/ किसानों की समस्याओं से पर्याप्त रूप में मिलती जुलती हैं, उद्देश्यों को पूरी तरह से नया रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान केन्द्र का वैज्ञानिक स्टाक भी सन्बल व्यक्तियों के रूप में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा दौरा प्रणाली के अन्तर्गत आयोजित मासिक कार्यशाला के लिए प्रौद्योगिकी में अद्यतन उन्नति की उनको जानकारी देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसंधान और विस्तार कर्मचारियों के आवधिक बैठकों, विशेष तकनीकी समन्वय समिति, माहवार कार्यशाला, फसल गोष्ठी आदि के द्वारा आवश्यक सम्पर्क को बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने हेतु क्रमबद्ध प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं, जहां पर सिफारिशों का लक्ष्य उत्पादन, अनुसंधान कार्यक्रमों को निधारित और संशोधन करना है।

(ड.) जी हां, श्रीमान्।

बिजली से चलने वाले नलकूपों के लिए पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में अनुदेश

4341. **श्री अनवार अहमद :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बिजली से चलने वाले प्रत्येक सरकारी टयूबवेल के लिए भूमि में 1500 मीटर पाइप लाइन बिछाने की बजाए अब केवल 200 अथवा 300 मीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक सरकारी टयूबवेल द्वारा कमान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सारी भूमि की पूर्ण सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को प्रत्येक गांव की कृषि सम्बन्धी भूमि सीमा के अन्दर कम से कम एक सरकारी टयूबवेल शीघ्र लगाने के लिए आदेश देगी ; यदि हां तो कब आदेश देगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों में अधिकतम सिंचाई सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(च) विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत टयूबवेल लगाने की योजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नीति जो मई 1980 में प्रभावी हुई थी, के अनुसार विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सरकारी नलकूप 1000 मीटर पी० वी० सी० पाइपलाइन तथा लगभग 6000 मीटर लम्बी कच्ची खेतनालियों के साथ निर्मित किये जाते हैं। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी नलकूपों को 1600 मीटर लम्बी पक्की गूल/ पाइपलाइन तथा लगभग

1600 मीटर की कच्ची गूल के साथ पूरा किया जाना होता है। तथापि, कम निधियों के उपलब्ध होने के मामले में ऊर्जित सरकारी नलकूपों में कम से कम 200-300 मीटर लम्बी पक्की गूल तथा 3000 मीटर लम्बी कच्ची गूल होनी चाहिए। शेष 1300 से 1400 मीटर तक लम्बी पक्की गूल को अगले वित्तीय वर्ष में, अब जब धनराशि उपलब्ध हो, पूरा किया जाना होता है।

(ग) सरकारी नलकूपों के बेहतर उपयोग के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं :- (एक) सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कृषि प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विद्युत की सप्लाई करना; (दो) बेहतर वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना।

(घ) और (ड.) लघु सिंचाई कार्यक्रम, जिसमें सरकारी नलकूपों का प्रतिष्ठापन करना शामिल है, पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है क्योंकि संविधान में "जल" एक राज्य विषय है।

(च) उत्तरप्रदेश नलकूप विश्व बैंक कार्यक्रम (सोपान-दो) की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य में लगभग 2200 नलकूपों का, प्रत्येक में 4000 मीटर की पी० वी० सी० पाइपलाइन तथा 6000 मीटर कच्ची फील्ड चेनलों के साथ निर्माण करना शामिल है। ये नलकूप लगभग 25 नलकूपों के समूह में निर्मित करने अपेक्षित हैं और इनके लिए स्वतन्त्र बिजली फीडर की व्यवस्था की जाती है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कारपोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के बारे में याचिका संख्या 659/1975

4342. **श्री अनवर अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कारपोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से सम्बन्धित याचिका संख्या 659/1975 की नवीनतम स्थिति क्या है,

(ख) कितने व्यक्तियों की सदस्यता को दिल्ली उच्च न्यायालय और सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने वैध घोषित किया है और कितने सदस्यों की सदस्यता के मामले विचाराधीन हैं और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सोसाइटी के कितने मामले दिल्ली और नयी दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में विचाराधीन हैं और तत्सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(घ) जिन सदस्यों की सदस्यता वैध घोषित की जा चुकी है उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्लाट आबंटित कराने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ड.) इस सोसाइटी की नई प्रबन्ध समिति के चयन के लिये कब और क्या कार्यवाही की जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री(श्री मोहम्मन उस्मान आरिफ) : (क) जैसा कि पंजीकार, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा बताया गया है, दिल्ली स्कूल टीचर्स कारपोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से सम्बन्धित रिटयाचिका सी. डब्लू. पी. संख्या 659175 दिल्ली उच्च न्यायालय में निलम्बित नहीं पड़ी हुई है। तथापि, उनकी रिट याचिका सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 659177 उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है। सुनवाई की अगली तारीख 13.1.1984 है।

(ख) पंजीकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 659177 में समिति के सदस्यों की स्वीकृत संख्या में 792 अध्यापक और 299 गैर-अध्यापक हैं। इनमें से 7 अध्यापकों और 4 गैर-अध्यापकों ने अपने स्वतः अनुरोध पर समिति से अपनी धनराशि वापस ले ली है।

सदस्यों को प्लाटों का आबंटन करने से पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16-5-1980 के आदेश के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली कतिपय शर्तें निर्धारित की थीं। 620 अध्यापकों और 251 गैर-अध्यापकों ने इन शर्तों को पूरा किया।

जिन शेष सदस्यों ने उपर्युक्त शर्त पूरी नहीं की वे अभी पी. पी. डब्ल्यू. पी. संख्या 659177 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी सदस्यता का दावा कर रहे हैं।

इनके अतिरिक्त, 43 अध्यापकों और 24 गैर-अध्यापकों ने भी सिविल विभिन्न (सी. एम. एस.) से भिन्न सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 659177 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावे दायर किए हैं। 43 अध्यापकों के मामलों में से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 मामलों के दावों को पहले रद्द कर दिया है।

(ग) इस समिति के बारे में दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न अदालतों में अनिर्णित पड़े हुए मामलों की कुल संख्या की प्रमाणिक सूचना सहकारी समिति के पंजीकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10-9-1982 को जारी किए गए आदेशों आधार पर उन लोगों के लिए प्लाट आबंटन करने की लाटरी 13-9-1982 को निकाली गई थी जिन्होंने इस आदेश की शर्तें पूरी की थी लाटरी का नतीजा उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। यह मामला न्यायाधीन होने के कारण, इस अवस्था में आवंटन के बारे में कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं हैं।

(ड.) समिति ने प्रबन्धक समिति का चुनाब करने का अनुरोध करते हुए पी. डब्ल्यू. पी. संख्या 659177 में सिविल विविध संख्या 5074182 पहले ही दायर किया है। यह मामला न्यायधीन होने के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दी पत्रिका भागीरथी की बिक्री से होने वाली आमदनी

4343. **श्री अनवर अहमद** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई मन्त्रालय की अंग्रेजी और हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका की प्रत्येक भाषा में कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं और उनमें से कितनी दानार्थ बांटी जाती हैं तथा कितनी बेची जाती हैं ;

(ख) पात्रिका के दोनों संस्करणों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन सहित पत्रिकाओं के प्रकाशन पर वार्षिक कुल कितनी धनराशि खर्च होती है और उनकी बिक्री से वार्षिक कितनी आमदनी होती है ;

(ग) क्या हिन्दी पत्रिका "भागीरथ" की बिक्री से नगण्य आमदनी होती है और क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष इसके प्रकाशन और इस पर लगाए गए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होने वाली धनराशि से कुछ ट्यूब-वेल लगाए जा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तुरन्त इसका प्रकाशन बन्द करने और इस प्रकार बचाई गई धनराशि से ट्यूब-वेल लगाने का है ; यदि नहीं तो इसके कारण क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) अंग्रेजी और हिन्दी "भगीरथ" पत्रिकाओं के प्रकाशन के पीछे इनका उद्देश्य देश में सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण तथा सम्बन्धित विषयों के क्षेत्र में और उनके क्रियान्वयन तथा निम्न स्तर तक सिंचाई के प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी देना है । अतः इन पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत की तुलना उनकी बिक्री से होने वाली आय से करना सही नहीं होगा । इन पत्रिकाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है और इनके प्रकाशन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

एक. 1981-82 के दौरान भगीरथ (हिन्दी और अंग्रेजी) के मुद्रण तथा बिक्री के संबंध में ब्यौरा देने वाला विवरण ।

क्रम सं०	पत्रिका का नाम	भाषा	मुद्रण के लिए आदेश	बेची गई मुफ्त प्रकाशन की प्रतियों की संख्या	वितरित प्रतियों की संख्या	तकरीबन लागत (रुपयों में)	पत्रिका की बिक्री से प्राप्त हुआ राजस्व (रुपयों में)
1.	भगीरथ	अंग्रेजी	10,175	3,290	6,730	90,000.00	8,225.00
2.	भरीरथ पत्रिका	हिन्दी	5,915	2,508	3,292	65,000.00	2,734.00

दो—भगीरथ (हिन्दी और अंग्रेजी) पत्रिकाओं के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनों पर किए गए वार्षिक व्यय की राशि दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं	पत्रिका का नाम	भाषा	वेतनों पर किए गए वार्षिक व्यय की सत राशि (रुपयों में)
1.	भगीरथ	अंग्रेजी	87,600.00
	भगीरथ पत्रिका	हिन्दी	89,4.7200

लघु सिंचाई के लक्ष्य और उपलब्धि

4344. **श्री ए० के० रा.य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जून, 1983 के 'स्टेट्समैन, में "काल टू एक्सलजेर माइनर इरीगेशन स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में लघु सिंचाई का लक्ष्य और उपलब्धि क्या है ;

(ग) लघु सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या उनको यह जानकारी है कि धन को कहीं और लगा दिए जाने के कारण बिहार दक्षिण विहार में सभी लघु और लिफ्ट सिंचाई योजनाएं रुकी पड़ी हैं ; और

(ड.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी, हां । छठी योजना (1980-85) के पहले तीन वर्षों में लघु सिंचाई स्कीमों से भौतिक लक्ष्यों तथा प्राप्तियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। उन राज्यों, जहां कमी है, का पता लगाया गया है और उन्हें उसमें दिखाए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में लघु सिंचाई स्कीमों से 8 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। योजना अवधि के अन्त तक लगभग 0.8 मिलियन हैक्टेयर की कमी हो सकती है।

(घ) और (ड.) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लघु सिंचाई के लिए किसी राशि के अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं किया गया है। बिहार राज्य में लघु सिंचाई प्रवाह और लिफ्ट सिंचाई स्कीमें बन्द नहीं की गई हैं।

विवरण

लघु सिंचाई क्षमता (उपयोग) 1980-83

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1980-81		1981-82		1982-83	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	65	52@	70	46.5*	55	57.10
2.	असम	20	11@	21	11 *	19	20.40
3.	बिहार	140	129@	180	149*	161	196
3.	गुजरात	40	23@	35	31*	41	21+
4.	हरियाणा	35	35	30	41	42	29.5+
5.	हिमाचल प्रदेश	4	5.5	4	5	4	4
7.	जम्मू और कश्मीर	4	4.8	5	3.8*	3.8	4.4
8.	कर्णाटक	55	30@	60	28.4*	26	22.6+
9.	केरल	18	13@	18	14 *	18	17.7
10.	मध्य प्रदेश	90	72@	100	86 *	90	56.3+
11.	महाराष्ट्र	59	44@	65	67	46	51.6
12.	मणिपुर	3	2.9	3	3	2	1.5+
13.	मेघालय	2	2.3	2	2.4	2	2.9
14.	नागालैंड	2	2	2	2.87	1	2.82
15.	उड़ीसा	70	43@	80	46 *	93	23.00+
16.	पंजाब	45	42@	45	32.4 *	40	40
16	राजस्थान	30	36	30	32.15	48	39.00
18.	सिक्किम	1	1	1	0.75	1.5	1.0+
19.	तमिलनाडु	29	28.5	30	30.19	25	32.51
20.	त्रिपुरा	2	1@	2	1.20*	1.3	2.1
21.	उत्तर प्रदेश	700	755	670	717	643	703.00
22.	पश्चिम बंगाल	80	65@	90	19.07*	104.5	55.8+
	जोड़: राज्य	1494	1398	1543	1369.73	1447.7	1384.23
	जोड़: संघ राज्य क्षेत्र	6	2	7	3.00	2.3	7.21
	जोड़: अखिल भारत	1500	1400	1550	1372.73	1450	1391.34

@कमी 1980-81

*कमी 1981-82

+कमी 1982-83

भूमि सुधारों के सम्बन्धों में राज्यों को मार्ग निर्देश

4345. **श्री ए० के० राय** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधारों के सम्बन्ध में राज्यों को जारी किए गए नवीनतम मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा उन मार्ग निर्देशों को किस हद तक लागू किया गया है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई नए मार्ग निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) भूमि सुधार के बारे में कोई नए मार्गनिर्देश सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं । छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में इस प्रयोजन के लिए मूल मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं । तथापि राज्यों के निष्पादन पर लगातार निगरानी रखने और उसके आवधिक मूल्यांकन के आधार पर निष्पादन में हुई कमियों तथा त्रुटियों को बताया जाता है और उपचारी उपायों के बारे में सुझाव दिए जाते हैं । ग्रामीण विकास मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को हाल ही में एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे भूमि की अधिकतम सीमा सम्बधी उपायों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, इस प्रयोजन के लिए उचित कदम उठाकर अदालतों में लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान करने और भूमि सुधार को विशेष रूप से समाज क कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए अधिकार अभिलेख को अद्यतन बनाने के लिए उपयुक्त मामलों में एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने हेतु अनुरोध किया है ।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य

4346. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य पश्चिम और मध्य क्षेत्रों के लिए 21.50 रुपए प्रति क्विंटल और पूर्वी क्षेत्र के लिए 20.50 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के मूल्य से भिन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्बी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथ खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी और सहकारी क्षेत्रों की तथा रिसीवरशिप के अधीन आने वाली चीनी फैक्ट्रियों को निदेश दिए हैं कि वे 21.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गन्ने के मूल्य का भुगतान करें और पूर्वी उत्तर में स्थित फैक्ट्रियों से 20.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान करने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने 1983-84 मौसम के लिए अन्य तथ्यों के अलावा कृषि मूल्य आयोग द्वारा निकाली गई गन्ने की उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। यह केवल आधार मूल्य है जिससे कम मूल्य कोई भी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती है और यह मूल्य किसानों की उनके शोषण करने से भी सुरक्षा करता है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गन्ने के जो मूल्य घोषित किए हैं उनके बारे में सरकार, उत्पादकों और फैक्ट्रियों के बीच आपसी सहमति है और उनकी गन्ना (नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत कोई कानूनी अवस्थिति नहीं है।

खेलों के स्तर को सुधारने के लिए गांवों में सुविधाएं देना

4347. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तैराकी, कुश्ती, शूटिंग, कबड्डी और फुटबाल आदि में हमें प्राकृतिक प्रतिभा प्राप्त है,

(ख) क्या यह सच है कि गांवों में आवश्यक सुविधाओं, प्रशिक्षण और पौष्टिक आहार की कमी है,

(ग) क्या सरकार देश में खेलों के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए गांवों में सुविधाएं प्रदान करना चाहेंगी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्रीबूटा सिंह) : (क)से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार को हमारे लोगों में तैराकी और कुश्ती इत्यादि में विद्यमान प्राकृतिक प्रतिभा की जानकारी है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापन और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता की भी जानकारी है।

2. खेल एक राज्य विषय होने के नाते, खेल स्तरों में सुधार और उसे बनाए रखने के लिए न केवल गांवों में अपितु शहरी क्षेत्रों में भी आवश्यक अवस्थापन और प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के दृष्टिकोण से, केन्द्रीय सरकार अपनी संवैधानिक और वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत

कई निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है :

(1) ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल मैदानों के विकास, गैर-खर्चीले किस्म के खेल उपस्करों की खरीद, स्टेडियमों, तरणतालों, खेल परिसरों के निर्माण आदि के लिए राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(2) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से प्रति वर्ष खेलों में देश भर के प्रतिभाशाली स्कूलों छात्रों को प्रति वर्ष 600/-रु० की राशि की 800 राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियों और प्रति वर्ष 900/रु० की राशि की 400 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(3) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के माध्यम से प्रति वर्ष खलों में देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रति वर्ष 1200/ रु० की राशि की 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

(4) कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों की प्रगति, खेल मैदानों के विकास, व्यायाम शालाओं के निर्माण और विश्वविद्यालय स्तर के प्रशिक्षण शिवरों, संयुक्त विश्वविद्यालय शिवरों के आयोजन और अंतर-विश्वविद्यालय टूर्ना मैंटों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालयों को एसोसिएशन के माध्यम से वित्तीय सहायता ।

(5) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करने और ऐसे टूर्नामेंट को ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना ।

(6) महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित करना और राज्य सरकारों को ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर महिला खेल प्रतियोगताएं आयोजित करने के लिए सहायता देना ।

(7) राष्ट्री. खेल संघों/एसोसि एशनों को प्रशिक्षण शिविवर आयोजित करने विदेश जाने वाली टीमों के यात्रा खर्च के लिए अनुदान, भारत आने वाली विदेशी टीमों को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय चैम्पियनशिप सहायक सचिवों के लिए वेतन खेल उपस्कार खरीदने आदि के लिए वित्तीय सहायता ।

(8) उत्कृष्ट पुरुष खिलाडियों एवं महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष उनके खेल निष्पादन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं ।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के खेलों का आयोजन करना देश के विभिन्न जिलों में कार्य रत 194 नेहरू युवक केन्द्रो के कार्यकलापों में से एक है । प्रत्येक नेहरू युवक केन्द्र को न केवल धनराशि ही दी जाती है अपितु इसके खेल कार्यकलापों के लिए एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक की भी व्यवस्था की जाती है।

कमान क्षेत्रों में विकास के लिए उड़ीसा को सहायता

4348. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कमान क्षेत्रों के विकास के लिए कितना धन दिया गया है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के कमान क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) इस संबध में क्या उपलब्धि हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार को कमान क्षेत्रों विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। ये परियोजनाएं हैं :- हीराकुड, महानदी डेल्टा तथा सालन्दी।

पिछले तीन वर्षों (1980.81. 1981-82 तथा 1983-83) के दौरान योजनागत सेक्टर के अन्तर्गत वर्षवार किया गया व्यय विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (1980-81,1981-82 तथा 1982-83) के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिए गए निर्माण-कार्यों की मुख्य मदों के लक्ष्य और प्राप्तियों संलग्न विवरण-दो में दी गई हैं।

विवरण-1

वर्षवार व्यय

(लाख रुपयों में

क्रम सं०	विवरण	1980-81	1981-82	1982-83
1.	राज्य सेक्टर में व्यय	191.93	134.83	141.80
2.	केन्द्रीय सेक्टर (रिलीजिज			
1.	अनुदान	58.42	59.19	125.97
2.	ऋण	10.00	152.70	243.40
	उपजोड (1) + (2)	68.42	211.89	369.37
	कुल जोड़	260.35	346.72	511.17

विवरण-2

लक्ष्य और प्राप्तियां

हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	मद	1980-81		1981-82		1982-83	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	फील्ड चैनलों का निर्माण	10.0	6.90	15.00	19.02	20.00	27.80
2.	भूमि का समतलन	शून्य	0.72	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वारबन्दी	शून्य	शून्य	शून्य	7.94	20.00	शून्य

उड़ीसा में ई. आर. आर. पी. की क्रियान्विति

4349. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास श्रम कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और जनजाति उप योजना आदि का कुछ धन लेकर ई. आर. आर. पी. नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन का इस प्रकार उपयोग किया जाना उनके मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप है ; और

(ग) यदि हां, तो ई. आर. आर. पी. की सहायता से कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) गरीब ग्रामीणों का आर्थिक पुनर्वास एक राज्य योजना स्कीमों है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता जुटाने हेतु प्रावधान है वशर्ते समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपदान की सीमाओं में वृद्धि न हुई हो। उड़ीसा सरकार विशेष घटक योजना और गरीब ग्रामीणों के आर्थिक पुनर्वास की योजना को बढ़ावा देने हेतु आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता में से निधियों का उपयोग कर रही है जो गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है।

(ग) गरीब ग्रामीणों के आर्थिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है ।

खाद्य तेलों का आयात

4350. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य व्यापार निगम से तेल बाजारों में कार्यरत अन्तराष्ट्रीय कार्टेलों को तोड़ने हेतु खाद्य तेलों की अपनी नई खरीद नीति शुरू करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने देश में खाद्य तेल की लगातार कमी को देखते हुए राज्य व्यापार निगम से और अधिक खाद्य तेलों का आयात करने के लिए कहा है ;

(ग) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान कितना खाद्य तेल आयात किये जाने के आदेश दिये गये है ;

(घ) क्या खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं और देश में खाद्य तेलों के दाम कम करने की संभावना समाप्त हो गई है ; और

(ड.) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वे खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए मौके पर खरीद की तुलना में अल्पकालिक-दीर्घकालिक करार करने की संभावना की जांच करे। तथापि, वास्तविक खरीदारी का कार्य, इस बारे में सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के पैरामीटर्स के भीतर, राज्य व्यापार निगम के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिया गया था।

(ख) और (ग) चालू तेल वर्ष 1983-84 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और ऐसा करते समय देश में देशी तेलों की मांग तथा उनके उत्पादन, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों के रुख आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) और (ड.) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधी खपत के लिए तथा वनस्पति तैयार करने के लिए वनस्पति उद्योग को दिये जाने वाले आयातित खाद्य तेलों की लागत में सरकार द्वारा फरवरी, 1982 से वृद्धि नहीं की गई है। वनस्पति का मूल्य भी स्थिर है। तथापि, देश में तैयार किये जाने वाले तेलों के मूल्यों में, जिन पर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं है, कुछ वृद्धि हुई है। अल्पकालिक उपाय के रूप में, राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तथा वनस्पति उद्योग को वनस्पति तैयार करने के लिए पूर्व निर्धारित मूल्य पर अधिक आयातित तेल आबंटित किये जा रहे हैं, ताकि देशी तेलों के मूल्य पर दबाव कम किया जा सके।

कर्नाटक राज्य को चावल के लम्बित पड़े कोटे को दिया जाना

4351. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के दौरान कर्नाटक राज्य को चावल और गेहूं के कितने कोटे की पूर्ति की गई ;

(ख) कर्नाटक राज्य को अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के दौरान चावल के कोटे की पूर्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य को दिसम्बर, 1983 का कोटा भी दिया गया है ; और

(घ) वास्तविक मार्गें क्या थीं और उनकी किस सीमा तक पूर्ति की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा, खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) कर्नाटक सरकार को अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के दौरान 40,000 मी० टन चावल और 74,000 मी० टन गेहूं के आवंटन किए गए थे जबकि 39,200 मी० टन चावल और 63,400 मी० टन गेहूं उठाया गया बताया जाता है।

(ख) अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के लिए चावल के मासिक आवंटन वैधता अवधि के अन्दर-अन्दर किए गए थे। यह वैधता अवधि क्रमशः 10 नवम्बर और 10 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुई थी।

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक सरकार को दिसम्बर, 1983 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 20,000 मी० टन चावल, 15,000 मी० टन गेहूं और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 22,000 मी० टन गेहूं आवंटित किया गया है जबकि उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 40,000 मी० टन चावल, 10,000 मी० टन गेहूं और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 40,000 मी० टन गेहूं की मांग की थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का एककीकरण

4352. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और नया चलाया गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का सातवीं योजना में एकीकरण करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम वित्तपोषण की व्यवस्था केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर की जा रही है जबकि नये कार्यक्रम को पूरी तरह केन्द्र सरकार वित्त पोषित कर रही है,

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने सातवीं योजना को दोनों योजनाओं के एकीकरण

हेतु योजना आयोग और वित्त मन्त्रायय की मंजूरी मांगी है ताकि केंद्र सारे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सीधे भाग ले सके ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए सहमत है ; और

(ड.) सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ड.) सातवीं योजना को अभी तैयार किया जाना है। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि सातवीं योजना में इस कार्यक्रम का स्वरूप तथा आबंटन क्या होगा। छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम दो अलग-अलग कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को केंद्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वित्त पोषित किया जाता है जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता दी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय में श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति

4353. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय में साक्षात्कार के माध्यम से चुने गए श्रम निरीक्षकों, टाइपिस्टों और अनुसूचित जाति के वाटरमैन की नियुक्ति के लिए तैयार किए गए पैनल रद्द किए जा रहे हैं और उनके लिए पुनः साक्षात्कार करवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पैनल में कितने व्यक्ति थे ; और

(घ) साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों को बुलाने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उनके नामों का पैनल रद्द करने हेतु बाध्य कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (घ) श्रम निरक्षकों/टाइपिस्टो और अनुसूचित जाति के चौकीदारों का चयन करने के लिए साक्षात्कार किए गए थे। अधिकारियों की जिस समिति ने साक्षात्कार लिए थे, ने नियुक्ति के लिए कुछ नामों की सिफारिश की थी लेकिन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, पटना ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि चुनाव योग्यता पर आधारित नहीं थे । यह भी पाया गया था कि ऐसे क्षेत्रों, जहां सर्वाधिक अधिसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, के कई रोजगार कार्यालयों ने भी नामित नहीं

भेजे हैं । इन्हीं कारणों से वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक ने यही ठीक समझा कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार न किया जाए । रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए सभी उम्मीदवारों और जिन्हें उक्त पदों के लिए योग्य पाया गया था, को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई पैनल नहीं था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था ।

राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना

3354. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक ऐसे कितने कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं ;

(ग) क्या सरकार उनके कार्यकरण से संतुष्ट है ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में किसानों के लिए और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का है ; और

(ङ.) यदि हां, तो चालू वर्ष की समाप्ति से पहले विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक 62 कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा चुके हैं । इन खोले गये कृषि विज्ञान केंद्रों की राज्य वार सं० निम्नलिखित है :—

1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	5
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	2

1		2
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	4
19.	पाण्डिचेरी	1
20.	पंजाब	1
21.	राजस्थान	5
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	3
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	4
26.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	62

(ग) जी हां, श्रीमान्

(घ) जी हां। श्रीमान्

(ङ.) अन्य राज्यों में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-82) के शेष समय के दौरान 28 और नये कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 नये कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किये जाने की आशा है। पहले गठित किये गए निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए स्थान का निर्धारण किया जाना है।

पोस्टीरियर पिप्यूरटी एक्सट्रेक्ट इन्जेकशन का गायों और भैंसों पर हानिकर प्रभाव पड़ना

4355. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टीरियर पिप्यूरटी एक्सट्रक्स नामक इन्जेक्शन जो गायों और भैंसों के ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त करने हेतु बिना भेदभाव के लगाया जा रहा है के कोई हानिकर प्रभाव देखने में आए हैं ;

(ख) क्या जानवरों से ज्यादा दूध प्राप्त करने का यह तरीका पशुओं के प्रति क्रूरता का अधिनियम, 1960 यथा-संशोधित 1982 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है ;

(ग) क्या ऐसा दूध का मानवीय प्रयोग विशेष रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकर है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार पशुओं के साथ की जाने वाली ऐसी क्रूरता को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) सरकार की जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जब कभी इस प्रकार के मामले की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों से की जाएगी, उस पर 1982 में यथा संशोधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के संबद्ध प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी ।

मेचूर जलाशय में जल का भंडारण

4356. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 नवम्बर, 1983 के "हिन्दूस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि लम्बे समय तक वर्षा न होने तथा मेचूर जल भण्डारण तथा मुख्य रूप में डेल्टा सिंचाई वाले अन्य स्थानों में पानी की मात्रा रूप से डेल्टा सिंचाई कम होने के कारण तमिलनाडु में इस वर्ष फिर कम खाद्यान्न का उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षा न होने के कारण खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंची है ; और

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने सहायता के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) से (ग) प्रकाशित समाचार में कावेरी डेल्टा में फसलों के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। तथापि, नवम्बर के अन्तिम सप्ताह के के दौरान कावेरी डेल्टा में विस्तृत वर्षा हुई जो इस क्षेत्र में 3 दिनों में 56 से 133 मिलीमीटर मिलीमीटर तक रह तथा सूचना मिली है कि इससे धान की फसल को लाभ होगा और इससे भी प्रभाव भी न्यूनतम हो जायेगा।

इस वर्ष कावेरी-बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून कुछ देर से पहुंचा। तथापि, अच्छी वर्षा होने के कारण मेत्तूर जलाशय में सितम्बर, 1983 महीने में अधिकतम 76 टी० एम० सी० जल स्टोर किया गया। यह सूचित किया गया है कि इस समय जलाशय में लगभग 24 टी० एम० सी० जल का उपयोगी भण्डार है और हाल की वर्षा से तथा इस समय उपलब्ध जल-भंडारण से यह संभावना है कि कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने खड़ी फसलों की किसी विशिष्ट हानि के सम्बन्ध में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है और इस वर्ष मानसून के पश्चात् किसी सहायता के लिए भी मांग नहीं की है।

पेयजल की रिसाइकिलिंग हेतु परियोजनाएं स्थापित करना

4357. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में पेय जल हेतु पानी की रिसाइकिलिंग करने के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस काम के लिए यदि धन का आबंटन किया गया हो तो वह कितना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) : जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मत्स्य उद्योग के लिए आर्थिक राहत

4358. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को मत्स्य उद्योग के लिए आर्थिक राहत हेतु अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) सरकार सहायता देने हेतु क्या उपाय कर रही है ; और

(ग) 1983 में कौन-कौन से सहायता उपाय कार्यान्वित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार मैक्सिकन ट्रालरों के सम्बन्ध में जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से मंजूर किए गए ऋण का पुनः भुगतान करने की अवधि को 8 वर्ष से 16 वर्ष तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

भारत सरकार ने निर्धारित शर्तों के साथ मछली पकड़ने के जलयान की लागत मूल्य का का 33 प्रतिशत की दर पर देशी मत्स्यन जलयानों का निर्माण करने पर राजसहायता अनुदान की घोषणा की है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य

4359. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो 1981-82, 1982-83 में आंध्र प्रदेश में भावी कमियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक काम कर लिया है। 3.39 लाख हेक्टार के लक्ष्य की तुलना में 1982-83 के दौरान 3.75 लाख हैक्टार की उपलब्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) सामाजिक वानिकीके तहत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी हुई हैं:-

(क्षेत्र हैक्टार में)

राज्य का नाम	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
आन्ध्र प्रदेश	1981-82	10300	12,380
	1982-83	29,000	28,388

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए नीति

4360. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में कोई समान नीति है ;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि आंध्र प्रदेश में 600/- से अधिक पाने वाले कर्मचारियों के राशन में चावल नहीं दिया जाता है जबकि दिल्ली में और दूसरे कई स्थानों में उचित दर दुकानों के माध्यम से गेहूं और चावल सस्ते दामों में दिया जाता है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार आंध्र प्रदेश सरकार को दिल्ली की तरह वितरण प्रणाली जारी करने हेतु सलाह देने का है अथवा मध्यम वर्ग के कष्टों को कम करने हेतु वह सुधा-

रात्मक उपाय लागू करेगा ; और

(घ) क्या उनका मन्त्रालय इस बारे में देश भर में समान मार्गदर्शी सिद्धांत तय करेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के अन्त र्गत केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली कुछ आवश्यक वस्तुओं, जिनमें गेहूं और चावल भी शामिल हैं, की सप्लाई करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं के वास्तविक वितरण का कार्य, जिसमें यह निर्धारित करने का कार्य भी शामिल है कि कितनी मात्रा दी जाएगी और किस वर्ग के उपभोक्ताओं को दी जायगी, सम्बन्धित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। समय-समय पर ऐसी मात्राएं निर्धारित करते समय राज्य सरकारें कई बातों को ध्यान में रखती हैं, जिसमें स्थानीय परिस्थितियां, उपभो-क्ताओं की रुचि और आय, राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा आदि भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिस्थितियां अलग-अलग होने के कारण केन्द्रीय सरकार, पूरे देश में अनाज देने के लिए एक जैसी नीति अपनाना उपयुक्त नहीं समझती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण जैसी प्रणाली में, जो केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय पर चलती है, राज्यों को एक हद तक स्वायतता तथा कार्य करने की स्वतन्वता प्रदान करना बहुत ही जरूरी है, ताकि यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल सके। इस दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार का आंन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सलाह देने का प्रस्ताव नहीं है कि वे सार्वजनिक वितरण को उसी रूप में अपनायें जैसी कि दिल्ली में लागू है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का पुनर्गठन

4361. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र डेरी विकास बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की उसकी अनुपयुक्त योजना और उत्पादन में पीछे रहने के कारण होने वाली आलोचना न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) फिलहाल राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक मण्डल आगामी आदेशों तक पुनः नामजद किया गया है। इसके पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि की अधिकतम सीमा कानून की कार्यान्विति

4362. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है कि विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में भूमि सीमा का समयबद्ध कार्यान्वयन, किराएदारी, वासभूमि, भूमिहीनों को फालतू जमीन का वितरण, सामुदायिक जमीन की सुरक्षा तथा अन्य भूमि सम्वन्धी कानून लागू हों और उनमें एकरूपता हो ;

(ख) एक एकड़ से कम, एक एकड़ और एक हेक्टेयर के बीच और एक और दो हेक्टेयर के बीच दो और चार हैक्टेयर के बीच और चार हैक्टेयर से अधिक की जोतों की नवीनतम राज्य वार स्थिति क्या है और सीमांत तथा छोटे कृषकों के हस्तांतरण को समाप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ; और

(ग) देश भर में जमीन के अवैध उपयोग की समाप्ति को सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) नागालैंड तथा मेघालय और कुछेक केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा लगाने के लिए कानून बना लिए हैं और वे इसे राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लागू कर रहे हैं। इन अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करने के परिणामस्वरूप फालतू भूमि धारकों द्वारा 14,39 लाख विवरणियां दायर की गई हैं जिनमें से 14.14 लाख विवरणियों का निपटान किया जा चुका है, केवल 24000 विवरणियां निपटाने के लिए शेष बची हुई हैं । 43.56 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है जिसमें से 29.63 लाख एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है। 15·02 लाख लाभभोगियों की 24.40 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है।

बहुत से क्षेत्रों में काश्तकारी कानून बना दिए गए हैं जिनमें काश्तकारों को मलकियत अधिकार दिलाने अथवा भूस्वामी को उपयुक्त मुआवजे का भुगतान जरने पर काश्त करने वाले काश्तकारों को मलकियत अधिकारी प्राप्त कराने के लिए अनुमति देने की व्यवस्था है। इन उपायों के परिणामस्वरूप 5.6 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर 7.7 मिलियन से अधिक काश्तकारों को मलकियत अधिकार दिलाए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गृहस्थलों के लिए पात्र परिवारों की संख्या अनुमानतः 14.5 मिलियन है सितम्बर, 1983 तक इसके अन्तर्गत 11.3 मिलियन परिवार ले लिए गए हैं। देश के विभिन्न भागों में सामुदायिक भूमि का रख-रखाव तथा उसकी सुरक्षा के लिए या तो कानूनी व्यवस्था है अथवा प्रथागत प्रावधान है।

(ख) भूमि जोतों की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा भूमि के इस प्रकार के हस्तांतरण पर कोई सामान्य रोक नहीं हैं। तथापि, बहुत से राज्यों जहां गैर-आदिवासी व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा भूमि के हस्तांतरण के मुकाबले में आदिवासी भूमिधारकों द्वारा अपने कब्जे में भूमि रखी गई है, के कानूनों में उसके लिए प्रति बन्ध मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से राज्यों के कानूनों में जोतों के संविभाजन के विनियमन हेतु भी व्यवस्था है।

(ग) रुपए के लेन-देन तथा कृषि राहत का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में है। भारत सरकार की सलाह पर राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों मे ऋण की वापसी अदायगी पर ऋण-स्थगन लागू करने और ग्रामीण समाज के कुछेक कमजोर वर्गों को ऋण-देयताओं से पूर्णतः मुक्ति दिलाने के लिए कानून बनाए हैं। ये उपाय गैर- संस्थागत साधनों के के मुकाबले में केवल बकाया ऋणों को लागू होते हैं।

19 राज्यों से प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि 4.27 लाख लाभभोगियों को राहत प्राप्त हुई है और इसके लिए 21.08 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।

विवरण

क्षेणी के आधार पर प्रचालनात्मक जोतों की संख्या का राज्यवार वितरण-1976-77 (आंकड़े 000 में)

राज्य	0.5 हैक्ट. से कम	0.5 से 1.0 है०	सीमांत 1.0 से कम	लघु 1.0 से 2.0 कालम 2+3	2.0 से 3.0 है०तक	3.0 से 4.0 हैक्ट० तक	अर्ध मध्यम 2.0 से 4.0 है०तक (कालम 6+7)	4.0 से 5.0 है० तक	5.0 से 7.5 है० तक	7.5 से 10.0 हैक्ट० तक	मध्यम 4.0 से 10.0 हैक्ट० (कालम 9+10)	10.0 से 20.0 हैक्ट० तक	20.0 से 30.0 हैक्ट० तक	30.0 से 40.0 हैक्ट० तक	40.0 से 50.0 हैक्ट० तक	50.0 हैक्ट. और उससे ऊपर	बड़ी 10.0 हैक्ट० उससे ऊपर (कालम 13+14+15+16+17)	सभी श्रेणि- यां	4.0 है० और उससे ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
आंध्र प्रदेश	1724	1144	2868	1252	701	371	1072	256	337	160	753	165	30	8	3	3	209	6154	962
असम	814	530	1344	510	204	92	296	46	41	9	95	5	1	नगण्य	नगण्य	2	8	2254	104
बिहार	5445	1771	7216	1191	593	334	927	217	205	97	519	64	13	3	1	2	83	9936	602
गुजरात	325	330	655	541	383	269	652	204	308	158	670	173	17	3	1	1	195	2713	865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
हरियाणा	177	130	307	187	124	87	211	65	104	52	221	59	9	3	1	1	73	999	294
हिमाचल प्रदेश	214	126	340	137	63	32	95	17	18	7	42	6	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	7	621	49
जम्मू और कश्मीर	444	238	682	161	68	31	99	14	10	3	27	2	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	2	971	29
कर्नाटक	648	626	1274	888	510	308	818	211	278	143	632	165	25	5	2	2	189	3811	831
केरल	2639	430	3069	280	82	32	114	17	14	30	34	3	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	4	3501	38
मध्य प्रदेश	1187	792	1979	1095	765	500	1265	396	564	307	1267	360	64	17	7	7	455	6061	1722
महाराष्ट्र	812	693	1505	1142	790	549	1339	41	619	333	1353	369	44	8	2	2	425	5764	1778
मणिपुर	26	44	70	49	15	5	20	1	1	नगण्य	2	नगण्य	नगण्य	—	—	—	—	141	2
मेघालय	23	35	58	51	30	15	45	8	6	1	14	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	—	1	170	15
नागालैंड	4	6	10	14	10	10	20	7	14	12	33	19	4	1	नगण्य	1	25	102	58
उड़ीसा	863	812	1675	1044	432	170	602	109	93	31	233	33	3	1	नगण्य	नगण्य	37	3591	270
पंजाब*	416	221	637	273	170	109	279	80	173		253	51	7	2	1	1	62	1504	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राजस्थान	751	569	1320	799	515	352	867	246	410	218	874	342	90	36	16	22	506	4366	1380
सिक्किम	5	5	10	8	5	3	8	2	2	1	5	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1	32	6
तमिलनाडु	2629	1322	3351	1126	459	224	683	126	129	50	306	38	5	1	1	1	46	611	352
त्रिपुरा	85	61	145	60	24	9	33	4	3	1	8	1	नगण्य	नगण्य	—	नगण्य	1	247	9
उत्तर प्रदेश	8443	3331	17774	2781	1097	530	1627	302	299	103	704	74	7	2	1	1	85	16971	789
पश्चिम बंगाल	1294	1209	3503	1082	424	122	546	81	45	9	135	2	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	2	5268	137
सभी केन्द्र शासित क्षेत्र	83	48	131	57	33	15	48	12	13	6	31	10	3	1	नगण्य		14	281	45
योग अखिल भारत	30050	14473	44523	14728	7497	4169	11666	2832	3513	1694	8212	1944	324	91	36	46	2440	81569	10661

स्रोत कृषि जनगणना 1976-77

*कृषि जनगणना 1976-77 पंजाब में नहीं की गई थी। राज्यों के लिए आंकड़ों का अनुमान हरियाणा में चल रहे रुखों के आधार पर लगाया गया था। 5.0 से 7.5 हैक्टेयर और 7.5 से 10.0 हैक्टेयर की श्रेणियों के लिए आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1982 को स्वीकृति

4363. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1982 पिछले एक वर्ष से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं और राज्य के राजकोष पर इसकी क्या आपत्तियां होंगी और उससे कुल कितने भूमि, मकान और फैक्टरी मालिकों को टाटा के उप-किराये दार बन जायेंगे ;

(ग) क्या भूतलक्षी प्रभाव से, 1950 से, टाटा को जमीनदारी के अधिकार पुनः लौटाने वाले इस विधेयक को राष्ट्रपति ने पहले ही मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और इसे मंजूरी देने से इन्कार न करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) यह विधेयक बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को अगस्त 1982 में भेजा गया था और इस पर राष्ट्रपति की सहमति की सूचना बिहार सरकार को सितम्बर 1883 में भेज दी गई थी ।

इस कानून की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिया गया है । जून 1679 से पहले टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा विभिन्न संस्थाओं, उद्यमों तथा व्यक्तियों को मंजूर किए गए पट्टों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है ।

बिहार सरकार द्वारा टिस्को के साथ हुई व्यवस्था के अन्तर्गत टिस्को पूरे जमशेदपुर नगर के लिए नागर सेवाएं तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेगी । इस उद्देश्य के लिए ने बहुत सी वित्तीय हानियों को वहन करने का उल्लेख किया है, परन्तु इसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा । बिहार सरकार टिस्को द्वारा नागरिक सुविधाओं के प्रावधान सहित विभिन्न प्रयोजगों के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि हेतु किराया वसूल करेगी । यह किराया प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 200 रुपये और 1 रुपये के बीच होगा, जो कि इस्तेमाल की जाने वाली भूमि पर निर्भर करेगा । टिस्को द्वारा पहले उगाहया गया किराया सरकार के पास इस शर्त पर जमा करना होगा कि वह अपने कमीशन के रुप में इस उगाही का 5 प्रतिशत वसूल करेगी ।

विवरण-1

बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 7-घ के अंतर्गत टिस्को द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु अपने पास रखी गई भूमि राज्य द्वारा इसके साथ तय की हुई मान ली जाएगी । इस संशोधन के अधीन यह भूमि इसके पास पहले से ही पट्टे पर दी गई मानी जाएगी ।

धारा 7-ङ० के अधीन, टिस्को द्वारा अन्य ओद्योगिक उद्यमों, संस्थाओं व्यक्तियों आदि को

पहले से पट्टे पर दी गई भूमि को, राज्य द्वारा इन बाद वाले निकायों और व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया माना जाएगा। संशोधन के अन्तर्गत ऐसी सारी भूमि को राज्य सरकार द्वारा टिस्को के उप-पट्टेदार होंगे।

संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, टिस्को द्वारा दिए जा रहे उप-पट्टों के किराए और अन्य शर्तों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विवरण-2

22 जून, 1970 से पहले किए गए आबंटन

क्र० सं०	आबंटन का स्वरूप	जोतों की कुल संख्या	शामिल क्षेत्र "क"	शामिल क्षेत्र "ख"
1	2	3	4	5
1.	आवासीय पट्टे	959	149	876
2.	सम्बद्ध कम्पनियों को कारखाना पट्टों पर मंजूर किये गए पट्टों की कुल संख्या	59	1445	543
3.	सम्बद्ध कम्पनियों को रिहायशी उद्देश्यों हेतु मंजूर किए गए पटटों की कुल संख्या	71	1780	769
4.	दुकान एवं रिहायशी पट्टे के लिए मंजूर किए गए पट्टों की कुल संख्या	138	23	821
5.	क्लबों और संगठनों के लिए मंजू किए गए पट्टों की कुल संख्या	97	295	940
6.	धार्मिक संस्थाओं के लिए मंजूर किए गए पट्टों की कुल संख्या	39	24	750
7.	मंजूर किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या	60	123	182

1	2	3	4	5
8.	मासिक किरायेदारी जोतों की कुल संख्या (रिहायशी+बाजार)	7457 459	180	696
9.	दुकान एवं रिहायशी जोतों की कुल संख्या (मासिक किरायेदारी)	455	46	714
10.	सम्बद्ध कम्पनी (टेल्को) को मासिक किरायेदारी की जोते	4	40	515
11.	रिहायशी उद्देश्यों के लिए आवासीय सोसायटी के लिए मंजूर किये गये पट्टों की कुल संख्या (राजेन्द्र नगर-2, कागलनगर-1)	3	17	340

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य

4364. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई; और

(ख) कमी के क्या कारण हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के आधारी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन लक्ष्य और 1982-83 के दौरान उनकी उपलब्धि नीचे दर्शायी गई है :-

(मात्रा क्विंटल में)

बीज की किस्म	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रत्याशित)
आधारी बीज	113,464	89,026
प्रमाणीकृत बीज	755,332	570,159

(ख) सोरघम के आधारी बीज के उत्पादन में कमी आने का कारण पिछला बकाया स्टाक

और कुछ किस्मों के प्रजनक बीजों का उपलब्ध न होना था और आलू के आधारित बीज के उत्पादन में कमी आने का कारण स्केब नामक बीमारी का भारी मात्रा में पाया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप इसको बीज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका।

धान के प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन सूखे से प्रभावित हुआ और पटसन और गेहूं के प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन बेमौसमी वर्षा से प्रभावित हुआ। बाजरा के बीज का उत्पादन भी प्रमाणीकरण रद्द करने से प्रभावित हुआ।

राष्ट्रीय बीज निगम ने अपने फार्मों में प्रजनक बीजों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है 1982-83 के दौरान लगभग 150 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया है।

नवादा में भूख से मौतें

4365. **श्री रामवातार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 के हिन्दी दैनिक "जनशक्ति में" नवादा में भूख से 5 व्यक्तियों की मृत्यु शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मक्वाना) : (क) बिहार सरकार ने नवादा में भूख से मरने के यथाकथिक आरोप से सम्बन्धित समाचार का खण्डन किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन नहीं होते।

ए० आर० डी० सी० गोदामों की स्थापना के लिए मानदण्ड

4366. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ए० आर० डी० सी० (किराये के गोदाम) गोदामों की स्थापना करने के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा गया है ;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई गोदाम भागलपुर में बांका में स्थापित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ; और

(ड़) इस सन्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1976-77 में उस समय उपलब्ध क्षमता

पर दबाव और यथा सम्भव कम समय में अधिकतम भण्डारण स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने बिषयक एक योजना शुरु की थी। इस योजना के आधीन निर्धारित की मुख्य-मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं :-

(1) प्राइवेट पार्टियां स्वयं अपनी भूमि पर निर्माण करेंगी;

(2) गोदामों का निर्माण निगम द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाएगा ;

(3) संबंधित पार्टियों को ब्याज की रिहायती दर पर ऋण के रूप में बैंकों द्वारा निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत सुलभ किया जाएगा, जिसका पुनर्वित्त कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा और निर्माण की शेष 25 प्रतिशत लागत को संबंधित पार्टी द्वारा पूरा किया जाएगा ;

(4) भारतीय खाद्य निगम इन गोदामों को 3 से 5 वर्षों की गारंटी बद्ध धारिता के आधार पर किराये पर लेगा ; और

(5) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गोदाम का किराया 40 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास और शहरी क्षेत्र स्थित गोदाम के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास की दर पर देय होगा।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने यह गोदाम बांका में भण्डारण क्षमता की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किराये पर लिया था।

(ड़) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ ग्रस्त राज्यों को धनराशि का आवंटन

4367.**श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ ग्रस्त राज्यों को राहत उपायों के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और उन्हें और कितनी धनराशि देय है ; और

(ख) क्या सभी बाढ़ ग्रस्त राज्यों ने जिस प्रयोजन के लिए उन्हें धनराशि आवंटित की गई थी, धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा के राज्यों को 105.56 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता पहले ही मंजूर की जा चुकी है। असम, मध्यप्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पांडिचेरी के राज्यों से बाढ़-राहत के लिए केन्द्रीय सहायता तथा आन्ध्र प्रदेश,

हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की अरितिक्त सहायता सम्बन्धी अनुरोधो पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) चूंकि सहायता हाल ही में मंजूर की गई है, इसलिए धनराशि के उपयोग सम्बन्धी रिपोर्ट 31-3.1984 के वाद प्राप्त होने की आशा है।

आवास विकास वित्त निगम को अमरीकी सहायता का प्रस्ताव

4368. **श्री बी०वी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने आवास वित्त निगम को 6 करोड़ डालर की सहायता और देने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में समझौता हो चुका है और धन राशि प्राप्त हो चुकी है, और

(ग) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान देश में आवास सम्बन्धी कार्य कसायों के विकास के लिए इस धन राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) अपेक्षित आवास प्रतिभ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति मूलहेतु इच्छुक होने के लिए अमेरिकी अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण से 60 मिलियन अमेरीकी डालर राशि के ऋण की पेशक्श निजी क्षेत्र में आवास विकास वित्त निगम लि० (एच० डी० एफ० सी०) को प्राप्त हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए महाराष्ट्र को दिया गया धन

4369. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने पीने के पानी की अत्यन्त कमी वाले 11,472 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के लिए 27,41 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता किए जाने काअनुरोध किया था ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल भेजा जाए लेकिन अब तक ऐसे किसी भी दल ने इस राज्य का दौरा नहीं किया है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार गांव के गरीब लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में सहायता करने के लिए उपयुक्त धनराशि प्रदान करके महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) राज्य सरकार को पूरी धनराशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जनवरी, 1983 में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए 27,41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग का एक अनुपूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) से (घ) 1982-83 में एक केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार द्वारा यथा प्रक्षिप्त 31-3 1983 तक सम्भावित व्यय आंकड़ों तथा जून, 1983 तक निधियों की आवश्यकता के आधार पर महाराष्ट्र का दौरा किया था। 6,60 करोड़ रुपये (2,67 करोड़ रुपये 1982-83 के लिए तथा 3,83 करोड़ रुपये 1983-83 के लिए) की अधिकतम सहायता पेय जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र सरकार को मंजूर की थी। राज्य सरकार ने सितम्बर, 1983 में एक अन्य ज्ञापन अप्रैल-जुलाई, 1983 के लिए 13,3 करोड़ रुपये तथा 1983-84 के लिए 22.54 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायतार्थ प्रस्तुत किया था। राज्य-सरकार के इस अनुरोध की कृषि मन्त्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय जल आयोग में इन्जीनियरों की प्रतिनियुक्ति

4370. **श्री रेणुपद दास : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में राज्य पूल से अब तक कितने इन्जीनियरों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग की सेवाओं में इन इन्जीनियरों को इस प्रकार रखे जाने से आयोग के इन्जीनियरों में कोई असन्तोष पैदा हो गया है क्योंकि इससे अगले उच्च संवर्ग में इनकी पदोन्नतियों के अवसर कम हो जाते हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय केन्द्रीय जल इन्जीनियरी सेवा के विभिन्न ग्रेडों में विभिन्न राज्य सरकारों के 22 इन्जीनियर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के सेवा संघ (सर्विस एसोसिएशन) केन्द्रीय जल इन्जीनियरी सेवा में राज्य सरकारों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विरुद्ध प्रतिरोध कर रहे हैं । चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाएं राज्य

सरकार के इन्जीनियरों द्वारा क्रियान्वित की जाती है इसलिए यह वांछनीय समझा गया है कि केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के संवर्ग में राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें फ़ील्ड अनुभव हो तथा विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्थितियों का अनुभव हो, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके अनुरुप केन्द्रीय जल इन्जीनियरी (समूह क) सेवा नियमों के विभिन्न ग्रेडों में कुछ पदों की एक निश्चित प्रतिशतता राज्य सरकारों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए पृथकरक्षित कर दी गई है।

राज्यों में विद्यमान चीनी जोनों का विभाजन

4371. **श्री रेवपद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी उत्पादक राज्य कुछ वर्तमान चीनी जोनों का और आगे विभाजन किए जाने की मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीव राव) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा वर्तमान जोनों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों के लिए बेहतर लेवी मूल्य प्राप्त करने के लिए है, जहां जोन के लिए औसत रिकवरी और अवधि से अपेक्षाकृत कम रिकवरी और अवधि होती है।

तेलगू गंगा परियोजना

4372. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगु गंगा परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि चित्तूर जिले को कृष्णा नदी का सबसे कम पानी देकर उस जिले के साथ अन्याय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से तेलगू गंगा परियोजना की रिपोर्टकेन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच करने तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु हाल ही में 5-12-1983 को प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने कृष्णा बेसिन के 800 टी0 एम0 सी० जल आन्ध्र प्रदेश को आबंटित किया है। सिंचाई एक राज्य विषय है तथा इस आबंटित जल का

विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना समग्र रूप से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, तेलगू गंगा परियोजना में आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर तथा चित्तूर जिलों में 3.05 लाख एकड़ के सिंचाई की परिकल्पना की गयी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सोमा सिला नदी से आगे चित्तूर जिले में सिंचाई मेन्नार नदी में बाढ़ के जल का उपयोग करके की जाएगी।

उचित दर दुकानों का विस्तार

4373. **श्री के० लकप्पा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों की संख्या को बढ़ाने की कोई योजना है तथा खाद्यान्न के लिए प्रत्येक 2000 इकाइयों के पीछे एक उचित दर की दुकान हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उपरोक्त लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उचित दर की दुकानें खोलने में प्रति दुकान 2000 यूनिट के सामान्य मापदन्ड का पालन किया जाए। प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 राज्यों ने इस प्रतिमान को पहले ही प्राप्त कर लिया है, जबकि बाकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, इसे प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने तथा उसके पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है और उनसे उम्मीद की जाती है कि इस बारे में वे अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें।

दिल्ली में कमजोर वर्गों के लिए आवास

4374. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मकान दिलाने के बारे में वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उच्च-आय, मध्यम आय तथा कम-आय सम्बन्धी योजनाओं के बीच मकानों के विद्यमान अन्तर को पूरा करने के लिए औद्योगिक तथा वेतन सम्बद्ध आवास योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में भूमि की कीमतें बढ़ाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका

4375. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक दिल्ली के कितने किसानों से 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से कितनी जमीन का अधिग्रहण किया है।

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिगृहीत भूमि का विकास शुल्क 20 रुपये से बढ़ा कर 137 रुपये प्रति गज कर दिया है ; और

(ग) क्या किसानों को दी गई मुआवजा राशि न्यायसंगत है और यदि नहीं, तो 1.50 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीद कर उसे 50,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से जनता को बेचने का औचित्य क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी विभाग में गोलमाल

4376. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 12 नवम्बर, 1983 के "ब्लिट्स" में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा "करोड़ों का गोलमाल(बंगलिंग आफ करोरस)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन 20 करोड़ पौधे लगाने के लिए विश्व बैंक से 25 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था जबकि सभी नर्सरियों में केवल 6 करोड़ पौधे उगाए गए थे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बिहार में वन विभाग में भी इसी प्रकार की स्थिति है और यदि नहीं, तो बिहार में 1982-83 और 1983-84 के दौरान वन विभाग द्वारा कितने पौधे उगाए गये और लगाए गये हैं ; और

(घ) यदि वनरोपण कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहा है और वन के अन्तर्गत कुल राष्ट्रीय भूमि के 33 प्रतिशत होने की बजाए इस समय केवल 15 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं और क्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण सम्बन्धी विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के माध्यम से 23.05 करोड़ पौधे लगाये हैं। इसमें

से सामाजिक वानिकी सम्बन्धी विश्व बैंक परियोजना ने 5.3 करोड़ पौधों का योगदान दिया है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना 4000 लाख रुपये की है जिसमें 230 लाख अमरीकी डालर का वाह्य ऋण शामिल है।

(ग) 1982-83 में बिहार ने 9.01 करोड़ पौधे लगाए हैं जबकि लक्ष्य 9.0 करोड़ पोधे लगाने का था है। 1983-84 के लिए राज्य ने 10.75 करोड़ पोधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अक्तूबर, 1983 तक 1.069 करोड़ पौधे लगाये गए हैं।

(घ) देश में वन भूमि राष्ट्रीय भूमि का लगभग 22.8 प्रतिशत है। तथापि इसमें काफी क्षेत्र ईधन की लकड़ी, चराई और आग के भारी दबाव के कारण अवक्रमित हो गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए वनों के भीतर और बाहर त्वरित वनरोपण कार्यक्रम के माध्यम से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 21-47 लाख हैक्टार में पौधे लगाये जायंगे जबकि 1979-80 तक 25.57 लाख हैक्टार में पोधे लगाये गए थे। उच्च स्तरीय जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वनस्पति में गाय की चर्बी मिलाना

4377. क्या **खाद्य और नागरिक** पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के मन में, वनस्पति में गाय की चर्बी मिलाये जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि उत्पाद, सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार हों, तथा यह बात बाजार में सप्लाई किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर पर लिखी होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में हुई आशंका को दूर किया जा सके ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) वर्ष के दौरान वनस्तति घी के उत्पादन तथा प्रेषण में, जो इस उत्पाद की खपत का भी सूचक है, कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। अतः इस तरह की कोई आशंका है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

(ख) सरकार नियमित रूप से कारखानों का निरीक्षण करके तथा सभी वनस्पति कारखानों से नमूने लेकर देश में वनस्पति के उत्पादन की गुणवत्ता पर निरन्तर व कड़ी नजर रख रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हो तथा उसमें केवल अनुमत तेलों का प्रयोग किया जाए। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मंडियों से नमूने लें, उनका विश्लेषण करवायें तथा जहां कहीं आवश्यक हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई करें। चर्बी के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। तथापि, सरकार विनिर्माताओं के लिए यह बात अनिवार्य करने पर विचार कर रही है कि वे वनस्पति घी तैयार करने में प्रयुक्त वनस्पति तेलों के नामों का आधानों (कन्टेनर) पर लगे लेबिल में उल्लेख करें।

हाकी और क्रिकेट टीमों का खेल प्रदर्शन

4378. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाकी टीम और क्रिकेट टीम की हाल ही की पराजय को ध्यान में रखते हुए उनके खेल प्रदर्शन से संतुष्ट है ; और

(ख) देश में खेल का स्तर बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) क्रिकेट और हाकी हमारी राष्ट्रीय टीमें इन खेलों में विश्व की कुछ उच्चकोटि की टीमों में से हैं। इन उच्च कोटि की टीमों के बीच हमारी राष्ट्रीय टीमें कभी जीतती और कभी हारती है। यह किसी खेल का एक अनिवार्य संघटक होने के नाते असन्तोष का कोई कारण नहीं है। सरकार यह महसूस करती है कि यह एक अस्थायी पहलू है जिसमें से टीमों को सामान्यतः गुजरना पड़ता है।

(ख) सरकार गत बजट सत्र के दौरान 1982-83 के लिए खेल विभाग की सभा-पटल पर रखी गई वार्षिक रिपोर्ट में उल्लखित के अनुसार देश में खेल स्तरों में सुधार और रखरखाव के लिए कदम उठा रही है।

सहकारी समितियों के लिए केन्द्रीय कानून

4379. **श्री जी० वाई०कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों के लिए कम्पनी अधिनियम की तरह केन्द्रीय कानून बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ी योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। तदनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अपने सहकारी कानून बनाए हैं। तथापि, जिन, सहकारी समितियों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं वे केन्द्रीय सरकार के कानून तथा कार्यकारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार की सहकारी समितियां वर्तमान बहु-एकक सहकारी समिति अधिनियम, 1942 के अन्य र्गत आती हैं। यही एकमात्र प्रभावी कानून है। वर्तमान प्रभावी अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक बहु-राज्य सहकारी समिति कानून बनाने का प्रस्ताव है।

सहकारी समितयों के कर्मचारियों का कल्याण

4380. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश सहकारी समितियां सरकार से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता पाने के बाद भी कर्मचारियों के कल्याण कार्य में असफल रही है (बिजनेस स्टैंडर्ड 20-10-1983) ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सर्वाधिक सहकारी सहायता/अनुदान/ऋण पाने वाली समिति

यों में से एक, कैरा डेरी सहकारी समिति के बारे में जिसने सभी कर्मचारियों के कल्याण की उपेक्षा करके सहकारी समितियों की छवि बिगाड़ दी है. अध्ययन करने का है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में लघु किसान विकास अभिकरण तथः सीमांत किसान और कृषि मजदूर अभिकरण द्वारा किए गए कार्य का जायजा

4381. : **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीव ग्रामीणों विशेषकर उड़ीसा राज्य के गरीब लोगों की दशा सुधारने में लघु किसान विकास अभिकरण और सीमांत किसान और कृषि मजदूर अभिकरण द्वारा किये गए कार्य का जायजा लिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अभिकरणों के लिए अलग रखी गई धनराशि और इनके द्वारा वास्तव में किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बारे में अतिरिक्त धनराशि के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क), उड़ीसा में लघु कृषक विकास एजेंसी योजना को 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु कृषक विकास एजेसी योजना के लिए किन्हीं निधियों को उपयोग में लाए जाने का प्रश्न नहीं उप्रता।

(ग) व (घ) उपर्युक्त (ख) में दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना

4382. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने देश में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कोई योजनाएँ शुरू की हैं,

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कार्यान्वित की जाने वाली या शुरू की जाने वाली योजनाएं कौन-कौन सी हैं, और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :—

1. ताजे पानी में मछली पालन, अनुसंधान और प्रशिक्षण में तेजीलाना,

2. जलकृषि हैचरी परामर्शदाता,

3. वंगाल की खाड़ी में लघु स्तरीय मात्स्यकी का विकास,

4. जलकृषि विकास समन्वय कार्यक्रम ।

(ग) उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:—

1. ताजे पानी में गहन मछली पालन और जलकृषि विकास समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत जलकृषि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धौली (उड़ीसा) में केन्द्रीय अन्तः देशीयमात्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं ।

3. विश्व बैंक की सहायता से अंतः देशीय मात्स्यकी परियोजना के लिए जलकृषि हैचरी के अंतर्गत खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रायोजित हैचरी परामर्शदाता उड़ीसा में आवश्यकतानुसार अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं ।

3. बंगाल की खाड़ी में लघु स्तरीय मात्स्यकी विकास योजना के अन्तर्गत सरकार 1980 81 में श्री लंका में 15 मात्स्यकी विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में सक्षम रही है। परम्परागत मछुआरों के बच्चों को गैर-औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदाग करने के उपाय भी किए गए हैं मछुआरों को परम्परागत जलयानों और गियरों के आधुनिकीकरण के मामले में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत खाद्य और कृषि संगठन ने तट पर उतारे जाने वाले उन्नत किस्म के जलयान भी सप्लाई किए हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के फ्ल्यू-क्योरिंग के कारण वनों की हानि

4383. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को यह पता है कि आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की फ्ल्यू-क्योरिंग के कारण वनों को भारी नुकसान पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो नुकसान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को यह जानकारी है कि तम्बाकू के फ्ल्यू-क्योरिंग (उपचार) के लिए जलावन की लकड़ी की आवश्यकता होती है चूंकि आंध्र प्रदेश तम्बाकू का मुख्य उत्पादक है, अतः वहां तम्बाकू का उपचार करने

हेतु काफी मात्रा में जलावन की लकड़ी की आवश्यकता होती है।

(ग) देश में जलावन की लकड़ी की मांग और सप्लाई में काफी अन्तर है। सामाजिक वानिकी, ग्रामीण जलावन की लकड़ी, वनरोपण और पोदों का निःशुल्क वितरण जैसे विभिन्न बागान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में जलावन की लकड़ी की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए सरकार उपाय कर रही है। वन अनुसंधान संस्थान से इस बात का पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या किसी अन्य प्रकार से तम्बाकू का उपचार किया जा सकता है। मन्त्रालय बलारिया में विकसित किए गए फरनेस के डिजाइन के लिए उस देश में स्थित अपने दूतावास से भी सम्पर्क बनाये हुए है।

गाँवों में स्वच्छता प्रणाली

4384. **श्री प्रताप वाघ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों के विकास में और ग्रामीण आबादी के जीवन के ढंग में सुधार के लिए अच्छी स्वच्छता प्रणाली का न होना एक बहुत बड़ी रुकावट है ;

(ख) गांवों में स्वच्छता प्रणालियों के विद्यमान तरीके क्या हैं ;

(ग) गांवों में नई और विकसित स्वच्छता प्रणाली की प्रति मकान अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) नई स्वच्छता प्रणाली की स्थापना के लिए इस समय क्या सहायता उपलब्ध की जाती है ; और

(ड.) गांवों में स्वच्छता में सुधार न होने के कारणों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधार सुझाये गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार को प्रभावित करने वाले तथ्यों में से एक तथ्य अच्छी स्वच्छता प्रणाली का न होना है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध ब्यौरे के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में केवल लगभग 0.5 प्र० श० ग्रामीण आबादी को उचित स्वच्छता सुविधायें प्राप्त हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से अभिकल्पित कम लागत के जलवाही शौचालय के एक एकक की अनुमानित लागत स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए 650 रुपये तथा 850 रुपये के बीच आकी गई है।

(घ) छठी योजना अवधि के लिए स्वच्छता हेतु राज्य योजना क्षेत्र में 19.13 करोड़ रुपये

के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। आवास तथा नगर विकास निगम मुख्य रूप से शुष्क शौचालयों में बदलने की योजना के लिए 50 प्र० श० सहायता देती है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए 5 प्र० श० तथा अन्य वर्गों के लिए 10 प्र० श० ब्याज है। केंद्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शहर के लिए स्वीकृत 40 लाख रुपये की राशि में से 15 लाख रुपये कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए दिये जाते हैं।

(ड.) ग्रामीण परिवारों के लिए कम लागत के जलवाही शौचालयों की व्यवस्था करने से गांवों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा उड़ीसा को खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए वित्तीय सहायता देना

4385. **श्रीमती जयन्मी पटनायक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा उड़ीसा में खाद्यान्न भंडारण परियोजना के तृतीय चरण एन० सी० डी० सी० परियोजना को कार्यान्वियन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है,

(ख) क्या केंद्रीय सरकार का विचार उक्त परियोजना का निर्माण पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है,

(ग) उक्त परियोजना के कितने समय में पूरा हो जाने का अनुमान है,

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने भंडारों और भंडारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है, और

(ड.) अब तक इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ड.) एन० सी० डी० सी० -3 परियोजना अभी मूल्य निर्धारण चरण में है और विश्व बैंक द्वारा अभी मन्जूर की जानी है। प्रारूप परियोजना रिपोर्ट में शामिल किये गये घटकों में से एक 6 राज्यों में लगभग 13.69 लाख मीटरी टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ सहकारी समितियों के जरिए लगभग 7800 गोदामों का निर्माण करना है, जिसमें उड़ीसा में 2.62 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 1225 सहकारी गोदामों का निर्माण भी शामिल है। यह परियोजना विश्व बैंक तथा सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने पर 1984-85 के दौरान किसी समय इस परियोजना के शुरू होने की आशा है।

चावल की फसल का अवरुद्ध होना

4386. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की फसल की अवरुद्धता और अस्थिरता दूर करने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाये गये हैं,

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली विभिन्न प्रकार के धान की कौन-कौन सी फसलों को आरम्भ किया गया है,

(ग) इसके परिणाम स्वरूप छठी योजना अवधि के दौरान भारत में प्रौद्योगिकी के स्वरूप में क्या परिवर्तन किए गए हैं, और

(घ) चावल में क्रान्ति लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आनी है, प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु और सीमान्त कृषकों की परिभाषा के मानदण्ड

4387. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कृषकों को लघु और सीमान्त कृषकों की परिभाषा के अन्तर्गत लाने के क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ;

(ख) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में इसके लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यह मानदण्ड इन जिलों में, जहां प्रत्येक पांच वर्ष में से लगातार चार वर्ष तक अकाल की स्थिति बनी रहती है तथा जमीन अनुपजाऊ है, उचित नहीं ठहरते, और

(घ) क्या इस क्षेत्र की जिला विकास समितियों ने क्रमशः लघु कृषक के लिए 150 बीघा और सीमान्त कृषक के लिए 75 बीघा भूमि के मानदण्ड की सिफारिश की है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसानों की परिभाषा नीचे दी गयी है :—

1. **लघु किसान** :—जिस काश्तकार के पास 2 हैक्टार भूमि अथवा इससे कम है। वह कृषक जिसके पास वर्ग-1 की सिंचित भूमि, जैसा कि राज्य भूमि की अधिकतम सीमा कानून में वर्णित है, एक हैक्टार अथवा इससे कम है, उसे लघु किसान माना जाएगा । जहां पर भूमि सिंचित है, लेकिन वर्ग-1 किस्म की नहीं है, राज्यों सरकारों द्वारा 2 हैक्टार भूमि की अधिकतम सीमा तक भूमि को बदलने का उपयुक्त अनुपात अपनाया जा सकता है

2. **सीमान्त किसान** :—वह व्यक्ति, जिसके पास एक एकड़ या इससे कम भूमि है, सीमांत किसान है। वर्ग-1 की सिंचित भूमि के मामले में भूमि की अधिकतम सीमा 0.50 हैक्टार होगी।

(ख) राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों की परिभाषा नीचे दी गयी है:—

(हैक्टार में)

जिला	लघु किसान		सीमान्त किसान	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1. जैसलमेर	1.50	10.00	0.75	5.00
2. बाड़मेर और जोधपुर	1.50	7.00	0.75	3.50

ग्रामीण क्षेत्रों के केवल वे परिवार, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3500/-रुपए से कम है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के पात्र हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों के सम्बन्ध में मौजूदा परिभाषा में इन क्षेत्रों में शुष्क स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः इन क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों का पता लगाने के लिए अधिक उदार नियम अपनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों की परिभाषा को संशोधित करने के बारे में किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, बीकानेर में कराकुल/कराकुल संकर-नस्ल की भेड़ों संबंधी अनुसंधान पर खर्च

4388. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1975-76 से अब तक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, बीकानेर में कराकुल/कराकुल संकर-नस्ल की भेड़ों सम्बन्धी अनुसत्धान पर कुल कितनी धनराशि, वर्ष-वार विवरण सहित खर्च हुई है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस परियोजना के शुरु होने के समय से कितने कराकुल मेंमनों/कराकुल शंकर-नस्ल के "पैल्ट्स" का आयात किया गया है; और

(ङ.) भारत में किन-किन स्थानों पर कराकुल/कराकुल-संकर नस्ल भेड़ अनुसन्धान केंद्र और फार्म स्थित हैं तथा क्या कोई और नए खोलने का विचार किया गया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संस्थान में प्रत्येक अनुसन्धान

प्रायोजना के लिए अलग से खाता नहीं रखा जाता इसलिए कराकुल और कराकुल संकर नस्ल पर हुए व्यय को बताना कठिन है।

(ख) संस्थान में प्रत्येक अनुसन्धान प्रायोजना से प्राप्त राजस्व का खाता अलग से नहीं रखा जाता इसलिए कराकुल और कराकुल संकर नस्ल की भेड़ों से प्राप्त राजस्व को बताना कठिन है।

(ग) सोवियत संघ से आयातित कराकुल भेड़ों की उपलब्धियों की जांच विशुद्ध नस्ल के रूप में बीकानेर के गलीचा ऊन और कराकुल पैल्ट उत्पादन डिवीजन में की जा चुकी है और शरीर भार, उत्तरजीविता, पुनरुत्पादन, पैल्ट गुणवत्ता और ऊन भार के सन्दर्भ में इन्हें सन्तोषप्रद पाया गया है। कराकुल का मालपुरा और सोनाड़ी जैसी देशी और बालों वाली नस्लों के साथ संकरण और मध्यम दर्जे के ऊन वाली नस्ल जैसे मारवाड़ी के साथ किये गये संकरण से स्वीकार्य मेमने पैल्ट उत्पादन प्राप्त करने के लिए अति उत्तम संकर नस्ल प्राप्त किये जाने की आशा है तीन चौथाई कराकुल इन नस्लों के साथ पैल्ट गुणत्ता में कराकुल जैसी ही अच्छी हैं। संकरों में कई रंग विभिन्नता भी पाई गई है। ऊन उत्पादन और गुणवत्ता में भी काफी सुधार है। पैल्ट उत्पादन के इस मरु क्षेत्र में और भी कई लाभ हैं जिससे नये उद्योग आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य साबित होंगे।

लघु क्षेत्र में कराकुल संकर नस्ल भेड़ उद्योग विकास के लिए पूर्व में भेड़ प्रजनकों को इस संस्थान के एक व्यावहारि अनुसन्धान केंद्र पर कराकुल मेढ़े उपलब्ध कराये गये थे। बाद में भेड़ और ऊन विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर जिले के मनोहरपुरा और सैवाद गांवों में पैल्ट उत्पादन के लिए कराकुल भेड़ों से संकर कराने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यह संस्थान राजस्थान सरकार के भेड़ और ऊन विभाग को वही-मूल्य पर मेढ़े उपलब्ध करा रहा है। मेढ़े गांवों में रखे जाते हैं और भेड़ (रेवड़) पालकों को प्रजनक मौसम में दिये जाते है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एन० ए० बी० ए० आर० डी०) भेड़ और ऊन विभाग, राजस्थान सरकार, और राजस्थान भेड़ और ऊन विपणन फैडरेशन के सहयोग से एक उचित कार्यक्रम बनाया गया है। संस्थान राजस्थान भेड़ और ऊन विपणन फैडरेशन, जो कि उपर्युक्त गांवों के किसानों से पैल्ट खरीदता है, द्वारा खरीदी गई पैल्टों के संसाधन और किस्म निर्धारण करने में सहायता करती है।

कराकुल के साथ संकर प्रजनन के प्रसारण के लिए राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विभाग के माध्यम से 65 कराकुल मेढ़ों का राजस्थान के किसानों को वितरण किया गया है और 5 मेढ़े हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीती क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए दिए गए हैं।

(घ) कराकुल नर मेमनों को संकर-प्रजनन से पैल्ट उत्पादन में सुधार लाने के लिये मेढ़ों के प्रजनन हेतु पाला गया है। संकर नस्ल के मेमनों से प्राप्त पैल्ट का उपयोग स्थानीय बाजार के लिए टोपियों के निर्माण में किया जाता है। संस्थान से किसी भी कराकुल नस्ल के पशु का निर्यात नहीं किया गया है। फिर भी जम्मू और कश्मीर राज्य के सरकारी फार्म को नीचे (ड़) के लिखे अनुसार पशु दिये गये हैं :

(ड़) भारत में कराकुल/कराकुल संकर नस्ल की भेड़ के अनुसन्धान केंद्र फार्म निम्नानुसार स्थित हैं :

(1) गलीचा ऊन और पैल्ट उत्पादन डिवीजन, बीकानेर ।

(2) कम्बथांग वो पशु और भेड़ प्रजनन फार्म, कारगिल के पास, जिला लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य ।

लगभग 10 कराकुल मादाओं का एक छोटा सा रेवड़ केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसन्धान संस्थान, अविकानगर और फर पशु प्रजनन डिवीजन, गारसा में इन प्रदेशों में इनकी अनुकूलनता देखने के लिए रखा गया है ।

राजस्थान के जयपुर जिले में माहपुरा के निकट मनोहर पुरा और सैवाद गांवों में तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में पैल्ट उत्पादन के लिये कराकुल प्रजनन पर विकास कार्यक्रम प्रगति पर हैं ।

वर्तमान में नया कराकुल भेड़ प्रजनन फार्म/केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

4389. **श्री नवीन रवाणी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी जगह खाद्य तेलों कमी की है तथा इन दो-तीन महीनों के भीतर इनके मूल्य अत्याधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह कमी वनस्पति तेल की कम खपत के कारण पैदा हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) देश में खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) खाद्य तेलों की मांग और इनकी आपूर्ति में असन्तुलन है, जिसे काफी हद तक आयात करके दूर किया जाता है। 1982-83 में तिलहनों के उत्पादन में काफी कमी आयी थी जिसके परिणामस्वरुप देश में खाद्य तेलों की सप्लायी और इनके मूल्यों पर दबाव बना रहा । मई-अक्तूबर, 1983 की कमी की अवधि के कारण इस पर और दबाव पड़ा था । गत तीन महीनों के दौरान वनस्पति, मूंगफली, जिंजली और बिनौले के तेलों के थोक मूल्य सूचकांकों में आयी है, जबकि सरसों तथा नारियल के थोक मूल्य सूचकांक बढ़े हैं ।

(ग) जी नहीं । वनस्पति के खपत के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे उपायों के अलावा केंद्रीय सरकार की नीति में मुख्य जोर खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने तथा जहां तक सम्भव हो तेलों के गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने पर दिया गया है, ताकि खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम किया जा सके। अल्पकालिक उपाय के रूप में खाद्य तेलों का आयात जारी रखा जा रहा है ।राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए आयातित तेलों आ आवंटन गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक किया जा रहा है । अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1983 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए 2.18 लाख मीटरी टन आयातित खाद्य तेल आबंटित किए गये, जबकि 1982 के इन्हीं तीन महीनों में 1.33 लाख मीटरी टन खाद्य तेल आबंटित किये गये थे। छोटे पैकों में आयातित खाद्य तेलों के वितरण की योजना, जो सितम्बर, 1983 में 4 केंद्रों में लागू थी, उसे अक्तूबर, 1983 से 7 केंद्रों में लागू कर दिया गया है । छोटे पैकों में आयातित तेलों की बिक्री करने के लिए अगस्त, 1983 में किये गये 3,700 मीटरी टन के आवंटन की तुलना में सितम्बर में 7,200 मीटरी टन, अक्तूबर में 8000 मी० टन नवम्बर में 7,300 मी० टन और दिसम्बर में 7,000 मी० टन मात्रा का आवंटन किया गया । इन उपायों से देश में खाद्य तेलों के मूल्य को स्थिर रखने में कुछ हद तक मदद मिली है ।

हैदराबाद के विकास के लिए धन

4390. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद के तेल नगर के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने योजना की मन्जूरी दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी राशि का योगदान दिए जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान

4391. **श्री छांगुर राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का पता लगाने के लिए कोई केंद्रीय दल उत्तर प्रदेश गए थे और उन्होंने कितना नुकसान होने का अनुमान लगाया और केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दिए जाने की सिफारिश की,

(ख) गत चार वर्षों में बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को किस-किस तारीख को कितनी केंद्रीय सहायता दी गई, और

(ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए पुश्ते बनाने पर कुल कितनी अनुमानित राशि खर्च की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत 4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केंद्रीय दलों के दौरे की तारीख, मन्जूर की गई केंद्रीय सहायता तथा बाढ़ों से हुई क्षति की मात्रा सम्बन्धी जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-2 में दी गई है।

(ग) राहत सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकार की है। केंद्रीय सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी उपाय करने के लिए राज्यों को सहायता मन्जूर करती है। राज्य सरकार परिस्थिति की गंभीरता के आधार पर विभिन्न जिलों को धनराशि आबंटित करती है। मन्जूर की गई केंद्रीय सहायता बाधों आदि सहित बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए होती है।

विवरण-I

वर्ष	बाढ़ों के लिए केंद्रीय दलों के दौरा करने की तारीख	बाढ़ के लिए मंजूर की गई केंद्रीय सहायता की तारीख तथा धनराशि	प्रभावित जनसंख्या	क्षति की मात्रा			
				क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	मृत मनुष्यों की संख्या	मारे गये पशुओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1980-81 पहला दल :							
	6-अगस्त, 1980	79.05 1.12.80	303.5	19.23	30.9	1309	5244
	दूसरा दल						

1	2	3	4	5	6	7	8
	29-30 सितम्बर, 1980						
1981-82	21-23 अगस्त, 1981	45.46 42.82	146.3	4.91	16.4	427	1356
	20-21 नवम्बर 1981						
1992-83	20-25 सितम्बर, 1982	66.82 24.11.82	233.00	10.18	33.00	562	2517
1983-84	10-13 अक्तूबर, तथा 17 से 25 अक्तूबर, 1983 के बीच	केंद्रीय दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही हो रही है ।	153.27	3.89	24.02	511	1835

विवरण-2

उत्तर प्रदेश को मन्जूर की गई केंद्रीय सहायता तथा मन्जूरी जारी करने की तारीख के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाढ़	सूखा
	(करोड़ रुपए)	
1981-82	79.05 1.12.1980	47.52 26.11.1983
1981-82	45.46 4.12.83	शून्य
1982-83	66.82 24.11.82	शून्य
1983-84	केंद्रीय दल की बाढ़/सूखा राहत सम्बन्धी रिपोर्ट पर कार्यवाही हो रही है ।	

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान

4392. **स्वामी इन्द्रवेश : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सरकारी आवास के आबंटन का कोई नियम है,

(ख) यदि हां, तो आवास के लिए इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियम के अन्तर्गत क्या मानदण्ड अपनाया / निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जातियों के मामले में आवास के आबंटन के लिए किसी रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है और इन लोगों के लिए आवास के आरक्षण की प्रतिशतता क्या है ;

(घ) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में तीन वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उन्हें अभी तक सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है ; और

(ड.) इन कर्मचारियों को तीन वर्ष अथवा अधिक की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद सरकारी आवास आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल के आवास के आबंटन के लिये टाइप ए, बी, सी तथा डी में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये आरक्षण का प्रावधान प्रशासनिक अनुदेशों में है ।

(ख) तथा (ग) टाइप सी तथा डी में स्पष्ट खाली क्वार्टरों का 5 प्र० श० और टाइप ए और बी में इस प्रकार के खाली क्वार्टरों का 10 प्र० श० इन टाइपों के पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आबंटन के लिये आरक्षित होता है। तथापि, उच्च टाइपों के आवासों में इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है । इस प्रयोजन के लिये आवश्यक रोस्टर रखा जाता है ।

(घ) आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं है ।

(ड.) यह सामान्य पूल में आवास की अत्यधिक कमी के कारण है ।

मोहम्मद पुर मुनीरका गाँव, दिल्ली में, अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में प्लाट

4393. **श्री मानिक राव होडल्य गाक्ति :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री सुभाष चन्द्र यादव :

श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री राम विलास पासवान : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1957 में सनलाइट बीमा कम्पनी लिमिटेड की भूमि का गांव मोहम्मदपुर, मुनीरका दिल्ली में अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या न्यायालय में हारने के बाद मन्त्रालय ने 28 प्लाट धारकों को दक्षिण दिल्ली में मस्जिद मोठ में वैकल्पिक प्लाट दिए थे,

(ग) क्या उक्त सनलाइट एस्टेट, अब भी काजी कामा बाजार में प्लाट संख्या 29और 30 के प्लाट धारकों को वैकल्पिक प्लाट का आश्वासन देने के बाद भी उन्हें वैकल्पिक प्लाट नहीं दिए गए और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार कथित सनलाइट बीमा कम्पनी के प्लाट संख्या 29 और 30 के प्लाट धारको को वैकल्पिक प्लाट देने का है: और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) तथा(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) प्लाट संख्या 29 और 30 के प्लाट धारक उन पहले 28 प्लाट धारकों में नहीं थे जिन्हें वैकल्पिक प्लाट दिए गये थे। प्लाट संख्या 29 और 30 के प्लाट धारकों के वैकल्पिक प्लाट आवंटित करने का प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ उपयुक्त प्लाट चुनने के लिए पहले ही उठा लिया गया है ।

दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन संस्थान में पानी के बकाया बिल

4394 **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन संस्थान में क्रमशः गत पांच, तीन और एक वर्ष से क्षेत्रवार बकाया पानी के बिलों की धनराशि कितनी है ;

(ख) उपयुक्त अवधियों से सम्बन्धित बकाया राशि को समय पर वसूल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों का और फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1000 रुपये से अधिक की राशि बकाया है ?

निर्माण औ। आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि जल प्रभारों का बकाया निम्नलिखित था :-

(1)	1-4-78 को	354.08 लाख रुपये में
(2)	1-4-80 को	627.35 लाख रुपये में
(3)	1-4-83 को	736.17 लाख रुपये में

इस संस्थान द्वारा दिया गया क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) संस्थान ने सूचित किया है कि 1-4-83 तक जल प्रभारों के कुल बकाया में से 611. 78 लाख रुपये सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों से तथा शेष 124.39 लाख रुपये की बकाया राशि गैर-सरकारी उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है ।

इस संस्थान ने सूचित किया है कि सकरारी । अर्द्ध-सरकारी विभागों पर जल प्रभारों के बकाया के सम्बन्ध में उनके साथ कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक गैर-सरकारी उपयोगताओं पर जल प्रभारों के बकाया का संम्बन्ध है, इस संस्थान के सूचित किया है कि वसूली के लिए नोटिस जारी किये जाते हैं और भुगतान न किये जानेपर पानी के कनेक्शन भी काट लिए जाते हैं । यह बताया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 32.14 लाख रुपये वसूल किये गये हैं तथा 599 पानी के,कनेक्शन काटे गये हैं । शेष बकायों की वसूली के लिए संस्थान द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

बकाया राशियों की क्षेत्रवार स्थिति

क्रम० संख्या	क्षेत्र का नाम	1-4-78 को बकाया	1-4-80 को बकाया	1-4-83 को बकाया
		रुपये	रुपये	रुपये
1.	करौलबाग क्षेत्र	29,80,685,94	53,34,243,41	31,10,005,52
2.	सिविल लाइन क्षेत्र	38,05,738,63	54,82,770,44	40,77,571,79
3.	पश्चिम क्षेत्र	27,68,388,78	22,88,709,68	23,91,568,55
4.	शाहदरा क्षेत्र	05,68,133,43	15,31,791,96	06,08,643,03
5.	शहरी क्षेत्र	32,48,974,95	47,62,309,24	37,91,439,25
6.	सदर पडाड़जगं क्षेत्र	20,74,999,45	34,60,434,58	17,69,553,34
7.	एन० डी० एस० क्षेत्र	56,03,320,26	70,57,979,78	36,89,435,80
8.	नरेला क्षेत्र	02,79,837,78	03,10,395,08	01,76,427,75
9.	महरौली क्षेत्र	03,03,256,34	07,47,081,28	03,59,525,74
10.	मुख्यालय	1,37,75,155,76	3,17,59,457,25	5,36,43,413,91
	जोड़	3,54,08,491,32	6,27,35,172,70	7:36,17,584,68

महानगरों में देशी दूध में आत्मनिर्भरता

4395. **श्री ए० नीलालोहिदसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्वेत क्रांतिसे 1 अन्तर्गत 4 महानगरों को देशी दूधमें आत्म निर्भरता बमाने के बजाये उन चार महानगरों में आयातित दुग्ध चूर्ण की पहले की अपेक्षा अधिक खपत की जाती है तथा वटर आयल की भी खपत की जाती है जिसका अभी भी आयत नहीं किया गया था, यदि हां, तो इस निराशाजनक स्थिति के क्या कारण हैं।

(ख) क्या यह सच है कि दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित आई० डी० ए० की विचार गोष्ठी में अनेक वक्ताओं ने दूध के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में इण्डियन डेरी कारपोरेशन/ नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड/भारत सरकार के दावों को चुनौती दी है ;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इण्डियन डेरी कारपोरेशन/नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के चैयरमैन द्वारा किये गए विभिन्न झूठे दावों और उनकी अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के जींच कराने और इसके लिए पहले कदम के रूप भारत सरकार के संगठनों को एक चैयर-के अधीन रखने का है जो सरकारी मानदंड के प्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवार होगा ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिह): (क) हालांकि देश में कुल मिलाकर दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, फिर भी यह देश की बढ़ती हुई मांग के बराबर नहीं है। ताजे दूध की खरीद बढ़ाने के लिए 4 महानगरों की डेरियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि दूध के वर्धित उत्पादन के कारण सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल से पुन: दूध बनाने के लिए इनके उपयोग में वृदि हुई है।

(ख) सरकार को ब्यौरे की जानकारी नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूध उत्पादन की सफलता

4396. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्वेत क्रान्ति । और 2 के किसी भी मुख्य लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरुप दूध के उत्पादन में तथा पी. एल. 480 गेहूं के आयात के ढंग पर श्वेत क्रान्ति 3 परियोजना के अन्तर्गत अधिक उपहार अथवा वाणिज्यक आयात में विफलता हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो डेरी परियोजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के बावजूद वर्ष 1970 से अभी तक किसी अन्य राज्य में 35 वर्ष पुराने आनन्द माडेल की नकल नहीं बनाई गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आमूल की "सक्सेस" का कारण अन्य ऋण अनुदान एवं श्वेत क्रांति से आयाकित दूध के उत्पादों के अन्तरण और शिशु खाद्य आदि के अतिरिक्त चकोलेटस चीजे, शिशु खाद्य और यूनिसेफ से प्राप्त उत्पाद है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) डेरी साहकारी समितियां आपरेशन फलड के तहत आनन्द पद्वति पर और अन्य राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा साहायता प्राप्त तीन डेरी परियोजनाओं के तहत स्थापित की जा रही हैं।

(ग) जी नहीं।

वनों का नाश होने से मानव जीवन को उत्पन्न खतरा

4397. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में वनों के विराश से मानव जीवन को उत्पम्न खतरे की ओर दिलाया गया है (इकानामिक टाइम्स-11-9-82) ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर निवारक कदम उठायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) तथा (ख) उल्लिखित तारीख को न तो दिल्ली से प्रकाशित "इकानामिक टाइम्स" में और न ही किसी अन्य समाचार पत्र में इस प्रकार का कोई समाचार देखने को मिला। तथापि, सरकार वर्तमान वन क्षेत्रों में वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र वढ़ाने तथा वनों के बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

आई. सी. ए. आर. डेरी संस्थान, करनाल में गाय

4398. **श्री मती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० ए० आर० डेरी संस्थान करनाल में 1 जनवरी, 1983 से 1दिसम्बर 1983 तक की अवधि में दूध देने वाली गायों, दूध न देने वाली गायों, दूध न देने वाली गायों, जेनेटिक-ग्रुपवार दूध देने वाली गायों से प्रतिदिन प्राप्त दूध की औसत का मासवार ब्यौरा क्या है और यदि 1983 में दूध कम प्राप्त हुआ तो है इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या सुधारात्रक उपाय किए गए हैं ; और

(ख) क्या उत्पादकता में कमी का कारण संस्थान के कर्मचारियों में असन्तोष है, यदि हाँ, तो आई० सी० ए० आर० के महानिदेशक ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि मन्त्रालय मेंराज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) : दिनांक 1.1.1981 से 1.12.1983 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेयरी संस्थान, करनाल में दूध देने वाली गायों की संख्या, दूध न देने वाली गायों, दूध देने वाली गायों का प्रतिदिन का दूध का औसत उत्पादन तथा वर्गवार आनुवंशिकी से सम्बन्धित सूचना विवरण-1 और 2 में दी गयी है। वर्ष 1983 में दूध के उत्पादन में कोई स्पष्ट रूप से कमी नहीं पाई गयी।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

'करनस्वीस गायें'

1981-83

माह	दूध देने वाली औसत गायें/दिन			दूध न देने वाली औसत गायें/दिन			दूध देने वाली प्रत्येक गाय का प्रतिदिन का औसत दूध उत्पादन (किलो०)		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
जनवरी	165	141	148	58	40	40	11.8	12.4	11.4
फरवरी	185	162	159	45	34	40	12.3	12.8	12.7
मार्च	197	176	168	33	27	38	13.3	12.2	13.6
अप्रैल	188	184	179	21	14	24	11.9	11.4	12.7
मई	193	194	181	21	15	23	10.1	10.3	11.6
जून	190	192	176	24	23	31	9.8	9.6	10.7
जुलाई	178	186	177	38	34	35	9.0	9.2	10.6
अगस्त	171	185	179	44	36	32	7.6	7.9	10.3
सितम्बर	164	180	175	38	31	26	8.0	7.9	8.9
अक्तूबर	138	153	161	38	33	27	8.0	8.5	9.6
नवम्बर	139	144	—	37	40	—	8.5	9.1	—
दिसम्बर	139	142	—	38	43	—	11.5	10.1	—
वार्षिक	171	170	—	36	31	10.3	10.3	10.1	—

विवरण-2

'करन फ्राइज गायें'

1981-83

माह	दूध देने वाली औसत गायें/दिन			दूध न देने वाली औसत गायें/दिन			दूध देने वाली प्रत्येक गाय का प्रतिदिन का औसत दूध उत्पादन (किलो०)		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
जनवरी	179	186	203	30	33	39	13.3	14.0	12.3
फरवरी	199	209	226	21	28	28	13.6	14.5	13.1
मार्च	202	224	226	23	25	2ड	13.7	13.7	13.4
अप्रैल	179	219	211	25	21	22	13.3	12.2	12.5
मई	178	220	207	36	30	33	11.6	11.5	10.3
जून	173	207	193	45	48	53	11.3	10.6	10.6
जुलाई	169	197	192	53	58	58	10·7	10.4	9.8
अगस्त	181	198	195	47	59	53	9.7	9.4	9.5
सितम्बर	175	197	189	45	51	44	10.3	8.9	8.3
अक्तूबर	165	186	186	40	37	33	10.6	10.6	9.2
नवम्बर	171	182	—	34	41	—	10.7	11.4	—
दिसम्बर	172	189	—	36	42	—	13.6	12.0	—
वार्षिक	178	201	—	37	40	—	11.9	11.7	—

उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा छूट की राशि का जमा किया जाना

4399. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि समेकित ग्रामीण विकाश कार्यक्रम के लाभार्थियों से उनके द्वारा ऋण लिए जाने के बाद एक महीने से कम अवधि के अन्दर छूट की राशि को बैंक में जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जो ऋण की कुल राशि की लगभग आधी रकम होती है ,

(ख) यदि नहीं, तो उनको मन्त्रलय रेंडम सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के दो जिलों में से किसी में भी लाभार्थियों के बैंक खातों की चेकिंग करने को तैयार है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि अवांछित लोगों द्वारा इस कार्यक्रम के लाभार्थियों का शोषण नहीं किया जाता है, क्या प्रभावी कदम उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा बैंकों द्वारा सूक्ष्म रुप से किया जाता है और परिसम्पत्तियों को वर्ष में सत्यापित किया जाता है । इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के केन्द्रीय दल राज्य के विभिन्न भागों में समय-समय पर दौरे करते हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हैं । कन्द्रीय दल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उपयुक्त कार्यवाई हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध किए जाते हैं ।

बंगलौर में ढहे भवनों के मलबे को साफ करने के लिए सोवियत हेलिकाप्टरों का बुलाया जाना

4400. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18-9-1983 के स्टेट्समैन, में प्रकाशित समाचार के अनुसार बंगलौर में हाल में ढहे भवनों के मलबे की सफाई के लिए सोवियत हेलिकाप्टर मंगाए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने हेलिकाप्टर प्राप्त किए गए थे और उनके लिए क्या नियम और शर्तें भी तथा हैलिकाप्टरों से मलबा साफ करने में कितना समय लिया ;

(ग) उन पर कितनी राशि व्यय कि गई थी और उस व्यय का कितना-कितना भाग राज्य और केन्द्र सरकारों ने किस प्रकार अदा किया, और

(घ) हैलिकाप्टर किस अनिवार्य स्थितियों में मंगाए गए थे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बाँगलादेश में तीस्ता नदी पर बाँध का निर्माण

4401. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांगलादेश सरकार ने अपने क्षेत्र में तीस्ता नदी पर एक बांध का निर्माण करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस नदी पर बांगलादेश में एक बांध का निर्माण किये जाने से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आरंभ की गई तीस्ता परियोजना को कार्यान्वित करने में बाधा आयेगी, और

(ग) यदि हां, तो तीस्ता बराज परियोजना के उद्देश्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमा में तीस्ता नदी के ऊपर किसी बांध का आयोजन नहीं किया है अथवा निर्माण शुरू नहीं किया है किन्तु तीस्ता नदी पर एक बराज परियोजना को हाथ में लिया है जिससे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथ में ली गई तीस्ता परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा आने की संभावना नहीं है ।

खाद सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

4402. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के दौरान स्थानीय रुप से उपलब्ध सामग्री पर खाद बनाने की प्रौधोनिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य तथा कम लागत की खाद बनाने का डिजायन तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने थे, पोधों के पोषक तत्वों के साथ इसे समृद्ध करके खाद की किस्म में सुधार करने के बारे में अनुसंधान कार्य किया जाना था, मिट्टी की उत्पादकता के लिए मल तथा गन्दे पानी का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने थे, और

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान सामान्य और कम लागत से खाद बना कर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बडे पैमाने पर खाद बनाने की प्रौधोगिकी अपनाने की किसी परियोजना की परिकल्पना नहीं की गई । इस अवधि के दौरान मल-गन्दे पानी का उपयोग करने के लिए कोई भी नयी योजना प्रारम्भ नहीं की गई ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम

के रूप में खाद की गुणवत्ता और पोषक तत्वों में सुधार लाने की दृष्टि से सूक्ष्म जैविकी सड़न और खेतों और शहरों के कूड़ा-करकटों का पुनः उपयोग करने के संबंध में कार्य कर रहा है। अब तक दिए गए अध्ययनों से पता चला है कि उपयुक्त सूक्ष्म-जीवीय टीके लगाने और चूर्ण राक फास्फेट को मिलाने से कम्पोस्ट की गुणवत्ता में सुधार होता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में राज्यों को जारी किए गए मार्गनिर्देश

4403. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समान रुप से लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के बारे में ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन-सा तन्त्र स्थापित किया है ;

(ग) क्या प्रगति और केन्द्रीय मार्गनिर्देशों के अनुसार धन के उपयोग पर केन्द्र की ओर से निगरानी रखी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण क्षेत्रों, बिजली, डाकघर, स्वास्थ्य केन्द्र शिक्षा आदि के बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और इन सब कार्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं की रूपरेखा अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) योजनाओं की प्रगति पर, निगरानी रखी जाती है और राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

(घ) यह मन्त्रालय केवल ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्य देखता है जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कर्नाटक में भी शेष देश की तरह कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में 600 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाता है और उनकी निर्धनता की रेखा पार करने में मदद की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को मजदूरी वाला रोजगार सुलभ किया जाता है और टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परसम्पत्तियों का निर्माण भी किया जाता है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के चुने क्षेत्रों को विकास के लिए लिया गया है।

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रत्येक विकास गंड में 40 युवाओं का चयन किया जाता है और उन्हें चुनी कुशलताओं तथा दस्तकारियों में प्रशिक्षण देने के पश्चात् स्वरोजगार के व्यवसाय स्थापित करने के योग्य बनाया जाता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्य की देखरेख करने के लिए विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जिलों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

बिहार के गिरिडीह और हजारी बाग जिलों के वाणिज्यिक और सहकारिता बैंकों को आर्थिक सहायता की अदायगी

4404. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों के सभी वाणिज्यिक और सहकारिता बैंकों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आर्थिक सहायता की अदायगी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों जिलों के खंडों में लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या क्या है और प्रत्येक खंड में एकीकृत ग्रामीण किकास कार्यक्रम और अन्य अनुदानों का हिस्सा क्या है और क्या तदनुसार उसका भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बैंकों को कोई उपदान देय नहीं है। तथापि, सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास लाभभोगियों के लिए उपदान की धनराशि को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के नाम में खोले जाने वाले बचत बैंक खातों में जमा करना होता है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खंड प्रतिवर्ष औसतन 600 परिवारों को सहायता पहुचाई जानी है। चालू वर्ष के दौरान उपदान के वितरण हेतु प्रति खंड 8 लाख रुपये का आबंटन है। इस आधार पर, चालू वर्ष के दौरान गिरिदीह तथा हजारीबाग जिलों को क्रमशः 144 लाख रुपये 192 लाख रुपये का आबंटन किया जाएगा। चालू वर्ष के लिए क्रमशः 10800 तथा 14400 परिवारों का वास्तविक लक्ष्य होगा।

अक्तूबर, 1983 तक इन जिलों में क्रमशः 56.56 लाख रुपये तथा 26.05 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

बोरियों के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध

4404-क. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा बोरियों के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में

लिया गया निर्णय, जिससे व्यापारिक क्षेत्र में अत्यधिक निराशा हुई है, संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) पटसन उद्योग के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए , जिसमें मूल्यों को स्थिर रखने की बात भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार ने पटसन टाट में भावी सौदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया था ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) महोदय, मैंने कृषि अनुसंधान संस्थान में त्याग-पत्रों के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं, आप मेरे पास आएं ।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपने निर्णय नहीं किया है ?···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास विचाराधीन है ।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से त्याग-पत्र दे दिये हैं···**(व्यवधान)** मंत्री महोदय यहां हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई मोशन दो, ऐसे थोड़े ही कोई बात बनती है आप मुझे कोई प्रस्ताव दें मैं इस पर विचार करूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने प्रस्ताव का नोटिस दिया है, श्रीमन् । कृषि मन्त्री यहां हैं, वे चाहें तो अभी उत्तर दे सकते हैं···**(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महादय, मेरा निवेदन यह है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निवेदन का कोई प्रश्न नहीं है । क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?···

(व्यवधान)*

हां, श्री काबुली, आप कुछ कहना चाहते हैं···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय गंवाने का प्रयास न करें ।

श्री हाल्दर, रौब जमाने की कोशिश न करें ।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतांत से सम्मिलित नहीं किया गया ।

अनुमति नहीं है । यह अनियमित बात है । आप असुभवी सांसद है और आप बिना बात के ऐसा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-बृत्तांत में शामिल नहीं किय: जा है । मुझे यह पसंद नहीं है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं ।

(व्यवधान)*

श्री बी० डी० सिंह (फुलपुर): नेशनल डेरी डेबलपमेन्ट कारपोरेशन की सारी कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर)···*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं आपके विरुद्ध निर्णय देता हूं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका एक शब्द भी कार्यवाही बृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है । ऐसे बोलने से क्या लाभ है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

(व्यवधान)*

प्रो० रुप चन्द पाल (हुगली) मैंने कई बार आपका ध्यान यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया से सम्बन्धित गम्भीर मामले की ओर आकर्षित किया है । वे भेदभाव रख रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमने तथ्यों का पता लगाया है । उसमें कोई बात नहीं है । वह मेरे पास है । उसमें कुछ नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्यों पर आधारित नहीं है । आप यह नहीं कह सकते । अब श्री बूटा सिंह ।

*कार्यवाही-बृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, गांधी स्मृति समिमि, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा पंजाब जल-प्रदाय एवं मल व्ययन बोर्ड(कार्य संचालन) (दूसरा संशोधन) नियम. 1983

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण और आवास मन्त्री(श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेती संस्करण) :—

(एक) आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्य करण की समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7422/83)

(2) (एक) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) गांधी स्मृति, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7423/83

(3) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 6 अक्तूबर, 1983 की उद-घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित पंजाब जल प्रदाय एवं मल व्ययन बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 71 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजाब जल प्रदाय एवं मल-व्ययन बोर्ड (कार्य-संचालन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 नवम्बर, 1983 के पंजाब सरकार के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 87/पी०ए० 28/76/एस० डी० (2)/83 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7424/83)

श्री आरिफ मोहम्मद खां की ओर से

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड' कटक के वर्ष 1978-79 के तथा तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की प्रति :—

(क) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7425/83)

(ख) (एक) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1978-79 का वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7426/83)

(ग) (एक) तमिलनाडु उषि उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* (हिन्दी संस्करण)।

(दो तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1977-78 का वार्षिक* प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1978-79 का वार्षिक**

*समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**समीक्षा, हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में और वार्षिक प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 1 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ड़) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम, लिमिटेड, मदास का वर्ष 1979-80 का वार्षिक*** प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(च) (एक) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) से (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7427/83 ।)

जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत लिमिटेड, नई लिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रूड़की के वर्ष 1982-83का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा ।

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982 83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जल तथा विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982 83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7428/83)

***समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में और वार्षिक प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 17 अप्रैल, 1981 को सभा पटल रखे गए थे ।

(2) (एक) राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रूड़की के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय हाईड्रोलोजी संस्थान, रूडकी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7492/83)

पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण संशोधन अध्यादेश, 1983 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण ।

ग्रामीण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण) संशोधन अध्यादेश, 1983 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । मैं सभा-पटल पर रखता हूं:—

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7430/83)

दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत, दिल्ली विक्रय कर तीसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 नवम्बर, 1983 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (96)/83-फिन (जी) मेंप्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7431/83)

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 194 । के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 901, जो 3 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 13 मार्च, 1982 को अधिसूचना संख्या 117/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त करने सम्बन्धी उस शर्त में ढील दी जा सके जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत एयर-कंडीशनरों, रेफ्रीजरेटरों तथा वाटर कूलरों पर छूट किसी "विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति" के भारत में आगमन की तारीख के चार महीने के अन्दर प्राप्त की जा सके ।

(दो) सा० का० नि० 902, जो 3 दिसम्बर, 1973 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनका आशय कतिपय लोहा तथा इस्पात उत्पादों पर 20 जनवरी, 1979 से 8 अप्रैल, 1979 तक की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11 (ग) के उपबन्धों को लागू कराना है।

(तीन) सा० का० नि० 903, 3 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय केंद्रीय उत्पाद-टैरिफ की मद संख्या 37क के अन्तर्गत आने वाले रिकार्ड प्लेयरों, रिकार्ड प्लेइंग डेकों अथवा रिकार्ड चैंजर डैंकोंऔर उनके पुर्जो के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 क के अधीन प्रोफोर्मा ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7432/83)

चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रति वेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा।

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7433/83)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

श्री आर. एस. स्पैरो (जालन्धर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

बैंकाक में जाली भारतीय करेंसी नोट छापने में लगे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाने का समाचार

श्री मोहम्मद असरार अहमद (बदायूं) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व

के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"बैंकाक में जाली भारतीय करेंसी नोट छापने में लगे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगने समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

वित्त मन्त्रालय उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं 12 दिसम्बर, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार पर आधारित हैं ।

बम्बई पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, सदर पुलिस थाना, बम्बई ने 21 नवम्बर, 1983 को अभिकथित रूप में फिल्म उद्योग से सम्बन्धित छः व्यक्तियों के गिरोह को 100 रुपए के मूल्य-वर्ग के जाली करेंसी नोट रखने और परिचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था औरभारतीय दण्ड संहिता की धारा 480 (ख) और (ग) केअन्तर्गत उनके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज किया था। इससे पूर्व 19.9.1988 और 24.9.1983 को, अपराध शाखा, अपराध अंवेषण, विभाग, बम्बई ने चार व्यक्तियों को, जिनमें एक फिल्म एक्टर है, 100 रुपए के मूल्य वर्ग के जाली करेंसी नोट, जिनकी कुल राशि 4,24,200 रुपए की है, अपने पास रखने और परिचालित करने के कारण गिरफ्तार किया था । उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के साथ पठित धारा 489 (ख) और (ग) के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जून, 1983 से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने 100 रुपए के मूल्य-वर्ग के जाली नोट बनाने के 8 और मामले भी दर्ज किये हैं । इन सभी मामलों में जांच का कार्य प्रगति पर है।

विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जून, 983 से पता लगाए गए जाली करेंसी नोटों के निर्माण और बम्बई पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले का स्रोत थाईलैंड में कहीं पर है । इन मामलों की जांच इन्टरपोल के सहयोग से की जा रही है ।

इस अवसर पर मैं सदस्यों की इस आशंका को दूर करना चाहूंगा कि देश में बहुत अधिक संख्या में 100 रुपए के जाली करेंसी नोट परिचालन में मौजूद है । जाली करेंसी नोट बनाने के मामलों का पता समय-समय पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राज्य सरकारों के पुलिस विभागों द्वारा लगाया जाता है और जहां आवश्यक होता है मुकदमें चलाये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यालयों और करेंसी चेस्टों को 100 रुपए के नोटों की जांच करते समय अधिक सावधानी बरतने के लिए सचेत कर दिया है। इन मामलों में प्रभावी ढंग से और शीघ्र जांच करते में और किसी अपराध के दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाने मेंकोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी।

अन्त में मैं सभा के सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि 100 रुपए के मूल्य-वर्ग के जाली नोटों के सम्बन्ध में सरकार भी सभा के सदस्यों की भांति पूरी तरह चिंतित है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये जा सकें।

श्री मोहम्द असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंन में कहीं यह नहीं बताया गया है कि अब तक कितने टोटल केसेज पकड़े गये और उनकी वैल्युएशन क्या है। सिर्फ बम्बई का जिक्र किया गया है और उसके बारे में भी कहा गया है कि इन्वेस्टीगेशन हो रही है, कम्पलीट कब होगी यह नहीं मालूम। कई बड़े-बड़े शहर हैं जहां कि फेक नोट चलते हैं और चल सकते हैं, उनके संबंध में सैन्ट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरीज या स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 1983 के केसेज बताये हैं कि 100 रुपये के फेक नोट उनके यहां जारी पकड़े गये लेकिन उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसमें यह भी स्प्रीहैंशन है कि ऐसा हुआ होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसी एजेन्सी है जिसने गवर्नमेंट को यह बताया कि बहुत ज्यादा स्कैंडल नहीं है, बहुत ज्यादा फेक नोट नहीं चल रहे हैं, मेंबरों को इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिये ? ना इसमें यह बताया गया है कि कौनसी एजेन्सी से इन्हें सूचना मिली और नाही यह बताया गया है कि इन्वैस्टीगेशन कब तक कम्पलीट हो पायेगी ? मन्त्री महोदय इन बातों को बतायें तो मैं सवाल पूछूंगा।

श्री जर्नादन पुजारी : मुख्य उत्तर में हम पहले ही अभिग्रहीत सामग्री और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में बता चुके हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया था। यद्यपि यह एक ऐसा अपराध है जिसको करने वाले लोगों की जमानत भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, किन्तु न्यायालय ने स्वनिर्णय लिया और हमारे द्वारा जमानत का विरोध किए जाने के बावजूद भी उनको छोड़ दिया। जहां तक मामलों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं 1980 से अब तक के आंकड़े दे सकता हूं। 1980 में कथित मामले 1075 थे और 813 मामले दर्ज किए गए तथा उनकी जांच की गई। जब्त किए गए नोटों की संख्या निम्नलिखित थी :

100 रुपए के नोट	...	10,338
50 ,,	...	1047
20 ,,	...	2,780
10 ,,	...	4,445
5 ,,	...	67
2 ,,	...	4,025
1 ,,	...	21

वर्ष 1981 में कथित मामले 802 थे, जिसमें से 756 मामले दर्ज किये गये और उनकी जांच की गयी। जब्त किए गए नोटों की संख्या निम्नलिखित थी :

100 रुपए के नोट	...	8,263
50 रुपए के नोट	...	382

20 रुपए के नोट		...	2,757
10	,,	...	2.6/9
5	,,	...	1:2
2	,,	...	316
1	,,	...	10

वर्ष 1982 में 1,338 मामलों का समाचार मिला । 1,065 मामले दर्ज किये गये और उनकी जाँच की गयी । जब्त किए गए नोटों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

100 रुपए के नोट		...	12,225
50	,,	...	42
20	,,	...	5,077
10	,,	...	2,284
5	,,	...	34
2	,,	...	76
1	,,	...	4

वर्ष 1983 में 30.11.83 तक यानी वर्ष के पिछले ग्यारह महीनों में 1,124 मामलों का समाचार दिया गया । 556 मामलें दर्ज किये गये ।

100 रुपए के नोट		...	11,404
50	,,	...	370
20	,,	...	1,552
10	,,	...	2,028
5	,,	...	58
2	,,	...	124
1	,,	...	32

वर्ष 1983 में दर्ज किए गए मामलों की संख्या में कमी आई ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, कम से कम उनमें वृद्धि तो नहीं हुई ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : इन जाली नोटों का टोटल वैल्युएशन करोड़ों रुपयों तक पहुंच गया है । मिनिस्टर सहाब ने कहा है कि ऐसा कोई ज्यादा स्कैंडल नहीं चल रहा है, इसलिए मेम्बरों को घबराने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन उनके जबाव के अनुसार ऐसे नोटों की तादात और वैल्युएशन हर साल कुछ न कुछ बढ़ते ही गए हैं । मिनिस्टर सहाब ने यह नहीं बताया है कि

जितने केसेज इनवेस्टीगेट हुए क्या उनमें से किसी में सजा हुई या नहीं । अगर मुजरिमों को सख्त सजा मिलती तो यकीनन ऐसे केसिज में कमी होती, लेकिन वे बढ़ गए हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, वर्ष 1982 में जब्त किए गए नोटों का मूल्य 12,57,920 है । वर्ष 1983 में, जब्त किए गए नोटों का मूल्य 12,10;790 है ।

सजा के बारे में स्थिति यह है कि यदि किसी मामले की वर्ष 1983 में भी रिपोर्ट की गई है तो सम्बद्ध व्यक्ति को एक-दो वर्ष बाद सजा दी जायेगी अथवा बरी किया जायेगा । मैं यहां सजा के कुछ मामलों के बारे में भी बता सकता हूं ।

वर्ष 1983 में, एक व्यक्ति को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दूसरे को छह महीने के कठोर कारावास की सजा और 500/-रु. का जुर्माना किया गया । एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को सजा दी गई और उस पर 500 रु. का जुर्माना किया गया । अन्य मामले में एक व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और उस पर 500 रु. का जुर्माना किया गया । जुर्माना न देने पर 2 महीने के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा दी गयी । ऐसे मामले और भी हैं ।

श्री मोहम्द असरार अहमद : कितने मामलों में लोगों को सजा दी गयी और कितने मामले दर्ज किए गए ? जब हजारों मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच भी की गयी तो पांच सालों के दौरान सिर्फ एक-दो या तीन-चार व्यक्तियों को ही सजा दी गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब, श्री बिक्रम महाजन-अनुपस्थित । श्री हरीश रावत-अनुपस्थित । श्री वृद्धि चन्द्र जैन

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मेरे सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले उत्तर दे चुके हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । हजारों केसिज की रिपोर्ट हुई इनवेस्पगेंट हुए और उनकी फाइल रिपोर्ट मिल गई, लेकिन सजा सिर्फ चार-पांच केसिज में हुई बकाया केसिज का क्या हुआ ? क्या वे खत्म कर दिए गए ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं ? लोगों को कैद करने की बात न्यायपालिका पर छोड़ दी गयी है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : किन्तु हमें जानकारी तो मिलनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको जानकारी दे चुके हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । सजा देने की बात न्यायलय पर छोड़

दी गयी है और इस सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध हैं। वह आपको दे चुके है। यदि आप सजा दिए गए व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा चाहते हैं···

श्री मोहम्मद असरार अहमद : नहीं, नहीं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। जांच किए गए मामलों में से कितने मामलों में सजा दी गयी। मेरा सवाल यह है।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस बारे में जानकारी तो देश भर के न्यायालयों से लानी पड़ेगी और यह बात न्यायालय के विवेक पर छोड़ दी गयी है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि यह कानून और व्यवस्था का भी मामला है तो उन्हें गम्भीरता के साथ मुकदमा चलाना होगा। मुकदमें में रुचि लेनी होगी। प्रमाण प्रस्तुत करने में भी उनको रुचि लेनी चाहिए। अन्ततः प्रमाणों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय द्वारा ही निर्णय दिया जाएगा। जहां तक सजा का सम्बन्ध है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और जहां तक संख्याओं का सम्बन्ध है। कितने मामलों में सजा दी गयी और अन्य बातें···

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्यों से जानकरी इकट्ठी कर इनकों दे सकते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपध्यक्ष महोदय, यहां पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह 12 दिसम्बर, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स की न्यूज के आधार पर किया गया है। माननीय मन्त्री जी ने यहां पर जो जबाव दिया है उससे भी स्पष्ट है कि बहुत अधिक संख्या में 100 रुपए के जाली करेन्सी नाट्स प्रचलित हैं। आपने यह फीयर्स भी दी हैं कि कितने फर्जी नोट्स पकड़े गए। मैं जानना चाहाता हूं कि जो फोर्ज्ड नोट पकड़े जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में क्या चालान किए जा रहे हैं और जो कन्विक्शन हो रहा है, इस बारे में क्या आपको जानकारी है कि यह फर्जी नोट किस स्थान पर बनाए जाते हैं? क्या वहां भी आपने धावा बोला है और उससे आपको क्या सफलता प्राप्त हुई है?

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो चालान प्रस्तुत किए जाते हैं उनको प्राजीक्यूशन अच्छी तरह से फाईट करता है या नहीं? जो चायान किए हैं उनमें 50 परसेंट कंविक्शन होना है या 40 परसेन्ट होता है, हालांकि इसका निर्णय जुडीशियरी करती है, परन्तु यनि प्राजीक्यूशन साइड अच्छी तरह से केसेज को फाइट नहीं करता है या डी इस पी, एस पी की रैंक के पुलिस आफिसर द्वारा यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो उसे केस खराब हो सकते हैं और कन्विक्शन नहीं हो पायेगा तो इस सम्बन्ध में आप क्या एप्रोप्रिएट व्यवस्था कर रहे हैं?

तीसरी बात मैं यह जानन चाहूंगा क्या इसमें किसी फारेन पावर का हाथ तो नहीं है? जैसी कि अखवारों में न्यूज आई है, इसमें बैंकाक थाईलैंड, चाइना का हाथ बताया गया है। क्या कोई फारेन नेशनल्स पकड़े गए हैं या अपने देश के लोग जो पूंजी पति हैं वे तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से अपने देश में फोर्ज्ड नोट्स की स्मगलिग हो रही हो पाकिस्तान से, चीन से और दूसरे देशों से इस सम्वन्ध में भी में सरकार से जानकारी चाहूंगा,

ऐसी भी स्थिति है कि अमरीका के सी आई ए द्वारा दूसरे देशों को डि-स्टैविलाइज किया

जाए और डिमोकैसी को संकट में डाला जाए, तो कहीं की आई ए या ऐसी किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा इन फर्जीनोट्स के द्वारा इस देश की अर्थ-व्यवस्था को डि-स्टेविलीइज करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में भी मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जहां 75 प्रतिशत लोग एजूकेटेड नहीं हैं, आम आदमियों को असली नोट पहचानने का तरीका भी मालूम नहीं है । मैं जानना चाहता हूं सरकार ने असली पहचानने के बारे में क्या पब्लिसिटी की है, रेडियो, टेलिविजन या अखबारों के माध्म से इस सम्बन्ध मे क्या पब्लिसिटी हुई है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए कि किस प्रकार का असली नोट होता है । यदि आप पब्लिसिटी कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या प्रगति की है ?

मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि इस ट्रान्सैक्शन में किसी गवर्नमेंट आफिशियल या रिजर्व बैंक आफिशियल या किसी कर्मचारी का तो हाथ नहीं है ? जिस प्रकार की यह एन्टी नेशनल कार्यवाही हो रही है, तो इसके खिलाफ आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को क्यों नहीं एप्लाई करते हैं ? यदि आपने उन केसेज के लिलाफ कार्यवाही की है, तो ऐसे कितने केसेज हैं, जिनमें आपने कार्यवाही की है ?

मुझे उम्मीद है, जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, उनका माननीय मन्त्री जी जवाब देंगे ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक इन मामलों में विदेशी नागरिकों के अन्तर्ग्रस्त होने का सम्बन्ध है, जांच के अनुसार थाइलैंड के दो नागरिक इसमें अन्तर्ग्रस्त थे । परन्तु कोई भी विदेशी ताकत इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है । थाइलैंड सरकार इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है । इसमें अपराधी तथा जाल साज अन्तर्ग्रस्त है । ये नोट बैंककाक, थाइलैंड से उस देश के अपराधियों के सहयोग से भारत में लाये गये हैं । मैं भय को कम करना चाहता हूं तथा मैं माननीय सदस्यों अथवा व्यक्तियों तथा राष्ट्र के दिलो-दिमाग से यह शंका निकाल देना चाहता हूं कि इसमें किसी भी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है । जांच से अभी तक किसी भी विदेशी ताकत के इसमें अन्तर्ग्रस्त होने की बात सामने नहीं आई है । मैं यही स्पष्ट करना चाहता था ।

जहां तक रिजर्व बैंक के तथा सरकार के अन्य कर्मचारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का सवाल है । जांच से पता चला है कि इनमें से कोई भी इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है । साथ ही मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर इसमें किसी का अन्तर्ग्रस्त होना पाया गया तो हम इस बात को सदन तथा राष्ट्र से नहीं छिपायेगें । हम विस्तृत ब्यौरा देंगे । किन्तु अभी तक इसमें इस प्रकार की कोई भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है । इसे स्पष्ट करना चाहिये तथा मैं इसे दुहराना भी चाहूंगा ।

जहां तक इन मामलों के प्रचार करने का सम्बन्ध है, अधिक प्रचार का उल्टा ही असर होगा । अगर हम टेलिविजन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों में ज्यादा प्रचार करेंगे तो यह लोगों के दिमागों में आतंक उत्पन कर देगा कि पता नहीं कितने जाली नोट प्रचलन में हैं । किन्तु ऐसा नहीं है । हम जाली नोटों के प्रचलन की सही संख्या नहीं दे सकते । किन्तु साथ ही, हमने जो नोट पकड़े हैं तथा मामले दर्ज हुये हैं उनके आधार पर यह संख्या अधिक नहीं है, इसीलिये मैं प्रचार के बारे में

कह सकता हूं कि इस पर ज्यादा राग अलापने तथा अत्याधिक प्रचार का उल्टा ही असर होगा ।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सम्बन्ध है, हम इस पर गौर कर रहे हैं । किन्तु साथ ही मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि इस सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम विधेयक को पारित करते समय, विरोधी पक्ष ने कहा कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । तथापि इन मामलों में तथा आपराधिक मामलों में हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। जहां तक दर्ज कराये गये मामलों का सम्बन्ध है । मैं संख्या बता चुका हूं और पांच के दौरान पिछले मामलों में और इस विशेष मामले में पकड़े गये नोटों की संख्या भी दे चुका हूं ।

जहां तक दोषस्पीद्धि वाले मामलों की संख्या का सम्बन्ध है सरकार इस सम्बन्ध में अत्यधिक दिलचस्पी ले रही हैं ।

हम अदालत में चल रहे इस मामले से भी चिंतित हैं । हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होती है कि मामले राज्यों में भी दर्ज किये जा रहे हैं । यह राज्य का विषय है । इस प्रकार के मामलों में मैं राज्य सरकारों से अपील करुंगा कि वे इन मामलों में मुकदमा चलाने तथा जांच करवाने में दिलचस्पी लें ।

जहां तक केंद्रीय जांच ब्यूरो का सम्बन्ध है, इसमें ईमानदार एवं कार्यकुशल व्यक्ति हैं । वे सक्षम व्यक्ति हैं और वे इसकी निगरानी कर रहे हैं । जहां तक मुकदमा चलाने तथा जांच करने का सम्बन्ध है हम बहुत ही गम्भीरता से कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक दोषसिद्धि का सम्बन्ध है, हम दोष सिद्धि को सुनिश्चित कर रहे हैं । और उसके पश्चात आप जानते हैं दण्डनीय मामले में अगर किसी व्यक्ति के प्रति दिमाग है कोई सन्देह पैदा होता है तो वह मामले को निर्दोष ठहराने के लिये काफी है । यह अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाता है तथा अदालत ही इस पर विचार करती है ।

मैं नहीं समझता कोई मुद्दा रह गया हैं । मैंने यहां उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा निगम कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिये और उक्त कारोबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिये अनेक निगमों की स्थापनाओं के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय मैं विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं ।

मेरे आपत्ति उठाने का पहला आधार है कि इस प्रकार का कानून बनाना इस सदन की विधायी क्षमता से बाहर है ।

विधेयक के खण्ड 64 क में कहा गया है :

"निगम का कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसे संगठनें का न तो सदस्य होगा और न अन्यथा उससे सहयुक्त होगा तो राजनीति में भाग लेता है और न वह किसी राजनोतिक आन्दोलन या क्रियाकलाप में भाग लेगा, न उसका सहायतार्थ अभिदाय करेगा या किसी भी रीति से उनकी मदद नहीं करेगा ।"

इसके पश्चात परन्तु क भाग में, यह कहा गया है :—

"ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित है, मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु वहां ऐसा करता वहां वह उस रीति का कोई संकेत नहीं देगा जिसमें वह मत देना चाहता है या उसने मतदान किया है ।"

मेरे विचार से माननीय मन्त्री जी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये एक खास विनियम थे जिसके अनुसार निगम के कर्मचारियों को किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक गतिविधियों के सदस्य बनने और चुनाव में कार्य करने की मनाही थी । उसके पश्चात, एक मामला भारत की सर्वोच्च न्यायालय में गया था । मामला शामलाल तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसियेशन बनाम भारत संघ के बीच था । जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी सांविधिक निगम के कर्मचारी हैं तथा राजनैतिक दलों के सदस्य बनने तथा चुनाव में भाग लेने के पूरे अधिकारी हैं ।

जो विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है उसमें जो यह विशेष उपबन्ध शामिल किया गया है उसके उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का निश्चितरूप से और निर्लज्जता पूर्वक उल्लघंन होता है । यह सदन उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता ।

अत: इस कानून विशेष को बनाने की क्षमता इस सदन में नहीं है ।

आपत्ति उठाने का मेरा दूसरा आधार है कि इस विधेयक में कहा गया है कि जीवन बीमा निगम बहुत बड़ा हो गया है तथा इसको सम्भालना मुश्किल है । अत: वे जीवन बीमा निगम को पांच स्वतन्त्र निगमों में बांटना चाहते हैं ताकि वे इसे सम्भाल सके । आपको मालूम हैं कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम के सिर्फ 990 शाखा कार्यालय हैं और भारतीय स्टेट बैंक की 6.047 शाखायें हैं । 6.047 शाखा कार्यालयों के होने पर स्टेट बैंक को प्रबन्ध योग्य संस्था माना जा

सकता है तो केवल 990 शाखा कार्यालयों के होने से ही सरकार जीवन बीमा निगम को प्रबन्ध के योग्य क्यों नहीं मानती । अतः यह बहाना एक गलत बहाना है ।

तीसरे, इस विधेयक में बताया गया है···

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उन्हें नियम 72 के अन्तर्गत विधायी क्षमता पर आपत्ति उठानी है···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसी से शुरु किया था । आप यहां नहीं थे ।

श्री सुनील मैत्रा : तीसरे, विधेयक में यह कहा गया है कि जीवन बीमा निगम को पांच स्वतंत्र इकाइयों में परिवर्तित करने से प्रत्येक निगम ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार बढ़ा सकेगा। जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, जब 1957 में इसका गठन हुआ था तो इसका ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य 5 प्रतिशत से कम था और अब 1981-82 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बीमा कार्य 32 प्रतिशत' हो गया है । और जब 1983-84 की रिपोर्ट आयेगी तो यह कार्य 38 प्रतिशत तक होने की आशा है । अतः यह बहाना भी एक गलत बहाना है तथा इस आधार पर भी मैं विधेयक के पुरःस्थापना का विरोध करता हूं ।

मेरा चौथा मुद्दा है कि वे कहते हैं कि यदि एक निगम की बजाय 5 निगम बना दिये जाये तो आपस में अच्छा कार्य करने की होड़ होगी । सरकारी विभागों सहित इस देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मुकाबले जीवन बीमा निगम को केवल एक जीवन बीमा पालिसी लेने के लिये भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । लगभग 90 प्रतिशत पूंजी निवेश की सरकार की नीति है । अगर ज्यादा बारीकी से देखें तो 1982-83 के लेखों के अनुसार 89.4 प्रतिशत धन सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में लगाया गया था जिसका प्रतिफल···

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, नियम 72 के अनुसार यह सब कहने की इजाजत नहीं है । महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न उठाता हूं । नियम 72 क्या कहता है? वह भाषण दे रहे हैं···

श्री सुनील मैत्रा : मैं संक्षप्ति विवरण दे रहा हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 72 कहता है :

> "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य···
>
> परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे हैं, तो अध्यक्ष उस पर अनुज्ञा दे सकेगा···

सिर्फ यही मुद्दा उठाया जा सकता है । वह भाषण क्यों दे रहे हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : आपको क्या तकलीफ हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अ प परन्तुक को पूरा पढ़िये ।

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे हैं, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा ।"

मैंने चर्चा की अनुमति नहीं दी है । पहले उन्होंने विधायी सक्षमता···

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उन्होंने 7 मिनट से अधिक समय ले लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यथा सम्भव संक्षेप में बोलने के लिए कहता हूं । (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा : उन्हें भी लम्बे भाषण देने का अवसर मिलेगा ।

श्री सुनील मैत्रा: मेरी क्षमता पर सन्देह न करें । मैं लम्बा भाषण दे सकता हूं और अवसर आने पर अवश्य दूंगा । अभी मैं केवल मुख्य बातों को ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह अवश्य पता होना चाहिये कि श्री सुनील मैत्रा जीवन बीमा निगम के कर्मचारी थे । अत: उनके विचारों का आदर होना चाहिये । मैं उनका भाषण भी सुनना चाहता हूं । वह जीवन बीमा निगम के कर्मचारी थे, अत: उन्हें विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री सुनील मैत्रा : भारतीय जीवन बीमा निगम में 1982-83 में निवेश की गई कुल राशि का 89.4% भाग सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में लगाया गया था और 1981-82 में हुई आय के 82% भाग से 8.55% ब्याज अर्जित किया गया और बैंककारी क्षेत्र में यह 15% से अधिक था । यह सरकार की नीति के कारण हुआ । अत: यदि सरकार पालिसीधारियों को बेहतर सुविधाएं देना चाहती है तो उनकी निवेश नीति में परिवर्तन होना चाहिये । लेकिन महोदय मैं सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं कि जीवन बीमा निगम की राशि का निवेश सामाजिक प्रयोजनों जैसे कि पेयजल, मल निकास आदि के लिए होना चाहिये और ऐसा किया जा रहा है । इस प्रकार देखा जाये तो पालिसीधारियों को कम बोनस मिल रहा है । जीवन बीमा निगम की नीति प्रीमियम कम करने की नहीं है । लेकिन पालिसीधारियों को निवेश किये गये धन पर कम पैसा मिलता है । अत: यह तर्क निराधार है कि पालिसीधारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जीवन बीमा निगम को पांच क्षेत्रों मे बांट दिया जाये । इस आधार पर भी मैं विधेयक के पुरःस्थापना का विरोध करता हूं ।

महोदय, जीवन बीमा निगम के गठनपर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये लगाये थे । इस राशि के लगाने से भारत सरकार को मूल्यांकन बचत के रुप में 97.14 करोड़ रुपये और 31.12 1983 समाप्त हुई अवधि को द्विवार्षिक मूल्यांकन के रुप में उसे 35 करोड़ रुपये से कम प्राप्त नहीं होंगे । इसका अर्थ है कि 5 करोड़ रुपये का निवेश करके भारत सरकार को जनवरी, 1984 में 130 करोड़ रुपये के लगभग राशि मिल जायेगी । यदि आज इस संगठन को 5 भागों में बांटा जाता है तो निश्चित रुप से यह मूल्यांकन बचत की राशि कम हो जायेगी । यदि यह कम हो

जाती है तो प्रत्येक निगम पालिसी धारियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करेंगे जैसे पूर्वी जोन निगम सावधि बीमा पालिसी के लिए 25 रु० बोनस देगा, पश्चिमी जोन निगम 35 और दक्षिणी क्षेत्र निगम उस पर 31 रु० देगा। अन्त में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्योंकि निगम के पांच क्षेत्रों में से 2 जोन (क) और (ख) इतने लाभदायक नहीं हैं जितने कि जोन (क) (ख) और (ग) इसलिए जोन (क) और (ख) को राष्ट्रीयकृत संस्थान के रूप में समाप्त किये जाने चाहिए महोदय, मेरे मन में यह सन्देह पनप रहा है कि यह विधेयक जीवन बीमा निगम को यदि पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से अस्थिर तथा अराष्ट्रीयकृत बनाने के लिए पुरःस्थापित किया गया है। निगम को 5 क्षेत्रों में बांटने के बाद यदि दो तीन जोन घाटे में जाते हैं या निगम के अन्य जोन के बराबर लाभ नहीं कमाते तो गैर-सरकारी क्षेत्र यह शोर मचायेगा कि क्योंकि ये निगम इतना लाभ नहीं देते जितना कि अन्य निगम इसलिए उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाये। एक बात यह भी जोर-शोर से कही जायेगी कि गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत संस्थानों को समाप्त करने की दिशा में यह पहला कदम है।

इसलिए महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और मैं अपनी तथा अपने दल की और श्रमिक वर्ग तथा जीवन बीमा निगम की पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध अन्तिम दम तक करता रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते उपस्थित नहीं हैं रामावतार शास्त्री। मेरे विचार से आप बैठकर बोल सकते हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं यद्यपि मैं डाक्टर नहीं हूं लेकिन मैं देखकर समझ सकता हूं। आप बैठकर बोलिए। मुझे पता है आप संक्षेप में बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, यह मेरा बहुत संक्षिप्त भाषण होगा।

मैं जीवन बीमा निगम विधेयक के पुरःस्थापित करने का जोरदार विरोध करता हूं क्योंकि पांच हिस्सों में विभाजित करने से, इस उद्योग को भारी क्षति होगी। यह विधेयक अनावश्यक, अदूरदर्शी, अविवेकपूर्ण, जनतांत्रिक परम्पराओं पर चोट करने वाला, देश में क्षेत्रीयता की भावना को उभारने वाला, किसान विरोधी, बीमा करने वालों के हितों पर प्रहार करने वाला, कानूनी दृष्टि से कमजोर करने वाला है। इनमें जिन उद्देश्यों को चर्चा की गई है उनमें एक की भी पूर्ति नहीं होगी बल्कि उससे इस उद्योग में अशांति का वातावरण फैल जायेगा और सरकार को लेने के देने पड़ जायेंगे। कार्यक्षमता घट जायेगी और धन के बटवारे में वर्षों लग जायेंगे। एरा सेझियन कमेटी की सिफारिशों का सहारा लेकर सरकार ऐसा करना चाहती है। परन्तु, विधेयक ठीक उनके विपरीत है। उक्त कमेटी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि जीवन बीमा निगम को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस उद्योग में काम करने वाले 45 हजार कर्मचारियों पर चोट करना है। इसके द्वारा उनसे सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीनकर उन्हें गुलामों की स्थिति में लाकर रखना है। अपने हितों के लिए वे किसी से बात नहीं कर सकते।

जीवन बीमा निगम को पांच भागों में बांटने का विरोध सन् 1961 में एस्टीमेट कमेटी, 1968 में प्रशासनिक सुधार समिति का कार्यकारी दल और 1969 में कमेटी आफ इन्क्वायरी

इन टू दी एक्सपेंसेज आफ एल० आइ० सी० कर चुकी है। इतना ही नहीं, पहले के कई वित्त मंत्रियों और प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु भी इस प्रकार के पागलपन के सुझावों को संसद में रद्द कर चुके थे। सन् 1979 तक किसी भी कमेटी ने वंदर बाट का समर्थन नहीं किया था।

ईरा सेझियान समिति ने देश में एक दूसरे के प्रतिस्पध स्वतन्त्र निगम बनाए जाने का विरोध किया था क्योंकि इससे लागत बढ़ जायेगी।

ठीक इसी प्रकार की समस्या भारतीय स्टेट बैंक के सम्मुख उपस्थित हुई थी जिसका निराकरण उसने सन् 1973 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1955 में संशोधन करके कर लिया। सरकार जीवन बीमा कानून 1656 में भी ऐसा संशोधन करके उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है। अतः इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह इस जन-विरोधी विधेयक को वापस कर ले और आगे कोई भी कार्यवाही करने के पहले इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करने के लिए इसे प्रसारित कर दें।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं। उसके कारण भी सुनील मैत्रा ने पहले ही बता दिये है। यह विधेयक देश, कर्मचारियों और पालिसी धारियों के हितों के विरुद्ध है। अतः मैं इस विधेयक का पूर्ण तथा जोरदार विरोध करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इसे पुरःस्थापित किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि बीमा योजना का फैलाव बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिये लेकिन इस निगम को 5 अलग निगमों में बांटने से सभी एककों में गहन प्रतिस्पर्धा शुरू हो जायेगी।

यह इकाईयां शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक केन्द्रित हो जायेगी क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में ही इस प्रकार के कार्य की अधिक सम्भावनाएं होंगी। यह स्वाभाविक ही है कि इन इकाईयों के बीच इस प्रकार की घोर प्रतिस्पर्धा से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य को नुकसान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। अतः यह स्वाभिक है कि इन पांच इकाईयों के बीच होड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य की घोर अवहेलना की जायगी। इसके अतिरिक्त, एक और खतरा है। विभिन्न इकाईयों में अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में जीवन बीमा पालिसियों के लिए होड़ होगी, बल्कि विभिन्न कारणों से, प्रत्येक क्षेत्र को नके वल अपने क्षेत्र में पालिसियों के लेने का अधिकार होगा अपितु देश के सभी भागों में वह पालिसियां ले सकेंगे। ईरा सेझियान समिति ने भी इस प्रकार की स्थिति की सिफारिश नहीं की है। यदि इसकी सिफारिश के परिणामस्वरूप ऐसी इकाईयों की स्थापना की भी जाती है तो इनमें किसी भी प्रकार प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए अतः यह बात उस समिति की सिफारिश की भावना के प्रतिकूल है। वास्तव में समिति की सिफारिशों को विकृत रुप दिया जा रहा है। विधेयक की धारा 68 प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच

हुए औद्योगिक विवादों सम्बन्धी पहले वाले समझौतों, पंच-निर्णयों एक शर्तनामों को रद्द कर देती हैं। केन्द्र सरकार को यह शक्ति दी गई है। इसके अन्तर्गत सभी पहले वाले अधिनियम, पंच-निर्णय शर्तनामें रद्द हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विवाद कानूनों के अंतर्गत प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया की भी स्वीकृति नहीं दी गई है। हालांकि इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के अन्य सभी कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। अतः इस प्रकार इन कर्मचारियों के साथ इसमें भेदभाव होता है। इसके अन्तर्गत कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक लाभ के अधिकार को छीन लिया गया है। अतः इस कारण यह श्रमिक विरोधी कदम है। इससे अधिक से अधिक औद्योगिक अशांति पैदा होगी। इससे निगम का सही ढंग से कार्य-संचालन नहीं हो सकेगा। इससे यह उसका मुख्य दायित्व पूरा करने अर्थात अधिक जीवन बीमा कार्य करने में सहायक नहीं होगा।

इसलिए, यह विधेयक जीवन बीमा कार्य में वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता हालांकि मंत्री महोदय हमें इसका विश्वास दिलाना चाहते हैं।

अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। आप तभी निवेदन करें जब विधेयक पर बोलने की आप की बारी आयेगी। जब आपका दल चाहे, तभी आप बोले।

अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री जर्नादन पुजारी : महोदय, इस स्तर पर तो हमें केवल यही देखना है कि क्या संसद इस विधान को पारित करने में सक्षम है अथवा नहीं। यदि आप विधेयक की विषय वस्तु देखें, आप पायेंगे कि यह संविधान की सातवीं अनुसूची में दर्ज सूची एक की 43.44 और 47 प्रविष्टियों से सम्बद्ध है। मेरे विचार से संविधान का सन्दर्भ देना आवश्यक नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या होगा ?··· **(व्यवधान)**

श्री जर्नादन पुजारी : हम निश्चय ही यह कह कह सकते हैं कि सन्सद इस विधान को बनाने में सक्षम है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

इस निगम के विभाजन के तथा क्या संसद इस विधान को पारित करने में सक्षम है, के बारे में माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाये हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किया गया है और यह भी कि स्थिति पर नियन्त्रण नहीं रहा है, यह बातें सही नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक का भी हवाला दिया गया और यह कहा गया कि श्रमिकों के अधिकार छीन लिए गये है और यह श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है।

आरम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि वर्तमान विधान जीवन बीमा निगम तथा पालिसी धारकों के हित में है। मैं वह बात नहीं समझ सका कि जो माननीय सदस्य विकेन्द्रीकरण की बात कहते आ रहे हैं आज वे केन्द्रीकरण की हिमायत क्यों कर रहे हैं···(व्यवधान)।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले, देश में उनकी 8262 शाखाएं थीं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह संख्या बढ़कर 43,000 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएं खोली गई हैं; उनमें और कर्मचारी लगाये गए हैं पदोन्नति अवसरों में भी वृद्धि हो गई है। यह स्पष्ट है कि यह कदम कर्मचारियों के हित में नहीं था इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि···(व्यवधान)

1980 तक 90 जिलों में जीवन बीमा निगम ने अपना कार्य आरम्भ नहीं किया था, अब स्थिति यह है कि केवल 57 जिले रह गये हैं। हम अभी तक माननीय सदस्य के जिले तक जीवन बीमा निगम के कार्य का विस्तार नहीं कर सके हैं, आप गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, अनेक तालुकों में जीवन बीमा का संदेश नहीं पहुंच सका है। सरकार की मंशा यह है कि जीवन बीमा का संदेश गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। यदि निगम की गतिविधियों का विस्तार होता है और अनेक शाखाएं खोली जाती हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि यह बात कर्मचारियों के हित में होगी।

यह संसद में भी कहा गया है और सेवा स्तर में अत्यधिक गिरावट की बात कई सम्पादकीय लेखों में भी कही गई है। पालिसी धारकों को भी वांछित सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। ईरा सेझियान ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है और कुछ सिफारिशें की है। संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और कुछ सिफारिशें की हैं। इन दोनों समितियों ने सिफारिश की है कि इस संगठन की कार्यकुशलता के हित में और पालिसी धारकों के हित में इसका पुर्नगठन किया जाना चाहिए। ईरा सेझियान समिति की यह स्पष्ट सिफारिशें हैं···(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : समिति ने इन सब बातों को अस्वीकार कर दिया है।

श्री जर्नादन पुजारी : हो सकता है यह आपको अच्छा न लगे किन्तु देश इसे सहर्ष स्वीकार करेगा।

यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जनता को तथा कर्मचारियों को संतुष्ट करे। यह केवल मजदूर संघों के नेताओं का ही कर्त्तव्य नहीं है यह सरकार का कर्त्तव्य है कि कर्मचारियों के सन्देह दूर करे। हम कर्मचारियों के हित में ऐसा ही कर रहे हैं। हम इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : श्री सी० डी० देशमुख ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया था। महोदय, माननीय मंत्री महोदय को जीवन बीमा निगम के मामलों की बिल्कुल जानकारी नहीं है। इस प्रकार सरकार जीवन बीमा निगम को मजबूत नहीं कर रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : जब सही समय आएगा तब आप देखेंगे कि हम इसे नष्ट कर रहे हैं

या सुदृढ़ कर रहे हैं । अभी मुझे उत्तर देने दीजिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए । कृपया उन्हें सुनिये ।

श्री सुनील मैत्रा : उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उन्हें क्या उत्तर देना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कई मुद्दे उठाए हैं वे एक-एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए । कृपया व्यवधान मत डालिए । क्या मंत्री महोदय यह न बताएं कि वह विधेयक क्यों पुरःस्थापित करना चाहते हैं ? आप विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के विरुद्ध हैं । क्या वह सरकार की ओर से इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का औचित्य सिद्ध न करें ? कृपया उन्हें सुनिए । मैं किसी प्रकार का व्यवधान पसन्द नहीं करता । आपने 5 मिनटों तक इस पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया है । उन्हें उत्तर देने दीजिए । मैं उनसे जैसा आप चाहें वैसा उत्तर देने के लिए नही कह सकता ।

श्री जर्नादन पुजारी : महोदय, मैंने बैंकों का एक उदाहरण दिया । बैंकों के शानदार विस्तार के बाद बैंकों के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हुए हैं । अब छः से आठ वर्षों के अन्दर उन्हें पदोन्नति मिल जाती है । हो सकता है कुछ असाधारण मामलों में उन्हें पदोन्नति न मिलती हो, परन्तु यह अवसर बैंक क्षेत्र में विस्तार के कारण प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार यदि जीवन बीमा निगम का विस्तार गांव तक होता है तो इसकी और अधिक शाखाएं खुलेंगी और कर्मचारियों को पदोन्नति में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

महोदय, समाचार-पत्रों के सम्पादकीय में और सम्पादक के नाम पत्र, स्तम्भों पालिसी धारक सेवा की आलोचना की गई है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा जी, मन्त्री महोदय पर कोई असर नहीं हो रहा है और आप से समस्या हल होने वाली नहीं है । आप उन्हें बोलने दीजिए । आपको अपनी बात कहने का अवसर मिल चुका है ।

श्री जर्नादन पुजारी : विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी और ईरा सेझियन समिति ने भी कहा था कि पालिसी धारक सेवा खराब होती जा रही है और इसकी कार्यकुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता है । यह सिफारिश की गई थी और ईरा सेझियन समिति के प्रतिवेदन में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था । श्री ईरा सेझियन कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि श्री ईरा सेझियन भी सुनील मैत्रा की भांति जीवन बीमा निगम के कर्मचारी रहे हैं ।

श्री जर्नादन पुजारी : हमारे पक्ष में एक और यह बात भी जाती है। न केवल इतना बल्कि संसद की एक जिम्मेवार समिति सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी सांमति ने इसके पुर्नगठन की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। इसलिए हमने यह बिधेयक पुर:स्थापित किया है। चूंकि इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जा रहा है, इसलिए ये सारे मुद्दे वहां भी उठाए जा सकते हैं।

महोदय, मेरे माननीय मित्र ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जिक्र भी किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि उस समय जीवन बीमा निगम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय दिया है। अब जबकि इस विधेयक में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है···

श्री सुनील मैत्रा : स्पष्ट प्रावधान था।

श्री जर्नादन पुजारी : हम उच्चतम न्यायालय का निरादर नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : यह कोई सब्जी मार्केट नहीं है। आपने अपनी बात कह दी है, अब आपको मंत्री जी का जबाव सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है ? उच्चतम न्यायालय यह पहले ही कह चुका है कि सरकार को कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारक का अधिकार होगा। अतः हमने इसे सम्मिलित कर लिया है। अतः माननीय सदस्यों के तर्कों में कोई सार नहीं है। यदि कर्मचारियों की सेवा सर्तो में और पालिसी धारकों की सेवा में सुधार की उनकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो मेरे विचार में इसके विरोध का कोई कारण नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए अनेक निगमों की स्थापनाओं के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 2 13.13 बजे

पक्ष में

अहमद, श्री गुलशेर

अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी०

आजाद, श्री भगवत झा

बेरवा, श्री बनवारी लाल

भगवान देव, आचार्य

भोई, डा० कृपासिन्धु

भूयन, श्री भुवनेश्वर

वीरेन्द्र सिंह, राव

बूटा सिंह, श्री

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

डूंगर सिंह, श्री

गहलोत, श्री अशोक

गोगोई, श्री तरुण

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमल नाथ

कमला कुमारी, कुमारी

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

रंगा, प्रो० ए० जी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोहन्ती, श्री बृजमोहन

नायक, श्री जी० देवराय

नारायण, श्री के० एस०

नुरुल इस्लाम, श्री

पदायची, श्री एस०एस० रामास्वामी

पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पटटाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राजू, श्री पी० बी० जी०

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

सोरन, श्री हरिहर

राठौड़, श्री उत्तम
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सज्जन कुमार, श्री
साठे, श्री बसन्त
सिंधिया, श्री माधव राव
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेंद्र बहादुर सिंह, श्री
सिंह, डा० बी०एन०
श्री निवास, प्रसाद, श्री
सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव
स्वामीनाथन, श्री आर० बी०
तारिक अनवर, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहेब
टाइटलर, श्री जगदीश
विजयराघवन, श्री बी० एस०
यादव, श्री रामसिंह
जेनुल वशर, श्री

विपक्ष में

बाग, श्री अजित
बालन, श्री ए० के०
भूपति, श्री जी०
दत्ता, श्री अमल
गिरि, श्री सुधीर
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हमदा, श्री मतिलाल
जगपाल सिंह, श्री
खान, श्री गयूर अली
कोडियन, श्री पी० के०
मैत्रा, श्री सुनील
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
सिंह, श्री बी० डी०
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
नगनगोम, मोहेंद्रा, श्री
पाल, प्रो० रूपचन्द
पाठक, श्री आनन्द
राजेश कुमार सिंह, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजबलकर, श्री एन० के०
सिन्हा, श्री निर्मल

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 68

विपक्ष में : 26

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के आधीन मामले लेते हैं । श्री हरीश रावत उपस्थित नहीं है । श्री वी० एस० विजयराघवन ।

(एक) "जनता धोती" बनाने वाले केरल के बुनकरों के हितों की रक्षा करना ।

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हथकरघा क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है । तदनुसार सरकार ने उनके आर्थिक विकास के लिए कई योजनायें बनाई हैं । इसी को दृष्टि में रखते हुए जनता धोती के उत्पादन का कार्य हथकरघा क्षेत्र को सौंपा गया । इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया केन्द्रीय आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है । परन्तु इस योजना का लाभ केरल में हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले हजारों गरीब बुनकरों तक नहीं पहुचा है । वास्तव में केरल में जनता धोती के उत्पादन का 90 प्रतिशत पालघाट में उत्पादित होता है । प्राथमिक सहकारी समितियां इसके उत्पादन में और शीर्ष समितियां इसके विपणन में लगी हैं । दुर्भाग्यवश शीर्ष समितियां इन प्राथमिक समितियों को कोई लाभ नहीं दे रही हैं । उदाहरण के लिए योजना में धागा नियन्त्रित दरों पर सप्लाई करने तथा मजदूरी का अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था होने के बावजूद शीर्ष समिति पिछले 6 वर्षों से नहीं दे रहीं हैं । इससे भी अधिक यह पता चला है कि यह समिति अन्य समितियों से प्राप्त माल का भुगतान तक भी नहीं करती है । इस प्रकार निर्धन बुनकरों की ये प्राथमिक समितियां भारी ऋण के बोझ तले कराह रही हैं । दूसरी ओर आंकड़ों से यह पता चलता है कि शीर्ष समितियां प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत लाभ कमा रही हैं ।

* मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अग्रंजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री जी० पी० अनुरागी, सेत हेमब्रम, के० कुन्हम्बु, अमर सिंह राठवा, सोबेंग तेइयेंग विष्णु प्रसाद और बाजूबन आर० खारलुखी,

विपक्ष में : श्री कल्पनान सोनकर

**राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुर: स्थापित ।

अतः मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने तथा केरल के निर्धन बुनकरों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) त्रिवेन्द्रम हवाई अडडे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा घोषित करना

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है। इस हवाई अड्डे से प्रतिदिन बहुत सी घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त सप्ताह में 16 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने भरी जाती हैं। वास्तव में खाड़ी देशों से सर्वाधिक आना जाना केरल से ही होता है। परन्तु त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं किया गया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस हवाई अड्डे से बी-747, डी० सी० 10 आदि बड़े-बड़े हवाई जहाज आ जा नहीं सकते। परन्तु हवाई पट्टी के विस्तार, उतार प्रकाश लगाने और रात को उतरने के लिए दूर संचार संयन्त्रों को लगाने आदि का विकास कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से शीघ्र ही हर किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान आ जा सकेगी।

इसके इलावा, यदि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाता है तो खाड़ी देशों में काम करने वाले मलयाली त्रिवेन्द्रम के लिए सीधी उडान ले सकेंगे और उन्हें बम्बई हवाई अड्डे पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हवाई अड्डे पर यातायात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(तीन) बाढ़ रोकने के लिये "गंगा बोर्ड" बनाने की मांग

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : विगत वर्षों की तरह न होकर गंगा नदी में बाढ़ें एक नियमित बात हो गई है। 1978 से 1983 तक गंगा नदी में तीन अत्यन्त विनाशकारी बाढ़ें आई हैं। जो उसी परिणाम की हैं जो 1916 और 1948 में देखी गई थीं। इन बाढ़ों के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लोग बेघर हो गये और करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश और बिहार विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण बाढ़ें और नियमित सूखा पड़ना है। यदि गंगा में बांढ़ों पर नियन्त्रण कर लिया जाता है और इस विपुल जल संसाधन का उपयोग सिंचाई और विद्युत के लिये किया जाता है तो इससे उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्थिक खुशहाली आ जायेगी।

केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने बाढ़ों पर नियन्त्रण करने के लिये कोई प्रभावी प्रयास नहीं किये हैं। वास्तव में अब तक बाढ़ राहत के उपायों पर खर्च की गई राशि की तुलना में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों पर कम राशि खर्च होती।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों पर नियन्त्रण पाने के लिये और इसके जल ससाधनों के विकास के लिये एक व्यापक वृहद योजना तैयार करने के लिये संसद

के अधिनियम के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र की तुलना में गंगा नदी का बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित करती है। ऐसे बोर्डों के गठन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोग गरीबी रेखा से उपर उठ जायेंगे और इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से समृद्धि आयेगी ।

(चार) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये पात्रता की आयु पुनः 28 वर्ष निर्धारित करने की मांग

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की जनसंख्या का लगभग, 75 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। देश के प्रशासन में गांवों की भी भागीदारी रहे, गांव के नवयुवकों को भी प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचने का अवसर मिले, इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए 1978 में जनता सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 26 से बढ़ा कर 28 वर्ष कर दी थी। इससे विशेषकर ग्रामीण आंचल के नवयुवकों को परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अधिक अवसर मिल जाते थे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ग्रामीण नवयुवक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। गांवों में बालक अपेक्षाकृत अधिक आयु हो जाने पर शिक्षार्जन प्रारम्भ करते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल विश्वविद्यालयों के सत्र भी बहुत अनियमित चल रहे हैं । परिणामस्वरूप स्नातक, स्नातकोत्तर आदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने तक विशेषकर ग्रामीण नबयुवकों की आयु काफी अधिक हो जाती है। इन्ही सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष की गयी थी। परन्तु वर्तमान सरकार ने गत 22 अक्तूबर, को एक आदेश प्रचारित करके पुनः अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष कर दी जो 1985 से तथा उपरांत होने वाली परीक्षाओं में प्रभावी होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण आंचल के नवयुवकों में बड़ी निराशा हुई है।

अतएव मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा पुनः बढ़ाकर 26 वर्ष से 28 वर्ष की जाए।

(पांच) ओलावृष्टि से प्रभावित मेघालय के लोगों को वित्तीय सहायता

श्री बाजूबन आर० खारलुखी (शिलांग) : इस वर्ष मई के महीने में मेघालय के खासी पहाड़ियों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भंयकर ओलावृटि हुई जिससे वहां आलू, संतरा, सुपारी और अन्य खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है। यह क्षति इतनी अधिक थी कि वहां के लोगों को बाध्य होकर अन्य मजदूरी के कार्य करने पड़े जिनकी आय निश्चित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ऊन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयां हुईं । वर्ष 1984 में अन्य कृषि मौसम आने तक उनमें से कुछ लोगों को तो अस्थायी तौर पर अपने घर छोड़ कर किसी भी प्रकार के काम की तलाश में शिलांग तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ा था। लाखों रुपये की क्षति का अनुमान लगाया था।

भारत के विभाजन के बाद मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत मुसीबत में हैं और वास्तव में गरीबी की स्थिति हमारी कल्पना से भी परे है।

इस वर्ष आई प्राकृतिक विपदा एक अन्य अत्यन्त दुखदायी अनुभव है और स्थिति इतनी

गंभीर है जिसमें सीमावर्ती इन लोगों की वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने में सहायता के लिये अत्यन्त प्रभावी और तात्कालिक उपचारात्मक उपायों की जरूरत है ।

अतः मैं केंद्रीय सरकार से जोरदार आग्रह करता हूं कि वह इन गरीब लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे ।

यह अत्यन्त सराहनीय होगा यदि इस प्रकार की वित्तीय सहायता मार्च, 1984 से पूर्व उपलब्ध कराई जाये क्योंकि इससे लोग ओलावृष्टि से प्रभावित खेती प्लाटों को पुनः कृषि योग्य बनाने में सम्बन्ध खर्चों का पूरा कर सकेंगे ।

(छः) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया एकक में आरक्षित विजली संयंत्र स्थापित करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : हल्दिया उर्वरक परियोजना में अभी तक उत्पादन बहुत कम हो रहा है हांलाकि इसका निर्माण हुए 11 वर्ष हो चुके हैं और इस पर सरकारी राजकोष से 330 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । अमोनिया संयन्त्र के तीन आक्सीजन काम्प्रेशरों में से दो के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण हाल ही में इस कारखाने के वाणिज्यिक उत्पादन कीसभी सम्भावनाओं पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है । पहली घटना 18.10.1983 को हुई जिसके एक काम्प्रेशर को क्षति पहुंची । लेकिन यह हैरानी की बात है कि प्रवन्धकों ने पहली घटना के कारणों की जांच-पड़ताल किये विना ही, दूसरे काम्प्रेशर को चलाने का प्रयास किया । इस प्रक्रिया में दूसरा काम्प्रेशर 9.11.1983 को खराब हो गया । इस समय परियोजना की सभी उत्पादन गतिविधियां ठप्प हो गईं और इन दोनों काम्प्रेशरों की मरम्मत के लिये भारी राशि लगाने की जररुत है इसके अतिरिक्त ऋण और ब्याज का भार बहुत अधिक है ।

सरकार ने इस परियोजना में 30 मैगनार का एक रक्षित विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय किया है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित नहीं की गई है । संयन्त्र का निवारक अनुरक्षण भी खराब है और इस संयन्त्र का कोई हिस्सा किसी समय गिर सकता है अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 30 मैगावाट के रक्षित विद्युत संयन्त्र की स्थापना के लिये और संयन्त्र के अनुरक्षण के लिये क्षतिग्रस्त काम्प्रेशरों की मरम्मत के लिये पर्याप्त धनराशि रिलीज करे तथा शीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन के लिये परियोजना पर नजदीकी निगरानी रखने के लिये उचित निगरानी पद्धति लागू करे ।

(सात) पटना, रांची तथा धनबाद के लिए पेयजल की आपूर्ति संबंधी योजनाओं हेतु बिहार को केन्द्रिय सहायता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ऐसे तो बिहार के हजारों ग्रामों में अब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है । इसकी कमी से शहर भी पीड़ित हैं । प्रायः सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में पीने के पानी का अभाव है । जिस गति से छोटे-बड़े शहरों का विकास हो रहा है उस गति से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ।

पटना बिहार की राजधानी है और रांची तथा धनबाद बड़े शहर होने के अलावा राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। इन तीनों शहरों का विकास भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसके साथ ही पेय जल की कमी बढ़ती जा रही है। पानी के अभाव में लोगों की परेशानियों का अनुमान लगाया जा सकता है। फलस्वरूप उनमें असंतोष का होना स्वभाविक है।

बिहार सरकार ने पटना, रांची और धनबाद जैसे प्रमुख नगरों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 70 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की है। कहते हैं कि वहां की सरकार आवश्यक सहायता के लिए उक्त योजना को भारत सरकार के पास भेज भी चुकी है।

सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त योजना को शीघ्र क्रियान्वित के लिए राज्य सरकार को पूरी सहायता करे।

(आठ) चित्तौड़गढ़ में एक उत्तम जस्ता प्रगालक संयन्त्र स्थापित करना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से देश का पिछड़ा क्षेत्र है। राज्य के औद्योगाकरण में केंद्रीय पूंजी निवेश बहुत कम है।

राज्य में कच्चे खनिज पदार्थों की बाहुल्यता है। राज्य में जिंक के नए भंडार मिले हैं, जिनकी जांच हो चुकी है और इसके परिशोधन का कारखाना लगाने की बात भी मानी जा चुकी है।

राज्य के मुख्य मन्त्री ने इस कारखाने की स्थापना छठी पंचषर्वीय योजना में प्रारम्भ करने के लिए योजना आयोग एवं केन्द्र सरकार को सिफारिश की है ;

अत: केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निबेदन है कि राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस पिछड़े प्रांत में छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य के मुख्य मन्त्री के सिफारिश के अनुसार चितौड़गढ़ जिले में सुग्र जिंक स्मेल्टर की स्थाना की जाये।

(नौ) असम में "उवती" सिंचाई परियोजना

श्री भुवनेश्वर भूयन (गौहाटी) : आसाम के कामरूप जिले में रामपुर विकास खण्ड में 1974 में बथा नदी पर "उवती" सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। परन्तु यह परियोजना दोषपूर्ण आयोजना के कारण पूर्णतया विफल हो गई है। सिंचाई परियोजना की सभी नहरें सूख गई हैं तथा उनके जरिए कोई पानी नहीं बहता है। इससे लाखों रुपये की हानि भी हुई है जिससे इस क्षेत्र के लोगों में निराशा और शेष व्याप्त है। ये लोग सीधे सादे आदिवासी और राजवंशी का रामा समुदाय है जो अत्यन्त गरीब हैं। इसके अतिरिक्त इन गरीब व्यक्तियों, जिनकी भूमि इस परियोजना के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, को अभी तक उनका उचित मुआवजना नहीं दिया गया है। अब यह परियोजना खराब आयोजना का निष्कर्ष है और यह लोगों को खटकती है।

तथापि यह परियोजना।'उवती" फिर से चालू की जा सकती है और इसके परिणाम-

स्वरूप क्षेत्र के लोगों की आशाओं और आंकाक्षाओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि कलसी बन निरीक्षण बंगले के निकट कलसी नदी पर एक बांध का निर्माण करके लघु बहुद्देश्यीय परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है । इससे पानी को प्रसिद्ध "चंददुबी बिल" में रिजर्व में रखा जायेगा जहां से "उवती" सिंचाई परियोजना के जरिए सिंचाई प्रयोजनार्थ पानी को निकाला जा सकता है । यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाता है तो इससे "उवती" नदी सिंचाई परियोजना की नहरों के जरिए वर्ष भर पानी उपलब्ध होगा ।

मैं भारत सरकार से आग्रह करुंगा कि वह इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करे और इस बारे में शीघ्र निर्णय करे ।

(दस) भुनेश्वर में इलेक्ट्रानिकी टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की मांग

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा राज्य सरकार भारत सरकार से लम्बे अर्से से यह अनुरोध करती रही है कि भुवनेश्वर में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग एकक स्थापित किया जाए । स्थल का अन्तिम रूप से चयन करने के लिये भारत सरकार का स्थल चयन दल भुवनेश्वर के विभिन्न स्थानों पर गया था ।

देश के पूर्वी क्षेत्र में और विशेषकर उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक उद्योग नहीं है । भारत सरकार इलैक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये निर्णय किया है । भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने के लिये हर दृष्टि से उपयुक्त स्थान है । यहां पर न केवल सभी आधारभूत सुविधायें हैं अपितु इसका ठीक वातावरण किसी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना के लिये बहुत उपयुक्त है । सामान्य रूप से इलैक्ट्रानिक उद्योग में पिछड़े होने से भुवनेश्वर में इस उद्योग की स्थापना में सहायक तथा इसके आस-पास छोटे इलैक्ट्रानिक एकक की स्थापना में सहायता मिलेगी और चंदाकर क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक समूह में उद्योगीकरण के विकास में सहायता मिलेगी ;

इसको देखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये सभी सम्भव प्रयास करे ताकि छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व भुवनेश्वर में इवैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग की स्थापना की जा सके ।

पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन विधेयक को लेते हैं ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिकरण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाये ।"

मैं संक्षेप में उन परिस्थितियों का जिक्र करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखना पड़ा है । जैसा कि आप जानते हैं पंचायत राज प्रणाली का विषय संविधान की सम्पन अनुसूची में राज्य सूची के अन्तर्गत आता है । राज्य विधान मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है । राज्य में पंचायत राज की स्थापना और कार्य प्रणाली को भिन्नन स्तरों पर चलाने और उनके कार्यों की देखभाल के लिए आवश्यक कानून राज्य विधान मंडल ही बनाता है । पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है । अगस्त, 1978 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराये गये थे । दुर्भाग्यवश राज्य में असाधारण कठिन परिस्थितियों के कारण पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव कार्य पूरा नहीं कराया जा सका । इसलिए राज्य सरकार को एक कानून अर्थात पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण) अधिनियम, 1978 अधिनियम करना पड़ा जो तत्कालीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का स्थान ले सके ।

क्योंकि राज्य सरकार राज्य में पंचायत राज के ढांचे के पुनर्गठन के बारे में विचार कर रही थी इसलिए इस कानून में मूल एवं एक वर्ष की अधिक्रमणा की अवधि को समय-समय पर बढ़ाना पड़ा । कई और आकस्मिक घटनाओं के कारण इन चुनावों को कुछ और समय के लिए आगे बढ़ाना और आवश्यक हो गया था ।

राज्य सरकार इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव सभी चरणों पर करवाये जायें । ताकि पंजाब के ग्रामीणों समाज में उनको उचित स्थान मिल सके । इन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव जो पहले अगस्त, 1978 में कराये गये थे पांच वर्ष की अवधि के बाद सितम्बर, 1983 में पुनः कराये गये । ऐसी आशा की जा रही थी कि इसके बाद पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों के चुनाव भी कराये जा सकेंगे । लेकिन इन अनुवर्ती उपायों के किये जाने के लिए यह आवश्यक था कि पहले ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यवाहियां कर ली जाती । इसके लिए आवश्यक था कि पंचायत समितयों और जिला परिषदों के चुनावों के लिए प्रभावी उपाय करने से पहले सभी गांवों के पंचों और सरपंचों द्वारा शपथ लेने और पंचों के सह-योजन की कार्यवाही पूरी हो । जैसा कि आप जानते हैं कि मूल कानून के अन्तर्गत एक समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम पंचायतों के निर्वाचित पंचों में से प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 16 सदस्यों का चुनाव होना है । पंचायत समिति के पूरे गठन के लिए आवश्यक है कि इसमें सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले के दो सदस्य और विप्रणन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं सदस्य का भी लिया जाये । इन सदस्यों ने अपने आपमें से प्रत्येक पंचायत समिति से जिला परिषद के लिए चार-चार प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं । इन चार सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए अगर पंचायत समिति में महिला और पिछड़ी जाति के सदस्य पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, तो चार महिला सदस्य और एक पिछड़ी जाति के सदस्य के सह-योजन की भी व्यवस्था है ।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समितियों के लिए चुनाव की सभी प्रक्रियायें 3 नवम्बर, 1983 तक पूरी हो जानी थी। परन्तु क्योंकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिक्रमण की अवधि 11 अक्तूबर, 1983 को पूरी हो जानी थी, इसलिए उसे 12 अक्तूबर, 1983 से छः माह के लिए और बढ़ाने हेतु अध्यादेश प्रख्यापित करना। यह अवधि इसलिए बढ़ाई गई ताकि राज्य सरकार जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न करा सके।

श्रीमन्, मैं यह आवश्यकता महसूस नहीं करता कि इस बात की व्याख्या की जाये कि पंजाब में किन परिस्थितयों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और विधान मंडल को निलम्बित किया गया। अतः पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिक्रमण की अवधि को 11 अक्तूबर, 1983 के बाद और छः माह तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को केंद्रीय सरकार की सहमति से अध्यादेश जारी करना पड़ा। अध्यादेश जारी करने के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं। परन्तु पंजाब में अब ऐसी स्थिति है कि वहां पंचायत समितयों और जिला परिषदों के चुनाव निष्पक्ष तरीके से नही कराये जा सकते। अतः हमें पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिक्रमण की अवधि 12 अक्तूबर, 1978 से छः वर्ष के लिए और बढ़ाने हेतु बाध्य होना पड़ा है। हम आशा करते हैं कि राज्य की स्थिति शीघ्र सामान्य हो जायेगी, जिससे कि पंचायत निकायें फिर से सामान्य कार्य कर सकेंगे। इसलिए मैं यह विधेयक आपके द्वारा सहानुभूतिपूर्ण विचार-विमर्श और इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया .

"कि पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद, (अस्थायी अधिक्रमण) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाये।"

श्री दिगम्बर सिंह।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और अनुभव करता हूं कि उन्होंने जो बिल रखा है वह उनकी भावनाओं के विपरीत है। वह इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि गांव के लोगों को और जनता को अधिकार न मिले, शान्ति का विकेन्द्रीकरण न हो। मैं अनुभव कर रहा हूं यहां कि कुर्सी ऐसी होती है कि इस पर बैठकर आदमी वह बात नहीं कर पाता जो न्याय समझता है। वह करता है जिससे उसकी कुर्सी बनी रहे। पहले भी महाभारत के समय भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य ठीक नहीं समझते थे कि द्रोपदी का चीर खींचा जाय। लेकिन चूंकि दुर्योधन की कुर्सी के साथ बैठे हुए थे उनकी यह हिम्मत नहीं हुई, वह तो जुए में भी नहीं हारे थे जबकि पांडव हार चुके थे, कि वह कहते ऐसा क्यों हो रहा है।

हमारे पूज्यनीय नेता महात्मा गांधी जिन्होंने यह कहा था कि मेरे टुकडे हो जाय देश के

टुकड़े नहीं होने दूंगा। उन्हीं नेता के शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उन तीनों ने कुर्सी पर बैठ करके बिना गांधी जी की इच्छा के पाकिस्तान स्वीकार कर लिया।

हालत हमारी वह हो जाती है जैसे फिल्म कम्पनी का कोई डायरेक्टर ऐक्टिंग करने के लिए कहता है तो ऐक्टर सोचता है कि मैं ड्रिन्क नहीं कर सकता, वैश्याओं के पास नहीं जा सकता लेकिन ऐक्टिंग के लिए उसे सब करना पड़ता है। इसीलिए कुर्सी ऐसी होती है कि जिसकी खातिर करना पड़ता है।

मैं गांव का प्रधान रह चुका हूं पंचायत का। शुरु शुरु में जब पंचायते बनी तो जो पंचायत गांधी जी चाहते थे वह तो कानून नहीं बनी, और जो कानून बने पड़े हैं उन्हें भी लोग बदलते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पंचायतों के चुनाव टालने की क्या आवश्यकता है? जब और बातों के लिए बेकार साबित हो रहे हैं तो गांवो के चुनाव क्यों नहीं कराते? कारण राजनीतिक हैं। जनभावना जब खिलाफ होती है और दिखाई देता है कि अपने लोग नहीं जीतेंगे तो सोचते हैं कि लोगों के अधिकारों को टाल दिया जाय। समझते हैं कि अगर चुनाव होंगे, जिला परिषदें बनेंगी तो उनमें वह लोग नहीं आयेंगे जो सरकार के पक्ष में हैं, इसलिए इन्हें टाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। मुख्यमन्त्री ने आवेश में आकर प्रमुखों के चुनाव कराए, लेकिन जब उन्हें यह दिखाई दिया कि जिला परिषद में खतरा हो सकता है, सरकार की पार्टी के लोग नहीं उठ पायेंगे तो उसको उन्होंने टाल दिया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह पीछे की तरफ न जायें, गांधी जी का जो सिद्धांत है विकेन्द्रीकरण का, उसको आगे की तरफ बढ़ायें। इसलिए आप पंचायत के चुनाव कराइये, उन्हें होने दीजिए; टालने की कोशिश क्यों करते हैं?

जो लोग वहां दूसरे वातावरण में फंसे हुए हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों में आन्दोलन कर रहें हैं, मेरा अपना अनुभव यह है क्योंकि मैं भी सन 1952 से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, जहां लोग यह देखते हैं कि इस गांव का एक भी वोट नहीं मिलेगा तो लड़ाई करा देते हैं, तो दूसरी पार्टी वोट दे देती है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि पंजाब में वोटों का बटवारा करके, एक तरफ हिन्दू और एक तरफ सरदार, उनमें झगड़ा होगा तो एक के वोट मिल जायेंगे, उसको चलने दीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन राजनीति में राजनीतिक उद्देश्य से कोई भी चीज जायज मानी जाती है।

अभी नहीं, महाभारत में युधिष्ठर जो कि ईमानदार थे, उनकी पूजा नहीं होती, कृष्ण की पूजा होती है, जिन्होंने 5 महारथियों को बेईमानी से मरवा दिया था। राजा रामचन्द्र जी मान-मर्यादा पुरुषोतम कहलाते हैं, जिन्होंने बाली को धोखा देकर मारा, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, सीता को निकाल दिया। लक्ष्मण, जिनको कहते हैं कि परम भक्त थे, उन्होंने जंगल में जाने वाली सीता का साथ नहीं दिया, बल्कि कुर्सी पर बैठने वाले राम का साथ दिया। तो ये पुरानी बाते हैं। मुमकिन है मैं भी कुर्सी पर होता, मैं भी 3 बार कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा हूं तो मैं भी उसी भाषण में बोलता जिसमें मन्त्री जी बोलते हैं। लेकिन मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो कुर्सी से हटता है,

वही ठीक बात कहता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुर्सी रहे या न रहे, लेकिन इतिहास हमेशा साथ रहता है। आप जैसे विचारवान व्यक्ति, जिनके बारे में समझा जाता है कि विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं, आप महात्मा गांधी के परम भक्त हैं, आप गांधी जी की भावना का विरोध न करें। जिसकी वजह से कुर्सी है, भले ही उसका विरोध करें, लेकिन कहें कि मैं विधेयक को वापिस लेता हूं, मैं गांधी जी की भावना का समर्थन करते हुए चुनाव करता हूं।

कई बार इसके संशोधन हो चुके हैं, गांधी जी कभी नहीं कहा कि अध्यादेश लाया जाए। वे प्रजातन्त्र चाहते थे, लेकिन हमारे यहां एक के बाद एक अध्यादेश लाए जाते हैं। पार्लियामेंट के लिए अगर आप चाहें तो कुछ कर लें, उसके लिए कोई सिस्टम बना लें लेकिन बेचारे प्रधानों का काम होने दीजिए।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां आन्दोलन हो रहा है, वहां चुनावों की वजह से ध्यान बट जायेगा और जनता चुनाव में लग जायेगी और इस तरह से आपस में जो मारकाट हो रही है, वह भी कम हो जाएगी क्योंकि स्थानीय चुनाव महत्वहीन हो जाने से लोग उसमें लग जायेंगे।

माफ करें, एक साधारण बात है कि प्रधान मन्त्री कौन बने, मंत्री कौन बने, संसद सदस्य कौन बने, यह एक असाधारण बात है कि जनता का हित कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं तो यही समझता हूं कि जहां शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है, शक्ति एकत्रित की जा रही है, वैसे ही पंजाब का हो रहा है। आप देखें कि आज हरामखोर मजा कर रहे हैं, मेहनत करने वाले दुःख पा रहे हैं। जो अनाज, दूध पैदा करता है वह खा नहीं पाता, जो महलों को बनाते हैं, वह झुग्गी में रहते हैं, जो शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार लाते है, जासूसी करते हैं, देश को बर्बाद करते हैं वह महलों में रहते हैं।

हम देखते हैं कि सरकार उन कार्यों में विलम्ब करती है, जो जनता के हित में है। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, क्योंकि इसका वर्तमान विषय से सम्बन्ध नहीं है, प्रधान मन्त्री, मंत्रियों और संसद-सदस्यों के चाहने पर भी साढे तीन वर्ष से लैंड स्वीजीशन बिल नहीं लाया जा रहा है, जो कि किसानों के हित में हैं। जो काम जनता के हित में है, वह नहीं किया जा रहा है।

मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह यह बिल पास कराने के बजाय पंजाब में पंचायत समितियां और जिला परिषदों के चुनाव करायें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा करने से वहां की मार-काट में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि वह घट जाएगी और स्थिति में सुधार होगा। सरकार और हिन्दू मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कम से कम स्वयं इस विधेयक को पास न करायें और इसको वापस ले लें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सिद्धांत और

आदर्श की जो बात कही है, वह तो बहुत अच्छी है । उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और उनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है । लेकिन मानबीय सदस्य जानते हैं कि आज पंजाब में क्या स्थिति है । जहां आग लगी हो, वहां चुनाव कैसे? हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यादेश भी लागू किए जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में, जबकि आदमी के लिए सुरक्षा नहीं है, अगर चुनाव कराए जाते है, तो उधर के सदस्यों की तरफ से इसकी आलोचना की जाती । मुझे आशा है कि जिस परिस्थिति में मन्त्री महोदय ने यह विधेयक रखा है, उसको दृष्टि में रखते हुए माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे और इसमें कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे ।

लेकिन मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल पंचायतों और जिला. परिषदों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है । ये लोकतांत्रिक इकाइयां लोकतंत्र का आधार है। थ्री-टायर सिस्टम के अन्तर्गत कई जगह पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं । 16-30 सितम्बर के योजना में लिखा है :—

> "नौकरशाही विनिमन की तारों से पंचायतें बुरी तरह बंधी हुई हैं । यह सही ही है कि इन्हें और स्वतन्त्रता दी जाए । क्योंकि पंचायतें सरकारी विभागों की दया पर रहती हैं, इसलिए वे ज्यादा लाभकारी नहीं हैं । समय की आवश्यकता यह है कि पंचायतों को और अधिक स्वायत्त शासी बनाया जाये । अगर सदस्यों और अध्यक्षों को, जो कि स्थानीय व्यक्ति होते हैं, आवश्यक विवेकाधिकार दिए जायें तो वे सही प्रकार कार्य से सम्पादन कर सकेंगे ।"

पंचायतों के बारे में जो स्वप्न वलवन्तराय मेहता ने देखा था, वह साकार नहीं हुआ है। आज गांवों में सरपंच का कोई आदर-सम्मान नहीं होता है । पंचायतों की आर्थिक हालत बहुत खराब है । हमारा लोकतन्त्र इन्हीं संस्थाओं पर टिका हुआ है । अगर वे ठीक तरह से नहीं चली, तो हमारा लोकतंत्र भी ठीक तरह से नहीं चल पाएगा । मन्त्री महोदय गाइडलाइन्ज दें कि पंचायतों में कैसे नई जान फूंकी जाए । महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आत्मा गांवों में रहती है और ग्राम पंचायत हमारे लोकतन्त्र का आधार है । कई जगह जिला परिषदों के चुनाव नहीं होते, कई जगह जिला परिषदें नहीं हैं, पंचायत समितियां नहीं हैं और सरकारी कर्मचारी वहां हावी हो रहे हैं, नौकरशाही हावी हो गई है । पंचायतें आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हैं । यद्यपि आज के बिल का यह विषय नहीं है, यह मैं मानता हूं लेकिन पंचायतों का जो स्वप्न हमने देखा था वह पूरा नहीं हो रहा है और इसीलिए हमारी जो योजनायें हैं वह भी पूरी तरह से सफल नहीं हो हा रही हैं । योजनायें पंचायत लेविल पर ही बनाई जानी चाहिए लेकिन हम देखते हैं किआज पंचायतें भ्रष्टाचार का अडडा बन गई हैं । गरीबों को वहां कोई पूछता नहीं है । महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तब अपने को भाग्यशाली समझूंगा जबकि कोई हरिजन महिला इस देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगी । आज आप पंचायतों का एक दूसरा स्वप्न देख रहे हैं। जिस स्थिति में आप यह विधेयक यहां पर लाए हैं उसका मैं समर्थन करता हूं और जो आदर्श की बातें उधर से कही गई हैं वह भी ठीक है लेकिन वह इस बिल पर लागू नहीं होती । इसलिए इस बिल को पारित किया जाना चाहिए ।

श्री हरिनाथ मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही वक्ता मेरे निकट के मित्र हैं। मैंने उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना है। जब मैं वहां पर बैठा करता था, जहा पर आप बैठे हैं, तो अकसर मैं मजाक में अपने मित्र डागा जी से कहा करता था कि आप वहस तो किसी की तरफ से करते हैं और जब वोट देना होता है तब उनका उल्टा करते हैं। हन्ट विद दि हाउन्ड एंड रन विद दि हेयर। (**व्यवधान**) किन्तु मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जो विचार यहां पर प्रकट किए वह किसी पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टियों से ऊपर उठाकर प्रकट किए हैं।

दिगम्बर सिंह जी से मेरा परिचम यद्यपि कुछ ही महीनों से हुआ है, परन्तु दरअसल विचारों से वे हमारे साथ ही है, बैठे चाहे जहां हों। उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुनाव जल्द होने चाहिए। हमने इस बात का प्रयास किया है कि पंजाब में जो हमारे ग्रास रूट्स के डिमोक्रैटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा शीघ्र काम आरम्भ हो सके। मैं अधिक समय न लेकर इतना ही बतलाना चाहता हूं कि 1978 में पंजाब कांग्रेस (आई) की सरकार नहीं थी। अकाली और जनता दोनों को मिलाकर सरकार चलाई जाती थी। उस सरकार ने भी अगस्त, 1978 में ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिए। उनके सामने दिक्कतें और परेशानियां आयीं मैं यहां बैठकर उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिलापरिषदों का चुनाव कराना और उनकी कार्यरत करना व उनसे काम लेना यह राज्य सरकार की ही जवाबदेही है। इस तरह से ग्राम पंचायतों का चुनाव करा लेने के बाद वह जो क्रिया थी, वह रोक दी गई, जिससे कि पंचायत समितियों और जिलापरिषदों का चुनाव नहीं हो सका। यहां तक कि उस समय जो पंचायत समितियां और जिला परिषदें थीं, उनको भी सुपरलोड कर दिया गया। इसको कार्याव्यिनन करने के लिए उस समय विधेयक पारित किया गया। पंजाब राज्य में 11 हजार गांव और ग्राम पंचायतें हैं, जिनका चुनाव पांच साल के लिए होता है। जब तक वह सरकार रही, यही क्रिया चालू हुई और उस स्थिति को अन्त तक रखा गया। यह बात ठीक है कि कांग्रेस (आई) की सरकार जिसका नेतृत्व सरदार दरवारा सिंह जी कर रहे थे, वह 1980 में आई। लेकिन भूतपूर्व सरकार द्वारा जो चुनाव करा दिए गए थे, जिसकी अवधि पांच साल थी। उनको पांच साल के लिए रहने दिया और उनको अपना काम करने दिया। वह अवधि अगस्त, 1983 में अब समाप्त हुई। सरदार दरवारा सिंह की सरकार ने सितम्बर, 1983 में वे चुनाव करवा दिए। लेकिन पंजाब में जो लां-एन्ड-आर्डर की स्थिति रही है, उसका मैं विशेष वर्णन नहीं करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति शासन वहां लागू हुआ, श्री बी. डी. पांडे के नेतृत्व में गवर्नर इन काउन्सिल ने सिफारिश किया कि हम अभी जैसी स्थिति में हैं, उसमें पंचायत समितियों का और जिलापरिषदों का चुनाव नहीं करा सकते हैं इसलिए इसे स्थगित रखा जाए। यद्य पि वहां छः साल पहले 1978 में यह कानून पास हुआ था, लेकिन छः साल का मतलब होता है 11 अक्टूबर, 1984 तक, मुश्किल से साढ़े नौ महीने बाकी रहे हैं। इस अवस्था में भी अगर स्थिति साधारण हो गई, जिसमें कि एक अनुकूल वातावरण में समितियों के, जिला परिषदों के चुनाव हो सके, तो हम यह अवश्य मानते हैं कि वहां के गवर्नर एक एबल डिटिंगविशड सिविल सरवैंट और कनसैनटियस सिविल सरवैंट ही नहीं है, बल्कि एक जनटलमैन है। उनके परमार्शदाता भी एक से एक चुने हुए हैं, वे

जरूर ही केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेंगे और केन्द्रीय सरकार को इस में अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि उन के विचारों से सहमत होकर वहां जो प्रक्रिया बाकी है उसे पूरा करा दे ताकि वहां ग्रास-रूट लेवल की डेमोक्रेटिक इन्स्टीचूशन्ज बन जाय और कार्यरत हो जाय । अगर इस बीच में जनप्रिय सरकार आ सकी तो वह जरूर यह चाहेगी कि इस तरह के चुनाव करा दिये जायें ताकि यह सिलसिला जारी हो सके ।

अब एक बात रह गई है—डाक्टर जी स्वंय ही प्रश्न करते हैं, सुझाव भी देते हैं और उत्तर भी देते हैं । यह अवसर नहीं है कि हम समान्न देश में ग्राम पंचायत की कैसी व्यवस्था है आदि मुद्दों को छेड़ें । अभी तो पंजाब के बारे में यह विचाराधीन प्रश्न हैं इसलिए मैं अभी उसका उत्तर देना नहीं चाहता हूं । मैं समझता हूं--जैसा मैंने निवेदन किया था आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अस्थायी अधिक्रमण) अधिनियम 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा इस पर खण्डवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा लोक संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) विधेयक, जिसको दो घन्टे का समय दिया गया है, पर विचार करेगी ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक वित्तीय संस्थाओं की विश्वस्तत और गोपनीयता विषयक बाध्मता के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि विश्वस्तता और गोपनीयता के अनुरक्षण के दायित्व का उपबन्ध प्रथम बार, सांविधिक आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में किया गया था । बाद में, स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 और 1970 तथा 1980 के दो बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियमों में भी ऐसे उपबन्ध जोड़ दिए गये थे । इस प्रकार जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, सिवाय इसके कि जब ऐसी सूचना की विधि अनुरूप अथवा बैंककारों में प्रचलित परिपाटियों के अनुरूप आवश्यकता हो, उन पर उन सम्बद्ध संविधियों के आदेश लागू होते हैं जो उनके घटकों के कार्यकलापों से सम्बद्ध सूचना के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए होते हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक और कृषि राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय बैंक जैसी लोक वित्तीय संस्थाओं पर नियन्त्रण रखने वाले कुछ अन्य विअधिनियमों में भी ऐसे उपबन्ध हैं जो इन संस्थाओं को उनके अलग-अलग घटकों के कार्यकलापों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का आदेश देते हैं । दूसरी ओर, भारतीय औद्योगिक त्रहण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण निगम जैसी लोक वित्तीय संस्थाओं को अपने घटकों के कार्यकलापों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है । अत: विभिन्न लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गोपनीयता बनाए रखने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट भिन्नता विद्यमान है । विधेयक में इस भिन्नता को दूर करने का प्रस्ताव है ।

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

मुख्यतया, अलग-अलग घटकों के कार्यकलापों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता, बैंकिंग संस्थाओं और उनसे ऋण लेने वाली आसामियों के मध्य विशेष संविदात्मक सम्बन्धों के कारण पैदा होती है । इस आवश्यकता को सभी ने स्वीकार किया है । संस्थाओं का यह सुनिश्चत करने का भी एक नैतिक दायित्व है कि वे ऐसी कोई नाजुक सूचना प्रकट न करें, जो कि किसी भी प्रकार से उनसे उधार लेने वाले घटकों की ऋण लेने की क्षमता को जोखिम में डाल दे । संस्थाओं को उनसे सहायता प्राप्त बीमार इकाईयों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इन इकाईयों से सम्बद्ध कोई संवेदनशील सूचना योग्य तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों को इन इकाईयों की सेवाओं की ओर आकर्षित होने से रोक सकती है और इसके अतिरिक्त बाजार को भी प्रभावित कर सकती है । ये कारण उन अभिकरणों

के प्रयासों को विफल कर सकते हैं जो इन बीमार इकाईयों को नया जीवन देने में जुटी हैं । अतः, यह बात माननी पड़ेगी कि ईकाई-वार सूचना प्रकट करना और विशेषकर बीमार औद्योगिक इकाईयों के बारे में सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

यह सुनिश्चत करने हेतु कि विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग न हो, हमें केवल लोक वित्तीय संस्थाओं को ही इस विधेयक की परिधि में लाये हैं । हमने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, अधिनियम 1951 जैसे विअधिनियनों में दिये गये गोपनीयता और विश्वस्तता के दायित्व के उपबन्धों में कुछ संशोधन करके उन्हें और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है जिससे कि इन अभिनियमों के उपबन्धों को अन्य अधिनियमों के उपबन्धों के समान बनाया जा सके ।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं सभा द्वारा इस विधेयक पर विचारकिये जाने की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि लोक वित्तीय संस्थाओं की विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब, प्रो० रुपचन्द पाल बोलेंगे ।

प्रो० रुपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, सभा में उपस्थिति कम है और यह एक बड़ा ही अहानिकर विधेयक लगता है, जिसके लिए केवल एक घंटे का समय रखा गया है । मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं की विश्वस्तता तथा गोपनीयता की बाध्यता के उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं । परन्तु महोदय, ऐसे समय में इस विधेयक की क्या आवश्यकता आ पड़ी थी जबकि लोक वित्तीय संस्थाओं के कार्य और भूमिका के बारे में इस सभा में और बाहर समस्त देश में एक गंभीर विवाद चल रहा है ? अभी हाल ही में, एक गैर-आवासी भारतीय श्री स्वराज पाल ने, जो कि इन दिनों बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं, बहुत-सी टिप्पणियां की हैं । मैं उनके द्वारा दिल्ली के प्रेस क्लब को सम्बोधित करते हुए की गई एक टिप्पणी का यहां उल्लेख कर रहा हूं । उन्होंने बताया कि ग्यारह बड़े घराने सार्वजनिक धनराशि में से 27,000 करोड़ रुपये से भी अधिक पर नियन्त्रण रखे हुए हैं जबकि उनका अपना निवेश कुल 2 से 4 प्रतिशत तक है । और वे हमारी अर्थव्यवस्था को निष्क्रय बनाने में जुटे हुए हैं । वे जैसा चाहते हैं, इस क्षेत्र में वैसा ही करते चले जा रहे हैं और यह विवाद दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिकी और अन्य पत्रों में उठाया जा रहा है । सभी गंभीर व्यक्ति, अर्थशास्त्री तथा अन्य इन लोक वित्तीय संस्थाओं के कार्य के बारे में सुझाब दे रहे हैं

महोदय, सभा में विभिन्न अवसरों राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर दुरुपयोग, छल-कपट और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गये हैं और जैसा कि आप जानते हैं इसी सभा में यह रहस्योदघाटन किया गया है कि एक अवधि विशेष में धोखाधड़ी से 130 करोड़ रुपये उड़ाये

गये, जबकि डकैती और लूटपाट में कुल 1 से 2 करोड़ रुपये की राशि दी गई। कुछ समितियों ने भी इन लोक वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों के बारे में गम्भीर टिप्पणियां की हैं। (**व्यवधान**)। महोदय, चूंकि दो घंटे का समय दिया गया है और वक्ता भी अधिक नहीं हैं और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधेयक है तो मैं अधिक समय लेने के लिए आपका हस्तक्षेप चाहता हूं।

बड़े पैमाने पर इस व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों के अतिरिक्त, ऋण लेने वालों ने, जिनमें से अधिकांश बड़े घराने हैं, धन को और कहीं लगा दिया है; उड़ा दिया है- और यह हम नहीं कह उस दिन जब 13 कपड़ा मिलों के अर्जन सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा हुई थी तो हमारे वाणिज्य मन्त्री महोदय ने उस दिन के बारे में बताया था जो उन 13 कपड़ा मिलों को वित्तीय संस्थाओं को देना था जिनका कि अर्जन ग्रहण किया जा रहा था। और कुछ धनराशि तो टाटा क्लाथ मिल सहित बड़े घरानों की ओर बकाया थी।

महोदय, जब हमने करीब 26,000 बीमार इकाईयों और बड़े घरानों की बहुत सी बीमार इकाईयां पर चर्चा की थी तो हमें पता चला था कि इन बड़े घरानों के निदेशक-बोर्डों पर लोक वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सतर्क रहने की सावधानी नहीं बरती थी जबकि धनराशि को जानबूझकर और कहीं लगाने और उसे उड़ाने के कारण बहुत से उद्योगों को जानबूझकर बीमार बनाया जा रहा था। यह हमारी टिप्पणी नहीं है। तिवारी समिति ने इस पर गंभीर टिप्पणियां की थीं और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस सब पर गम्भीर टिप्पणियां की हैं। महोदय इन लोक वित्त संस्थाओं की भूमिका और कार्यों की पूर्ण जांच की निरन्तर मांग उठती जा रही है और अभी हाल ही में वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने एक ऐसा ही आश्वासन दिया है कि वित्तीय संस्थाओं के सभी पहलुओं पर एक समिति विचार करेगी और जहां तक मुझे पता है भूतपूर्व वित्त सचिव श्री नरसिंहमन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जो कि लोक वित्त संस्थाओं पर विचार करेगी। हाल ही में इस मास की 16 तारीख को वित्त मन्त्री महोदय ने इस सभा में स्वीकार किया था कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गये ऋण का एक बड़ा भाग बड़े घरानों को चला जाता है जैसे टाटा, बिरला, मफतलाल ग्रुप, जे० के० सिंहानिया आदि, जिन्होंने लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों में दिए गए ऋणों का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त किया है। वर्ष 1980-81 में देश के 20 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों को कुल 184.59 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। 1982-83 में इन बड़े घरानों को 114.45 करोड़ रुपये का और वर्ष 1982-83 में 187.78 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। वापस की गई धनराशि कितनी थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े वित्त मन्त्री महोदय के वक्तव्य से लिए गये हैं? किसी अन्य वक्तव्य पर तो निर्भर नही करता हूं। 3 अगस्त, 1983 को राज्य सभा में उन्होंने कहा था कि 123 इकाईयों में से केवल 8 इकाईयों ने ही अपनी देनदारी का भुगतान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को किया था और उस तारीख में टाटाओं पर 44.82 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। यह बड़ा ही परिमित प्राक्कलन है और मेरे विचार से राशि इससे कहीं अधिक है जिस पर मैं बाद में बोलूंगा।

टाटाओं और बिरलाओं दोनों पर ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्तीय संस्था की 100 करोड़ से अधिक की देनदारी है । बित्त मन्त्री महोदय उसके बाद कहते हैं :

> "हम जानते हैं कि इनका रिकार्ड अच्छा नहीं है और मामले की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जायेगी जो न केवल भारतीय औद्योगिक वित्तीय संस्था की अपितु अन्य वित्तीय संस्थाओं की भी जांच करेगी ।"

उस समिति का क्या हुआ ? कब तक उसका प्रतिवेदन आएगा और कब उस पर कार्रवाई की जाएगी ? हमें इस विषय को गहराई से देखना होगा । भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा एक गंभीर टिप्पणी की गई है । यदि आप सरकारी वित्तीय संस्थानों से धन लेकर किसी कम्पनी में पूंजी निवेश करते हैं और अगर आपकी साझेदारी 50 प्रतिशत है तो क्या आप यह उचित नहीं समझेंगे कि इसे भारत के नियत्रक तथा महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आना चाहिए ।

सरकार का कहना है कि ऐसी कम्पनियों, जिनमें सरकार की साझेदारी 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, की संख्या 53 है लेकिन कम्पनी के नोट्स में ऐसी कम्पनियों की संख्या 115 दर्शाई गई है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं । सामान्यता लोकतांत्रिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार इन कम्पनियों की जनता के प्रति जवाब देयता के क्षेत्र का विस्तार करेगी । जब सैंकड़ों करोड़ों रुपये की सरकारी निधि, सरकारी वित्तीय संस्थाओं की निधि लगी हुई हो तो कम्पनियों की जनता के प्रति जवाबदेयता होनी ही चाहिए । जहां तक कम्पनियों के कर्मचारियों अफसर, निदेशक और अन्य लोगों की निष्ठा और गोपनीयता का सम्बन्ध है इन कम्पनियों द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा यह जिम्मेदारी कहां तक निभाई जा रही है । सरकार ने जनता की निधि को चंद गैर सरकारी लोगों के हाथ में सौंपकर और जनता के प्रति जवाबदेयता की व्यवस्था न करके अपने दायित्व को कम कर लिया है । मेरे पास यथेष्ठ समय नहीं है अन्यथा मै उन सभी कम्पनियों के नाम आपको बताता जिसमें सरकार की साझेदारी 50 प्रतिशत से अधिक रूग्ण 33 प्रतिशत से अधिक अथवा 25 प्रतिशत से अधिक है और इनमें से कितनी कम्पनियों को कुछ वर्षों के दौरान जानबूझ कर रूग्ण बनाया गया है ।

एक गंभीर टिप्पणी की गई है कि ऐसे 52 से अक्षिक संगठन हैं जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों की साझेदारी अर्थात उनके शेयर 33 प्रतिशत से अधिक हैं । निदेशक बोर्ड क्या करता है यह एक अलग प्रश्न है । इस पर विवाद चल रहा है और मैं इस विबाद में पड़ना नहीं चाहता । लेकिन भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा कोई संवीक्षा नही की जाती कम्पनी अधिनियम में क्या प्रावधान है ? कम्पनी अधिनियम की धारा 619 ख में कहा गया है कि जिन कम्पनियों अथवा निगमों में एक या अनेक राज्य सरकारों के और केंद्रीय सरकार के एकल अथवा 51 प्रतिशत से अधिक सामान्य शेयर है वह कम्पनियां सरकारी कम्पनियां समझी जानी चाहिए । और ऐसी सरकारी समझी जाने वाली कम्पनियां भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के

क्षेत्राधिकार में आती हैं। 1982 तक ऐसी कम्पनियों की संख्या 53 थी मैं इस बात पर विवाद नहीं करना चाहता कि कम्पनियों की संख्या 53 है या उससे अधिक, क्या इन कम्पनियों के वर्ष 1980-81 के लेखे प्राप्त हो गए हैं ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 53 कम्पनियों से कितनी कम्पनियों में सरकार के शेयर 51 प्रतिशत से अधिक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि 50.19% अथवा 50.59% सामान्य शेयर इसे अलग प्रश्न दें। चूंकि अधिनियम में 51 प्रतिशत की व्यवस्था है इसलिए सरकार अथवा सरकारी वित्तीय संस्थानों के 51 प्रतिशत से कम एकल अथवा संयुक्त शेयरों की बात खुद व खुद घुट जाती है। कम्पनी कार्य मन्त्रालय तकनीकी दृष्टिकोण अपना रहा है। वहरहाल मैं इस प्रश्न को नहीं ले रहा। इन 53 कम्पनियों के लेखापरीक्षक लेखे प्राप्त हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि बड़े घरानों की कम्पनियों में सरकार की साझेदारी 51 प्रतिशत से अधिक है। हम यह जानते हैं कि लेखापरीक्षक नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श पर नियुक्त किया गया है मेरे पास सूची मौजूद है। 12 में से केवल एक ने लेखों के सम्बन्ध में जानकारी दी है। ग्यारह बड़े घराने 27000 करोड़ रुपये से अधिक सार्वजनिक धन पर नियंत्रण जमाए हुए हैं जबकि उनके द्वारा किए गए पूंजी निवेश की प्रतिशतता बहुत कम है और वह देश की समूची अर्थव्यवथा को निष्क्रय बनाए हुए है। सरकार क्या कर रही है ? वित्तीय संस्थानों को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा रहा है और ऐसा किया गया है। यह एक गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षा की 1980 की रिपोर्ट के भाग एक की प्रस्तावना में निम्न-लिखित टिप्पणी की गई है

> "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जिन्हें पहले सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के रूप में अधिसूचित किया गया था बाद में उन्हें कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इ से अनसूचित कर दिया गया"

ये उनके मंत्रालय के अधीन हैं लेकिन कम्पनी कार्य मंत्रालय उन्हें नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के क्षेत्राधिकार से परे रख रहा है। एफ० ई० आर० ए० और एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में हमारे पास मार्गदर्शी सिद्धांत है और यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों को देखें तो यह ज्ञात होगा कि यदि सरकार की शेयर राशि 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उस पर किसी किस्म का नियंत्रण और छानबीन की जानी जरूरी हैं। निगम राज्य के पास 49 प्रतिशत शेयर हैं। कुछ केंद्रीय सरकार निगमों के पास 49 प्रतिशत शेयर है इस प्रकार कुल जोड़ 98 प्रतिशत हो जाता है लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण के आधार पर इसे 51 प्रतिशत नियंत्रण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार तकनीकी तौर पर बड़े व्यापार गृहों को छान-बीन के दायरे से दूर रखा गया है। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेयता नहीं है। इस सम्मानित सदन सर्वोच्च संस्था को कुछ नहीं पता चल सकता। यदि कर्मचारी कोई ऐसी जानकारी देते हैं कि अमुक निदेशक ने अमुक धनराशि का दुरूपयोग किया है तो उसे दण्ड दिया जाता है परन्तु,

प्रबन्ध निदेशक किसी धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसे दण्ड नहीं दिया। यदि कोई सेवानिवृत जनरल सेवारत कार्मिकों के साथ मिलकर शत्रु देशों को महत्वपूर्ण गोपनीय तथ्यों की जानकारी देता है तो सेवारत कार्मिकों के नामों को प्रकट करने में हिचकिचाहट महसूस की जाती है। रघुपति और अन्य लोग जो बैंक की धांधली में शामिल थे, उन्हें पदोन्नत और पुरस्कृत किया गया। लेकिन यदि कोई कर्मचारी यह कहता है कि मैं देशभक्त हूं और जो जानकारी दे रहा हूं वह सही है तो उसके बांड के अनुसार उसे दण्ड दिया जाएगा। दो घंटे दिए गए हैं और यह घृणित विधेयक पारित किया जा रहा है।

कृपया उन कम्पनियों के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े को देखें जिनमें सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के शेयर 33 प्रतिशत से अधिक प्रतिवेदन आ गए हैं। लेकिन लेखापरीक्षिक लेखे नहीं हैं। शेयरधारियों की बात मान ली जाती है। मंत्री महोदय मैं ऐसे ही पुनराधार बात नहीं कह रहा। जिन लोगों को इसकी जानकारी है उन्होंने इसे सरकारी तौर पर प्रकट किया है और यह प्रकाशित हुआ है। शेयरधारियों को बुलाए बिना संकल्प पारित किए जाते हैं। वे करोड़ों रुपया अपव्यय कर रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा इस सदन को तथा अन्य स्थानों पर दी गई जानकारी जिसे मैं भी सदन में बता चुका हूं, के आधार पर यदि आप सूची देखें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। मुझे स्वयं भी नहीं पता था कि यह कम्पनियां जो मंदिर बनवा रही है और उसे बिड़ला मन्दिर की संज्ञा देती है किसके धन पर नियंत्रण जमाए बैठी हैं। सार्वजनिक धन पर। जो संगठन पैसा खर्च कर अस्पताल बनवा रहे हैं, और उन्हें टाटा अस्पताल का नाम देते हैं वह किसके धन से अस्पतालों का निर्माण करवा रहे हैं। वह सब सार्वजनिक धन है। मुझे यह नहीं पता था। कि डनलप इण्डिया कम्पनी में, सार्बजनिक वित्तीयनिगमों ने भारीमात्रा में पूंजी निवेश किया हुआ है। उचित लेखापरीक्षत लेखे, वार्षिक बैठकों की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती। यह टिप्पणी मैं नहीं कर रहा। यह टिप्पणी भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा की गई है। लेकिन यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से पूछ रहा हूं। वरिष्ठ मंत्री यहां नही हैं पर कनिष्ठ मंत्री तो मौजूद हैं। क्या आप इस प्रक्रिया को जारी रहने दे सकते हैं।

'टिस्कों' में 40 प्रतिशत से अधिक शेयर वित्तीय संस्थानों के हैं। वह सार्वजनिक धन है। फिर 'टाटा' को यह कहने का क्या अधिकार है।, कि यह मेरा संगठन है और इस पर मेरा, नियंत्रण है"

इस विषय में हम श्री स्वराजपाल से सहमत हैं किन्तु हम चाहते हैं कि इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि वह टिप्पणी कर सकें और लोकलेखा समिति की बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया जा सके। यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत भी की जानी चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उस पर बिचार भी कर सके। केवल भ्रष्टाचार, या संयुक्त क्षेत्र नुक्ता चीनी के लिए नहीं हैं और न ही संयुक्त क्षेत्र इसका समाधान है। शुरू में संयुक्त क्षेत्र की क्या धारणा थी। नए उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए

छोटे उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आज आपका संयुक्त क्षेत्र टाटा, हिन्दुस्तान लीवर, बिड़ला और जे० के० के साथ मिलकर क्या कर रहा है। एक लम्बी सूची दी गई है मेरे द्वारा नहीं अपितु वित्त मन्त्री द्वारा उन्होंने यह स्वीकार किया यह है कि बड़े घराने सैंकड़ों करोड़ों रुपये की राशि के देनदार हैं और वह उन्हें लौटा नहीं रहे मन्त्री महोदय कहते हैं " मुझे इसके लिए खेद है मैंने एक समिति की नियुक्ति की है" आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। आप सदन को पहले नरसिम्हा समिति के निष्कर्षों के बारे में जानकानी दें। उन्होंने क्या कहा ?

मैं यह नहीं कहता कि बैंकिंग उद्योग में, वित्तीय संस्थाओं में अनुशासन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए मैं यह भी नहीं कहता कि अन्तराष्ट्रीय स्वीकृत प्रक्रियाओं और अच्छी प्रक्रियाओं का का पालन नहीं होन चाहिए। लेकिन आप पहले उन कम्पनियों को दण्ड दें।

उसके वाद अपने कर्मचारियों को अनुशासन में रहने के लिए कहें महोदय मैं यह अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों में निष्ठा और गोपनीयता की अपेक्षा करने से पहले आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन कम्पनियों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा धन सार्वजानक वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाया गया हो उन्हें भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार और संवीक्षा के अन्तर्गत लाया जाए ताकि कर्मचारी धन के अपव्यय के संबंध में सही जानकारी भी राष्ट्र को न दें आपके नए और छोटे उद्यमकर्त्ताओं सम्बन्धी तर्क में जान नहीं है। आप अपने निदेशकों को जिम्मेदारी लेने के लिए कहें। हम यह जानना चाहते हैं कि वित्तीय संस्थानों के निदेशक कौन हैं। सभी बड़े घरानों को जानबूझ कर रूग्ण बनाया गया है मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों, अफसरों और अन्य लोगों के दायित्वों की बात करने से पहले क्या वह इन सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग के कार्यकरण की जांच करवायेंगे। मैं सभी उद्योगों की वात नहीं कर रहा। न ही मैं 'टिस्को' टेलको और अन्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता और न ही इन्जीनियरी क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं मैं केवल कपड़ा और जूट उद्योग के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने इन दो उद्योगों का चयन किसलिए किया है और वाणिज्य मन्त्री ने भी स्वीकार किया है तथा इस सदन मे भी अनेक बार कहा गया है कि जूट प्रबन्धकों द्वारा 200 करोड़ रूपयों से अधिक धनराशि का अपव्यय किया गया है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के संस्थानों और वैंकों की आंखों में धूल झौंकी है (**व्यवधान**)

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि बजाय इस विधेयक के सदन में नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के कार्यकरण के सम्बन्ध में जिसके बारे में इतना विवाद उठ खड़ा हुआ है, चर्चा का मौका मिल सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होगी कि जिन कम्पनियों में सरकारी क्षेत्र की संस्थाए एक करोड़ रुपये से अधिक धन का पूंजी निवेश करती हैं उन्हें भारत के नियंत्रक तथा तथा महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाया जाना ही चाहिए।

धन्यवाद,।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं अभी तक इस बिल को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जो जब जवाब दें तो समझा दें। "सीक्रेसी" शब्द को आप कई जगह पर इस्तेमाल में लाए हैं लेकिन इस शब्द को आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। "सीक्रेसी" और फाईडेलिटी को इस बिल में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं जब कोई बात दो आदमियों से बाहर तीसरे आदमी तक चली जाती है तब उसकी सीक्रेसी नहीं रह जाती। फिर यह सीक्रेसी किस बात के लिए है ? मैं तो समझता हूं यह बिल कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है। अगर आर्टिकल (38) और (39) को देखा जाए तो उसका मेनपर्पज था अनुच्छेद 38 (1) में कहा गया है:—

> "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

आर्टिकल-38 कहता है कि आपको सामाजिक न्याय आर्थिक आधार पर भी सबको देना है। संविधान के अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है:—

> "राज्य न केवल व्यष्टियों में अपितु विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे अथवा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह में ओहदों, सुविधाओं, एवं अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने तथा आय की असमानताओं को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास करेगा।'

हम आर्थिक असमानता को खत्म करना चाहते हैं। अगर मैं किसी बैंक में रकम जमा करता हूं और आप कहते हैं कि उसको मत बतलाइए। यदि वह काला धन है। या किसी प्रकार का धन है, तो आपको यह बिल लाने की क्या जरूरत थी, क्यों सारी बातें आपने बिल के अंदर नहीं लिखी हैं। आपने बिल में एक बार कहा है कि

> "अपने ग्राहकों के कार्यों सम्बन्धी गोपनीयता बनाए रखने का बैंकरों का कर्त्तव्य उनके आपसी संबन्धों पर निर्भर है। इसे प्रचलित प्रथा के रूप में सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है।"

जब आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो हमने सोचा था कि बैंक किसी एक आदमी की पूंजी न रह जाए, वह राष्ट्र की पूंजी है और हर आदमी यह जाने बैंक क्या काम करता है। इनके पास इतनी पूंजी हैं और इस पूंजी का बैंक इस तरह से उपयोग करते हैं। 19 जुलाई 1969 को जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब कांग्रेस भारी संख्या में शासन में आई। उन्होंने यह घोषणा की थी कि आज ये बैंक किसी व्यक्ति के नहीं रहेंगे, ये बैंक राष्ट्र के बन जायेंगे और राष्ट्र के हैं। इसी उद्देश्य के लिए सारे देश में राष्ट्रीयकरण किया गया। आज आप कह रहे हैं कि यह कस्टम है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कस्टम को कानून बनाना जरूरी है ? कस्टम यानि रीति-रिवाज को कानून बना दिया जाए, तो उस कानून की परिभाषा

में उसे रखना क्यों जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है कि सीक्रेसी और फिडैलिटी रखने की जरूरत है। मान लीजिए- कोई नहीं रखता है तो आप क्या करेंगे ? एक जगह आपने कहा है—

"क्या उसने सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में जिस पर यह अधिनियम लागू होना है। निदेशक किसी समिति के सदस्य, लेखा-परीक्षक अधिकारी के पद पर अथवा किसी कर्मचारी के रुप में अपना कार्यभार सम्भाला है—

आप जानते हैं कि एक जगह कितने ही तरह के लोग रहते हैं—डायरैक्टर्स वहां रहते हैं आफिसर्स वहां रहते हैं-तो बात कैसे सीक्रेट रह सकती है आप आगे कहते हैं कि—

" क्या उसने अपना पद-भार उस तिथि से पूर्व संभाला है, जब से यह अधिनियम लागू होता है.....

उसके लागू होने से तीस दिन के अन्दर तब

उसे इस अधिनियम की अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में कर्त्तव्यपरायणता तथा गोपनीयता की घोषणा करनी होगी।"

यह आप जानते हैं कि संसद या किसी भी जगह यदि कोई आदमी शपथ नहीं लेता है तो वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसमें इस बारें में कोई क्लाज नहीं है। जिसने बिल को ड्राफ्ट किया है। उसने इस बारे में नहीं सोचा है। यदि डायरैक्टर सिक्रेसी की शपथ नहीं लेता है तो क्या होगा ?

"क्या उसे इसमें भाग लेने से मना किया जायगा' ?

सभापति जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें मैंडेटरी प्रोवीजन किया गया है। आप सबोर्डिनैट लेजिसलेशन कमेटी के चेयरमैन भी है, कोई भी बिल ऐसा नहीं होगा जिसमें पाबरआफ डैलीगेशन न हो और हाउस में लैड-डाउन न हो। इन्होंने रूल 70 को भी वायोलेट कर दिया। हर कानून के अन्दर एक बात होनी चाहिए और वह यह कि उसमें डेलीगेशन का क्लाज होना चाहिए ताकि उसके नीचे कोई नोटिफिकेशन, रूल, सब-रूल, बाइलाज या कोई आर्डर इशू किया जाय तो उसका टेबिल आफ दि हाऊस पर रखा जाना जरूरी हो। इस बारे में कमेटी आन सबोर्डिमेंट लेजिस्लेशन ने बहुत से रूलिंग दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अब 1983 में एक बिल ला रहे हैं और पूछा जायगा तो कहेंगे कि इसमें डेलीगेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन जब आप इसके नीचे कोई आर्डर निकालेंगे तो जब उसको इम्पलीमेंट करेंगे, तब क्या होगा ?

आप एक कस्टम को यूज कराना चाहते हैं और यह ठीक है कि वह कानून बनना चाहिए लेकिन उसमें सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वह खुला होना चाहिए कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी पूंजी है। आप जानते हैं बैंक के कामों में बहुत से घपले हुए हैं। मैं आपके ही एक क्वेश्चन के आंसर को रेफर करना चाहता हूं—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे—

(1) पिछले तीन वर्षों में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण ;

(2) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं तथा उनमें से कितने व्यक्ति आयकर देते हैं "

यह प्रश्न था जिसका उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया था । एक आदमी कितनी ही रकम को रिटन आफ कर देता है—

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों सम्बन्धी संविधियों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुसार कानून सरकारी क्षेत्र के बैंकों अपने संघटकों के कार्यों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दे सकते ।"

इसको कौन मानेगा, कौन इसको बरदास्त करेगा कि पार्लियामेन्ट से बढ़कर ताकत दे दी जाए । यह हमारी दौलत है, हम इसको पास करते हैं, अगर आप उसमें कोई रिटन आफ करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्यों रिटन-आफ किया तो आप हमको कह देंगे कि हम नहीं बतलायेंगे, क्योंकि हम सीक्रेसी मेन्सेन करते हैं ।

श्री मगनभाई वारोट, भूतपूर्व उप मन्त्री द्वारा यह उत्तर दिया गया हैं: "कानूनी स्थिति को देखते राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए वसूलन हो सकने वाले राशि के बारे में कोई भी सूचना देना अथवा उन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विवरण देना संभव नहीं है जिनके वसूल न हो सकने वाले ऋण बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं । अभी यहां पर हमारे एक साथी ने काफो बातें कहीं और यह भी कहा कि यह इन्नोसेन्ट विल है मैं समझ नहीं सका कि यह कैसे इंनोसेन्ट है ।

प्रो० रुपचन्द पाल : स्पष्टतया ।

श्री मूलचन्द्र डागा : इसमें क्या फाइडेलिटी है, क्या सीक्रेसी है । रुपया आप रिटन-आफ करेंगे और हम पूछेंगे तो हमको नहीं बतलायेंगे यह ठीक नहीं है । आपको एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा । मैं जर्नादन पुजारी जी के एक जबाव को रेफर क ना चाहता हूं

"क्या यह सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पी० एस० जेन काम्प्लैक्स, जालंधर तथा मोटा सिंह (जालंधर) शाखाओं ने एक पार्टी से एक करोड़ के रुपये के चैक लिए' जिसका अक्तूबर/दिसम्बर 1981 में वेनामीधारियों फर्मों द्वारा पैसा निकाला गया था ।"

"क्या यह सच है कि इनमें से प्रत्येक चैक बड़ी राशि का था तथा इनसे पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थानीय शाखाओं से पैसा निकाला गया था ।"

उन्होंने उत्तर दिया:

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों सम्बन्धी कानूनों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुसार संघटकों के कार्यों सम्बन्धी जानकारी नहीं दी जा सकती।"

जब आखिर में यह पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि 34 लाख रुपया कुछ पार्टियों द्वारा निकाला गया।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह आफिसरों को सीक्रेसी और इनफाइडेलिटी का नया कानून बनाने की बात क्यों जची। आप यह कानून बनाते हैं ; कस्टम का कानून बनाते हैं जबकि हमारा संविधान यह कह रहा है कि हमारा समाजवादी समाज है । हमारे समाज में गरीबी और अमीरी के बीच अंतर कम कर दिया जाए । गरीबों को ऊपर उठाया जाए और अमीरों को नीचे लाया जाए। हो क्या रहा है ? रिच इज विवर्मिंग रिचर, दि मेअर इज विकर्मिंग पअरर। इस बिल के द्वारा उल्टी बात हो रही है। संविधान की भावना और है।

जो आप कहते हैं उसमें क्या लिखा है। बैंकिंग कमीशन की रिपोर्ट है। उसमें बैंकिंग कमीशन का क्वेश्चन आता है+

"अपने ग्राहकों की कार्य सम्बन्धी गोपनीयता बनाए रखने के प्रति बैंकों के दायित्व"
"ग्रहणी व्यक्ति की साख के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराना"

"क्या कानूनन इसका प्रकटीकरण आवश्यक है।"

"क्या जनता इसे प्रकट कर सकती है।"

अब आप तो ला भी बना रहे हैं कि इनफाइडेलिटी, सीक्रेसी मेन्टेन की जाएगी। जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर होगा कि नाऊ द विल हेज बीन पास्ड।

इस पर जरा आप सोचिए। जो कुछ मैं सोच सका हूं उससे मुझे यह कहने की आवश्यकता महसूस हुई कि वह जो बिल आप लाये हैं, इसका मंशा क्या होगा ? क्या आपके डायरेक्टर या आफिसर्स आपकी बात नहीं कहते हैं ? वे घर पर जाकर कह देते हैं। हिन्दुस्तान में तो लोग शपथ खाकर भी सारी बात कह देते हैं।

हमारे जनार्दन पुजारी जी जैसे ईमानदार मंत्री हैं, ऐसे आपके सारे लोग तो होंगे नहीं । बहुत से ऐसे पुजारी हैं जो पुजापा भी खा जाते हैं। आप तो नहीं खाते हैं। आप वास्तव में गरीबों के पुजारी हैं। यह कानून एक ईमानदार व्यक्ति ला रहा है। लेकिन इस ईमानदार व्यक्ति से हम पूछते हैं कि इसका ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेन्टेशन क्या होगा, कैसे होगा ? जब आपने इसमें अनिशमेंट ही नहीं रखा है तो कैसे इसका इम्पलीमेंटेशन होगा। इससे आपको भी फ्राड की काल कोठरी में घुसना पड़ जाए ? न जाने कितने पुजारी जी फ्राड में घुस गए हैं। इससे कहीं आपको भी फ्राड की काली कोठरी में न घुसना पड़ जाए।

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई धोखाधड़ी के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1978 में हुए मामलों की कुल संख्या 1,072 है। जिसमें करीब 619 लाख रुपये फंसे हुए हैं।

1979 — 1031 मामले, जिसमें करीब 784 लाख रुपये फंसे हुए हैं।

इस बिल की जरुरत कैसे पैदा हो गई, यह समझ में नही आता। आप कस्टम का लाला बनाना चाहते हैं, क्यों इसकी जरुरत पैदा हुई ? न कोई इसमें सजा का प्रावीजन है न डेलीगेशन पावर इसमें रखे गए हैं।

इन सब बातों पर विचार होना चाहिए।

प्रो० एन० जी रंगा : क्या दंड देने का कोई उपबंध नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, इस बिल को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह बिल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। इसके एम्स एण्ड आबजेक्टस में कोई भी किसी की समझ में नहीं आता कि इस बिल का उद्देश्य क्या है ? बहरहाल सरकार इस बिल को लाई है। इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूट के कर्मचारियों पर यह प्रतिबन्ध लगाने की जरुरत क्यों पड़ी। बिल में यह बताना चाहिए था कि फाइनेंशियल इन्स्टीटयूसंस के कर्मचारियों की तरफ से ये आपत्तिजनक कार्य किए गए हैं, इसलिए हम इस बिल को लाए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। किसी पालिटिकल आदमी को भी यह बिल दिखाया जाएगा तो वह भी इस बिल को पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस बिल में, फाइनेंशियल के काम करने का जो तरीका है उससे वे हिन्दुस्तान में कैपिटलिज्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने का काम यह बिल कर सकता है। इससे ज्यादा कोई दूसरा काम नहीं करेगा।

अभी डागा जी ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उदाहरण दिया कि इस तरह से पंजाब एण्ड बैंक ने 10-12 व्यक्तियों को करोड़ों रुपया दिया बिना मार्टगेज के, बिना गारन्टी के। सदन के अन्दर भी इसकी चर्चा हो चुकी है। फाइनेंशियल इन्स्टीटयूशंस से पैसा लेकर लोग ब्लैकमनी बना रहे हैं। इस बारे में पंजाब एण्ड सिंध बैंक की चर्चा हो चुकी है। यह बात एक मैगजीन में भी छप चुकी है।

सभापति महोदय, कल को आप मन्त्रीमहोदय से जानना चाहेंगे. कि किस फाइनेंशियल इन्स्टीटयूशन ने किस पूंजीपति को या किस कारखाने को कितना ऋण दिया है और क्या रहन रखा गया हैं, किसकी गारन्टी ली गई है तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि यह बिल पास हो जाएगा।

मैं अभी का एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरठ के राज्य सभा सस्य ने ट्रैक्टर लेने के लिए लोन लेना चाहा तो यह कहकर मना दिया कि आपकी जमीन कम है इसलिए लोन नहीं मिल सकता ।

प्रो० एन० जी० रंगा : जमानत आवश्यक है ।

श्री जगपाल सिंह : वहां बैंक एक महीने बाद मोदी को डेढ़ करोड़ रुपया दे देता है । माननीय सदस्य ने राज्य सभा में यह सवाल उठाया कि मैं अपनी जमीन को गिरवी रखना चाहता था और दो आदमियों की सिक्योरिटी देना चाहता था लेकिन मुझे लोन नहीं दिया गया । डेढ़ करोड़ रुपया किसी सिक्योरिटी के बगैर, किसी गारन्टी के बगैर, बिना कुछ गिरवी रखे हुए आपने कैसे दे दिया । यह बात माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री श्री मुखर्जी से पूछी ।

माननीय प्रणव मुकर्जी ने राज्य सभा में जवाब दिया, क्योंकि मैं और मेरी सरकार संतुष्ट थे कि यह पैसा वापिस हो जाएगा इसलिये डेढ़ करोड़ रुपया दे दिया । इस प्रकार से आपकी फाइनेंशियल इन्स्टीटयूशन्स के काम करने के तरीके हैं । उस पर आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, जिससे दोनों सदनों का कोई भी सदस्य वहां जाकर जानकारी प्राप्त न कर सके और इस देश के लोगों को यह मालूम न हो सके कि कितना रुपया किस पूंजीपति को दिया हुआ है । आपने कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकाने का काम किया है जिसकी वजह से अखबार उन चीजों को छापने में असमर्थ होता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह इन्स्टीटयूशन जो पैसा देता है, क्या वह इस देश की मिलिटरी फोर्स से भी ज्यादा सीरियस मामला है । एक करोड़ रुपये से ज्यादा किसी भी कारखाने या पूंजीपति को यह फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस पैसा देता है तो सरकार की तरफ से प्रैस को जाना चाहिए । इससे देश के लोगों को पता लग सकेगा कि कितना पैसा किस पूंजीपति को दिया है ? अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो इससे पूंजीवाद बढेगा और कोई भी कर्मचारी किसी बैंक या किसी इन्स्टीट्यूशंस का अखबारों को सूचना नहीं दे पायेगा । आपकी पार्टी के एक संसद सदस्य का होटल चार-पांच एम० पीज के मकानों को तोड़कर बन रहा है । इसमें सारा पैसा गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है । स्वराज पाल का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन यहां पर चर्चा अवश्य करना चाहूंगा । वस विदेशी पूंजीपति है । उन्होंने इस देश के पूंजीवाद की जो पोल खोलकर रखी है, वह बहुत ही अच्छा काम किया है । इससे पता लग गया है कि कुछ व्यक्ति कि प्रकार से अरबों रुपये की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं जबकि उनकी पूंजी केवल पांच प्रतिशत ही है । मंत्री जी 48 और 51 के एक्ट को और ज्यादा सशक्त करने की बात कर रहे हैं । स्वराज पाल ने हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों जो पोल खोलकर रख दी है, उसको आप दबाना चाहते हैं । पंजाब नेशनल एण्ड सिंध बैंक की यहां चर्चा हुई थी । आपने इस बारे में कोई जानकारी यहां नहीं दी । अगर हमको जानकारी नहीं मिलेगी तो हम कैसे यहां पर चर्चा करेंगे कि कि कितना पैसा गायब हुआ है और कितना बैंक से लेने के बाद खर्च किया या नहीं किया है ? यह बिल पास हो जाएगा तो पुजारी जी क्या जवाब देंगे कि एक्ट पास हो गया है, कर्मचारी हमको इन्फार्मेशन नहीं दे सकते इसलिये मैं भी सदन को न बता सकूंगा । वहां के जो ब्यूरोक्रेटस हैं, वे संबधित हैं; आपने सबको प्रतिबन्धित कर दिया है आप सदन को कितनी जानकारी दे सकेंगे ? मैं यह कहना चाहूंगा कि आप ईसको कास्टीटयूशन की आत्मा के

अगेस्ट ला रहे हैं और लोक सभा में वोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बिल को आप बिल्कुल पास न करें। वोटिंग से पहले आप खुद ही इसको वापिस ले लें वरना इसके सीरियस रिपरकशन्स होंगे। पूंजीवाद जितना इस मुल्क के लोगों के खून को चूसने का काम कर रहा है वह और ज्यादा होगा। जो प्रतिबन्ध होना चाहिए, वह भी नहीं हो पाएगा।

मंत्री जी का मंशा इस बिल को लाने का इतना नापाक है, इतना गलत है कि मैं इस बिल का विरोध किये बगैर नहीं रह सकता हूं और मैं मांग करता हूं कि वह इस बिल को वापिस ले लें वर्ना... मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता...पूंजीपतियों के पैटर्न पर वह उनका रक्षक बनने का ही काम करगे।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया उन्होंने इस विधेयक का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था तथा उन के सुझाव और उनके द्वारा की गई आलोचनायें भी बहुत प्रभावी तथा ठोस हैं।

वास्तव में, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इसके उद्देश्य संसद के समक्ष रखे गए थे तथा आज भी मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण बताए हैं।

महोदय, स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1955 में इसी आशय के उपबन्ध रखे गये हैं तथा बाद में इसे स्टेट बैंक (सबसीडियरी बैंक) अधिनियम 1959 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक अधिनियम 1970 में भी सम्मिलित किया गया,। बाद में 1980 में यही उपबन्ध जोड़ दिए गये थे तथा ये उपबंध बैंकिंग संशोधन अधिनियम में भी आ गये। अतः संसद में आज यह कोई नया उपबंध प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास बैंक तथा आयात-निर्यात बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भी इसी आशय के उपबंध जोड़े गए हैं। इन उपबन्धों के जरिये बैंक के प्रत्येक खाताधारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। किसका सांविधिक संरक्षण यह साख तथा उनके व्यापार हितों के संरक्षण के लिये है। इस उपबंध के माध्यम से बैंक तथा ग्राहकों के बीच सांविधिक दायित्व और संविदागत दायित्व स्थापित किया गया है। जहां तक बैंकों और अन्य संस्थाओं का सम्बन्ध है। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए इस सिद्धांत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। अतः जबकि अन्य संस्थायें इसका लाभ उठा रही हैं, इन संस्थाओं को, यहां तक कि संसद को भी किसी भी व्यक्ति के व्यापार कार्यों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती तथा जहां तक आई. आर. सी. ए., आई. एफ. सी. आई., राज्य वित्तिय निगम आदि का संबंध है; यह उपलन्ध इनमें जोड़ा गया है तथा जोड़े गए उपबंधों के जरिये इन संस्थाओं को भी किसी भी तरह की जानकारी देने से रोका गया है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी तरह की जानकारी न देकर, क्या हमें किसी संस्था के कार्य निस्पादन, उनके कार्यों की जांच करने से रोका जाता है ? नहीं। इसके लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति है। आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर ले सकते हैं। जहां तक प्रत्येक ग्राहक का सम्बन्ध है, संसदीय मंच को जांच निकाय में नहीं बदला जा सकता। यदि संसद में व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी तो संबंधित व्यक्ति की साख का क्या होगा ? ग्राहक और उसके बैंक के बीच संविदागत

दायित्व काक्या होगा ? मैंने माननीय सदस्यों से इसी मुद्दे पर विचार करने का निवेदन किया है ।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : मैने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए कहा है ।

सभापति महोदय : उसके लिए आपने उनका वक्तव्य समाप्त होने पर कहा ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब संसद में कहा जा रहा है पूछ सकते हैं और यहां जब चीज आयेगी तो फिर वह प्रेस की जायेगी फिर सीक्रेसी कैसे रह जायेगी ?

सभापति महोदय : अभी नहीं । कोई भी स्पष्टीकरण मंत्री महोदय का उत्तर समाप्त होने पर ही मांगा जा सकता है ।

श्री जनार्दन पूजारी : देश में कई रुग्ण इकाईयां हैं । विपक्षी दल तथा सरकारी पक्ष के सदस्य इनके बारे में विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं । संसद के बाहर मी इनकी आलोचना की गई है । वे कहते हैं कि रुग्ण इकाईयों की संख्यां बहुत अधिक है बहुत से श्रमिक प्रभावित हुए हैं काफी संख्यां में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और कहते हैं कि रुग्ण ईकाईयों की देखभाल की जानी चाहिए, इन्हें स्वस्थ बनाया जानाचाहिये तथा उनका पुनर्वास किया जाना चाहिये । ठीक है, यदि हम रुग्ण इकाई विशेष की पूरीसूचना देश के समक्ष दे देते हैं तो इसकी साख का क्या होगा ?

इस रुग्ण इकाई क स्वस्थ बनाने के लिए हमें किसी को तकनीकी विशेषज्ञ या प्रबन्धकीय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त करना है । अब यदि उसे इन सभी चीजों का विस्तार से पता चलता है तो कौन आगे आयेगा ? इस मुद्दे को ध्यान में रखना होगा । इसके बाद, माननीय सदस्यों ने इस बारे में पूछा है, हमारे यहां 26,000 से अधिक लघु इकाईयां हैं । वे कहते हैं कि बहुत सी लघु इकाईयां रुग्ण हैं; करोड़ों रुपये की धनराशि इन इकाईयों में फंसी हुई है । वे लघु मध्यम तथा बड़ी इकाईयां हो सकती हैं । और यदि हम किसी रुग्ण इकाई के कार्य-कलापों के बारे में सभी कुछ बता भी देते हैं: तो क्या होगा, क्या कोई वहां कार्य करने व इन रुग्ण इकाईयों को स्वस्थ बनाने के लिए आएगा ? इस मुद्दे को भी हमें ध्यान में रखना है । यदि इसकी अनुमति दे दी जाती है तो कल मैं सदन के एक माननीय सदस्य के बारे में कुछ कह सकया हूं, मैं उनके बैंक खातों, उनकी वित्तीय स्थिति आदि के बारे में ब्यौरा दे सकता हूं । क्या ऐसी चीजों की यहां चर्चा करनी चाहिए ? बिल्कुल नहीं । हमें दूरगामी परिणाम देखने होंगे । हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, क्या इस प्रकार का प्रकटीकरण राष्ट्र-हित में होगा, देश-हित में होगा ? महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धांत तथा परम्परा है कि इस प्रकार की चीजें प्रकट नहीं की जानी चाहियें । मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं । ये वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक संस्थान हैं । यदि कल इन संस्थाओं को कारोबार की जानकारी तथा ब्यौरा प्रकट करना पड़ता है, तो क्या सम्बन्धित व्यक्ति इन वित्तीय संस्थाओं या बैंकों के ग्राहक बने रहेंगे ? क्या वह अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी विदेशी बैंक के पास जायेंगे ? हम यह नहीं भूल सकते कि ये वित्तीय संस्थायें वाणिज्यिक संस्थायें हैं ।

इन परिस्थितयों में इस अधिनियम की प्रासंगिकता पर माननीय सदस्यों को विचार करना

है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी दलीलों में बिल्कुल वास्तविकता नहीं है। हम हरेक व्यक्ति के हित को नजर अन्दाज नहीं कर सकते, हमें उनकी सुरक्षा करनी है तथा उन्हें बचाना है।

यह सभी कुछ वर्ष 1955-56 में शुरु हुआ। कुछ वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में इन उपबंधों का समावेश किसी उद्देश्य से किया गया है। मुख्य तौर पर यह ग्राहकों के हित में किया गया है, ऐसा नहीं है कि यह केवल किसी सामाजिक उद्देश्य से किया गया था।

श्री डागा एक अनुभवी विधायक तथा राजनीतिज्ञ हैं तथा उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाये हैं। यदि किसी को जानकारी देने से रोकने के लिये कोई विशेष उपबंध है, और यदि मन्त्री भी कोई जानकारी देते हैं तो क्या उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ? कल यदि श्री डागा मंत्री बन जाते हैं तो वह भी ऐसी जानकारी प्रकट नहीं कर सकते जो कानून के अन्तर्गत प्रकट नहीं की जा सकती। सांविधिक उपबंध हमें ऐसा करने से रोकता है।

परन्तु इसके साथ-साथ यदि कोई धोखाधड़ी हुई है और कानून के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है तो कुछ जानकारी प्रकट की जा सकती है। यह प्रावधान किया गया है कि कुछ कानूनों के उपबंधों या प्रथाओं या रिवाजों के अनुसार जानकारी प्रकट की जा सकती है। यदि जांच के दौरान, या न्यायालय में किसी मामले के लिये किसी जानकारी को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है तो बैंकों को ऐसा करना पड़ेगा। इस कानून के कारण कोई अपराधी दंड से नहीं बच पायेगा। विधान या इस संसद की यह मंशा नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : उन्हें दंड नहीं मिल रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बिना दंड के नहीं बच सकता। निःसन्देह, हमें कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों का कुछ विश्वास करना होता है। हम यह नहीं कह सकते कि सभी लोग खराब हैं या सभी विश्वासघाती हैं। हमें कमियों तथा अपराधियों का पता लगाना होगा।

प्रो० रूपचन्द पाल : उन्होने स्वीकार किया है कि कुछ विश्वासघाती लोग वहां हैं। उनमें से कितनों को दंडित किया गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले भी सदन में तथा संसद से बाहर यह कह चुका हूं कि इन संस्थाओं में भी विश्वासघाती लोग हैं लेकिन मैंने उनकी प्रतिशतता नही बताई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। जब हम इन लोगों को पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं तो वे इसका विरोध करते हैं।

प्रो० रुपचन्द पाल : आपने कितनों को दंडित किया है ?

सभापति महोदय : यह विवादी वाद-विवाद है। प्रश्न दलीलों से भिन्न है। यदि आप कोई

स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उन्हें बाद में पूछ सकते हैं

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता में भागी हूं। मैं उनका आभारी हूं। ओर यही भावना होनी चाहिये। जब धोखाधड़ी होती है तो हमें उनका पता लगाकर उन्हें दंडित करना होता है। मैंने यह न केवल सदन में बल्कि सदन से बाहर भी कहा है। धारवाड़ में बैंक कर्मचारियों ने यह कहते हुए मेरा घेराव किया कि मैं उन्हें बदनाम कर रहा हूं, जब मंत्री सदन में यह कह चुके हैं कि विश्वासघाती लोग वहां हैं तो उनकी कुछ प्रतिशतता है और हमें उनका पता लगाना है।

प्रो० रुपचन्द पाल : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

प्रो० रुपचन्द पाल : नियम 376 के अन्तर्गत।

सभापति महोदय : यह नियम का उलंघन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बाद में केवल स्पष्टीकरण पूछे जा सकटे हैं।

प्रो० रुपचन्द पाल : केवल व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : भगवान के लिये, व्यवस्था के प्रश्न को स्पष्टीकरण से न मिलायें।

प्रो० रुपचन्द पाल : मैं नियम 376 के अधीन प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अपने स्पष्टीकरण या जिस चीज पर आपको शक है, उसे बाद में उठा सकते हैं।

प्रो० रुपचन्द पाल : लेकिन मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति कहोदय : आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। आपके पास पर्याप्त समय है। आपको उनके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

प्रो० रुपचन्द पाल : व्यवस्था के प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं, लेकित यह स्पष्ट होना चाहिये। पहले इसे आप मुझे सम्बोधित करें।

प्रो० रुपचन्द पाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने एक से अधिक बार यह कहा है वित्ती निगमों तथा राष्ट्रीयकृत भैंकों में विश्वासघाती लोग हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी सावधानी से मेरा यह प्रश्न टाल दिला है कि उनमें से कितनों को दंडित किया गया है।

सभापति महोदय : इन सभी 6 मुद्दों के अन्तर्गत यह नहीं दिया गया हैं।

प्रो० रुपचन्द पाल : क्यों श्रीमन् ?

सभापति महोदय : नियम का कहां उलंघन हुआ है ? उस नियम का उल्लेख करें जिसका उलंघन हुआ है ।

प्रो० रुपचन्द पाल : मेरे बार-बार पूछने के बावजूद वह उत्तर टाल टाल रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैं ऐसे स्वीकार नहीं करुंगा । कृपया इसे यहीं समाप्त करें ।

श्री जनार्दन पुजारी : आपके प्रभावकारी मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ।

अब जहां तक पहले दंडित किए जा चुके व्यक्तियों का सम्बन्ध है, हम ये आंकड़े सदन में रख चुके हैं ।

सभापति महोदय : तो क्या बात अभी तक समाप्त नहीं हुई ?

श्री जनार्दन पुजारी : अब, जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, हमने कुछ नहीं छिपाया है । सदन में पूछे गए अनेक तारांकित प्रश्नों के उत्तर में सदन के समक्ष सही आंकड़े रखे गए हैं ।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य आंकड़े चाहते हैं, उन्हें आंकड़े बाद में देकर सन्तुष्ट करें ।

श्री जर्नादन पुजारी : हम उसको रख भी सकते हैं ।

अब, जहां तक सजा दिए जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है । श्री डागा ने बताया है कि वहां उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं है । यदि कोई कर्मचारी गोपनीयता को बनाए रखने या अन्य किसी बात का उलंघन करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है और उसे हटाया भी जा सकता है । यहां तक कि निदेशक को भी हटाया जा सकता है । हम ऐसा कर सकते हैं और यदि जानकारी को प्रकट कर दिया जाता है अथवा किसी और को बता दिया जाता है, तो सजा देने के लिए यह भी काफी होगा । उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि उसका यह कार्य राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है । यह भी किया जा सकता था । एक शुरुआत कर दी गयी है। बाद में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है । अर्थात यदि कल ऐसा समझा जाएगा कि कठोर कार्यवाही की जाए, तो यह कार्यवाही की जा सकेगी और हम सभा को बता सकेंगे ।

खैर, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का पूरा समर्थन किया है । बिना किसी कठिनई के हम इसे पारित कर सकते हैं ।

जहां तक लोक वित्तीय संस्थाओं का संबन्ध है । यह शुरुआत है । हमें पुराना अनुभव है इस अनुभव के साथ, हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं । मैं कुछ बातों का उत्तर दे चुका हूं । यहां उठाई गयी अन्य बातों के विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं किन्तु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब हम सभा के सामने आ रहे हैं । यह सरकार भी कोई पहली बार नहीं आयी है । पहले भी, यह सरकार सभा के सामने आ चुकी है । बैंककारी अधिनियम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित

विधान में इसी प्रकार के उपबन्ध शामिल किए गए हैं।

प्रो० रुपचन्द पाल : मैं अपने इस सुझाव के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं अर्थात् जिन लोक वित्तीय संस्थाओं में एक करोड़ से अधिक का निवेश होता है, उनको नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की संवीक्षा के अन्दर लाया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय ने जान-बूझकर इस प्रश्न की उपेक्षा की है। दूसरे मैंने पूछा था कम्पनी कार्य विभाग ने ऐसी वित्तीय संस्थाओं को कैसे अनाधिसूचित कर दिया, जो वित्त मन्त्रालय के नियन्त्रण में थीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इस उपबन्ध के क्षेत्र में आने वाला यह प्रासंगिक दृष्टिकोण है। सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : शुरु में ही, मैं सभी चीजों को बनाए रखने की कोशिश में माननीय मन्त्री की ईमानदारी के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। किन्तु तथ्यों से कोई दूसरा निष्कर्ष भी निकल सकता है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा, यदि वह इस बात से इसी तरह से चिन्तित हैं यदि वहां बहुतायत में संदिग्ध सौदे हुए हैं और यदि लोगों के धन की भारी राशि बैंक अधिकारियों द्वारा बट्टे खाते में डाल दी जाती है, तो वे उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं ? संसद वह निकाय है जिसे अपनी समितियों अथवा सदस्यों के माध्यम से चीजों की संवीक्षा करानी होती है।

गोपनीयता के इस पहलू के बारे में श्री डागा ने सही बात कही है। अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए बट्टेखाते में डाल दिए जाने के मामलों में फंसी हुई रकम के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। जिसका उत्तर था "कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय है। विधि के अधीन, हम कुछ नहीं बता सकते।" इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि यह संसद पूर्णतः अन्धकार में रहेगी और यदि वित्तीय संस्थाओं का कोई ईमानदार कर्मचारी, देशभक्त नागरिक संदिग्ध लेन-देन के मामलों को बताना चाहता है या उन पर प्रकाश डालना अपना कर्त्तव्य समझता है, व्यापार वैध या अवैध हो सकता हैलेन-देन सही या गलत और संदिग्ध हो सकता है-क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यदि आप कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को संदिग्ध सौदों अथवा अवैध व्यापार की चना देने के लिए मना कर देते हैं तो इन बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए क्या तरीका सुलभ है।

दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लोग विदेशी बैंकों में जा सकते हैं। वे कौन लोग हैं ? कोई ईमानदार व्यापारी अपनी किताब खुली रखेगा। किन्तु जो व्यापारी बेईमानी के कामों में, संदिग्ध सौदों में लगा हुआ है। उसको बातों को छिपाने और गोपनीयता के लिए इस उपबन्ध का उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले किस तरह से प्रकाश में लाए जाएंगे और संसद उनसे कैसे निपटेगी क्योंकि हमें लोगों के धन की चिंता है ?

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा कुछ कहने से पहले आप न तो इस पर

ताजा वाद-विवाद शुरु कर सकते हैं और न ही इसे प्रश्नोत्तर में बांट सकते हैं। हां, आप प्रो० पाल द्वारा उठाई गई बातों पर स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं। जहां कोई स्पष्टीकरण संगत हो, आप उसे दीजिए। उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में जो भी संगत हो जहां स्पष्टीकरण का प्रश्न हो, केवल उसी का आप उत्तर दें, बस ।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक नियोजक द्वारा संदिग्ध सौदों का उदघाटन करने का संबंध है। माननीय सदस्य एक स्ष्टीकरण चाहते हैं। जब कोई किसी संस्था में काम कर रहा हो और वहां कोई संदिग्ध सौदा हो तो उसे प्रबन्धक के ध्यान में लाना चाहिए और ऐसे मामलों से निपटना प्रबन्धक का कर्त्तव्य होगा। यदि न्यायालय की जानकारी में कोई आपराधिक मामला आता है, तो उसे दर्ज किया जा सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं वरन् उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करना उसका कर्त्तव्य भी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह समाचार-पत्रों का या किसी बाहरी व्यक्ति को जाकर यह बात बताए, हां वह अपने उच्चाधिकारी को जाकर बताए कि वहां संदिग्ध सौदा हुआ है। आप कार्यवाही कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि प्रबन्धक कार्यवाही करने में असफल रहता है, वैसे प्रबन्धक पर भी हमें कुछ तो विश्वास करना ही होगा। यदि प्रबंधक कार्यवाही नहीं करता—जैसा हाल में हुआ है सरकार ने हाल ही में एक बैंक के अध्यक्ष को भी हटाया है। हमारी सरकार को उसकी नौकरी समाप्त करनी पड़ी थी—यहां भी। हमें कार्यवाही करनी होगी। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ही वहां नहीं है, अन्य तंत्र भी वहां हैं। हम कार्यवाही कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को समाचार-पत्र देने या बाहरी व्यक्ति के पास जाने की शक्ति दे दी गयी है। यही मुद्दा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जहां प्रबन्धक भी एसे मामलों में शामिल हों।

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। सरकार वहां है इसीलिए मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं जब प्रबन्धक भी ऐसे म मलों में शामिल हो, तब सरकार वहां मौजूद हैं सरकार सो नहीं रही है ; सरकार को जागरुक और चौकस रहना चाहिए, यदि सरकार भी कार्यवाही करने में असफल रहती है तो, कल इस देश की जनता सरकार को सता से उखाड़ फेक सकती है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : जैसा कि अधिनियम में बताया गया है इस अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं को इसके घटकों के सम्बन्ध में या इसके कार्यों से सम्बन्धित जानकारी का रहस्योद्घाटन करने से रोकना है। जब हम कोई वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी विशेष ग्राहक को दिए गए ऋण के बारे में भविष्य में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो वह उस संस्था का अथवा उस विशेष संस्था के संघटक का मामला होगा ? इसलिए, मैं यह पूछ रहा हूं कि संस्था और उसके संघटक का यह एक सामान्य मामला सामान्य जानकारी हो सकती है और इस प्रकार के मामले में क्या इस आधार पर कि यह संघटक के कार्यों से सम्बन्ध रखती है, वित्तीय संस्थाओं के कार्यों से सम्बन्धित जानकारी संसद सदस्यों को नहीं दी जायेगी मेरा प्रश्न यही है क्या यह स्पष्ट है ?

सभापति महोदय : कृपया स्पष्ट करिए ।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य एक जाने-माने अधिवक्ता हैं । मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है ।

सभापति महोदय : जी हां ।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने एक भयानक प्रश्न पूछा है, वे मुझसे जिरह कराना चाहते हैं और कुछ बातें निकालना चाहते हैं । मुख्य उत्तर में मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री अमल दत्त : आप इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें बात को-समाप्त करने दीजिए । इस मुद्दे पर कोई और बात है ।

श्री जनार्दन पुजारी : और कुछ नहीं ।

श्री जगपाल सिंह : सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण में कहा था—क्या इस हाउस को ऐसा विधेयक पास करने का अधिकार है कि यह हाउस उस बिल के तहत होने वाली सभी चीजों के बारे में चर्चा न कर सके ? अभी मन्त्री जी ने कहा—कल को श्री एम० सी० डागा मेरी जगह फाइनेन्स मिनिस्टर हो जाये और कोई माननीय सदस्य कोई इन्फर्मेशन जानना चाहें तो वे भी जवाब नहीं दे पायेंगे । क्या कांस्टीट्यूशनली इस तरह का बिल पास करने का इस हाउस का अधिकार है जिसके तहत कोई सदस्य किसी फाइनेंशियल इंस्टीचूशन के बारे में कोई इन्फर्मेसन न मांग सके ?

सभापति महोदय : आप उनके मुद्दे को स्पष्ट कर सकते हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : जो मैंने कहा है वह यह है कि बैंककारी अधिनियम में एक उपबंध है जिसके अन्तर्गत किसी संघटक के काम काज से सम्बन्धित किसी जानकारी के प्रकटीकरण से मनाही है । किन्तु ऐसी जानकारी किसी कानून के उपबन्ध के अन्तर्गत प्रकट की जा सकती है । उसे ग्रहण करना उसका विश्लेषण करना तथा उसे समझाना माननीय सदस्यों का काम है :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोकवित्तीय संस्थाओं की विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा ।

खण्ड-2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड-3 लेंगे। श्री सुधीर कुमार गिरि। वह अनुपस्थित हैं। श्री मूलचन्द डागा। वह अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं।

खण्ड-3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-3, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड-4 पर आते हैं। श्री मूलचन्द डागा, संशोधन संख्या 6।

खण्ड-4

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ-2, पंक्ति 43,

"और यदि कोई व्यक्ति उक्त घोषणा नहीं करता तो उक्त अवधि के समाप्त होने पर उसके द्वारा अपना पद रिक्त किया गया समझा जायेगा।" (6)

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा खण्ड 4 पर प्रस्तुत किये संशोधन संख्या 6 को मतदन के लिये सभा में रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 सभा में मतदाल के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 5 लेंगे। इसमें कुछ संशोधन हैं। श्री सुधीर गिरि अनुपस्थित। श्री मूलचन्द डागा अनुपस्थित।

खण्ड-5

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-6

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 6 लेंगे । इसमें कुछ संशोधन हैं । श्री सुधीर कुमार गिरि अनुपस्थित । श्री मूलचन्द डागा अनुपस्थित । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक लेंगे ।

श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से श्री जनार्दन पुजारी इसे प्रस्तुत करेंगे ।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान बैंककारी विधियों में संशोधन करना है । इसके अन्तर्गत बैंककारी क्षेत्र के नौ विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है । ये संशोधन अंशतः बैंककारी आयोग (1972) की कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने तथा अंशतः विभिन्न बैंककारी विधियों के प्रशासन से प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप आवश्यक समझे गये हैं । कुछ संशोधन द्वारा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (लोक सभा) की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों को कार्यान्वित करने का

प्रस्ताव है। अतः यह विधेयक काफी व्यापक है। मैं इस संशोधन के मुख्य उपबन्धों पर संक्षिप्त और सरसरी तौर पर प्रकाश डालूंगा। मुझे विश्वास है सदस्यगण मेरा साथ देंगे।

विधेयक के अधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध इस प्रकार हैं :—

(1) कुछ संशोधनों का सम्बन्ध बैंकिंग आयोग की कतिपय सिफारिशों को लागू करने से है। जैसे जमाकर्त्ता को उस व्यक्ति को नामजद करने की सुविधा देना जिसे जमकर्त्ता की मृत्यु की दशा में मृत्यु के खाने में जमा रकम नामजद व्यक्ति को अदा की जा सके। इसी प्रकार बैंकों को यह अधिकार भी दिया जा रहा है कि सुरक्षित अथवा लाकर्स में रखी गई वस्तुयें लौटायी जा सकें। प्रस्तावित संशोधन से बैंकों के ग्राहकों की काफी समय से चल रही शिकायत पूरी हो जायेगी। इस वर्ग में अन्य संशोधनों के अन्तर्गत जो सुविधायें सम्मिलित की गई हैं वे इस प्रकार हैं बैंकों के विकास के लिये सहायक संस्थाओं का गठन, रक्षित नकद राशि से संबन्धित प्रावधानों को तर्क सम्मत रूप प्रदान करना, बैंकों द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न किस्म के रिकार्ड के लिये नियम बनाना, बैंक का लेखा-जोखासाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान इत्यादि।

(2) संशोधनों की दूसरी सूची का उद्देश्य विभिन्न अधिनियमों में वर्तमान प्रावधानों को समान आधार पर लाना है ताकि इ नकानूनों को लागू करने के दौरान अनुभव की गई कठिनाईयों को दूर किया जा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये ये प्रस्ताव हैं, रिजर्व बैंक को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह किन्हीं खास परिस्थितियों में निजी क्षेत्र के बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर सके। बैंकिंग पद्धति में दायित्वों के लिये समान नीति निर्धारित करना, बैंकों द्वारा चालू खातों का सन्तुलन ब्यौरा तैयार करना, निर्धारित अनुपात में वृद्धि करने के लिये रिजर्व बैंक को सांविहित अधिकार देना, रिजर्व बैंक द्वारा किसी कम्पनी को बैंकिंग व्यवसाय के लिये आवेदन इन्कार करने के आधार को अधिक व्यापक बनाना और रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाली व्यय की दरों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचना आदि है।

(3) संशाधनों की तीसरी सूची में लोक सभा की अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें लागू करने से सम्बन्धित बातें सम्मलित हैं। इनमें वे बातें आती हैं जो बैंकों द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रतियां हैं। इसके अन्तर्गत कुछ ऐसे विविध संशोधन भी शामिल हैं जो स्पष्टीकरण स्परूप वाले हैं और जिनका अभिप्राय विभिन्न अधिनियमों में सम्मिलित इसी प्रकार के प्रावधानों में किसी अंश तक समरूपता लाना है यथा बैंकिंग व्यवस्था में वित्तय अथवा पुर्नरचना की सुविधा वाले प्रावधान, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकलापों सम्बन्धी रिपोर्ट आदि संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, कम्पनी अधिनियम 1956 में शामिल कुछ प्रावधानों के अनुपालन न करने के कारण सहायक इकाइयों के बोर्डों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम-निर्देशित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग के प्रति उन्हें संरक्षण प्रदान करने के बारे में भी उपबन्ध करने का विचार है।

मैं अब विधेयक के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण खंडों पर आता हूं यह खण्ड हैं 9 एवं 10

जो ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध हैं जिसके अन्तर्गत व्यक्तियों, फर्मों तथा अन्य गैर-निगमित निकायों पर निक्षेप कर्त्ताओं की विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक जनता निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह उपबन्ध न्यूनाधिक रूप से इस सदन में दिसम्बर, 1978 में पुरःस्थापित बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक में सम्मिलित किये गये उपबन्धों जैसे ही हैं। इस विधेयक में सम्मिलित किये गये संशोधनों के पीछे तर्क-आधार यह है कि असावधान एवं बेखबर, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की जाए और इसके साथ ही व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के उचित हितों पर यथा सम्भव विपरित प्रभाव न पड़े। सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स संचेता इन्वेस्टमेंटस के मामलों में अभी हाल के निर्णय में मुख्य न्यायधीश ने यह विचार व्यक्त किया था कि अभियुक्त ऐसी आर्थिक गतिविधियों में लगे थे जो राष्ट्रीय हित के लिए अत्यधिक हानिकारक थी, अतः इस तथ्य की ओर केंद्र तथा राज्य सरकारों को शीघ्र ही और गम्भीर रूप से ध्तान देना चाहिये। मुख्य न्यायधीश ने आगे कहा है कि ऐसी फर्मों के कार्यों को नियमित किया जाना चाहिये, इसलिये असंख्यक जमाकर्ताओं के हित संरक्षण के लिए इस प्रकार के कदम की आवश्यकता है वरनः जमाकर्ताओं को उनके जीवन की समूची बचत से वंचित कर दिया जायेगा। निक्षेप स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय सीमाएं नहीं लगाई गई हैं किन्तु विधेयक में कुछ छूटों की व्यवस्था अवश्य की गई है। कानून के उपबन्धों के उल्लंघन पर शास्तियों की भी व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक में बैंकिंग से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार के निर्णयों को लागू करने की व्यवस्था की गई है और मुझे विश्वास है कि उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों के कानून बन जाने से बैंकों का कार्य संचालन अधिक मजबूत हो सकेगा और इस तरह वे राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये अपने दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय ऐसे कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं हैं जिनके अन्तर्गत जमाकर्ता को किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार नहीं है जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात जमकर्ता की जमाराशि दी जा सके और सुरक्षित रूप से रखी गई वस्तुओं का कब्जा दिया जा सके। इससे जमाकर्ताओं को अनचाही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने इस विधेयक में जमाकर्ताओं के लिये नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी एक उपबन्ध सम्मिलित किया है।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1924 बैंककारी निनियम अधिनियम 1949 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961, वैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तकण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, व्यक्तियों, फर्मों अथवा गैर-निगमित निकायों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों से निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय द्वारा अपने भाषण में उल्लिखित पक्ष के अतिरिक्त, इस विधेयक के माध्यम से तकनीकि स्वरूप के मात्र दिखावटी संशोधन किए जा रहे हैं। किन्तु जब भी बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया जाना होता है तो उसके सम्बन्ध में काफी स्पष्टीकरण देने होते हैं, क्योंकि जिन कानूनों का संशोधन किया जा रहा है, उनकी संख्या काफी है और उके अन्तर्गत कानून के वे उपबंध भी हैं जिनके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अतः हम यह कहना चाहते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो आशायें बंधी थी, जिस ढंग से बैंकों को चलाया गया उससे वे पूरी तरह से झुठला दी गई हैं।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो जनता ने सोचा था कि इससे यदि समाजवाद अथवा सामाजिक ढांचे की व्यवस्था नहीं हो सकेगी जिसके लिए कांग्रेस दल लम्बे अरसे से दावा करता आ रहा है, तो कम से कम ग्रामीण जनता को गरीबी से कुछ छुटकारा तो मिलेगा ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीणों को कुछ ऋण मिल सकेगा जिससे राष्ट्रीकृत बैंकिंग व्यवस्था से वे सूदखोरों के हाथों से बचाए जा सकेंगे। यह आशायें 1970 में बंधी थी और 1983 में भी वे आशायें पूरी नहीं हो सकी हैं। हमने उस समय जो स्वप्न देखा था उस उद्देश्य की प्राप्ति से हम अभी दूर हैं।

मैंने ग्रामीण एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की खोली गई शाखाओं के बारे में कुछ आंकड़े देखे हैं। इसके अन्तर्गत अभी भारत की विशाल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का बहुत ही छोटा सा भाग आ सका है। अधिकांशतः बैंक अभी भी शहरी ओद्योगिक क्षेत्रों में ही केन्द्रित हैं। इन आंकड़ों से भी पूरी स्थिति का पता नहीं चलता है। ग्रामीण अथवा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में यदि 20,000 अथवा 30,000 बैंक शाखायें भी हों तो यह संख्या बहुत ही कम है। जब वे यह कहते हैं कि वह गांवों में जनता की सेवा कर रहे हैं तो वे समूचे गांव की सेवा नहीं कर रहे अथवा वहां की समूची जनता की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे बल्कि वे कुछ अमीर लोगों की सेवा कर रहे हैं।

सरकार आई. आर. डी. पी., एन. आर. इ. पी. आदि विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीबी की के नीचे रह रहे लोगों को ऊंचा उठाने की बहुत बातें करती रहती हैं। इस सम्बन्ध में अभी हाल की एक रोजगार गारन्टी योजना है। यह सभी योजनायें हैं। हमें यह बताता गया है कि केवल आ. ईआर. डी. पी. के अन्तर्गत बैंकों से ग्रामीण क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। हमें इस सभा में समय-समय पर स्वयं वित मन्त्री महोदय श्री प्रणव मुखर्जी ने आश्वासन दिया है कि बैंकों से कह दिया गया है कि आई. डी. पी. के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों अथवा अन्यों बिना जमानत के 5000 रूपये का ऋण दिया जाए। हमें यह बात सदन में एक बार नही, दो बार नहीं अनेकों बार बताई गई है किन्तु हमारा व्यवहारिक अनुभव तो दूसरा ही है आई. आर. डी. पी.

के अन्तर्गत हमने पाया है कि पंचायत द्वारा अथवा खंड विकास अधिकारी द्वारा चुने जाने पर तथा उनके द्वारा योजना स्वीकृत तथा प्रत्यायोजित हो जाने के बाद भी बैंक इस आधार पर ऋण देने से इन्कार कर देते हैं कि सम्बद्ध व्यक्ति के पास भूमि या अपना मकान नहीं है जिसकी वह जमानत दे सके अथवा जिसे गिरवी रख सके। वे व्यक्ति की निजी जमानत नहीं मानते और न ही वे उसके किसी सम्बन्धी अथवा रिश्तेदार की ही जमानत मानते हैं। उन्हें कुछ ठोस चाहिए जैसे कि अचल सम्पत्ति जिसे वह ऋण के बदले में जमानत के रूप में चाहते हैं। यह तो बीते दिनों की स्वतन्त्रता-पूर्व दिनों की प्रवृत्ति है। किन्तु राष्ट्रीयकरण की 13-14 वर्षों बाद भी वही प्रवृत्ति बनी हुई है। सरकार द्वारा संसद में और संसद के बाहर घोषणा करने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को सरकार की ऋण प्रणाली के अन्तर्गत ऋण की सबसे अधिक जरुरत है, उन्हें ही उससे वंचित रखा जा रहा है।

राष्ट्रीयकरण के समय हमें बताया गया था कि बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण समाजवादी समाज की स्थापना के दिशा में कदम हैं—ताकि सरकार अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अच्छी तरह से ध्यान रख सकें ताकि आर्थिक संसाधनों का गरीबों के हित में आयोग किया जा सके। किन्तु बैंकों द्वारा ऋणों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है? इसका बहुत ही कम प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए दिया गया है। यदि 50,000 करोड़ रूपये की कुल बैंक ऋण राशि से 3000 करोड़ रुपये की तुलना करें तो यह कोई अधिक नहीं है। यह कुल का लगभग 6% ही बनता है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो श्री पुजारी मुझे सही स्थिति से अवगत करा सकते हैं किन्तु मेरा विचार है कि इस योजना विशेष के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली धनराशि 5 से 6 प्रतिशत ही बनती है।

सरकार अन्य योजनाओं के लिए भी बहुत सा ऋण ले रही है। अतः एक अथवा दो प्रतिशत जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह किसी भी हालत मे कुल ऋण के 10 प्रतिशत से कम है जो ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा रहा है। यह सरकार की उपलब्धि है। और किस लागत पर? क्या ब्याज कम है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर ब्याज की दर कम नहीं है।

प्रो० एन जी० रंगा: इसके ऊपर दर दंड है।

श्री अमल दत्त: जी हां। प्रो० रंगा आपका बहुत धन्यवाद।

अतः यह तरीका नहीं है जिसमें सरकार को बैंककारी पद्धति का उपयोग करना होता है, वे तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. और यह पिछले विधेयक की एक घोषणा की एक घोषणा है। वे नहीं चाहते कि लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण दिए जाते हैं। पिछले विधेयक के सन्दर्भ में एक संसद सदस्य ने कहा था कि उसी बैंक ने, जिसने किसी व्यक्ति का 5000 रुपये का ऋण बिना किसी जमानत के देने से मना किया था, एक औद्योगिक गृह को बिना किसी जमानत के 1.6 करोड़ रुपये की राशि दी थी। ऐसा हो रहा है और वे इसे बताना नहीं चाहते। वे इसे संसद सदस्यों अथवा सदन के समक्ष नहीं लाना चाहते। बैंक की जिम्मेदारी कहां होगी? मैंने यह प्रश्न पूछने का प्रयास किया है लेकिन मन्त्री महोदय अत्यन्त चतुराई से यह कहकर टाल गए हैं कि मैं एक

वकील हूं और मैं स्पष्टीकरण न पूछकर जिरह कर रहा हूं। इस प्रकार वह इसे टाल गए हैं (**व्यव. वधान**) यह जिरह है अथवा नहीं है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। कि जो कुछ किया जायेगा उसे जनता से छुपाया जायेगा। अपने गलत कार्यों के लिये वे संसद के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे। वे आंकड़ों के जरिये ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मन्त्री महोदय धोखाधड़ी के खिलाफ अपने उपायों के बारे में अत्यन्त अडिग हैं और मेरे आंकड़े संभवतया ठीक नहीं हो सकते क्योंकि ये इधर-उधर से लिए गये हैं। बैंक धोखाधड़ी की समग्र राशि के मामले में अंतिम रूप से कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है लेकिन अनुमानतया यह 2000करोड़ रुपये की राशि है जो बैंककारी पद्धति से निकल गई है। यह सूचना मुझे एक समाचार पत्र से मिली है। मेरे पास जानकारी का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। मंत्री महोदय प्रकाश डाल सकते हैं कि सही स्थिति क्या है। यह इन छोटे लोगों के कारण नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें इन कुल 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। अब तक उन्हें 2000 करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं। यह राशि बड़ो उद्योगपतियों को दी गई है। यह राशि बिना जमानत के दी गई हैं क्योंकि उन्हें यहां पर विश्वास है। विश्वास तभी होता है जब आप बड़े उद्योगों को बड़ी धनराशि देते हैं। वे कोई अतिरिक्त जमानत नहीं देते हैं। लेकिन जब वे इस राशि को वापस नहीं कर सकते तो आप पहले इन्हें आसानी से वसूल न किए जाने वाले लेखे की सूची में डाल देते हैं और कुछ समय बाद इन्हें बट्टेखाते में डाल देते हैं। श्री चक्रवर्ती की तरह मैंने भी एक प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न था—क्या इन कंपनियों के लेखे बट्टेखाते में डाल दिए गए हैं ? यदि हां तो कितनी ? उत्तर यह दिया गया था—यह राशि बताई नहीं जा सकती। मेरी यह सुनिश्चित करने की रुचि है कि बैंकों में जमा कराई गई सार्वजनिक राशि बर्बाद न हो। यही कारण है कि मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मेरी जानकारी यह है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि बट्टेखाते में डाली गई है। लेकिन मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर इस आधार पर नहीं देंगे कि यह बैंक से संबंधित है और यह बैंककारी प्रथा, मानदंड अथवा आचार के विरुद्ध है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार को स्वयं इस बात का पता चला है ?

श्री अमल दत्त : मैंने मन्त्री महोदय को जानकारी दी है। उन्हें मैंने जो जानकारी दी है उससे यह पता चल जाना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वे सरकार को संरक्षण देते हैं। और सरकार उन्हें संरक्षण देती है।

सभापति महोदय : सरकार को जानकारी न देकर।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हां।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : चुनाव के लिए धनराशि।

प्रो० एन० जी० रंगा : जी नहीं। यहां आप गलती पर हैं।

श्री अमल दत्त : बैंकिंग पद्धति के बारे में बहुत से परिवर्तन अथवा संशोधन लाये जा रहे

हैं । इतने सभी संशोधनों आदि के बावजूद क्या हमें ठीक पता है कि इन बैंकों का मुनाफा क्या है? बैंकों के लाभप्रदता की गणना वसूल किए गए ब्याज पर न होकर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आधारित है। वास्तविकता की तुलना में हमें अधिक सुनहरी तस्वीर पेश की जायेगी क्योंकि प्राप्त होने वाला अधिकांश ब्याज अन्ततः बट्टेखाते में डाल दिया जाएगा । यह ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा । वास्तविक लाभप्रदता कम होगी । लेकिन लेखे में अधिक मुनाफा दिखाया जाएगा ।

गुप्त-रक्षित राशि में धन अन्तरण की पद्धति अभी भी जारी है जिससे गुप्त-रक्षित राशि बनानी पड़ती है । यह प्राईवेट बैंकों के लिए ठीक है क्योंकि बैंककारी संचालन के मामले में उन्हें राशि रखनी पड़ती है । मुझे इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है ।

ब्रिटेन कीबैंककारी पद्धति में कुछ गुत्त-रक्षित राशि रखने की व्यवस्था की गई थी जो वे शेयरधारियों को नहीं बताते तथा जो वे किन्हीं लेखा पुस्तकों अथवा किसी लेखा परिशित तुलन पत्र में नहीं लाते । यह विशेष ब्रिटेन की प्रथा, जिसका हम अभी तक अनुसरण कर रहे हैं, रेडक्लिफ प्रतिवेदन के कारण 1979 में इंलैंड में समाप्त कर दी गई थी । माननीय मन्त्री महोदय इस बात को नोट करें। इंग्लैंड में बैंकों में अब गुप्त-रक्षित राशि की पद्धति जारी नहीं है । क्या हम कानूनों में इस प्रकार के इतने परिवर्तन लाते हुए इस विशेष पद्धति को समाप्त नहीं कर सकते ? श्री रंगा क्या आप मेरी सहायता करेंगे ?

प्रो० एन० जी रंगा : आपके मुद्दों को नोट किया जा रहा है ।

श्री अमल दत्त : बैंककारी मानदंडों में बहुत सी कमियां हैं । पिछले विधेयक के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पूरे विश्व में प्रचलित बैंककारी पद्धति के सभी संतुलित मादण्डों का हमें स्पष्टतया अनुसरण करना चाहिए । उस मामले में हमारा इस प्रकार का पूंजी राशि ऋण का अनुपात क्यों है ? मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं तथा श्री पुजारी उनमें संशोधन कर सकते हैं । ग्रिंडलेज बैंक अथवा अन्य विदेशी बैंक के 1:25 की तुलना में सभी भारतीय बैंकों का अनुपात 1:134 से 1:213 के बीच है । जिस प्रकार के अनुपात का वे अनुसरण करते हैं वह अनुपात 1:22 तथा 1:30 के बीच है । इसका आशय यह है कि बैंक व्यवस्था का विस्तार तो किया गया है लेकिन उसके अनुरूप उसका पूंजी आधा नहीं बढाया गया है । वे जमाकर्ताओं से धन लेकर उसे ऋण पर दे देते हैं ; लेकिन पूंजी आधार में वृद्धि नहीं हुई है और यह एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति है । वास्तव में सरकार बचाव करेगी और नोट छाप देगी । लेकिन यदि आप अत्यन्त पद्धतियों का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको किसी बात का अनुसरण करना चाहिए । यदि आप ब्रिटिश अथवा अमरीकी बैंककारी पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तथा घरकों के मामलों तथा गुप्त मुनाफा उत्पन्न करने, जो इस समय इंग्लैंड में प्रचलित नहीं है, जैसी इन सभी प्रकार की बातों की जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आपको ऋण अनुपात की तुलना में पूंजी राशि का भी अनुसरण करना चाहिए । लेकिन आप इसका अनुसरण कर नहीं रहे हैं ।

अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का पर्याप्त विस्तार नहीं कर सके हैं जिसकी जरूरत है । ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार के रास्ते में पूंजी का आधार एक बाधा है । अतः आप कृपया नोट

करें कि आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के पूंजी आधार में वृद्धि की जानी चाहिए और उस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। विगत में जो कुछ गलतियां की गई हैं अब आप भविष्य में सही मार्ग की ओर एलने का प्रयास करें।

श्री पुजारी बहुत शोर मचा रहे थे। मैंने बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि में कर्मचारियों के समाचार-पत्र में ऐक खबर देखी है (व्यवधान) किसी प्रकार का मानदण्ठ होता है और इसे यह पता लगाने के प्रयोजनार्थ लागू किया जाता है कि क्या कर्मचारी काम कर रहे हैं कथवा नहीं। यह उपयोगी कार्यवाही हो सकती है। बैंक द्वारा दिया गया 100 रुपये की राशि के लिए निजी लागत क्या है? 1970 में प्रति 100 रुपये पर यह लागल 2.55 रुपए थी। अब यह 1.85 रुपये है। इसमें कमी आई है, यदि मैं गलती पर हूं तो दोबारा श्री पुजारी से अनुरोध करता हूं कि वस मेरी गलती सुधारें तथा मुझे सही आंकड़े बताए। यदि ऐसा है तो कहीं न कहीं गलती है। निश्चित रूप से बहुत सी गलत बातें हैं। वहां पर कर्मचारिग्रों के न काम करने से बैंकों की बदनामी नहीं होती है अपितु इन बैंकों की नीति अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों का न होना है। निर्णय लेने की शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण किया गया है जिसमें अल्प राशि के ऋण के लिए भी फाइल बैंक शाखा से मुख्य कार्यालय के पास भेजी जाती है और वापस आती है।

इस प्रकार की बातों से असन्तोष उत्पन्न होता है। जहां ऋण देने की जरूरत है, जहां हजारों लोगों के मामलों पर विचार करना होता है उदाहरणार्थ ग्रामीण बैंक की शाखाओं, जो समेकित ग्रामीण विकास कार्य म को देख रही हैं, में अपेक्षित कर्मचारी नहीं रखे गये हैं। जहां 5 कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी चाहिये वहां आप केवल 3 कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जिस योजना को पूरा करने के लिये 15 दिन अथवा एक महीना लगना चाहिये उसमें लगभग तीन महीने लगते हैं। और उन्हें कहा जाता है "आप अन्य कार्यों को पहले करें, सामान्य कार्य को प्राथमिकता दी जाती है और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसके बाद किया जाता है।" वास्तव में श्री पुजारी समयोपरि भत्ते की राशि को कम करने में अत्यन्त सफल रहे हैं।

उन्होंने समयोपरि भुगतान में 30 करोड़ रुपये की कमी की है। यह बहुत अच्छी बात है। परन्पु उन्होंने ग्रामीण लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है? भुगतान 3000 करोड़ रुपये की बजाये 300 करोड़ रुपये हो जायेगा। यह हानिकर है क्योंकि आप नही जानते कि समयोपरि कहां से आ रहा है। क्या यह केवल शहरी शाखाओं में लगता है अथवा क्या यह ग्रामीण शाखाओं में भी लगता है? ग्रामीण शाखाओं में कितने लोग तैनात हैं? प्रत्येक शाखा के आंकड़ों से आप देखेंगे कि ग्रामीण शाखाओं के आंकड़े प्रभावपूर्ण नहीं हैं। परन्तु यदि आप शहरों की शाखाओं के मुकाबले ग्रामीण शाखाओं में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या को लें तो आप देखेंगे कि यह नाममात्र और नगण्य है। अत: अधिक लोगों को समयोपरि भत्ता देना आवश्यक होता है यदि आप शाखाओं को उचित ढंग से चला सकते हैं तो मैं यह नहीं चाहता कि आप लोगों को समयोपरि भत्ता न दे। अधिकांश ग्रामीण शाखाओं को तीन व्यक्ति चलाते हैं। तीन व्यक्तियों की बजाए आप 6,7 या 7 व्यक्तियों लगाइये ताकि सरकार की ये योजनायें बेकार सिद्ध न हों!

मैं अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाया है। मैं बैंकरों के पास गया हूं और मैंने उनकी कठिनाइयों को देखा है और मैं आपको यह बता दूं कि जब तक ग्रामीण शाखाओं का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं चलाते तब तक आप ग्रामीण निर्धनता समाप्त करने में कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे।

मैं आपको बता चुका हूं कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंकिंग सेवा संतोषजनक नहीं है। यह असन्तोषजनक हैं क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ऋण आवेदन-पत्र नहीं निपटाये जाते हैं। आवेदन-पत्र दिए जाते हैं परन्तु इन लोगों द्वारा ऋण आवेदन-पत्र एक महीने, दो महीने अथवा तीन महीने तक भी नहीं निपटाए जाते हैं।

उदाहरण के लिए यदि आप बेहतर बीजों की खरीद के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र देते हैं और ऋण आपको बुवाई के बाद मिलता है तो बहुत अन्तर पड़ता है। ऐसे ऋण लेने से ऋण न लेना अच्छा हैं क्योंकि यह ऋण खाया जाएगा। यही हो रहा है।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय से जब आई० आर० डी० पी० ऋण के बारे में पूछा जाता है तो वे बड़े शौक से कहते हैं कि मैं जिस राज्य से आया हूं, वह ऋण अदायगी के मामले में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। ऋण अदायगी के परिणाम इसलिए अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि ऋण आवश्यकता पूरी होने के बाद दिया जाता है और जब निर्धन व्यक्ति इस ऋण का कोई उपयोग नहीं कर पाता है तो इसे खाने-पीने में खर्च कर देता है। वह इसके परिणामों को नहीं समझता।

अतः मैंने जैसा कि आरम्भ में कहा था कि इस विधेयक में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सिवाए उस जमा प्रतिबन्ध प्रणाली के जिसके बारे में कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य सदस्य भी इस बारे में बोलेंगे। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे विचार से यह प्रयास कुछ मामलों में आवश्यक हैं परन्तु दूसरी ओर देशी ऋण प्रणाली भी चल रही है मैं नहीं जानता कि वह कैसे चल रही है, अच्छा परिमाण दे रही है या बुरा। आपको इस पर गौर करना होगा। मुझे बताया गया है कि फुटकर विक्रेता काफी हद तक गैर-बैंक ऋण पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में सब जगह फुटकर विक्रेता इसी पर निर्भर करता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ब्याज दर बहुत अधिक है।

श्री अमल दत्त : मुझे उसकी जानकारी नहीं है। स्पष्ट रूप से बैंकिंग प्रणाली फुटकर विक्रेता के लिए अधिक सहायक नहीं है। बैंकिंग प्रणाली को उनकी अधिक सहायता करनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये तक दिए जाने वाले ऋण के बारे में मैं सरकार से और बैंक से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह ऋण बिना किसी ठोस जमानत के दिया जाता है अथवा किसी प्रकार की जमानत की आवश्यकता होती है और इस सम्बन्ध में आपके मार्गदर्शी नियम क्या हैं। यदि आप हमें स्पष्ट पर दें और रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों और बैंक शाखाओं का स्पष्ट कर दें तो हम आपके आभारी होंगे। हम अपने इलाके में अपने लोगों के लिए कुछ कुछ कर पाएंगे और हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि आप जो लाभ देना चाहते हैं वह आपको मिल सके जो कि अब उन्हें नहीं मिल रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाशण समाप्त करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, 19 जुलाई, 1969 के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था । वह एक एतिहासिक दिन था । कांगेस ने कुछ निर्णय लिया था । तब और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया है, यह आप देखें । 1969 में कुल जमा राशि 4646 करोड़ थी जोकि जून,1983 तक 70 हजार करोड़ हो गई । इसी त रह से 1969 में बैंकों की कुल शाखायें 8269 थीं जो कि जून, 1982 में बढ़कर 45 हजार से अधिक हो गई । उस समय 65 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक की शाखा थी जबकि आज 17 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक की शाखा हो गई है । पहले यह समझा जाता था कि बैंक कुछ ही लोगों के लिए खुली हुई हैं जबकि आज बैंक के दरवाजे मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स, कावलर आदि हर एक गरीब आदमी के द्वारा खटखटाए जा रहे हैं । आज बैंकों को ऋण गरीब आदमि ों तक भी पहुंच रहे हैं । इस तरह से उस समय और आज के समय में बैंकों के कार्यकलाप में बड़ा अन्तर आया है और आम लोगों को काफी लाभ पहुंचा है । हालांकि मैं यह नहीं कहता कि जो भी लाभ बैंकों के द्वारा आम जनता को मिलने चाहिए थे वह सभी मिल गए हैं ।

इस विल को एक तो बैंक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यहां प्रस्तुत किया है । दूसरे, सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बिल बनाते समय रूल्स और रेग्युलेशंस भी सदन के सभा पटल पर रखे जाने चाहिए और उनको देखने का हमारा स्टैट्यूटरी अधिकार होना चाहिए । तीसरा आधार है आपके एक्पीरिएन्स का । पुजारी जी ने ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरिएन्स किया होगा । उन्होंने कितने ही बैंकों को विजिट किया होगा कि वहां पर क्या हालत है और बैंक्स कैसी सेवा कर रहे हैं । मैं समझता हूं बैंकों की सेवायें घट गई हैं । बैंकों का जो सेवा करने का तरीका है उससे मैं समझता हूं हर एक को नाराजगी होगी । आज बैंक्स ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर रही है । यह बात मैं ही नहीं, पुजारी जी भी कहते हैं । 30 जुलाई, 1983 को "कामर्स" में एक आर्टिकल छपा है । श्री आर० पी गोयल भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं । 30 जुलाई, 1983 को कामर्स में एक लेख में इन्होंने लिखा है:

> "बैंकों में बिगड़ती हुई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता काफी समय से चर्चा का विषय रही है । आन्तरिक कार्यकुशलता और ग्राहक सेवा में हो रही उत्तरोत्तर गिरावट के लिए सरकार द्वारा जनता द्वारा और ग्राहकों द्वारा एक जैसी कटु आलोचना किया जाना कोई अनुचित नहीं है । चूंकि बैंक देश के आर्थिक जीवन का वित्तीय केन्द्र हैं इसलिए यह प्रतिकूल टिप्पणी की गई है और सेवा में गिरावट से विभिन्न आर्थिक और अन्य गतिविधियों के लिए बैंक सेवा पर पूर्णतया निर्भर विभिन्न प्रकार के लोगों पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।"

ऐसा एक ने नहीं कहा है । यदि आंख खोलकर देखा जाए तो जनार्दन पुजारी ने बहुत कुछ किया है । हो सकता है कि कुछ लोग अन्दर-अन्दर नाराज हो क्योंकि जनार्दन पुजारी जी ने ओवर टाइम कम कर दिया है । मुफ्त का पैसा थोड़ा बन्द हो गया है । मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जनार्दन जी पर उंगली नहीं उठा सकता है । ऐसे समय में ऐसे प्रकार के मन्त्री होना एक अच्छी ही बात

है । यही बात मैंने एक दफा श्री विश्वनाथ प्रताप जी के लिए कहीं थी और आज मैं इनके लिए कह रहा हूं इन्होंने आगे कहा है—

केंद्रीय उप वित्त मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने 18 जनवरी को कोचीन में बैंकिंग पर एक गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए इस स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखा है :

'एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अभद्र व्यवहार से परेशान होकर बैंकों में दाखिल होंगे और उन पर प्रहार करेंगे ।"

उनके ये शब्द थे, जिसको मैंने उद्धृत किया है । कड़ी बात कहने से बैंकों के कर्मचारी अंदर-अन्दर नाराज होते होंगे । नौकरी करने वाले कर्मचारी बड़े होशियार होते हैं । इनको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है । यह एक ऐसा घोड़ा है, जिस पर सवारी बहुत मजबूत चाहिए । ···(व्यवधान)···जहां तक उनकी सेवाओं का सवाल है, वे बहुत घट गई है । ऐसे कितने फ्राड केसेज हैं, जिनको आपने पकड़ा है ? जो काम हो रहा उसको आप देखेंगे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो "बिजनेस वर्ल्ड" में निकला है उसमें कहा है—

"शक्तिशाली बैंक कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो वैध और अनुचित मांग मनवाई है वह अत्यधिक है । इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल व्यय का 23 प्रतिशत व्यय हो रहा है । जो भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों के 16-17 प्रतिशत व्यय से काफी अधिक है ।"

जो फारन-बैंक्स काम करते हैं उनका खर्चा कम हैं । जो हमारे बैंक एप्लाइज हैं उनके कारण, जो उनकी तनख्वाहें हैं, बोनस है, ओवरटाइम की मांग है—मन्त्री महोदय ने कितना कम कर दिया होगा, जब से पुजारी जी आये हैं, मैं तब से जो आंकड़े सामने आये हैं उनको भी पेश कर दूंगा । आप कहेंगे कि इन्होंने कितना मजबूत कदम उठाया है जो इस बिल को यहां लाये हैं । लेकिन मुझे भी इस बिल के बारे में कुछ बातें कहनी हैं । इसमें कुछ अमेण्डमैंटस तो ठीक हैं लेकिन कुछ अमेण्डमैंटस के बारे में मेरे दिमाग में कुछ रिजर्वेशन्ज हैं । हमारे चेम्बर आफ कामर्स हैं, चाहे हरियाणा का हो, कलकत्ता का हो, तकरीबन सबने अपनी-अपनी रायें दी हैं और सब कहते हैं—'प्ली टु विदड्राल आल बैंक ला बिल' एक तरफ का रेगुलर कम्पेन चलाया गया है । आप कहेंगे—मैं महाजन हूं, आपकी भाषा में बनिया हूं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने में शर्म नहीं है । आप हमको अपने बैंकों से क्या सेवा देते हैं ? यह बैंक ला क्या है ? आप हम से क्या चाहते हैं ?

"वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 30 दिसम्बर, 1980 तक दी गई कुल अग्रिम धनराशि की 3.4 प्रतिशत धनराशि फुटकर व्यापार को दी गई है । फुटकर और थोक व्यापार अपना कार्य चलाने के लिए लगभग पूर्णतया अनौपचारिक ऋण प्रणाली पर निर्भर रहे हैं । चैम्बर ने विचार व्यक्त किया है कि बैंकिंग क्षेत्र के पर्याप्त विस्तार के बावजूद देश के एक बड़े क्षेत्र में वास्तव में बैंक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और ऐसे क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण प्रणाली पर प्रतिबन्ध से आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ जाएंगी । विकेंद्रीकृत कृषि क्षेत्र जो आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों पर निर्भर करता है

वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त होने में होने वाले अयरिपार्य विलम्ब को सहन नहीं कर सकता ।"

आप एक तरफ से चल रहे हैं । आप इस बात से एग्री करेंगे—आप बिल में कहते हैं—

अध्याय तीन ग, खण्ड 10,

"45 ध (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यष्टि या फर्म या अनिगमित व्यापारियों का संगम हो, किसी भी समय नीचे दी गई सारिणी में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट संख्या के निक्षेप कर्त्ताओं से अधिक निक्षेप-कर्ताओं के निक्षेप नहीं रखेगा',

व्यष्टि···दस निक्षेपकर्त्ताओं से अधिक नहीं ।

इस प्रकार का क्लाज क्यों रखा है ? हिन्दुस्तान में तो अभी भी ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम है।

पच्चीस निक्षेपकर्त्तायओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें वे निक्षेपकर्त्ता शामिल नहीं हैं जो व्याष्टि के नातेदार हैं

अगर आप यह करना चाहते हैं तो माफ करना, इस सुविधा से कमाना आसान नहीं है। इसलिए मैंने इसके अन्दर अपना अमेडमेंट रखा है कोई 100 रुपया जमा कराता है, कोई दो सौ रुपया जमा कराता है। क्या कोई पांच सौ रुपये में अपनी दुकान चला सकता है ? यह जो आपने रख दिया है कि नाट मोर देन टेन डिपाजिर्स यह ठीक नहीं है । इस पर मैंने अपना अमेडमेंट रखा है ।

फिर अपने फर्म के बारे में लिखा है । हिन्दुस्तान में कितनी बिजनस कम्युनिटीज हैं । छोटे-छोटे व्यापारी हैं । उनके लिए जो आप इस प्रकार का कानून बनाते हैं और इस कानून में आप इतना अधिकार दे देते हैं कि आप इंकवायरी कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे। क्या हालत होगी इससे व्यापारी की ? क्या इससे करप्शन नहीं होगा ? इसलिए मैंने इसमें अपना अमेडमेंट पेश किया है ।

प्रति भागीदार पच्चीस निक्षेपकर्त्ताओं से अधिक नहीं और कुल मिलाकर दो सौ पचास निक्षेपकत्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें, से दोनों में से किसी भी दिशा में, वे निक्षेपकर्त्ता शामिल नहीं हैं, जो किस भी भागीदार के नातेदार हैं ।

श्रीमन् मैंने इंडीविजुअल, फर्म और इनकारपोरेटेड एशोसियेशन के लिए बढाने की बात कही है । इसके अलावा जो आपकी इंकवायरी होगी उससे भी परेशान होगी आपने एवीडेंस एक्ट को बदल दिया है । उसको एक नया रूप दिया है अब सवाल यह है कि इसका हरेक आदमी कुछ अर्थों में लाभ भी उठा सकता है और कुछ अर्थों में किसी को हरेसमेंट भी हो सकता है । इसीलिए मैं चाहता था कि इसको बहुत काशसली काम में लाया जाए । इसीलिए मैंने अमेडमेंट दिया है । जब हम अमेडमेंट्स पर बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा । मैं मन्त्री जी से यही चाहूंगा कि वे इस बिल पर बोलने से पहले मेरे अमेडमेंट्स पर गौर करने का कष्ट करें ।

अब आपने लीगल प्रोसीडिंग्स में पुलिस को सारा अधिकार दे दिया है। आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स इन्कलुडस इन्कवायरी एण्ड इंवेस्टीगेशन।

आपने कानून के जरिये यह भी किया है कि एक आदमी जो चेअरमैन बनता है वह तब तक रहेगा जब तक कि दूसरा नहीं बनाया जाता। उसकी जगह खाली नहीं रहेगी।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपके जो डाइरेक्टर और चैअरमैन बनते हैं, उनमें कुछ लोग तो सेवाभावी होते हैं मैंने यहाँ पर दो-एक बार सजेशन भी दिया है कि आप पार्लियामेंट के मैम्बरों को भी डाइरेक्टर बनाओ। आप उनको डाइरेक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब, हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने हमारे इस सजेशन को माना भी था। इतना मीटिंगों में खर्चा करते हैं। उनका काम है मीटिंग अटैंड करना। निर्णय कोई नहीं लेता है। आराम से जिन्दगी व्यवतीत करना उनका काम है। बैंक डूबता है तो डूबे। सुबह बांबे रवाना हुए प्लेन से, फाइव स्टार होटल में खाना खाया और करना कुछ नहीं है। आप नामीनेट कर देते हैं और वे जाकर बैठ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि क्या घोटाला है, सारे घोटाले लंच और डिनर में चले जाते हैं। शाम रंगीन हुई और सब काम हो गया। और नामीनेट किनको करते हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी कामर्स डिपार्टमेंट, सब डायरेक्टर बन जाते हैं, जिनको सेवा करनी नहीं आती। बैंकों के घोटालों को देखना चाहिए और इन डायरेक्टर्स की मीटिंग्स का फायदा होना चाहिए। इनके आफिस देखिए। मेरे ख्याल से मंत्री का कमरा भी इतना अच्छा श्रंगार किया हुआ नहीं होता होगा। जैसे बैंक का सारा काम इन्हीं ने किया है। सेवाएं कुछ नहीं हैं। डायरेक्टर बनाने के लिए क्राईटएरिया होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए और ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सेवा करना चाहते हों।

आपने इसमें एक चीज और कर दी कि अगर कम्पनी में कोई गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्टर जाता है तो वह कसूरवार नहीं है, उसको भी आपने माफ कर दिया, क्योंकि वह तो कभी-कभी जाता है। क्यों भेजते हैं, क्यों उनको तकलीफ देते हैं। क्या वे नई शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए सामान लेते जाते हैं। आप उन लोगों को क्यों भेजते हैं जो काम करना नहीं चाहते तफरी करने के लिए जाते हैं। आज की इस हालत को सुधारने की जरूरत है। डायरेक्टरों का का काम ठीक होना चाहिए।

आपने एक बात ठीक कर दी है कि रिजर्व बैंक, आपका एनुअल एकाउंट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। यह आपने ठीक किया है और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। आन दी होल यह बिल ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म किया गया है, छोटे-छोटे इन्डीविजुअल्स के के साथ, जो फर्मस हैं और जो दूसरे अमेडमेंट दिए हैं, उन पर बाद में बोलूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, यथाप्रस्तावित विधेयक से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने केवल एक विशेष मुद्दा उठाने के लिए आपकी अनुमति ली है।

इस विधेयक को पुर स्थापित करते समय मन्त्री महोदय ने उस महाविपत्ति का, उल्लेख किया था जो कि संचयिता के जमाकर्त्ताओं पर पड़ी है और कहा था कि इस विधेयक का एक

उद्देश्य पूर्णरूप से नहीं तो कम से कम कुछ सीमा तक इस स्थिति को सुधारने का है।

तथापि, मैं एक मुद्दा उठाना चाहती हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है स्वाभाविक है कि एक नामित व्यक्ति रखने का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब कभी कोई मरता है बहुत से गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसको मैं भली-भांति समझती हूं। संचयिता में घटी घटनाओं में से कुछ बातों को पहले के संशोधनों में ले लिया गया होगा। इतना ही नहीं, हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करती रही है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में भी कुछ संशोधन किए जाएं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधेयक को लाभ उठाकर मैं यह मुद्दा मन्त्री महोदय के विचारार्थ उठाना चाहती हूं।

जहां तक इन गैर-बैंकिंग कम्पनियों का सम्बन्ध है, वे जितना चाहें बाजार से ऋण ले सकते है चाहे उनकी पूंजी का आधार कुछ भी हो वे पूंजी के 100/रुपये पर, बाजार से लाखों रुपये का ऋण ले सकता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियां प्रायः इस स्थिति का लाभउठाती हैं। इस पर केवल बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके ही नियन्त्रण रखने वाले बैंकिंग कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने वाले कानूनों में संशोधन होना चाहिये जिससे यह प्रतिबन्धताहो सके कि वे ऐसा कोई ऋण ले सकें जो अत्यन्त अनिवार्य है।

1948 में तत्कालीन मैसूर सरकार ने इस प्रकार की पहल की थी जिसके कारण श्री बी० एन० गोपाला राय के लेन-देन का मामला था जिसकी कि कार्यप्रणाली संचयिता के समरूप थी। यह राज्य की संविधि पुस्तिका में समाहित है। हमारी सरकार केंन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करती रही है कि या तो यथा सम्भव शीघ्रता से इस आशय का एक विधेयक पास किया जाए जिससे कि इस प्रकार की धोखाधड़ी को नियंत्रित किया जा सके। यद्यपि ऐसा निवेदन केन्दीय सरकार से 1982 में किया गया था, फिर भी हम यह नहीं जानते कि क्या उन्होने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है। जहां तक मुझे पता है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मैं मन्त्री महोदय से विशेशरूप से निवेदन करती हूं कि यद्यपि यह इस प्रस्तावित संशोधन के सीमा क्षेत्र में नहीं पड़ता है फिर भी उन्हें इस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि यदि धोखाधड़ी को रोकना है तो यह अत्यन्त अनिवार्य है। यही वह विशेष मुद्दा है जिसे में उठाना चाहती थी।

मैं और दो टिप्पणियां करके अपनी बात समाप्त कर दूंगी। एक तो यह है कि विधि में मरम्मत या झलाई रूपी कितने संशोधन क्यों न किये जाए, जब तफ बैंकों की वित्त सम्बन्धी नीति की इस आशय या भावना से किसको ये ऋण दिए जायेंगे और कैसे इन पर नियंत्रण रखा जायेगा जांच या देखभाल नहीं की जाती है तब तक वास्तव में बहुत कम सुधार हो पायेना। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि निजी क्षेत्र को 27,000 करोड़ रुपये का जो ऋण दिया गया है उसका अधिकांश भाग बड़ी कम्पनियों को जाता है। और वे अधिकतर वे ही लोग होते हैं जो धोखाघड़ी में माहिर होते हैं। अतः जब तक इस नीति को कठोरता पूर्वक इस आशय से बदला नहीं जाता है कि इस वर्ग को ऋणों का मुख्य भाग नहीं मिलेगा तो मेरे विचार से किसी भी प्रकार की धोखेबाजी को रोका नहीं जा सकता है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

दूसरी बात मुझे समाज के गरीब तबके को ऋणों के बारे में कहनी है। वर्तमान में प्रतिभूति मांगने का नियम है। यदि आप गरीब से गरीब आदमी को ऋण देना चाहते हैं तो उससे प्रतिभूति मांगी जाती है। यह वास्तव में प्रति-उत्पादक बनता जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि समाज के निर्धन वर्गों को ऋण प्रदान करने के समग्र प्रश्न पर फिर से विचार करें और यह देखें कि उनके मामले में इस प्रतिभूति खंड को कैसे हटाया जा सकता है। यदि उनके पास प्रतिभूति के पर्याप्त साधन हों तो उन्हें इस ऋण की आवश्यकता ही न पड़े।

सभापति महोदय : 5000/-रुपये तक के लिए कोई प्रतिभूति नहीं होती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं मानती हूं। ऐसा तो वे कहते ही हैं' परन्तु जब लोग ऋण लेने जाते हैं तो वह मिलता कभी भी नहीं है। आप यह भी मानेंगे कि आज के मुद्रास्फीतीय बाजार में 5000/रुपये की सीमा में तो निम्न मध्यम वर्ग भी नहीं आ पाता है। और अगर ऐसी ही स्थिति है तो प्रतिभूति के प्रश्न की गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगी कि श्री डागा जी बैंक कर्मचारियों के वेतनों की बड़ी आलोचना कर रहे थे। मैं तो कहूंगी कि उन्हें बैंक कर्मचारियों के वेतन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि वे एक संगठित क्षेत्र में लड़े भी हैं तो सभी के लिए लड़े हैं क्योंकि वे ही लाभ भविष्य औरों को भी मिल सकते हैं।

जहां तक बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेवा में सुधार का सम्बन्ध है तो मैं मानती हूं कि इसकी काफी गुंजाइश है। हम आशा करते हैं कि बैंक कर्मचारी संगठन इस प्रश्न पर और अधिक ध्यान देंगे। परन्तु हर समय उनके वेतन पर प्रहार करना ठीक नहीं है। ऐसे तो वे उत्तेजित होते हैं। मैं आशा करती हूं कि वह इतना सबर तो करेंगे ही।

अन्त में, मैं पुजारी महोदय से इस संशोधन पर फिर से विचार करने का निवेदन करती हूं।

श्री दीनबन्धु वर्मा (उदयपुर) : एक लम्बे अर्से से बैंकिंग इंडस्ट्री में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। समय के साथ उभरती समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो बिल वित्त मन्त्री जी लाए हैं, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उसके लिए उनको मुबारिकबाद भी पेश करना चाहता हूं। उन्होंने समय को पहचाना है और बैंकिंग लाज में संशोधन बिल लाने का प्रयत्ध किया है।

जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा गरीब जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, जो आर्थिक दृष्टि पिछड़े हुए हैं उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था तब जो बैंक काम कर रहे थे तब वे समय की पुकार को, समय की गति को, जनता की आकांक्षाओं को, समय की जरूरतों की पहचान नहीं कर रहे थे और अपने आपको उसके अनुसार ढाल नहीं रहे

थे। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से आज तक बैंकों के कार्य में पांच गुना की वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से हमारी सरकार का जो उद्देश्य था, जो कार्यक्रम था, उसको पूरा करने में इस राष्ट्रीयकरण ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है, गरीब जनता का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस संदर्भ में राजस्थान में जो बैंकों का योगदान रहा है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर देहाती क्षेत्रों में जिस गति से बैंकों की शाखायें खुलना चाहिए थीं नहीं खुलीं, वह गति बहुत धीमी रही। इनको पूरा करने में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण नहीं रहा, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा निवेदन है कि बैंक को निर्देश दिया जाए कि वे वहां पर देहाती क्षेत्रों में शीघ्र से शीघ्र अपनी शाखायें खोलें।

राजस्थान में बैंकों की पोजिशन यह है कि कुल वहां पर 38 बैंक हैं जिनमें नौ रिजनल भी शामिल बैंक हैं जो वहां पर 27 जिलों में से केवल 19 जिलों में ही कार्य कर रहे हैं। बाकी के जिलों में बैंकों की शाखायें न होने के कारण वहां की जनता बैंकों से कोई लाभ नहीं उठा पा रही है। इसी तरह से आप ताज्जुब करेंगे कि 18,000 की आबादी पर हमारे यहां बैंक हैं' जब कि उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में 9,000 की आबादी पर एक बैंक है। जो देहाती और अर्ध-देहाती क्षेत्र हैं उसके अन्दर 21,000 के आबादी पर बैंक है। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते * कि 21,000 की आबादी पर जब एक बैंक है। तो वह क्या काम कर सकते हैं, जबकि हमारे यहां डेजर्ट, डिली ट्राइवल एरियाज भी हैं। दूरी इतनी है कि स्टाफ चाहते हुए भी वह सक्षम नहीं हैं कि लोगों की रोजमर्रा की जरुरत पूरा कर सकें।

इसी तरह से डिपोजिट्स मार्च 1983 के अन्त तक बैंकों में 994 करोड़ से बढ़कर 1,152 करोड़ हो गया। इससे पता लगता है कि राजस्थान में बैंकों की गतिविधियां निराशाजन नहीं हैं। इसी तरह से ऐडवांस मार्च 1983 के अन्त तक बैंकों से 839 करोड़ रु० की राशि ऐडवांस के रुप में दी गई है जबकि मार्च, 1982 में यह रकम 689 करोड़ रु० ही थी। और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट डिपोजिट जो रेशियो था वह 1983 में 72.80 परसेंट था और यही रेशियो 1982 में 72,6 परसेंट ही था। इससे आप बैंकों का अन्दाजा लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है क्रेडिट डिपौजिट रेशियो स्टेट का जो औसत है वह इस साल के तक पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्यों में जो बैंक काम कर रहे हैं उनको निदेश दें वह थोड़ी सी अपनी कार्य पद्धति में सुधार लायें और जो क्षेत्र बैंकों की सुविधाओं से वंचित हैं वहां ज्यादा से ज्यादा बैंकों की शालायें खोलें।

ऐग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर सालों बाद इस बार अच्छी वर्षा हुई है और अच्छी फसल हुई है ओर हमारी जो तात्कालिक आवश्यकता है 1,200 करोड़ क्रेडिट की उसको भी बैंक देने में असमर्थ रहे हैं जब कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रायरिटी सेक्टर में 40 परसेंट निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में बैंक असमर्थ रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से, कहूंगा कि जो हमारे लक्ष्य हैं राज्यों के उनको प्राप्त करने में बैंक सहयोग दें।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन बिल मन्त्री जी लाये हैं निश्चित तौर से उससे हमें और योगदान मिलेगा और हमारा जो लक्ष्य और नीतियां हैं गरीब जनता के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की जो हमने कल्पना की है उसको प्राप्त करने में बैंकों से और योगदान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

इन शब्दों के साथ में इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री राकेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जो इन्होंने कहा है कि बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 बैंककारी आयोग और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, उनके अनुरूप उनके यह बिल लाये हैं, यह तो अच्छी बात है ।

मान्यवर, एक सबसे बड़ा प्रश्न बैंको से ऋण और ऐडवांस लेने की बात आती है और मेरे जैसा देहात का आदमी कानून की पेचीदगी में फंस जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता । लेकिन एक बात समझ में आती है, आपने यह सारी इतनी पोथी लेकर हमें दे दी है.....

और इतने संशोधन कर दिए । बैंक निश्चित रुप से विशेषकर एग्रीकल्चर ग्रेथ के सम्बन्ध में प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और सब की आपूर्ति इसके द्वारा हो जायेगी । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि रूरल एरिया के लोगों ने कृषि क्षेत्र से कितना रुपया जमा किया और उनको कितना एडवांस दिया ? आप कभी-कभी रूरल और सैमी-रूरल सैक्टर बना देते हैं, इसकी सफाई होनी चाहिए ।

अर्बन सैक्टर में कहा जाता है कि इतनी पूंजी दे दी लेकिन जब रूरल सैक्टर की बात आती है तो खासकर जब किसान की आदिवासी की छोटे-छोटे काम के लिए जरूरत की बात आती है तो कुछ नहीं हो पाता है ।

मैं एक गांव की बात बताता हूं, गांव में हमारे सत्ताधारी सांसद एक स्लिप भेज देते हैं बैंक में तो लोगों को लोन मिल जाता है 5 हजार या 25 हजार रुपया मिल जाता है, लेकिन जिसको जरूरत है, उनको एक पैसा भी नहीं मिल पाता । मैं उस दृष्टि से आलोचना नहीं करना चाहता आपकी योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमैंटेशन ठीक नहीं होता ।

जहां तक लिक्विडिटी की बात है, बैंक के कैलुकलेशन से एक हजार करोड़ रूपया बैंकों को चाहिए जिसकी अतिरिक्त एडवांस के लिए जरूरत है लेकिन आपने कुछ और बात कही है । मुझे लगता है कि कानून और पैनलाइजेशन, किसी को दण्ड देना समझ में नहीं आता ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि साधारण आदमी जो कि व्यावहारिक रूप से गुजर रहा है, उसके लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए । कानून की पोथी में कानून का संशोधन होकर रह जाना एक बात है, लेकिन उसका अमल में आना दूसरी बात है । हम आपकी प्रशंसा करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि आपने सही दिशा में सही कदम उठाया है । बहुत से लोग जिनके डिपाजिट्स हैं, फिक्सड-डिपाजिट हैं, लॉकर है , उनको आपने राहत दी है । हमारे डागा साहब फैमिली की बात में हिन्दू लांकी भाषा में ज्यादा माहिर है, वह बात बता सकते हैं ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके बैंकों की स्थिति बड़ी भयंकर आडिट के मामले में है। इसमें बड़ी गड़बड़ है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहां स्टेट बैंक की तकरीबन 6 हजार शाखाएं हैं उसमें 18 ऐसी हैं जिनके आडिट हुए होंगे। बैंकों में रोजाना फ्राड किये जाते हैं। बैंकों में कुल मिलाकर जालसाजी की घटनाएं 1982 में 1574 थीं 1977 में यह फ्राड कम थी, कुछ ही करोड़ उसमें फंसा हुआ था लेकिन अब 16 करोड़ रुपया इसमें फंसा है इस बारे में कानून बनाते समय आप ख्याल रखें। जैसे पुलिस वाली बात में स्वीडैंस एक्ट के बारे में कहा है। यह भी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बैंकों में बलैंक से व्हाइट और व्हाइट से बलैंक की प्रक्रिया खूब जोरों से चल रही है। उसमें कितने आप कामयाब रहेंगे इसक रोकने में इस बारे में आप विचार करें।

इस पर भी आप जरूर गौर करें। 76 हजार करोड़ से अधिक वाली स्टेट बैंक वाली बात पर आप ध्यान दें। उसके बारे में कोई बात नहीं बनती जब आपसेनियम और कानून की बात नहीं बनती तब संदेह होता है कि आपलिक्वि- डिटी के मामले में कुछ कर पायेंगे। आपने 10 प्रतिशत किया है, अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होगा, यह आप पर है।

मैं इस पोथी को अच्छी तरह सेन हीं पढ़ पाया हूं। मैंने इसको सिर्फ सरसरी निगाह से देखा है। असल में इसको देखते ही घगराहट पैदा हो जाती है। अगर मैं इसको अच्छी तरह देख सकता, तो इस पर विस्तार से कह सकता। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारा मकसद यह होना चाहिए कि बैंकों के माध्यम से हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, आम आदमी को उसका लाभ मिले और उसे कानूनी गोरख-धंधे में न फसाया जाए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि बैंकों में सत्ताधारी दल की बात ज्यादा चलती है। यह बिल्कुल गलत है। सब एमपीज की बराबर चलती है। (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हम लोगों की बिल्कुल नहीं चलती है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मन्त्री महोदय यह जांच करवाएं कि दिल्ली में किन बैंकों की शाखाओं के मैनेजरों के पास किन संसद-सदस्यों की स्लिप्स आई हैं और कितनी आई है, जिन लोगों को उन्होंने रीकमैंड किया है, उनको कितना पैसा दिया गया है और अंय लोगों को कितना दिया गया है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह : पच्चीस हजार रुपए एजूकेटिड अनएंम्पलायड यूथ को दिए जा रहे हैं। बैंकों के द्वारा वह पैदा कम्पलीटली उन लोगों को दिया जा रहा है, जिनको रूलिंग पार्टी दिलाना चाहती है। मैं आपको फेक्टस दूंगा।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयबाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि

कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बैंकिंग लाज (एमेंडमेंड) बिल का समर्थन करती हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद गांव वालों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बैंकों के के द्वारा एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ को सहायता दी जा रही है, ताकि वे कोई धंधा कर सकें। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद आम लोग बैंकों में जा सकते हैं और उनकी सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं फिनास मिनिस्टर और बैंकिंग डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूं। रिजर्व बैंक से रूरल एरियाज में काम करने वाले ग्रामीण बैंकों को बहुत कम फिनांस दिया जाता है। अगर ग्रामीण बैंकों को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक उन्नति हो सकती है। इसलिए ग्रामीण बैंकों में दिए जाने वाले फिनांश को बढ़ाना चाहिए।

हमें फिगर्स दिए जाते हैं कि बैंकों द्वारा 4 परसेंट इन्ट्रेस्ट पर लोन दिया जाता है। लेकिन जब कोई काम-धंधा करने वाले गांवों के बैंकों में जाते हैं, तो उन्हें 10 परसेंट से कम इन्ट्रेस्ट पर पैसा नहीं मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लेवरर्ज और जो लोग वहां पर काटेज इन्डस्ट्री या स्पाल-स्केल इन्डस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, उनको 4 परसेंट इन्ट्रेस्ट पर पैसा देने का डायरेक्शन देना चाहिए।

बैंकों का प्रोसीजर इतना लम्बा चौड़ा है कि मामूली आदमी बैंकों से कोई सहायता नहीं ले सकता। बैंकों में बहुत ज्यादा फार्म भरने पड़ते हैं। 20-पायंट प्रोग्राम में लोगों को बहुत मदद देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बैंकिंग प्रोसीजर इतना लम्बा है कि जो अनपढ़ लोग कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, वे उस प्रोसीज को पूरा नहीं कर सकते। जब तक प्रोसीजर को आसान नहीं किया जायेगा, तब तक आम जनता बैंकों से ज्यादा लाभ नहीं उठा सकेगी। सरकार ने बहुत सी सुविधायें देने की व्यवस्था की है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। अतः प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो रिक्शेवाला है, जो बाईसिकल की दुकान रखना चाहता है या कोई दूसरी छोटी-मोटी शाप रखना चाहता है वे सभी अनपढ़ होते हैं, इसलिए उनके लिये बैंक का प्रोसीजर आसान करना चाहिये। जो बैंक है वह डायरेटक्ट भी पैसा देती हैं और जो डी आई सीज है (डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेन्टर्स) या जो खादी इन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा भी पैसा दिया जाता है। लेकिन डी आई सीज में खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज में बैंकों के आफिसर्ज नहीं रहते हैं जिससे आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं रहता है। डी आई सीज में पैसा सैंगशन हो जाता है तब भी बैंकों में उसके लिए जाना होता है और उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डी आई सीज हैं उनमें एक बैंक आफिसर को जरूर रखना चाहिये तभी बीस सूत्री कार्यक्रम को आम जनता में सफलता-पूर्वक लागू किया जा सकता है। इसी तरह से हम खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज को भी गांव-गांव में ले जाना चाहते हैं। पूज्य महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि घर-घर में छोटे-छोटे धन्धे होने चाहियें। इस लिये वहां पर भी बैंकों के कोआर्डिनेशन की नितांत आवश्यकता है। मेरा यह सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जितनी भी बैंक शाखायें हो उन सभी को मिलाकर एक कमैटी बनाई जाए जिसका

चेयरमन कलक्टर हो और उसमें नान-आफिशियल मेम्बरी भी रखे जायें। महिलाओं तथा शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइव का भी एक प्रतिनिधी उसमें रखा जाना चाहिए। सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक की कमैटीज में कई जगह तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिनिधि रखा जाता है और कई जगह नहीं रखा जाता है। यदि हर जगह उनका एक प्रतिनिधि रखें तो उससे उनके काम में बड़ी आसानी पैदा होगी। इसी प्रकार महिलाओं को भी रखना अनिवार्य है। आज देश में 50 प्रतिशत महिलायें है, हमारी प्रधान मंत्री भी महिला हैं लेकिन उन कमैटीज में महिलाओं को नहीं रखा जाता है। इसलिए महिलाओं को भी रखना चाहिए।

इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बैंकों का कोआर्डिनेशन तो होना ही चाहिये। आज जो गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं उनको लोन दिए जाने के सम्बन्ध में बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं। बच्चों को पढाने के लिए या शादी के लिए लोन की बड़ी दिक्कत आती है। मेरा सुझाव है कि उनके दफ्तरों से उनकी पे से डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके आधार पर उनको लोन दे दिया जाना चाहिए वरना उन सोगों को मजबूरन प्राइवेट लोगों से बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर लोन लेना पड़ता है। इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिच।

आपको पे-डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर उसको लोन में मदद करना पड़ेगा। जैसे हिन्दी में एक कहावत है काबूली वाले की। जैसे काबूली वाले पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। पे डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर आपको लोगों को मदद देनी चाहिये।

बैंकिंग सिस्टम में डायरैक्टली हाउसिंग लोन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं। आप सोसायटीज को देते हैं, हुडकों के लिए देते हैं। लेकिन जिनके पास घर बनाने के लिए जगह है, उसको आपको हाउसिंग स्कीम में इन्कल्यूड करना चाहिए। चाहे उसके लिए आप उसकी प्रापर्टी को मार्टगेज कर दें। जिस तरह से आप मोर्टगेज करके इन्डस्ट्री के लिए देते हैं। उसी प्रकार आपको हाउसिंग के लिए भी देना चाहिए। यदि आप इसको इन्कल्यूड नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए घर नहीं होता है। यदि आप रिजर्व बैंक से डायरैक्शन भिजवा दें तो उनको मकान के लिए सुविधा हो जायेगी। यदि आप इसको इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो हर आदमी के लिए घर बन जाएगा। इस प्रकार वे लोग भी खुश हो जायेंगे।

बैंकों में बैठकर काम करना बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं के लिए कम काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमको पति, बच्चों को संभालना पड़ता है। इसलिए बैंकों में जो काम महिलायें करती हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए। मैं तो आपसे कहना चाहती हूं कि आप महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत जगहें रिजर्व कर दीजिए। यदि हम पचास प्रतिशत कहेंगे तो आप बीस या पन्द्रह प्रतिशत ही करेंगे। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बैंकों में आपको पार्ट टाईम एम्प्लायमेंट की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप इसको इन्ट्रीड्यूस करेंगे तो ज्यादा महिलायें अपने घर का काम देखकर बैंकों में काम कर सकती हैं। क्योंकि महिलायें अलग नहीं रहना चाहती हैं, फैमिली में मदद करना चाहती हैं। पढ़ लिख जाने के कारण वे काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती हैं। यदि आप इस स्कीम को इन्डस्ट्रीड्यूस करेंगे तो महिलाओं को सुविधा होगी। इसके लिए आपको बैंकिंग सिस्टम में कुछ न कुछ चेंजेज तो करने ही पड़ेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम में चेन्जेज लाने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा।

अंत में मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूं—सरल एरियाज में हमारे जो लोग रहते हैं उनके लिए बैंकों के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है, आप बैंकिंग सिस्टम के प्रोसीजर को आसान करें। सेल्फ-एम्प्लायमेंट की जो फार्मेलिटीज हैं, खास तौर से जो फार्म्ज हैं उनको सिम्पलीफाई करें। डी० आई० सीज में बैंक-आफिसर को भी रखें। बैंकों के पास स्कीमें हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने वालों को मुश्किल हो रही है। इसलिए बैंक और आपके डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना होगा। आजकल आपके डिपार्टमेंट्स अपने-अपने लिए काम करते हैं, जिससे उनके अन्दर कोआर्डिनेसन नहीं होता है। हमारे देश की महिलायें भी इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं आफिस जाने की आदत हमारे देश की महिलाओं में कम होती है। इसलिए प्रोसीजर को आसान बनाईये। जब भी महिलायें आपके यहां आयें, उनको स्पेशली अटैन्ड किया जाय। और उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाय, कम रेट आफ इन्टरेस्ट पर फाईनेन्सेज दिए जांय। महिलाओं को एम्प्लायमेंट में ज्यादा परसेन्टेज दी जाय।

इन शब्दों के साथ-साथ मैं आपके इस अमेंडिंग बिल का समर्थन करती हूं।

***श्री एम० अरुणाचलम** (टेंकासी) : सभापति महोदय, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपमन्त्री महोदय को स्वीकार्य होंगे।

1981 में पास किये गए बैंककार पुस्तिका साक्ष्य अधिनियम से लेकर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 तक इस संशोधक विधान की परिधि में 9 मूल अधिनियमों को लिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार स्वाधीनता के 36 वर्ष बाद भी किस प्रकार बैंककार पुस्तिका साक्ष्य अधिनियम 1891 के उपबंधों से काम चलाती आ रही है। जबकि 1983 में इस अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है तो स्वभाविक है कि इन तमाम वर्षों में इस आवश्यकता को दबाकर रखा गया होगा। मैं उपमन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा कि 1891 के अधिनियम का संशोधन करने में इतना असामान्य विलम्ब क्यों हुआ।

इस विधेवक में स्टेट बैंक, स्टेट बैंक के सहायक बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के उन प्रतिनिधियों को कंपनी अधिनियम 1956 से सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गई है जिनको उन कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया जाता है जिन्होंने सम्बद्ध बैंकों से ऋण लिया है। बैंकों के अधिकारियों पर ऐसी कम्पनियों द्वारा किसी सांविधिक उलंघन की स्थिति में कंपनी अधिनियम के उपबन्धों के कोपे जाने से बचाने की आवश्यकता तो मैं समझ सकता हूं।

यहां मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूं कि अब लगभग 420 बड़े निजी क्षेत्र के उपक्रम बीमा बताए जाते हैं और उनको दिए गए ऋण की राशि 1500 करोड़

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

रुपये तक पहुचती है । इन बीमार कम्पनियों से इतनी भारी धनराशि वसूल की जानी है। उपमन्त्री महोदय को यह मानना होगा कि बैंकों के वे प्रतिनिधि जिन्होंने उन्हें ऋण सुविधायें प्रदान की हैं, इन कम्पनियों के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे । मुझे उस अकुशल भूमिका के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है जो इन निर्देशकों ने अपने बैंकों को वित्तीय संरक्षण प्रदान करने में निभायी है । ऐसी बात नहीं है कि वे रातो-रात बीमार हो गई थीं । बैंकों के इन निदेशकों को यह पता होना चाहिए था कि ये कम्पनियां किस दिशा में जा रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस गिरावट के रुख को रोकने के लिए उन्होंने कौन से सार्थक कदम उठाए हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बैंकों के रुपये को प्राप्त करने में उनकी असफलता के विरुद्ध कौन-सी दाण्डिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । इस विधेयक में इस मामले पर भी एक खण्ड जोड़ा जाना चाहिए था ।

इस संशोधनीय विधेयक ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 को भी अपने में समाहित कर लिया है । मुझे यहां पर उन आम लोगों के दुर्भाग्य का उल्लेख करना है, जो उन निजी कंपनियों में अपने जीवन भर की बचत का सावधि जमाओं के रूप मेंनिवेशकरते हैं, जिनको कंपनी अधिनियम के अधिनियम के अधीन इस प्रकार की सावधि जमाओं को लेने की अनुमति मिली होती है ।

श्रीमन्, आपको उन कम्पनियों की धोखाधड़ी के बारे में अवश्य जानकारी होगी जो कि लोगों से जमा के रूप में धन लेने के फौरन बाद बन्द हो जाती हैं । यहां तक कि प्रतिष्ठित संस्थायें भी इस मामले में आम लोगों को धोखा देती हैं । लोगों की जमा धनराशि की कोई सुरक्षा नहीं है । अब जब इस विधेयक द्वारा जमाकर्ताओं की संख्या के बारे में सीमा बांध दी गई है तो जमा धनराशि बीमा योजना पर भी इस विधेयक को लागू किया जाना चाहिए । इन सबको जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । मैं माननीय उपमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आम जनता को ऐसे बेईमान लोगों के चंगुल से बचायें ।

इस विधेयक द्वारा, यह सुनिश्चित किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमनों को सभा पटल पर रखा जाएगा । मुझे शक है कि क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम और आयात-निर्यात बैंक अधिनियम में भी इस प्रकार के सांविधिक बन्धन हैं । अगर वहां ऐसा नहीं है तो माननीय मंत्री को इन दो महत्वपूर्ण अधिनियमों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से आयात कर्ताओं से भारतीय सामान के लिए ऋण-पत्र दिए जाते हैं । किन्तु जब भारतीय सामान विदेशों में सम्बद्ध पार्टियों के पास पहुंचता है तो वे पार्टियां बेईमानी से उस सौदे को रद्द कर देती हैं । इसके फलस्वरूप भारतीय निर्यात को भारी घाटा होता है । इस प्रकार के तमिलनाडु में कई उदाहरण हैं । मैं एक विशेष निर्यात कर्ता को जानता हूं, इस निर्यात व्यापार की वजह से दर-दर का भिखारी हो गया है । उसका एक करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का कपड़ा विदेशों में खराब हो रहा है क्योंकि आयात-कर्ता ने झूठे आधार पर ऋण पत्रों को रद्द कर दिया

है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री का विदेशी बैंकों की ऐसी शाखाओं के विरुद्ध जो इस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

हम बड़े-बड़े मामलों के प्रति सजग रहते हैं, किन्तु छोटे मसलों की जो कि उस आम जनता से संबंधित होते हैं, जो हमारी बैंक व्यवस्था पर निर्भर हैं, हम अनदेखी कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे गरीब लोगों को तंग किया जाता है। मैंने दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक से 1000 रुपए का एक ड्राफ्ट बनाकर अपने घर दक्षिण भारत में भेजा। मेरे शहर में इस बैंक की कोई शाखा नहीं है मेरे लोगों ने जिन्हें रोजाना के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसको एक अन्य बैंक में जमा करवा दिया यह पैसा उनके खाते में तुरन्त जमा नहीं किया गया। उस ड्राफ्ट को पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली शाखा में भेजा गया जिसने उसे पास किया। इस सारी प्रक्रिया में 15 से 20 दिन लग गए। इस दौरान मेरा पैसा जमा रहा और मेरे लोगों को इसे इस्तेमाल नही करने दिया गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को बदलना चाहिए। भिन्न बैंकों में ड्राफ्ट के मामलों में उपयुक्त समन्वय होना चाहिए जिससे जनता की कठिनाईयों को दूर किया जा सके और शीघ्र पैसा दिया जा सके। हमारी बैंकिंग व्यवस्था के विरुद्ध आम लोगों की सही शिकायतों को दूर करने के लिए हमें इसमें सुधार करना चाहिए।

मेरे से पहले जिस माननीय सदस्य ने भाषण दिया, उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था में सदाचार और अनियमिताओं के बारे में संकेत किया था। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार जो कि आम लोगों के उत्थान के लिए बचनबद्ध है, और जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ये महान् बपौती के रूप में ग्रहण किया और जिसकी प्रधान एवं मार्ग गतिशील नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अच्छे कार्य ही करेंगी।

हमारी प्रधान मन्त्री के नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे सफतापूर्वक लागू करने के लिए बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। मेरे से पहले के सदस्यों ने हमारे समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए शुरु की गई, आई. आर. डी. पी. और एन. आर. ई. पी. योजनाओं का जिक्र किया था। ये योजनायें बैंकिंग क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। इन बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण अनुदान और राज्य सहायता बांटी जाती है। बैंकों द्वारा अनुदान और ऋण बांटे जाने में परिहार्य देरी के बारे में रिपोर्टें मिलती रहती हैं। मैं माननीय उप-मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चिन करें कि हमारे देश के दलित लोगों के उत्थान के लिए बनी योजनाओं के अन्तर्गत ऋण और अनुदान यथाशीघ्र दिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतराम चेयरमैन साहब, इस एवान में जो बिल जेरे-तजवीज है, में उसकी तहेदिल से ताईद करता हूं। मैं अपने भाई, वजीर पुजारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पर जबकि मुल्क दो राहें पर खड़ा है, एक अच्छा कदम

उठाया है। यह कदम उनको उठाना ही था। क्योंकि जिस पार्टी से वे ताल्लुक और पाबन्द जुबान रखते हैं उस पार्टी के उसूल, सिद्धांत जनता के प्रति वचनबद्ध हैं, इसलिए यह कदम जो उठाया गया है वह निहायत मुनासिब है और मुबारकबादी का मुस्तहक है।

मोहतराम चेयरमैन, मैं आपके जरिए एक-दो बातें अर्ज करना चाहता हूं जो निहायत अहम और हर हिन्दुस्तानी की जिंदगी की कड़ी हैं।

यह बिल्कुल मानी हुई बात है कि हिन्दुस्तान की 85 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, और 15 फीसदी लोग शहरों में रहते हैं या इससे कुछ कम। कहने का मकसद यह हुआ कि गांवों के लोग जो खेतीबाड़ी में लगे हैं, अगर उनको मजबूत करना है और उनकी माली हालत को ठीक करना है तो इसमें कोई सुबहा नहीं है कि एग्रीकल्चर जिसको इन्डस्ट्री माना गया है, वह मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। हर लिहाज से मजबूत होगा गांवों के लोग भी हर लिहाज से मजबूत होंगे। चाहे मुल्क के बचाव का मसला हो, चाहे वह खेती का मसला हो, इसमें उनका पार्टीसिपेशन बहुत मजबूत होगा और तेजी के साथ मुल्क आगे होगा। अभी मैं डागा साहब की बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि 50 हजार करोड़ का डिपाजिट है और 45 हजार के करीब बैंकों की शाखायें खोली गई हैं। यह बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। किसी डेवलपिंग कंट्री की तरक्की की यह बड़ी जबरदस्त निशानी है। यह बात ऐवान को मालूम है, पार्लियामेंट को यह बात मालूम है कि बैंक जो पहले कुछ लोगों के लिये थे, जो सिर्फ कुछ लोगों की खिदमत और काम करते थे और कुछ लोगों के प्रति कमिटेड थे, इस बेरियर को इस रवायत को पहली बार इन्दिरा जी ने तोड़ा और इसी पर हमारी पार्टी का बटवारा भी हुआ। उनके जहन में यह बात थी कि गरीबों की मदद हम कर सकते हैं, गरीबों को ऊपर उठा सकते हैं, गांव के लोगों को उठा सकते हैं, तभी सहीमायने में मुल्क में मुआयंशी जहनी आजादी हो सकती है। इसी तरीके से जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो उस वक्त केवल 14 बैंक थे। अब ज्यादा हो गए हैं। बैंकों को नेशनलाइज करने की जो नीयत थी, जिस सिद्धांत व असूल पर इनको नेशनलाइज किया गया था, उसमें मुझे कुछ नाउम्सीदी नजर आती है। इसके बारे में एक-दो बातें कहना चाहूंगा। हमारी नीयत बैंकों को नेशनलाईज करने की यह थी कि गांव ऊपर उठें, खेती आगे बढ़े, इरीगेशन हो, गांवों में बिजली पहुंचे, गांव में स्कूल-कालेज खुलें, गांवों में काम हो और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार महैया हो। लेकिन जब इन आदतों की तरफ देखता हूं तो मुझे कुछ नाउम्मीदी नजर आती है।

यह सही है कि जो बैंकों की शाखायें बढी हैं, लोगों को अधिक ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है लेकिन बार-बार सदन में यह बात आई है कि करप्शन बड़े जोरों पर है। बैंक मैनेजरों का परसेंटेज बंधा हुआ है। 10-15 परसेंटेज उनको मिलना चाहिए तब जाकर कहीं कर्ज मिलेगा। जब मैं कांस्टीच्युएन्सी में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं। क्या हम इस बात को मान लें कि ऐसा ही होता रहेगा ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे? कर्ज देने का जो प्रोफार्मा आपने बनाया है, उसमें इतने आइटम्स हैं कि एक गरीब जो सिर्फ अंगूठा लगाकर कर्ज लेना चाहता है, क्या वह इतने आइटम्स को भर सकता है? इसीलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस पोसीजर को सिम्प्लीफाई करें ताकि जिस बात के लिए हमारी लीडर श्रीमती

गांधी लोगों को कमीटेड है, वह गांव में पहुंचा सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। आई. आर. डी. पी. की बात मैं सुन रहा था। बी. डी. ओ. साहब के पास दरख्वास्त दी जाए तो वह सर्किल इंस्पैक्टर के पास चली जाएगी; उसके बाद ग्राम सेवक फिर वापिस बी. डी. ओ. साहब के पास पहुंच जाएगी। वे सी. ओ. साहब की मिटिंग बुलायेंगे तब वह दरख्वास्त बैंक जाएगी। इतना लम्बा प्रोसीजर बना हुआ है। इस बारे में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं : "हम खाक हो जायेंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक"। जब तक माशूक के जुल्फ का इन्तजार करेंगे उस वक्त तक शायद यहां मेरे लिए कंडोलैंस भी हो जाएगा। फिर कोई बात होगी तो वही किस्सा होगा। प्रोसीजर आप सरल करें ताकि जिस बात के लिए हमारी पार्टी कमीटेड है, उसको गांवों तक पहुंचा सकें।

सभापति महोदय : आप इस सभा में इसका पूर्वानुमान क्यों लगा रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : नहीं-नहीं। ऐसा नही होगा। मेरी तरफ से बेफिक्र रहें।

एम्प्लायमेंट के मसले के बारे में सभी को जानकारी है। हिन्दुस्तान में हरिजनों की आबादी 22 परसेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की साढे सात परसेंट और जो अकलियत हैं वे 13-14 परसेंट हैं। जिनके लिए रिजर्वेशन हैं उसमें कितने लोग मैनेजर्स में या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या दूसरी कैटेगिरी आफ सर्विस में हैं। पिछली मई में हमारी प्रधान मन्त्री ने सारी पब्लिक अंडस्टेकिंग्स को एक सर्कुलर दिय. है। उसकी एक वजह थी। हमको भी एक ग्रिवांस है, उसको मद्दे नजर रखते हुए उसमें शेड्यूल कास्ट और शेज्यूल ट्राइब्स भी शामिल हैं कि क्लास थ्री और फोर की नौकरियों के लिए कितनी स्टैण्डर्ड क्वालिफिकेशन की जरुरत है। बेहतर यही होगा कि पूरे मुल्क में किसी को ग्रिवांस न हो। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें हरिजन और मुसलमान जरूर हों। और एक दीगर लोग हों। अफसर भी हों। वे देखें कि क्लास 4 की बहालियां जिसके लिए कोई खास स्टैंडर्ड औन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनमें नाइन्साफी किसी के साथ तो नहीं हो रही है चाहे वह मुसलमान हो, हरिजन हो, बैकवर्ड क्लासिस का हो या शेड्यूल्ड कास्ट का हो, कोई भी हो। मुझे दुख हुआ एक बात को सुनकर। मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन डागा साहब ने जरा-सा इशारा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कानपुर की बैंक शाखा के बारे में। वहां जो गड़बड़ियां हैं उनको डिपार्टमैंट देखे और समझे। देखना भी उसको चाहिए चूंकि यह पब्लिक एक्सचैंकर का मामला है। लेकिन क्लास 4 की जो बहालियां हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो लोग सिलैक्शन लिस्ट में आए उनसे 5-6 इत्तिफाक से मुसलमान भी थे। आपको सुनकर अफसोस होगा कि उनमें से भी काटकर दो या तीन कर दिए गए विदाउट एसाइनिंग एनी रीजन। अगर इसकी शिकायत की जाए तो कहेंगे कि बड़ा कम्युनल आदमी मालूम होता है और अगर शिकायत न करूं तो लोगों की तरफ से मुझे बुरा भला सुनने को मिलता है। मैं लोगों के लिए कमिटेड हूं, मेरी पार्टी कमिटेड है। चन्द ब्यूरोक्रैट्स को बैठकर जो चाहें करें, इसकी इजाजत नहीं

दी जा सकती है। ब्यूरोक्रैट्स को समझना चाहिए कि वे भी हिन्दुस्तान के बाशिन्दे हैं, यहां की पैदावार है, यहां उनको भी जीना है, और यहां मरना है। उनके लिए भी कोई दूसरी जन्नत या जहन्नुम नहीं बनेगा। हर किसी को अपने-अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसी देश की मिट्टी में हर कोई जन्मा है और इसी देश की मिट्टी में उसको मिल जाना होगा। इसलिए उनको अपना मिजाज बदलना चाहिए। साथ ही साथ उनको अपने तर्ज और तरीके भी बदलने चाहिए।

जहां तक लोन एप्लीकेशन फार्म्ज का ताल्लुक है, इनकी डिसपोजल के लिए आप कोई प्रोसीजर सैट करें। वैसे लोग भी अपने मिजाज को हल्का करें। एक फिक्स्ड समय में इनका डिसपोजल हो जाना चाहिए। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में दूसरे जो हैं उनका प्रापर रिप्रिजैंटेशन होना चाहिए, उनको प्रापर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जहन में कभी नहीं इसको रखना चाहिए कि यह मुसलमान है, बैकवर्ड है, हरिजन है, ट्राइब है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें। हमें हाफ एन आवर लेना है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

पांच हजार के लोन के लिए किसी सिक्योरिटी की जरुरत नहीं होनी चाहिए। पांच हजार का इस इन्फ्लैशन के जमाने में वजन ही क्या है। इससे ज्यादा हो तो आप जो भी चाहें आप करें।

जैसा कहा गया है सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। लोन एप्लीकेशंज जो आती है उनकी डिसपोजल के लिए टाईम लिमिट सैट की जानी चाहिये। एक महीना, दो महीने जो भी आप चाहें रखें लेकिन इस अर्से में इसका डिसपीजल हो जाना चाहिए।

जब्ती व कुर्की के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब्ती कुर्की के बाद अरेस्ट की बात इस एक्ट में है जो अच्छी बात है और बहुत लोगों ने अप्रोज किया है खासतौर से अपोजीशन ने जिसकी अखबारों में भरमार है। लेकिन साथ-साथ एक बात और है कि 500 रुपये का कर्ज अगर कोई गरीब लेता है उसके समय पर न देने पर तो बैंक का मैनेजर पुलिस और हथकड़ी लेकर उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन जिन बड़े लोगों पर लाखों, करोड़ों रुपया बैंकों का बाकी है उनको कोई नहीं पड़कता है। यह भेदभाव नही बरता जाना चाहिए।

20 पोइन्ट इकोनामिक प्रोग्राम के फूलफिलमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि बैंक की दरख्वास्त में राहत की जाए तभी यह प्रोग्राम पूरा होगा और गरीबों की मदद होगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

———

आधे घंटे की चर्चा

विश्वविद्यालयों के छात्रों में मादक औषधियों की लत

सभापति : अब सभा आधे घन्टे की चर्चा करेगी श्री कश्यप

श्री जगपाल सिंह कश्यप (आंवला): सभापति जी, विश्वविद्यालय के छात्रों में मादक औषधियों की लत के बारे में जो मेरा प्रश्न सं० 135 था जिसका उत्तर 1 दिसम्बर, 1983 को हमें प्राप्त हुआ था वह मेरी राय में काफी नहीं था। इस बारे में एक आर्टिकल "ट्रिब्यून" अखबार में 13-12-83 में छपा था जिससे इस बारे में काफी जानकारी हमें मिली है। सुभाष जे० रैले का वह आर्टिकिल है जिसमें इंडियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च ने जो स्टडी और सर्वे किया था विश्वविद्यालयों में जो युवक और युवतियां हैं उनमें मादक द्रव्यों के प्रयोग से और इस तरह की कुछ अन्य दवाइयों के प्रयोग में बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और छात्रों में खासतौर से इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह सर्वे हुआ इण्डियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च ने जो आंकड़े दिये हैं स्टडी के जिसमें बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में 33 परसेंट छात्र, छात्रायें इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बम्बई, लखनऊ, कानपुर आदि में तो यह सीमा 33 से भी बढ़ गई है और 50 परसेंट तक छात्र इनके शिकार पाये गये। भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, एल० एस० डी० आदि चीजों का प्रयोग बढ़ गया और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, देश के सामने एक स्थिति पैदा हो गई है कि अगर इतना बड़ा वर्ग देश का नशे में रहेगा तो वह निष्क्रिय हो जायगा, कायर और निकम्मा हो जायगा। उनकी शिक्षा और देश के भविष्य का क्या होगा, इन सब बातों पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई भी स्टडी या सर्वे नहीं किया गया। सरकार को या तो जानकारी नहीं है, जब कि बहुत से समाचार-पत्रों में यह चीज छपी, लेकिन सरकार का यहां उत्तर आया कि इस तरह का कोई सर्वे या स्टडी नहीं हुई। अब जब सरकार को पता ही नहीं है तो इसका समाधान भी सरकार के पास नहीं हो सकता। मेरी राय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान सरकार को करना चाहिये। वह समाधान सरकार किस तरह से करना चाहती है, कैसे करेगी, जब तक इस पर कोई विशेष सर्वे न हो तब तक पता नहीं लग सकता।

हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 अक्तूबर, 1982 को छपा था। दूसरे अखबारों में 13-12-82 को यहां तक छपा था कि हीरोइन मैदानी क्षेत्रों से खरीदकर विदेशी लोग ले जाते हैं और विदेशों में तो उसकी समग्लिंग करते ही हैं, हमारे ही देश के कुछ हिस्सों में 20 हजार रुपये किलोग्राम की दर से खरीदते हैं और 40 हजार रुपये किलोग्राम की दर से खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में बेचते हैं। इस प्रकार शिकायतें अखबारों में आई हैं। उससे हमें भी जानकारी मिली है और सरकार से भी जानकारी मिली है। विदेशी भी अगर इस धन्धे को करने लगे और हमारी सरकार उनको पकड़ न पाये, इतनी बड़ी मात्रा में हमारे छात्रों और युवकों में इन द्रव्यों का उपयोग हो, उसके बाद भी सरकार सक्षम न हो, उसे उसकी जानकारी न हो, वह कोई कदम न उठा पाये, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। हमारी अगली नस्ल पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और देश के प्रति जो हमारी जागरूकता है, उत्तरदायित्व है, उससे हम बहकेंगे और इसके दुष्परि-

णाम देश को भुगतने पड़ेंगे । खासतौर से इस बात का उत्तर आना चाहिये था, लेकिन जो उत्तर आया है वह यह है कि हम इसका प्रचार करेंगे ।

मेरा कहना यह है कि यह काम केवल सेमिनार और प्रचार करने से समाप्त होने वाला नहीं है । हर स्थान पर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना जीवन के लिए घातक है फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते है, शराब पीते हैं । मेरा कहना है कि केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा बल्कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोगों को यह चीजें उपलब्ध ही न हों ।

ऐसे भी बहुत से मर्ज होते हैं, जिनमें इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वह दुकानदार, जिनके पास इनके डिस्ट्रिब्यूशन का साधन है, सप्लाई की व्यवस्था है, वह इन्हें उन लोगों को दे देते हैं जो इनका प्रयोग केवल मादकता के लिए, नशे के लिए करते हैं । डिस्ट्रिब्यूशन में सख्ती हो और वह इस तरह से हो कि कई जगह इन दवाइओं का लिंक कर दिया जाये जिससे एक दवा से काम न चले, कई दवाओं के मिलाने से ही द्रव्य बने ताकि हरेक को यह उपलब्ध न हो । सरकार को इस बात की गारन्टी लेनी चाहिये, उसके पास इस तरह के आंकड़े होने चाहिए कितने मरीजों ने इन दवाओं का उपयोग मर्ज के लिए किया और कितनों ने नशे के लिए बाजार में इनको लेकर प्रयोग किया ; सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हो सकते ।

विज्ञान के जानने वालों ने राय दी है कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिये बहुत घातक हैं । यह केवल ला एण्ड आर्डर का ही प्रश्न नहीं है, हमारे समाज-कल्याण मंत्री द्वारा ही अकेले इसका उत्तर नहीं दिया जा सका, इसका सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्य मन्त्री और हमारे गृह-मंत्री से भी है क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है । ला एण्ड आर्डर के साथ यह मैडिकल हैल्थ से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो कानून इस समय हैं, क्या वह इतने यथेष्ट हैं जिनसे बिना किसी संशोधन के इन सारी बुराइयों को रोका जा सके ? यदि हैं, तो उन्हें कहां लागू किया जा रहा है ? लाखों-लाखों लोग जब इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो 10, 20 के बन्द हो जाने से या 100-100 और 200 200 मुकदमे चलने से काम नहीं चलेगा । व्यापक रूप से कानून का आपको प्रयोग करना चाहिए ।

अफीम खेतों में पैदा होती है । इसकी फिर किस तरह से समग्लिंग होती है, नशे के लिए देश में और विदेश में इसकी और चीजें बनकर भेजी जाती हैं जिनसे मादक द्रव्य बनते हैं और नशा फैलता है, सरकार द्वारा इस पर सख्ती की जाये । किसान पर सख्ती होती है, लेकिन अधिकारी किस तरह से वह अफीम लेते हैं, उसकी जांच होती है, उसमें दूसरी चीजें मिलाकर उस अफीम को स्मागलिंग के लिये दूसरों को मुहैय्या कर देते हैं ।

इस बात की चेकिंग होनी चाहिए कि ये चीजें कहां से आती हैं, कैसे उनका स्मगलिंग होता है और कैसे उन्हें बाजार में लाकर छात्र-छात्राओं को मुहैया करके उन्हें बिगाड़ा जाता है । अखबारों में आता है कि दिल्ली में लोग हीरोइन को प्राप्त कर सकते हैं । यह भी पता चला है

कि देश में कुछ हिस्सों में उसे बीस हजार रुपये किलो पर खरीद कर अस्सी हजार रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। छात्र छात्राएं तो नासमझ हैं। उन्हें इन चीजों के सेवन के दुष्परिणामों का पता नहीं होता। इन दुष्परिणामों का प्रचार अवश्य करना चाहिए, किन्तु केवल इसी से काम नहीं चलेगा। कानून में संशोधन करके इन चीजों के स्रोत को बन्द कर देना चाहिए, ये लोगों को उपलब्ध न हो सकें।

इस बारे में एक राष्ट्रव्यापी सर्वे करना चाहिए कि ये दवाएं कितनी बनाई जाती हैं, कितनी प्रयोग में लाई जाती हैं, कितनी दवाओं का युवक-युवतियों द्वारा अवैध रूप से प्रयोग किया जाता है और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर्वे द्वारा यह सारी जानकारी मिलने पर सरकार को इस समस्या को गंभीरता का पता लग सकेगा।

जो लोग इन चीजों को मुहैया करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। यदि आवश्यक हो, तो कानून में संशोधन करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा देने का प्रावधान किया जाए।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सभापति महोदय, यद्यपि मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि छात्रों में नशीली दवाईयों और शराब के सेवन की बुरी आदतें हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है तथापि इस समस्या की समीक्षा उचित परिप्रेक्ष्य में की जानी जरुरी है।

माननीय सदस्य ने जिन स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों का उल्लेख किया है वास्तव में वे अध्ययन शिक्षा कल्याण मंत्रालय द्वारा 1975-76 में प्रायोजित किए गए थे और 1978 में पूर्ण हुए। ये अध्ययन देश के सात शहरों यथा बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर और वाराणसी के कालेजों के छात्रों में व्याप्त नशीली वस्तुओं के सेवन की बुरी आदतों के संबंध में किए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में एक अध्ययन किया जो 1976 में पूरा हुआ।

इन अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ छात्रों को नशीली दवाइयों के सेवन की लत है। हालांकि अभी भी अधिकांश संख्या ऐसे छात्रों की हैं जिन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार्य तम्बाकू और मद्यपान आदि की नशीली वस्तुओं के सेवन की आदत नहीं है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझाती हूं मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और समस्या को यद्यपि समूल नष्ट न भी किया जा सका तो उस पर रोक लगाने के यथासंभव प्रयास किए जाएगे।

सरकार मद्यपान तथा नशीली दवाओं के सेवन की बुराइयों के बारे में जनसंचार माध्यमों द्वारा तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहायता अनुदान देकर इस बारे में प्रचार करने के लिए और लोगों को इनके बारे में अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चूंकि यह विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है अतः केन्द्रीय सरकार छात्रों की मद्यपान की आदत छुड़ाने के लिए हर समय प्रयत्न करने की आवश्यकता के लिए राज्यों पर बराबर जोर दे रही

है। उन्हें सभी विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध करने के लिए कहा गया है कि वे इस संबंध में निरंतर सर्तकता बरतें। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप कलापतियों को इस बारे में पत्र लिखे हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में समाज कल्याण मंत्रालय ने सहायता अनुदान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों में निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं प्रायोजित कीं। 22 विश्वविद्यालयों ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ विश्व-विद्यालयो में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं और कुछ इस दिशा में कार्यवाई कर रहे हैं।

मद्य-निषेध और नशीली दवाइयों के सेवन को रोकने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा केन्द्रीय मद्य निषेध समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है सभी राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के मद्य निषेध प्रभारी मन्त्री इस समिति के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त गृह, उद्योग, वित्त रसायन और उर्वरक, पर्यटन और स्वास्थ्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधि भी इस समिति में सम्मिलित हैं।

विभिन्न किस्म की दवाइयों के निर्माण, उपयोग स्यर परिवहन, इत्यादि के संबंध में पहले से ही काफी विस्तृत कानून बने हुए हैं फिर भी उन्हें और अधिक प्रभाविक तथा कारगर बनाने के लिए एक व्यापक विधान इस समय विचाराधीन है। इससे विभिन्न अधिनियमों के विद्यमान प्रावधानों को समेकित करके एक समान केन्द्रीय कानून का रूप दिया जा सकेगा।

यह कहना कि विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों के बीच इस समस्या से निबटने के लिए कोई समन्वय नहीं है, कि नहीं है, संबद्ध मन्त्रालय परस्पर सहयोग और परामर्श से कार्य कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई कसर नहीं रखी जा रही।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, नशीली दवाओं की जो लत छात्रों में पड़ गई है वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी चिन्ताजनक बात है। इसकी ओर जब सर-कार का ध्यान दिलाया जाता है तो सरकार कोई ठोस बात नहीं बतला पाती। आज के उत्तर में भी मन्त्री महोदय ने कोई भी ठोस बात नहीं कही है। आखिर इस लत के पीछे बुनियादी कारज क्या है ? किस कारण से यह लत पड़ती है ? सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का काम यह भी देखना है कि समाज में जो दूषित वातावरण बनता जा रहा है उसका छात्र-छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।

पिछली बार जब यह चर्चा आई थी तब यह बात कही गई थी कि एक प्रोहिविशन कमेटी बनाई जायेगी जिसमें कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेन्ट्स के लिए आयेंगे। उस कमेटी का फंक्शन उन दोषों का रोकना होगा जिनका प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेन्ट्स पर पड़ता है। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो नशा करने लगता है और जब हीरोइन कहती है तब वह छोड़ देता है मैं सम-झता हूं इन बातों का असर भी हमारे स्टूडेन्ट्स पर बहुत पड़ता है। **(व्यवधान)**

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं क्या आपने कोई सेन्ट्रल प्रोहिविशन कमेटी बनाई

और उसके द्वारा, छात्रों पर जो फिल्मों तथा दूसरी बातें का दूषित प्रभाव पड़ रहा है, उसको रोकने का कोई प्रयास किया ?

मन्त्री जी ने लेजिस्लेशन की बात भी कही है : आज बाजार में मेंड्रेक्स वगैरह नशीली दवायें सस्ते भाव पर मिल जाती हैं। जिस छात्र को 50 रुपए महीने मिलते हैं तो दो रुपए में ही नशा कर लेता है और दूसरी तरफ बिजनेसमेन के बच्चे शराब पीते हैं। सभी अखबारों में आया था कि आप इस सब्जेक्ट पर डिवेट्स अर्गेनाइज करेंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। उसमें दो पक्ष हो जाते हैं—एक उमरखयाम की रुबाइंया पढ़ता है और बताता है कि शराब कितनी सुन्दर चीज है। उसका वर्णन करता है और दूसरी ओर आप उसको रोकने वाले होते हैं। आपने कहा है कि कोई कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, जिसको बहुत से विश्वविद्यालयों ने स्वीकार किया है। मुझे इसमें एक पक्ष नैगेटिव लगता है, दूसरे पक्ष को मौका मिलता है और वह ज्यादा अच्छी तरह बात कहता है, जिसका बुरा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं हैं। इन शराब, मादक दवाओं का छात्रों के जीवन पर, शारीरिक और मानसिक, बुरा प्रभाव पड़ता है। इन विचार गोष्ठियों और डिबेट में आप फस जायेंगे, कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आयेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई ठोस योजना बनाइए, सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर मेरा सवाल है। एक दिसम्बर के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के द्वारा विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूल के छात्र शराब न पीयें तथा नशीली दवाओं का प्रयोग न करें इसके बारे में आपने करीब एक दर्जन कार्यवाहियों का उल्लेख किया है। कार्यवाहियं के जो असर पड़े हैं, उसका ब्यौरा क्या है ?

क्या आपको कोई सूचना मिली है कि विश्व विद्यालय इन शराब आदतों की रोकथाम के लिए सचेष्ट रहते हैं और आपके पत्रों का कितने केन्द्रीय विश्वबिद्यालयों के कुलपतियों ने जवाब दिए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

इन बुरी आदतों के विरुद्ध कितने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों तथा स्कूलों में वाद-विवाद आयोजित किए गए हैं। उनका छात्रों पर क्या असर पड़ा है ? पीने की आदतों में कहां तक कमी आई है और सरकार ने इस मद पर अब तक कितना खर्च किया है ?

केन्द्रीय प्रोहिविशन कमेटी के कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में उसे कहां तक सफलता मिली है ?

सरकार इस प्रकार की खराब आदतों को रोकने संबंधी कानून कब तक बनाने का बिचार रखती है और सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में क्या इस विषय को शामिल कर लिया गया है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : सभापति महोदय मैं प्रश्न बाद में करूंगा। पहले मैं समस्या की पृष्टभूमि में कुछ कहना चाहता हूं

महोदय इस समस्या का समाधान अकेले सरकार को नहीं करना है हम सभी देशवासियों को इसका समाधान करना है। आज विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है जिन्हें नशीली दवाइयों के सेवन की बुरी लत पड़ चुकी है और अब यह समस्या काफी गंभीर हो गई है।

महोदय यह समस्या केवल हमारे देश की नहीं है। यह विभिन्न देशों जैसे कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और आस्ट्रेलिया पाकिस्तान इत्यादि में भी विद्यमान है। ये समस्याएं पूंजीवादी देशों की हैं।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ?

श्री सुधीर गिरि : समाजवादी देशों में शायद ही ऐसी बातें देखने को मिले इसलिए मेरे विचार में हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही ऐसी बुरी लतों के लिए जिम्मेवार है क्योंकि नागरिकों की आय में भारी विषमता है ! मैं भी एक कालेज का प्राध्यापक हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूं कि नशीली दवाइयों के सेवन की आदत केवल उन्हीं छात्रों को पड़ती है जिनके पास कुछ जेब खर्ची होती है गांव से आने वाले गरीब विद्यार्थियों को इन नशीली दवाइयों की लत नहीं होती। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। उदाहरणार्थ जैसे कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अमरीका इत्यादि में। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उनका तन्त्र नशीली दवाइयों के सेवन की लत की समस्या से निपटने में उतना ही सक्षम है जितना कि विश्व के वे विभिन्न भाग जहां समाजवादी व्यवस्था है (ख) विभिन्न देशों के राज्याध्यक्ष के सम्मेलन में यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न देशों में नाजायज व्यापार के लिए भारत को रास्ता बनाया जाता है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कड़ी सर्तकता बरतेगी जिससे कि यह अवैध नशीली दवाइयों न तो भारत आ सके और हो यहां विश्व के अन्य भागों को जा सकें (ग) मादक औषधियों के सेवन की लत को बढ़ावा देने में फिल्मों का भी हाथ है। क्या सरकार केन्द्रीय मद्य निषेध समिति के किसी सदस्य को सैंसर बोर्ड में प्रतिनियुक्त करेगी ताकि फिल्मों के उन दृश्यों को जिनमें नशीली वस्तुओं के सेवन और पीने-पिलाने सम्बन्धी दृष्य दिखाए गए हों उनको सैंसर किया जा सके और (च) दवा विक्रेताओं और कैमिस्टों द्वारा अवैध दवाइयां उत्पादन किया गया है और जब सरकार ने उसके विरुद्ध उपाय किए तो उन्होंने हड़ताल कर दी और अब वह वे दवाइयां उन रोगियों को भी बेचने के लिए तैयार नहीं जिन्हे उनकी वस्तुत: जरूरत है। क्या सरकार समूचे औषध उद्योग का जो जीवनदायिनी औषधियों का निमाण करता है, राष्ट्रीय करण करने के लिए कदम उठाएगी ताकि वे सभी दवा विक्रेता और कैमिस्ट जो मुनाफा कमाने के चक्कर में है सरकार की राष्ट्रीय हित में बनाई जाने वाली नीति को सुचारू बनाए रखने के प्रयासों को निष्फल न कर सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, विद्यालयों के परिसरों में आज छात्र लोग मादक

द्रव्यों का सेवन करते हैं यह बात हर अखबार में बड़ी-बड़ी सुरखियों में प्रकाशित हो चुकी हैं। जो इस प्रकार की मादक द्रव्यों के सेवन की प्रवृति छात्रों में प्रवेश कर चुकी है, क्या इसको रोकने के लिए शिक्षा विभाग कोई कदम आगे बढ़ा रहा है ? क्या आप ऐसे कार्यक्रम बनायेंगे जिनसे कि धीरे-धीरे इस प्रवृति को सदा के लिए समाप्त किया जा सके ?

क्या आप अपने करीकुलम में इस प्रकार की बात रख सकते हैं कि जिससे कि छात्र मादक द्रव्यों को लेकर स्कूल के परिसर में न आ सकें ? आज सवाल तो यह है कि छात्र और गुरुजन दोनों साथ-साथ बैठकर पीते हैं क्या आप इसके लिए कोई ऐसा कानून बनायेंगे जिससे कि आप सरपराइज्ड चेकिंग कर सकें और छात्र के बारे में मालूम हो जाए कि परिमर में उसने धूम्र पान किया है, या किसी गुरु ने किया है तो उनके निष्कासित करने तक का या अन्य कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे सकें। शायद इससे यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाए।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, मान्य सदस्यों ने अपनी-अपनी राय इतने गंभीर विषय के ऊपर जाहिर की है और मुझे खुशी है कि इसमें उन्होंने दिलचस्पी ली है। लेकिन मुझे इस बात का भी रंज है कि ऐसे मौके पर यहां इतने थोड़े से लोग हैं जबकि इतने गंभीर बिषय पर यहां चर्चा हो रही है। अब इतने कम लोग यहां हैं कि अगर मैं कहूं तो किसके कान में मेरी बात जायेगी।

मैं जो बोल रही हूं वह एक मां के हृदय से बोल रही हु। जब मैं यह देखती हूं कि हमारे बच्चे इस तरह से गुमराह हो रहे हैं तो मुझको बड़ी तकलीफ होती है। मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि किस तरीके से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार बहुत संजीदगी से इसके ऊपर सोच रही है। मैंने यह भी कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, सोशल वेल्फेयर और एजुकेशन मिनिस्ट्री एवं आई० एण्ड बी० मिनिस्ट्री सब मिलकर इस मामले में काम करते हैं कि किस तरीके से जो पीने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, या बेचने वाले हैं उनको ऐसा करने से रोका जाए। अगर यह बिकेगी नहीं तो शायद इसे कोई पी भी नहीं सकेगा, खरीद नहीं सकेगा। यह बात एक भाई ने कही है जो कि बहुत-बहुत सही है कि इसके बारे में सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और यह खाली दवाई के लिए बिके।

जब यह सवाल आया कि इसके ऊपर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ? सोशल वेल्फेअर डिपार्टमेंट ने इस काम के लिए 15 लाख रुपये रखे हैं कि किस तरीके से इसको रोकने से बारे में पब्लिसिटी दे सकें और कैसे फिल्मों के जरिए से या और बातचीत के जरिए से इसको रोका जा सके। पांच लाख रुपये हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए रखे हैं। यह तो शुरुआत है। अगर माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लेते रहेंगे तो हमें इसके लिए और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी लाया जा रहा है जैसा कि 16 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं और हम इसके उपर कार्यवाही करेंगे।

लेकिन असली चीज सोशल वर्क है। जब घर में देखेंगे कि घर साफ सुथरा है, पिता जी नहीं पीते हैं, चाचा नहीं पीते हैं, घर में कोई नहीं पीता है तो बच्चों का भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर बच्चा देखेगा कि घर में सब पीते हैं तो हम भी एक चढ़ा लें तो क्या बात है। तो पहली बात तो यह है कि एटीटयूड बदलना होगा। तरीका बदलना होगा, समाज को तरीका बदलना होगा। जब तक इस काम को नहीं करेंगे तब तक इसको महत्व नहीं मिलेगा, जितना हम चाहते हैं।

सभापति महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.05 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 20 दिसम्बर 1983/29 अग्रहायण 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, आर० आर० गुप्ता प्रैस, दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1982